सप्तम माला, 13 मार्च, 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(दूसरा सत्र)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 51 (T) 1
Date 22. 7. 80.

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 3, गुरुवार, 13 मार्च, 1980/23 फाल्गुन, 1901 (शक)

विषय

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 48	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 49 से 61	19—273
अतारांकित प्रश्न संख्या 291 से 327; 329 से 451 और 453 से 468	27—141

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह + इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र 141

तारांकित प्रश्न संख्या 268, दिनांक 30–6–1977 के उत्तर में शुद्धि करने के बारे में वक्तव्य 144

समितियों के लिये निर्वाचन

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम . . . 145

(दो) स्नानकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ . 146

(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली . . 146

(चार) क्षय रोग संबंधी भारतीय संघ की केन्द्रीय समिति . . 147

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण
श्री आर०आर० भोले 148

(दो) प्राथमिक शिक्षा के लिये अधिक धनराशि दिये जाने की आवश्यकता
श्री रामावतार शास्त्री 148

(तीन) आसाम में विदेशियों संबंधी न्यायाधिकरणों के पंचाट
श्री ज्योतिर्मय बसु 149

बजट (सामान्य) 1980–81––सामान्य चर्चा . . . 150–242

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1980–81 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1979–80 150

श्री लक्ष्मण मलिक 150

श्री सतीश अग्रवाल 151

श्री जोवियर अराक्कल 157

श्री हरीश रावत 159

श्री धर्मवीर सिनहा 161

श्री जी०एल० डोगरा 163

श्री एस० आर० ए० एस० अप्पालानायडू . . . 168

श्री के० अर्जुनन 171

श्री दलवीर सिंह 185

श्री पी० के० थुंगोन 187

श्री चित्त बसु 190

श्री पी०वी०जी० राजू 193

प्रो० निर्मला कुमारी शकतावत 195

श्री एन० सुन्दर राजन 199

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति 202

श्री ठाकुर शिव कुमार सिंह 205

श्री इन्द्रजीत गुप्त 208

श्री उत्तमभाई ह० पटेल 213

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी 215

श्री सी० पलानी अप्पम 217

श्री दिलीप सिंह भूरिया 219

श्री ए० के० राय 220

श्री के० टी० कौसलराम 223

श्री जैंतुल बशर 225

श्री राम नगीना मिश्र 228

श्री टी० आर० अमन्ना 232

डा० कृपासिंधु भोई 234

श्री हरिकेश बहादुर 237

श्री सुन्दर सिंह 239

श्री कृष्ण दत्त 240

कार्य मंत्रणा समिति 243

दूसरा प्रतिवेदन 243

हरिजनों और आदिवासियों पर किये जा रहे अत्याचारों के बारे में चर्चा 243—265

प्रो० मधु दंडवते 243

श्री बालेश्वर राम 246

श्री राम विलास पासवान 249

श्री आर० आर० भोले 252

श्री मुकुन्द मंडल 253

श्री बूटा सिंह 254

श्री टी० नागरत्नम् 257
श्री मूलचन्द डागा 258
श्री इन्द्रजीत गुप्त 258
श्री योगेन्द्र मकवाना 260
श्री धर्मवीर सिन्हा 263
श्रीमती इन्दिरा गांधी 265

वर्ष 1980–81 के लिये गहूं और चने के मूल्य और वसूली नीति के बारे में वक्तव्य . . . . . 266—267

लोक सभा

गुरुवार, 13 मार्च, 1980/23 फाल्गुन, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

+ **श्रमिकों की संख्या**

*41. **श्री नीरेन घोष :** क्या **श्रम** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 जनवरी 1980 को श्रमिकों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) उनमें से अलग-अलग श्रेणियों में कितने-कितने श्रमिक थे; और

(ग) श्रमिकों की संख्या में वृद्धि की तुलना में रोजगार की संभावना क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) उपलब्ध प्रायोजना के अनुसार 1-1-1980 को देश में श्रमिकों की संख्या 285.18 मिलयन थी जिसमें 234.01 मिलियन ग्रामीण क्षेत्र में थी ।

(ग) नई योजना बनाने की पृष्ठभूमि में सरकार का इस मामले में विस्तृत विचार करने का प्रस्ताव है ताकि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रोजगार सम्भावनाओं के सृजन को अधिकाधिक बढ़ाया जा सके ।

श्री नीरेन घोष : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कितने शहरी श्रमिक रोजगार में हैं और कितने बेरोजगार हैं ? यह भी बतायें कि क्या पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण श्रमिकों की संख्या में, पंजीकृत अथवा गैर-पंजीकृत, वृद्धि हुई है और उनमें से कितने रोजगार में हैं और कितने रोजगार में नहीं हैं उन्हें वर्ष में कितने दिन का रोजगार प्राप्त होता है । क्या ऐसे समाचार भी मिले हैं कि बेरोजगारी के कारण लोग भूख से मरे भी हैं क्योंकि हम समझते हैं कि भूखमरी से भी मौतें होती हैं ।

श्री जे० बी० पटनायक : जहां तक ग्रामीण श्रमिकों की संख्या का सम्बन्ध है, ग्रामीण क्षेत्रों में 1510.3 लाख पुरुष तथा 829.8 लाख महलियें हैं । जहां तक शहरी श्रमिकों की संख्या का सम्बन्ध है, पुरुषों की संख्या 413.7 लाख और महलिाओं की संख्या 98 लाख है । जहां तक बेरोजगार श्रमिकों का सम्बन्ध है, रोजगार दफ्तरों के आंकड़ों के अनसार 1979 के दौरान देश में 143.3 लाख लोग बेरोजगार थे । इन्होंने

भुखमरी की मौतों का जिक्र किया है । विरोधी दल कहते आये हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भुखमरी के कारण मौतें होती हैं । लेकिन जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हमारे पास देश के किसी भी भाग से इस प्रकार के समाचार नहीं आये हैं ।

श्री नीरेन घोष : क्या इन वर्षों के दौरान बेरोजगारी बढ़ती ही गयी है ? पूर्ववर्ती सरकार के एक अनुमान के अनुसार शहरों में बेरोजगारी की संख्या 2.2 करोड़ से अधिक है और ग्रामीण क्षत्रों में बेरोजगारी की संख्या कम से कम 4.0 करोड़ है । लेकिन यदि आप आंशिक रोजगार वालों को शामिल करें तो ये आंकड़े 10.0 करोड़ हो जाते हैं । क्या यह सच है कि अथवा नहीं की हर वर्ष भुखमरी की मौते इस कारण होती हैं कि देश के 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं ? सरकार यह देखने के लिये क्या कदम उठा रही है कि सभी लोगों को रोजगार मिले और कोई भी भूख से न मरे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि व सीधे प्रश्न पूछें और प्रश्नकाल में भाषण न दें ताकि सभा के समय का उचित उपयोग हो । प्रश्न और उत्तर संगत होने चाहिये ।

श्री जे० बी० पटनायक : माननीय सदस्य ने वर्षों से रोजगार की स्थिति के बारे में—पूछा है । मुझे यह मालूम नहीं कि उनका तार्त्पय किस वर्ष से है । यदि हम 1951 1977 की अवधि के कांग्रेस शासन के आंकड़ों को देखें तो देश में 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिला । 1972–73 में बेरोजगारों की संख्या 168 लाख थी और 1977–78 में भी उनकी संख्या 168 लाख थी इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस अवधि के दौरान श्रमिकों की संख्या में जो 330 लाख की वृद्धि हूई उन सब के लिए तत्कालीन सरकार ने रोजगार की व्यवस्था की ।

जहां तक जनता सरकार का सम्बन्ध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान, जनता सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख रोजगार खोलने का वचन दिया था परन्तु वे ऐसा नहीं कर सके । उद्योगों का उत्पादन बहुत घट गया है और बेरोजगारी के आंकड़ों से सिद्ध होता है कि वे अपने वचन को पूरा करने में असफल हुये हैं ।

देश में बेरोजगारी दूर करने के बारे में यह बात सर्व विदित है कि यह सरकार बड़े पैमाने पर रोजगार खोलने के लिये वचनबद्ध है लेकिन इस समय अर्थ व्यवस्था तितर-वितर स्थिति में है । पहले अर्थ-व्यवस्था को ठीक करना है, उसके बाद ही सरकार की अनेक योजनाओं तथा परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाना है । नई पंच-वर्षीय योजना रोजगार पैदा करने वाली होगी ।

श्री ए० डी० पाटिल : श्रमशक्ति के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आने पर रोक लगाने और श्रमशक्ति को गांवों में ही रोजगार देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ।

श्री जे० बी० पटनायक : 20 सूत्री कार्यक्रम को मजबूत बनाकर ही ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर श्रमशिक्त के जाने को रोका जा सकता है जिसके लिये सरकार

ने वचन दिया है । ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोग, सीमांत किसान छोटे किसान ही ऐसे लोग हैं जिनका ध्यान रखा जाना है । समूचे 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करना है । इस कार्यक्रम को मजबूत करके तथा विभिन्न परियोजनाओं को लागू करके सरकार श्रमशक्ति को गांव में ही खपाना चाहती है ताकि वे शहरी क्षेत्रों को न जायें ।

श्री चित्त बसु : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि संगठित उद्योगों तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में रोजगारों में मंदी आ गयी है जिसका कारण बड़े पैमाने पर छटनी, तालाबंदी आदि आदि हैं । इसी कारण हमारे देश के अन्दर संगठित उद्योगों तथा सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी आ गयी है । इन क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करने के लिये सरकार का किस प्रकार के विशेष कदम उठाने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : उस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं ।

श्री चित्त बसु : नहीं । मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि रोजगार में मन्दी.....

अध्यक्ष महोदय : ये उत्तर दे चुके हैं । अब श्रीमती दंडवते ।

श्रीमती प्रमिला मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, अनएम्पलाएड लेबर फोर्स में महिलाओं की संख्या कितनी है, उन की क्या परसेन्टेज है ? 1951 के बाद से अनएप्लायमेन्ट में महिलाओं की संख्या बढ़ती गई है—क्या यह सच है ? 1977 के बाद जब जनता पार्टी सत्ता में आई, उस समय महिलाओं ने अपने सुझाव दे कर विमेन्ज-अनएम्पलायमेन्ट को एक स्पेशल-ईशू मानने का अनुरोध किया था । पिछले कई सालों में एग्रीकल्चर से इण्डस्ट्रीज तक, अनआर्गेनाइज्ड से आर्गेनाइज्ड तक, महिलाओं में बेरोजगारी बढ़ती गई है—इस के बारे में हम ने बहुत सोच-विचार कर कुछ खास सुझाव रखे थे और यह कहा था कि महिलाओं को ज्यादा रोजगार दिये जाने चाहिये । क्या वे सुझाव आपके विचाराधीन हैं या नहीं—इन के बारे में बतला दीजिये ?

श्री जे० बी० पटनायक : मैं दोनों महिला और पुरुष, श्रमिकों, के बारे में सभा को आंकड़े दे चुका हूं । जनता और लोक दल शासनकाल के दौरान महिलाओं के लिये पैदा किये गये रोजगारों सम्बन्धी आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की बात की है । इस बात को सभी जानते हैं कि उस कार्यक्रम को आर०एस०एस० तत्वों ने कैसे चलाया और उसकी आलोचना कैसे हुई ।

श्री रामनगीना मिश्र : मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं—देश में व्याप्त बेरोजगारी को देखते हुए क्या आप सिद्धान्तः एक ऐसा नियम बनायेंगे जिस में एक आदमी को केवल एक काम दिया जाय ? ऐसा देखने में आया है कि एक आदमी के नाम से खेत भी है, बिजनेस भी है और उसे सर्विस भी मिलती है । क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि एक व्यक्ति को एक ही काम मिले ?

श्री जे० बी० पटनायक : यह सुझाव सरकार के विचार के लिये है ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 42 ।

पत्रकारों संबंधी वेतन बोर्ड का प्रतिवेदन

*42. **श्री समर मुखर्जी** : क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गैर-श्रमजीवी पत्रकारों तथा श्रमजीवी पत्रकारों संबंधी वेतन बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के वतन बोर्डों ने 1977 में अंतरिम रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी थीं जिनमें अंतरिम मजदूरी-दरों की सिफारिश की गई थी । इन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी । 9–2–1979 को इन वेतन बोर्डों का स्थान श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारी अधिकरणों ने ले लिया । अधिकरणों की रिपोर्टें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ग) आशा है कि ये अधिकरण शीघ्र ही सिफारिशें दे देंगे ।

श्री समर मुखर्जी : समाचार पत्रों के अनुसार अधिकरण ने अपनी सिफारिशों में समाचार एजेन्सियों के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया है। क्या मन्त्री महोदय को इसकी जानकारी है ? उन्होंने शामिल न किये जाने पर आपत्ति की है और 18 मार्च को देश भर में एक दिवसीय विरोध कार्यवाही कर रहे हैं। क्या सरकार ने इस विरोध के बारे में समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त किये हैं? क्या मन्त्री महोदय अधिकरण के निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा अधिकरण से समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों को भी अपनी सिफारिशों में शामिल करने का आग्रह करने के पक्ष में हैं ताकि उनका असन्तोष दूर किया जा सके।

श्री जे० बी० पटनायक : मैं सभा को बता दूं कि अधिकरण की कोई सिफारिशें नहीं हैं, केवल प्रस्ताव हैं । अधिकरण की सिफारिशें सरकार को तभी मिलेंगी जब प्रस्तावों को जनमत के लिये परिचालित किया जाये, विभिन्न पक्ष अधिकरण से परामर्श करें और अधिकरण अन्तिम सिफारिश सरकार को भेजें । उसके बाद ही हम अधिकरण की सिफारिशों पर विचार कर सकते हैं। यह बात सच है कि पत्रकार एसोसिएशन अपनी मांगों को अधिकरण के प्रस्तावों में शामिल न करने पर बहुत शुब्ध हैं। अधिकरण की बात में सच्चाई है। वे कहते हैं कि चार समाचार एजेंसियों के वेतन में 1–9–1978 को समाचार बनने पर लाभ पहुंचा है और वे अनुभव करते हैं कि इस समय मजूरी पुनरीक्षण की कोई आवश्यकता

नहीं है। मैं सभा के सामने केवल अधिकरण के प्रस्ताव रखता हूं। समाचार एसोसिएशन अधिकरण के सामने अपना मामला रखने तथा अभ्यावेदन देने के लिये स्वतन्त्र हैं। सरकार द्वारा प्राप्त उनके सभी अभ्यावेदनों को अधिकरण को भेजा गया है और अधिकरण की सिफारिशों के बाद ही सरकार इस बारे में आगामी कार्यवाही करने पर विचार करेगी।

श्री समर मुखर्जी : मन्त्री महोदय द्वारा आयोजित प्रैस कांफ्रेंस के अनुसार श्री पटनायक ने कहा कि सरकार अधिकरण के प्रस्तावों के प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर निर्णय लेगी। उन्हें आशा थी कि अधिकरण अपने प्रस्तावों की घोषणा इस महीने के अन्त तक कर देगा। यह बात फरवरी की थी।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन ये प्रस्ताव अभी तक नहीं आए।

श्री समर मुखर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि प्रेस कान्फ्रेंस में कहा गया था कि बोर्ड अप्रैल के अन्त तक आपत्तियां आमन्त्रित करना चाहेगा और रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद और इसके प्राप्त होने के बाद ही सरकार इस पर विचार करेगी। उन्होंने प्रैस कान्फ्रेंस में भाग लेने वाले संवाददाताओं को आश्वासन दिये। मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : अप्रल आने दीजिये।

श्री समर मुखर्जी : 18 मार्च को वे एक दिन की हड़ताल करने जा रहे हैं। स्थिति के अनुसार हमें इस मामले में चुप नहीं रहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा वह पहले कह चुके हैं।

श्री समर मुखर्जी : इन्होने हड़ताल के निर्णय के बारे में कुछ नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको इस बारे में कुछ कहना है।

श्री समर मुखर्जी : कार्यवाही उनकी विरोध कार्यवाही से पहले की जानी है। मेरा यही प्रश्न है। इन्हें आश्वासन देना चाहिये कि उनकी मांगों पर विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : वह आश्वासन चाहते हैं। आप दे सकते हैं तो दे दीजिये।

श्री जे० बी० पटनायक : बात यह नहीं है कि सरकार को हड़ताल के निर्णय की सूचना नहीं मिली। लेकिन सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही सरकार इस बारे में कार्यवाही कर सकती है और जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं, सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

श्री मगनभाई बरोट : क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि जनता शासनकाल में समाचार एजेंसी के कर्मचारियों ने अधिकरण की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कहा था और तब प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट कहा था कि वे इसे अदालत द्वारा कार्यान्वित कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि सरकार की ओर से कोई आश्वासन या सहायता नहीं दी गयी थी जिसके फलस्वरूप, जहां तक टाईम्स आफ इंडिया का सम्बन्ध है,

एक लम्बी हड़ताल हुई। क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि सरकार सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों को उचित सहायता देगी और उन्हें अदालत में जाने के लिये विवश नहीं करेगी।

श्री जे० बी० पटनायक : कांग्रेस सरकार ने 1975-76 में वर्तमान अधिकरण सहित मजूरी बोर्ड का गठन किया था और अधिकरण का प्रतिवेदन सरकार के पास उपलब्ध होना चाहिये। सरकार इस बारे में कोई मुकदमेबाजी नहीं चाहती और सरकार चाहती है कि अधिकरण के निर्णयों पर सरकर द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के बाद इसको तुरन्त कार्यान्वित किया जाये।

श्री मगनभाई बरोट : उन्हें अदालत में जाने के लिये विवश करने के बजाय सरकार ऐसी क्या सहायता देगी जिससे इन निर्णयों को कार्यान्वित किया जा सके।

श्री जे० बी० पटनायक : यदि उनको अदालत में घसीटा जाता है तो इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते।

छात्रों के स्वास्थ्य के संबंध में सर्वेक्षण

†

*43. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष (1979) में देश में (एक) प्राइमरी पूर्व, (दो) प्राइमरी, (तीन) माध्यमिक और कालेज / विश्वविद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले और सर्वेक्षण में उल्लिखित बीमारियों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार शीघ्रातीशीघ्र इस प्रकार का सर्वेक्षण करने का है जिससे कि उन शारीरिक बीमारियों का पता लगाया जा सके जिनसे कि छात्र ग्रस्त होते हैं।

स्वास्थ्य शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क), (ख) और (ग) : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार ने देश में स्कूल/कालेजों के छात्रों के स्वास्थ्य का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। न ही इस समय कोई एसा सर्वेक्षण करने का विचार है।

श्री नारायण चन्द पराशर : भूतपूर्व सरकार का न तो विद्यार्थियों का कुछ ध्यान था और न ही उनके स्वास्थ्य अथवा शिक्षा के प्रति उनकी कुछ रुचि थी लेकिन अब नई सरकार सत्ता में आई है और उसकी रुचि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों में है अतः इस बात का ध्यान रखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन वर्गों के विद्यार्थियों को अपने विकास वर्षों के दौरान चिकित्सा सम्बन्धी बहुत कम सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे विशेषकर जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही विषय समवर्ती सूची के अन्तर्गत आते हैं?

श्री बी० शंकरानन्द : यह सच है कि ग्रामीण बच्चों के स्वास्थ्य की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है माननीय सदस्य का सुझाव का एक अच्छा सुझाव है।

डा० कर्ण सिंह : श्री शंकरानन्द जी द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह बहुत आश्चर्यजनक है विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कई सर्वेक्षण कराए गए हैं । मुझे उनके ऐसा कहने से आश्चर्य होता है कि यह नहीं किया गया है। राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद ने गत बीस वर्षों में कई गम्भीर अध्ययन किए हैं। समेकित बाल विकास योजना जो एक समेकित बाल विकास कार्यक्रम हैं उसके अन्तर्गत पिछले चार अथवा पांच वर्षों में स्कूल जाने वाले बच्चों के बारे में वृहद सर्वेक्षण किए गए हैं । विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सर्वेक्षण कराए हैं। मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि सर्वेक्षण हुए है और कुछ कार्यवाही भी शुरू की है। उदाहरणार्थ अन्धता को रोकने के लिए विटामिन 'ए' कार्यक्रम है । बजाय इसके कि वह कहें कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है उन्हें रिकार्ड ध्यान से देखने चाहिए और जहां कार्यक्रमों का क्रियान्वयन रुका पड़ा हो उसे क्रियान्वित करने की कोशिश करें ताकि विद्यार्थियों के कल्याण सम्बन्धी व्यापक कार्यक्रम को पूरा किया जा सके।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य, जो पहले स्वास्थ्य मन्त्री रह चुके हैं, ने जो प्रश्न पूछा गया है उसको नहीं देखा है। मेरा उत्तर उस प्रश्न के अनुरूप है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि जैसा कि **ड० कर्ण** सिंह ने कहा विभिन्न सामाजिक और अनुसन्धान संस्थानों द्वारा कई सर्वेक्षण किए गए हैं और क्या 8–12 वर्ष की उम्र वाले काफी बच्चो में विटामिनों की कमी पाई गई है और क्या 16–20 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों में काफी बच्चे नशीली वस्तुओं के सेवन के शिकार हैं तथा शीतरोग से ग्रस्त पाए गए हैं, यदि हां, तो क्या सरकार विद्यार्थियों के सम्बन्ध में व्यापक सर्वेक्षण कराएगी ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य का प्रश्न छात्रों के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में है। इस प्रश्न का इससे सम्बन्ध नहीं है । यह प्रश्न ऐसा है जिसमें काफी छात्र आ जाते हैं । देश में लगभग 4,75,000 प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें 500 लाख बच्चे हैं, 1,11,000 मिडल स्कूल हैं जिनमें 220 लाख बच्चे पढ़ते हैं और 42,000 उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं जिनमें 180 लाख बच्चे हैं। अभी इस संख्या में वे छात्र शामिल नहीं हैं जो विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं । केवल इनकी ही संख्या 900 लाख के लगभग होगी। यह एक बहुत बड़ा काम है और सरकार बच्चों के स्वास्थ्य के विषय में चिन्तित है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने छात्रों में नशीली वस्तुओं के सेवन की प्रवृत्ति के बारे में पूछा है :

श्री बी० शंकरानन्द : इसके लिए मुझे पृथक नोटिस दिया जाए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं मन्त्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि यह एक बहुत बड़ा काम है तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1952 से देश में कुछ अद्वितीय संस्थान जैसे कलकत्ता का छात्र स्वास्थ्यगृह जो कि आत्म निर्भर संस्थान हैं, चलाए जा रहे हैं । भारतीय विश्वविद्यालयों की एसोसिएशन ने इस क्षेत्र में इस संस्थान को आदर्श संस्थान माना है । क्या उन्होंने इस संस्थान के

क्रियाकलापों के बारे में कुछ जानने की कोशिश की है और क्या सरकार उन्हें कुछ सहायता देगी ताकि वह अपने कार्य को जिसे एक आदर्श कार्य माना गया है, आगे बढ़ा सकें ?

श्री बी० शंकरानन्द : यह एक पृथक प्रश्न है और इसका उठाए गए प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें इस सम्बन्ध में नोटिस चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानता हूं यह एक पृथक प्रश्न है लेकिन क्या वह उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे

श्री चन्द्रपाल शैलानी : स्कूलों और कालेजों के छात्र छात्राओं में नशीली वस्तुओं के सेवन की प्रवत्ति बढ़ती जा रही है मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय की जानकारी में यह बात है या नहीं है और अगर है तो वह इस विषय में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल पूछा जा चुका है ·

श्री हाकम सिंह : गांवों में जो विद्यार्थी रहते हैं उनमें जो बीमारियां पैदा हो जाती हैं और उनका जो स्वास्थ्य खराब हो जाता है क्या उसकी तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाएगा और उनको जो पहले कापी चालीस पैसे में मिला करती थी और पिछली सरकार के जमाने में साठ पैसे में मिलनी शुरू हो गई थी, उसकी तरफ भी आप ध्यान देंगे और उनको कापियां आदि सस्ती मिलें, इसकी व्यवस्था भी आप करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा सवाल है । नैक्स्ट क्वैश्चन ।

रेल औषधालय

*44. **श्री नारायण चौबे :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान (एक) श्रेणी एक और दो, (दो) श्रेणी तीन और (तीन) श्रेणी चार के कर्मचारियों के लिए दवाओं की स्थानीय खरीद पर रेल औषधालयों द्वारा अलग-अलग कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) क्या कारण है कि जिस तरह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में दवाएं रहती हैं उस तरह रेल औषधालयों में दवाएं नहीं रहतीं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

13-3-1980 को लोक सभा में श्री नारायण चौबे द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० 44 के उत्तर से संबंधित विवरण

(क) 1-4-1979 से 31-12-1979 तक

रेलवे	श्रेणी 1 और 2	श्रेणी 3	श्रेणी 4	जोड़
1	2	3	4	5
मध्य . .	1307.70	2985.90	1993.22	6286.82
पूर्व . .	67902.27	461072.12	551232.30	1080206.69

1	2	3	4	5
उत्तर .	—	—	—	1542114.00
पूर्वोत्तर .	—	—	—	184195.00
पूर्वोत्तर सीमा .	—	—	—	159947.00
दक्षिण .	9761.09	45339.82	58653.14	113754.05
दक्षिण-मध्य .	—	—	—	102491.00
दक्षिण-पूर्व .	22769.79	43595.51	37795.41	104160.71
पश्चिम .	—	—	—	504761.00
कुल जोड़				37,97,916.27

उत्तर, पूर्वोत्तर-सीमा, पूर्वोत्तर, दक्षिण-मध्य और पश्चिम रेलों पर श्रेणी-वार, अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार चिकित्सा सेवाओं के औषधालयों के समान ही रेलवे औषधालय भली-भांति साज-सज्जित किये जाते हैं।

श्री नारायण चौबे : रेल औषधालयों में सामान्यतः दवाएं नहीं मिलती हैं। नियम यह है कि जो दवा औषधालय में प्राप्त न हो उसे बाजार से खरीदा जा सकता है और फिर उसकी लागत की प्रतिपूर्ति हो जाती है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे के डाक्टरों को गुप्त रूप से यह हिदायत दे रखी है कि ऐसी कोई दवाई न लिखी जाए जो कि औषधालय में उपलब्ध न हो और यदि मरीज को दवाई की सख्त जरूरत हो तो भी दवाई का नाम सादे कागज पर लिख दिया जाए और हस्ताक्षर न करे जाएं ताकि उसकी कीमत की प्रतिपूर्ति के लिए मांग न की जा सके।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जब दवाइयां स्टाक में उपलब्ध नहीं होतीं तो सख्त जरूरत पड़ने पर स्थानीय खरीद की जाती है। यदि माननीय सदस्य की नजर में कोई विशिष्ट मामला है तो वह उसे हमारे ध्यान में लाएं हम उसकी जांच करगे।

श्री नारायण चौबे : जो विवरण आपने सभा पटल पर रखा है उसमें उत्तर, उत्तर/पूर्व और दक्षिण मध्य रेलवे की स्थिति के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। आपने मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के बारे में ही आंकड़े दिए हैं। आपने उत्तर, पुर्वोत्तर सीमान्त, पुर्वोत्तर, दक्षिण-मध्य रेलवे के बारे में आंकड़े क्यों नहीं दिये हैं। यह पहला प्रश्न है।

इन चारों के बारे में दिए गए आंकड़ों के अनुसार श्रेणी एक और श्रेणी दो के लिए आपने 1,01,739 रुपये की दवाएं खरीदी पर श्रेणी चार के लिए केवल 6,51,673 रुपये की दवाएं खरीदी हैं। क्या आप भारतीय रेलवे में श्रेणी एक और श्रेणी दो के अधिकारियों की प्रतिशतता बताएंगे और यह भी बताएं कि आपने किस अनुपात से यह दवाएं खरीदी हैं ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : रेलवे द्वारा किसी प्रकार का अलग से वर्गवार रिकार्ड रखने की कोई हिदायत नहीं दी गई है। सबके लिए समान दर है। यह एक वर्ग रहित समाज है और हम वर्ग भेद में आस्था नहीं रखते।

श्री नारायण चौबे : श्रेणी एक, श्रेणी दो और श्रेणी चार के बीच अनुपात क्या है।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आपको पृथक नोटिस देना होगा।

श्री नारायण चौबे : अनुपात तो है।

अध्यक्ष महोदय : पर आप संख्या पूछ रहे हैं।

श्री नारायण चौबे : जो विवरण सभा पटर पर रखा गया है उसमें श्रेणी एक श्रेणी दो और चार के लिए खरीदी गई दवाओं पर व्यय की गई राशि दर्शायी गई है ....

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने इसे देख लिया है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैंने ही उत्तर दिया है लेकिन दवाओं की खरीद के बारे में अधिकारियों के आधार पर वर्गीकरण करने के बारे में कोई हिदायतें नहीं दी गई है। हम वर्गहीन समाज में विश्वास रखते हैं। न जाने कार्यालय यह आंकड़े क्यों एकत्र करता है।

(व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं जानता हूं यदि आप विवरण देखें तो आपको पता चलेगा कि श्रेणी तीन-चार के आंकड़े श्रेणी एक और दो की तुलना में अधिक हैं।

गाड़ियों का देरी से चलना

*45. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गाड़ियों के देरी से चलने की घटनाएं उसी प्रकार हो रही हैं जैसी पिछली सरकार के समय में थी ;

(ख) क्या सरकार का विचार गाड़ियों के समय से चलने की स्थिति में सुधार करके उसे वर्ष 1976 के स्तर पर लाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो 1977 से पूर्व की स्थिति कब तक लाई जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) जनवरी 80 से डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों के समय पालन में सुधार दिखाई दिया है और 1976-77 के स्तर पर समय पालन का स्तर लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर इस काम की देखभाल

की व्यवस्था करने सहित विभिन्न प्रकार के उपाय किये गये हैं । आशा है कि रेलें शीघ्र ही इस स्तर को प्राप्त कर लेंगी।

श्रीमती राम दुलारी सिंहा : मैं यह जानना चाहती हूं कि वर्ष 1976 में गाड़ियों के समय पालन में सुधार के लिए कौन से कदम उठाए गए थे और यदि कदम उठाये गये थे तो क्यों उन कदमों के वह परिणाम नहीं निकल रहे जोकि वर्ष 1977 के पहले निकले थे?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यदि हम आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि 1976–77 में बड़ी लाइन पर समय पावन्दी के आंकड़े 93 प्रतिशत और मीटर गेज पर 94.5 प्रतिशत थे और 1977–78 में इनके ही बारे में आंकड़े 90.3 प्रतिशत और 91.8 प्रतिशत थे, 1978–79 में यह घटकर 85.7 प्रतिशत और 88.3 प्रतिशत रह गए। 1979–80 में दिसम्बर तक समय की पावन्दी और भी कम हो गई और यह आंकड़े क्रमशः 84.5 प्रतिशत और 86.5 प्रतिशत तक पहुंच गए । जनवरी 1980 के आंकड़े 86.9 प्रतिशत और 89.5 प्रतिशत हैं और फरवरी में ये 88.6 प्रतिशत और 89.1 प्रतिशत हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या यह जानना चाहती हैं कि आपने गाड़ियों के समय से चलने की स्थिति में सुधार करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जिस दिन से हमने कार्य भार संभाला है समय की पावन्दी की दर लगभग 90 प्रतिशत हो गई है।

श्री भागवत झा आजाद : गाड़ियों के चलने में रेल लाईन तथा स्वयं चालक सहायक हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वही गाड़ियां वही ड्राइवर, वही कोयला वही ट्रैक के होते हुए किस प्रकार 1977 से पहले गाड़ियां समय पर चलती थीं और 1977 से 80 तक समय पर नहीं चलीं और अब फिर 1980 से समय पर चलने लगी हैं और क्या सरकार इस बारे में जांच कराएगी? सब कुछ पहले जैसा है फिर गाड़ियों के पहले समय पर चलने पर बाद के वर्षों में समय का पालन न करने के क्या कारण हैं?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : पिछले तीन साल से रेल बिगड़ गई थी, अब सुधर रही हैं ठीक हो जाएगी।

श्री सुनील मैत्रा : गाड़ियों के देरी से चलने का कारण यह है कि इंजनों की उचित सर्विस नहीं हो रही है। पटरियां पुरानी हैं .....

अध्यक्ष महोदय : क्या आप जानकारी दे रहे हैं?

श्री सुनील मैत्रा : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं *(व्यवधान)* क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गाड़ियों के देरी से चलने का एक कारण यह है भारतीय रेलवे के वर्कशापों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले अधिकांश उपस्कर रेल कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं? क्या यह भी सच है कि 50 प्रतिशत पटरियां बहुत पुरानी हैं और उनका उपयोग काल समाप्त हो गया है पर फिर भी उन्हें उपयोग में लाया जा रहा है इसलिए दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं और गाड़ियां विलम्ब से चल रही हैं?

श्री सी० के० जाफर शरीफ: माननीय सदस्य का प्रश्न गत तीन वर्षों की आस्तियों से सम्बन्धित है। हम स्थिति में सुधार कर रहे हैं और उसमें आगे भी सुधार करेंगे **(व्यवधान)** गाड़ियों की समय की पावन्दी में पहले कुछ सुधार हुआ था लेकिन गत तीन वर्षों में स्थिति फिर खराब हो गई थी।

श्री के० लकप्पा: क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि जनता राज्य में गाड़ियों के लेट चलने का एक कारण रास्ते में होने वाली लूटमार और डकैतियां भी था। मार्ग में इस लूटमार और डकैती को रोकने के लिए क्या सुरक्षा प्रदान की गई है।

अध्यक्ष महोदय: इस पर एक प्रश्न है।

श्री के० लकप्पा: मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सत्य है कि उस अवधि में गाड़ियों के देर से चलने का कारण डकैतियां और चोरियों में वृद्धि होना है।

अध्यक्ष महोदय: इस बारे में भी एक प्रश्न है मैंने आपके प्रश्न को नोट किया है **(व्यवधान)** आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आपके प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न के अन्तर्गत दिया जाएगा।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी: पिछले सत्र में भी मैंने बम्बई क्षेत्र की उपनगरीय सेवाओं के सम्बन्ध में गाड़ियों के समय पर न चलने के बारे में एक प्रश्न उठाया था। उत्तर में मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं यह जानना चाहता हूं कि उपनगरीय सेवाओं में सुधार के लिए क्या आप बम्बई का दौरा करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

गुजरात में सड़कों को राष्ट्रीय राजपथों में बदलना

*46. **श्री †अहमद एम० पटेल:** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य की किन किन सड़कों को राष्ट्रीय राजपथों के रूप में बदला जा रहा है और उनके सम्बन्ध में प्रगति क्या है;

(ख) क्या राज्य की किसी अन्य सड़क को अगली योजना के दौरान राष्ट्रीय राजपथ के रूप में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): (क) इस समय गुजरात में किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं घोषित किया जा रहा है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है?

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अहमद एम० पटेल : पिछले 20 वर्ष में रोड्स स्कीम के मुताबिक गुजरात में 3600 किलोमीटर का लक्ष्य सिद्ध करने की नीति तय हुई थी, लेकिन पिछले 19 साल में गुजरात में 318 किलोमीटर राज्य मार्ग को ही नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया गया है जो कि गुजरात में करीबन 8.5 परसेंट है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब इस स्कीम को खत्म होने में एक साल ही बाकी है तो यह लक्ष्य सिद्ध हो सकेगा या नहीं ? नहीं, तो इसकी वजह क्या है ? कम-से-कम गुजरात के एम०पीज० को क्या वह इसका आश्वासन देंगे ।

श्री ए० पी० शर्मा : गुजरात में नेशनल हाईवे 1398 किलोमीटर है । फिफ्थ फाइव-यीअर प्लान में किसी भी स्टेट में नेशनल हाईवे में कोई एडीशन, बढ़ोतरी, नहीं हुई है । सिर्फ गुजरात में 46 किलोमीटर की एडीशन हुई है । माननीय सदस्य देखेंगे कि यद्यपि और राज्यों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, केवल गुजरात में हुई है । इस लिए उनको इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए ।

श्री अहमद एम० पटेल : 1978–79 के दौरान जो रोड्ज़ प्रोग्राम थे, उनके लिए एक वर्किन्ग ग्रुप बनाया गया था । उस ग्रुप ने गुजरात के चार राज्य हाईवेज को नेशनल हाईवे में कनवर्ट करने की रीकमेंडेशन की थी । क्या उस रीकमेंडेशन को स्वीकृत कर लिया गया है; अगर नहीं, तो उसकी वहज क्या है और कब तक यह काम पूरा हो जायेगा ?

श्री ए० पी० शर्मा : यह ठीक है कि गुजरात राज्य से इस तरह के प्रस्ताव आये थे, लेकिन अभी जो स्थिति है, उसमें मौजूदा नेशनल हाईवे का ही इन्तजाम ठीक तरह से नहीं हो सकता है, इस लिए इस वक्त फंड्ज़ की कमी की वजह से चार रोड्ज को नेशनल हाईवे डिक्लेयर करने पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

श्री भेरावदन के० गधावी : राज्यों में जिन नेशनल हाईवेज की मरम्मत नहीं हो रही है, क्या सेंटर उनकी तरफ ध्यान देगा ?

श्री ए० पी० शर्मा : नेशनल हाईवेज़ की मरम्मत की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है । इस लिए इसकी बराबर देखभाल हो रही है और इस सम्बन्ध में बजट में पैसा भी रखा गया है ।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि नागपुर प्लान और बीस वर्षीय प्लान में गुजरात के लिए कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजपथ का लक्ष्य निर्धारित किया था और उसमें से कितना पूर्ण हुआ है ? इस मामले में गुजरात अन्य राज्यों के मुकाबले में सब के पीछे है । केवल 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे देने से गुजरात का क्या फायदा हो सकता है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मंत्री महोदय क्या कदम उठा रहे हैं ।

श्री ए० पी० शर्मा : मैंने पहले ही कहा है कि यद्यपि फिफ्थ फाइव-यीअर प्लान में किसी भी राज्य में नेशनल हाईवे में एडीशन नहीं हुई है, गुजरात में 46 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है । उसको स्टेट कैपिटल के साथ जोड़ने के लिए जरूरी समझा गया, इसलिए यह एडीशन की गई ।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि लक्ष्य क्या है।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए आप अगले बजट सत्र में पृथक प्रश्न पूछें ।

बीड़ी श्रमिकों की दशा

*47. **श्री के० लकप्पा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीड़ी श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये सामाजिक सुरक्षा, भविष्य निधि जैसे तथा अन्य क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) क्या दक्षिण राज्यों में कानून होने के बावजूद अब भी बीड़ी श्रमिकों को बहुत सी सुविधाएं नहीं दी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) देश में बीड़ी श्रमिकों की दशाओं में सुधार करने के लिए किए जाने वाले उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ बीड़ी और सिगार कर्मकार (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अधीन उनके रोजगार और कार्य दशाओं को विनियमित करना, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता देना, इनको कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन लाना, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के लाभों को लागू करना आदि शामिल हैं ।

(ख) और (ग) सम्बद्ध अधिनियमों के अधीन अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था करने संबंधी कार्यवाही दक्षिणी राज्यों में भी निरन्तर की जा रही है ।

श्री के० लकप्पा : पिछले दो वर्ष से बीड़ी कर्मचारी विशेषत: दक्षिणी राज्यों में आग्रह कर रही हैं कि कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत उन्हें सभी लाभ दिये जायें । परन्तु दुर्भाग्य से कानूनों के होते हुए भी उन्हें दक्षिणी राज्यों में लागू नहीं किया गया । मैं यह जाना चाहता हूं कि गुप्त रूप से चल रहें इस अभियान पर भूतपूर्व केन्द्रीय सरकार ने क्या निदेश दिये थे ताकि बीड़ी कर्मचारियों को पूरे लाभ न दिये जा सकें । अधिकारियों तथा भूतपूर्व सरकार की आलोचना को ध्यान में रखते हुए क्या आप बीड़ी कर्मचारियों को न्याय से वंचित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच करायेंगे ।

श्री जे० बी० पटनायक : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि दक्षिणी राज्यों के बीड़ी कर्मचारियों संबंधी कल्याण योजनाओं का अध्ययन करूंगा तथा उन्हें क्रियान्वित करने के उपाय किये जायेंगे ।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय के इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे जानना चाहता हूं दक्षिणी राज्यों के बीड़ी कर्मचारियों को देय लाभों में से क्या नहीं दिये गये हैं तथा उस बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी तथा इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? क्या आप सम्बद्ध दक्षिणी राज्यों के बीड़ी कर्मचारियों की दशा सुधारने के बारे में सभा में आश्वासन देंगे ?

श्री जे० बी० पटनायक : पहले बता चुका हूं कि सामाजिक सुरक्षा उपाय.....

श्री के० लकप्पा : मेरा प्रश्न है; दक्षिणी राज्यों के बीड़ी कर्मचारियों को जो लाभ जमा हो गये थे वे क्या हैं तथा कब से बकाया हैं । मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्री जे० बी० पटनायक : मैं इसका उत्तर देता हूं । कल्याणकारी उपाय कर्मचारी, राज्य बीमा अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, प्रसूति लाभ अधिनियम, उपदान संधाय अधिनियम, कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम आदि के अंतर्गत लागू हुए । यह सभी अधिनियम बीड़ी कर्मचारियों के कल्याण के लिए सभी दक्षिण राज्यों में लागू किये गये हैं। जहां पर कि बड़ी संख्या बीड़ी कर्मचारी की हैं ।

श्री के० लकप्पा : श्रीमान्, मेरा प्रश्न बीड़ी कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित है ।

अध्यक्ष महोदय : वह उसका उत्तर देने वाले हैं ।

श्री जे० बी० पटनायक : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के बारे में कुछ पक्ष मामले को उच्चतम न्यायालय में ले गये हैं । सरकार बीड़ी कर्मचारियों की ओर से मामले की पैरवी कर रही है परन्तु जब तक उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय नहीं देता, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अध्यक्ष महोदय, आप शायद जानते हैं कि बीड़ी कर्मचारियों को बहुत खराब हालात में कार्य करना पड़ता है । इसी कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है । कई कर्मचारियों को टी० बी० हो जाती है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या बीड़ी कर्मचारियों के कल्याण की कोई योजना है ताकि यदि उन्हें टी० बी० आदि रोग हो जाते हैं तो उनकी चिकित्सा उचित ढंग से हो सके ।

श्री जे० बी० पटनायक: देश भर में 25 लाख बीड़ी कर्मचारी हैं तथा उन में से अधिकांश अस्वस्थ परिस्थितियों में कार्य करते हैं तथा सरकार सभी बीड़ी कर्मचारियों को कल्याण योजनाओं के अधीन लाना चाहती है ।

जहां तक बीड़ी कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों का संबंध है सरकार उनकी चिकित्सा के लिए जहां पर ऐसे कर्मचारियों की संख्या 500 है, वहां पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पताल खोलना चाहती है । इस योजना के अंतर्गत देश के बहुत से क्षेत्र लाए जा चुके हैं ।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के अन्दर बुरहानपुर, सागर, मंडला आदि में बीड़ी बनती हैं । वहां पर बीड़ी वर्कर्स की काफी छंटनी की जा रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शासन का ध्यान इस ओर पूरी तरह केन्द्रित है कि छंटनी काफी बड़ी तादाद में हो रही है जिससे यह जो सुविधाएं देने की बात की जाती है और जिसके लिए हम लोग यहां बैठ कर कानून बनाते हैं, एक ओर तो उनको वह सुविधाएं मिलती नहीं हैं, दूसरी ओर उनकी छंटनी की जा रही है ? जहां फैक्टरियों में तीन तीन और चार चार हजार बीड़ी वर्कर्स काम करते थे वहां तीन सौ और चार सौ पर उनकी तादाद आ गई है । तो क्या इस संबंध में शासन कोई कानून बनाने के लिए सोच रहा है कि उनकी छंटनी न हो ? साथ ही क्या उन के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भी उचित ध्यान दिया जायेगा ?

श्री जे० बी० पटनायक : मध्य प्रदेश के बारे में मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है परन्तु यह मामला राज्य सरकार का है। कर्मचारियों के संरक्षण के लिये राज्य सरकार को इन्हें लागू करना होता है। भारत सरकार के ध्यान में यह नहीं लाया गया। हम निश्चय ही बीड़ी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के बारे में मध्य प्रदेश सरकार को लिखेंगे।

श्री झारखंडे राय : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के जो नियम और कानून हैं वह बड़े बड़े कारखानों पर तो कुछ हद तक लागू होते हैं लेकिन जो छोटे छोटे कारखानेदार हैं जो 25, 50 और 75 लोगों को एम्पलाय करते हैं वे बड़े अनहाइजीनिक कंडीशंस में वर्कर्स से काम करवाते हैं जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर वर्कर्स में क्षय रोग फैलता जा रहा है तो इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री जे० बी० पटनायक : सरकार इस बारे में सोच रही है। वास्तव में जहां पर 20 से अधिक बीड़ी कर्मचारी हैं उन पर यह सभी कल्याणकारी अधिनियम लागू होते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें लागू नहीं किया जाता।

श्री जे० बी० पटनायक : जहां तक कानून का संबंध है यह लागू होते हैं। मैं अपने पहले उत्तर में बता चुका हूं कि यह राज्य का मामला है। केन्द्रीय सरकार का कार्य केवल परामर्श देना है। जहां तक टी०बी० तथा अन्य रोगों का प्रश्न है हमारे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल वहां पर हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मुझे इसका अनुभव है। मंत्री महोदय जानते हैं कि कानून बनाना एक बात है तथा उनकी क्रियान्विति दूसरी बात है। वास्तविक रूप में उनकी क्रियान्विति नहीं की जाती और कई बार भविष्य निधि के रूप में एकत्र किए गए धन का दुरुपयोग होता है। मैं पहले ही मंत्री महोदय को लिख चुका हूं तथा उन्होंने उत्तर दिया है कि वह इसकी जांच कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या धन के दुर्विनियोजन की जांच करा रहे हैं। वास्तव में कर्मचारियों की ओर से आन्दोलन जारी है कि उनकी भविष्य निधि के रूप में कटौती अधिक हो। इसलिए मैं मंत्री महोदय से इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री जे० बी० पटनायक : यदि माननीय सदस्य मेरा ध्यान किसी विशेष मामले की ओर दिलायें तो निश्चय मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैंने निजामाबाद, आंध्र प्रदेश के बारे में उनको पहले ही लिखा था।

श्री जे० बी० पटनायक : मुझ याद नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने लिखा है तो वह उत्तर दे देंगे।

1977–79 के दौरान रेल यात्रियों को लूटने की घटनायें

*48. **श्री रंजीत सिंह :** क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977 से 1979 के दौरान रेल यात्रियों को लूटने की कितनी घटनाएं हुईं तथा इनके पूर्व वर्षों में होने वाली घटनाओं से इस संख्या का अनुपात क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) राज्य पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1977 से 1979 तक की अवधि के दौरान, यात्रियों को लूटने (डकैतियां और लूटपाट) की 754 घटनाएं हुईं जब कि 1974 से 1976 तक की अवधि के दौरान ऐसी 811 घटनाएं हुई । 1974 से 1976 तक की अवधि की तुलना में, 1977 से 1979 तक की अवधि के दौरान, रेल यात्रियों को लूटने की घटनाओं में 7 प्रतिशत कमी हुई ।

(ख) और (ग) कानून और व्यवस्था संविधान के अनुसार राज्य सरकारों का विषय होने के कारण, यात्रियों की संरक्षा और उनके सामान की रक्षा सुनिश्चित करना राजकीय रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है, जो राज्य सरकारों के अधीन काम करती है। विभिन्न राज्यों में राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण, इस जिम्मेदारी के निर्वहन में उन्होंने कठिनाई व्यक्त की है। रेल मंत्रालय ने राज्यों की राजकीय रेलवे पुलिस का खर्च 50 : 50 के आधार पर वहन करना मान लिया है। राज्यों से भी कहा गया है कि इस बात को स्वीकार कर लें और राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजें। दूसरी ओर, रेलवे सुरक्षा बल रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए है। इसके अलावा,

(1) रेलें सभी स्तरों पर राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखती हैं ।

(2) 22.00 बजे से 06.00 बजे तक, गाड़ियों के गलियारों में ताला लगा दिया जाता है।

(3) चल टिकट परीक्षकों/परिचरों/कंडक्टरों को अनुदेश दिये गये हैं कि आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए वे सावधान रहें ।

(4) जब भी किसी क्षेत्र विशेष में अपराधों में तेजी आ जाती है, तब रेल यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है और जब कभी अपेक्षित हो, उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है ।

(5) अपराधियों को डराने और यात्रियों के बीच विश्वास की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से, एक अन्य उपाय के रूप में रेलवे सुरक्षा बल के लगभग 2,000 कर्मचारियों को सवारी गाड़ियों की मार्ग में रक्षा करने के लिए तैनात किया गया है। कुल मिलाकर, 353 गाड़ियों में केवल रेलवे सुरक्षा बल के मार्ग-रक्षी, 314 गाड़ियों में रेलवे सुरक्षाबल और राजकीय रेलवे पुलिस के मिले-जुले मार्ग-रक्षी और 519 गाड़ियों में केवल राजकीय रेलवे पुलिस के मार्ग-रक्षी रहते हैं ।

श्री रंजीत सिंह : क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारी विशेषत: रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी पुलिस के साथ मिले हुए हैं?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं ऐसा नहीं समझता।

श्री के० लकप्पा : मेरा श्री जाफर शरीफ से उलझने का कोई इरादा नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समझ गये होंगे कि इस प्रश्न पर मैं आपको किस लिये बुलाना चाहता था।

श्री के० लकप्पा : वर्ष 1977 से 1979 के दौरान डकैतियां और लूटमार की घटनायें अधिक हो गईं। मैं उस समय भी इस सभा का सदस्य था।

अध्यक्ष महोदय : केवल प्रश्न पूछें ?

श्री के० लकप्पा : उस समय कोई भी गाड़ी समय पर नहीं चलती थी। इसीलिये रेलवे का पूरा धन डकैतियों का मुकाबला करने में लग जाता था।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न पूछ रहे हैं या उत्तर दे रहे हैं।

श्री के० लकप्पा : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वर्तमान सरकार गाडियों के चलने को सुचारू बनायेगी क्या वे चलती गाड़ियों में लूट-पाट और डकैतियों के विरुद्ध दृढ कार्यवाही करेंगे। क्या आप बतायेंगे कि आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हमारा निश्चित प्रयत्न होता है कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये। इस उद्देश्य के लिये तथा रेलें सही ढंग से चलें इसके लिये कार्यवाही की जायेगी ।

श्री के० लकप्पा : आप इसे कैसे रोकेंगे? मैंने यह भी पूछा था कि क्या पहली सरकार के शासनकाल में डकैतियों की संख्या बढी थी। कृपया इसके आंकड़े बतायें।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मूलत: कानून और व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व राज्य सरकारों का है। (व्यवधान) यदि माननीय सदस्य मेरी बात सुनेंगे तो मैं पूरा उत्तर दे सकता हूं। श्री लकप्पा 1977–79 में हुई डकैतियों तथा लुट-पाट की व्याख्या करने की चेष्टा कर रहे थे। (व्यवधान) कानून और व्यवस्था का मामला राज्यों का विषय है। उस समय राज्यों में मेरे मित्रों का शासन था जोकि इस समय विपक्ष में है तथा इस बारे में उन्हें अधिक पता होना चाहिये। अब वास्तव में हमारी सरकार ने इस बारे में बहुत से कदम उठाये हैं। सभी दलों में रेलवे सुरक्षा बल तैनात कर दिये हैं। रेलवे सुरक्षा बल का उद्देश्य रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा करना है। तभी हमने उन्हें रेलों के साथ चलने को कहा है। अपराधों को रोकने के लिये हमने राज्य सरकारों के साथ 50–50 के आधार पर व्यवस्था की है। ताकि अपराध कम हों।

प्रो० मधु दण्डवते : सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य से स्पष्ट है—मैं वक्तव्य के एक अंश को उद्धृत कर रहा हूं। "1977 से 1979 की अवधि के दौरान यात्रियों को लूटने की 754

घटनायें हुई जबकि 1974 से 1976 तक की अवधि में ऐसी 811 घटनायें हुई। इस प्रकार उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, कि यह स्पष्ट है कि 1977–79 में डकैतियों की संख्या कम थी। मैं जानना चाहता हूं कि यदि 1977–79 के दौरान लूट पाट की घटनाये कम हुई तो क्या वही उपाय जारी रखे जायेंगे जो 1977–79 में बरते गये थे ताकि डकैतियों और लूट पाट की घटनाओं में और भी कमी आये।

श्री सी० के० जाफर शरीफ: मेरे पूर्ववर्ती मंत्री ने बहुत संगत प्रश्न उठाया है। 1974–76 के दौरान आपको पता है कि जो हालात देश के बने हुए थे। उत्तेजना भी अधिक थी तथा अपराध भी अधिक थे। अपराधों की संख्या में कमी के बारे में जो कुछ भी दावा मेरे मित्र ने किया है, मैं आस्वासन दे सकता हूं कि हम उससे अधिक प्रभावी कदम उठायेंगे जोकि उनकी सत्ता के समय अपराध रोकने के लिये किये गये।

श्री रतनसिंह राजदा: इस सरकार के कार्य-भार संभालने के बाद डकैतियों तथा लूट-पाट के 32 मामले हुए हैं। पिछले दो महीने में बढ़ रही डकैतियों तथा लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री सी० के० जाफर शरीफ: स्थिति यह है कि 1979 के पूरे वर्ष में 68 डकैतियां तथा 185 लूटपाट के मामले हुए अर्थात् कुल 253 और 1980 में फरवरी तक 14 डकैतियां तथा 16 लूटपाट की घटनायें हुई। मुझे उम्मीद है कि इससे माननीय सदस्य सन्तुष्ट हो जायेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खनन उद्योग में महिला श्रमिकों की प्रतिशतता

*49. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के अनुसार खनन उद्योग में पुरुषो की अपेक्षा महिला श्रमिकों की प्रतिशतता अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसा इसलिये है कि महिलाओं को रोजगार देना पुरुष श्रमिकों को रोजगार देने की अपेक्षा सस्ता है?

श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बोनस संबंधी विधेयक

*50. **श्री चन्द्रपाल शैलानी:**
श्री ज्योतिर्मय बसु:
क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बोनस अधिनियम को व्यापक और स्थायी बनाने के लिये संसद में विधेयक लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): (क) जी, हां।

(ख) सरकार को आशा है कि अगले त्यौहार मौसम से पहले एक विधेयक संसद में लायेगी। सरकार को इस संबंध में विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनपर विचार हो रहा है।

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों की स्थिति

***51. श्री शिव कुमार सिंह:**
श्री जी० एम० बनतवाला:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब अमीरात ने उस देश से भारतीयों को निकालने के लिये कठोर कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इसके परिणाम स्वरुप प्रभावित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि संयुक्त अरब अमीरात वहां भारतीय नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहा है; और

(ड़) यदि हां, तो उनका संयुक्त अरब अमीरात और भारत में पुनर्वास करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

विदेश मंत्री (सी पी० वी० नरसिंह राव): (क) से (ड़) संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने उस देश में उचित प्रलेख तथा प्राधिकार के बिना रहने वाले किसी भी राष्ट्रकता के कामगारों के वहां से देश प्रत्यावर्तन के लिये जनवरी 1980 में कुछ उपायों की घोषणा की। ये उपाय किसी नये कानून का भाग नही है बल्कि इनमें उनके यहां पहले से विद्यमान विनियमों को और अधिक सख्ती से क्रियान्वित करने की व्यवस्था है। अन्य राष्ट्रिकों के कामगारों के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात में अनधिकृत तरीके से रहने वाले भारतीय कामगारों पर भी इन उपायों का असर पड़ेगा।

इस मामले में सरकार संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारियों से बराबर सम्पर्क बनाये हुए है। सरकार के एक सचिव की अध्यक्षता में एक राजकीय प्रतिनिधि मंडल हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गया था और उसने प्रभावित भारतीय कामगारों को होने वाली वैयक्तिक और आर्थिक कठिनाइयों को कम किये जाने के लिये बात-चीत की।

इन उपायों के लागू किये जाने के फलस्वरूप प्रभावित व्यक्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है।

जिन लोगों ने रोजगार वीसा लेकर संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश किया था लेकिन अब अपने मूल नियोक्ताओं के पास काम नहीं कर रहे हैं;

जिन लोगों ने बिना वैध वीसा के उस देश में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश किया था; और जिन लोगों के रिहायशी परमिट खतम हो चुके हैं।

संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारियों ने बताया है कि ये उपाय बिना किसी भेद-भाव के हैं और किसी भी राष्ट्रीयता के सभी कामगारों के देश प्रत्यावर्तन पर लागू होते हैं। सरकार को भारतीय राष्ट्रिकों के प्रति भेदभाव बरते जाने की कोई शिकायत नहीं मिली है।

आबू धाबी स्थित भारतीय राजदूतावास तथा दुबई स्थित भारतीय प्रधान कोंसलावास हाल के उपायों से प्रभावित कामगारों को सभी सहायता दे रहे हैं। हमारे सम्बन्धित कार्यालयों को सामान्य समय के बाद तक खोले रखा जा रहा है जिससे मामलों को शीघ्र निपटाया जा सके। संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि इस मामले के मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक उदार और लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाये और जिन कामगारों को अन्ततः देश को छोड़कर जाना है उनके वर्गों का निर्धारण किया जाये तथा इस बात का भी सुनिश्चय किया जाये कि देश छोड़कर जाने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाये तथा उन्हें कोंसली तथा अन्य सुविधाएं दी जायें।

अमरीकी संसद् के प्रतिनिधि मंडल का दौरा

*52. **श्री एन० ई० होरो:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी कांग्रेस (संसद्) ने पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई पुनः प्रारम्भ करने का निर्णय लेते समय भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा है; और

(ख) क्या हाल में भारत का दौरा करने वाले अमरीकी संसद् के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नेता द्वारा इस बारे में कोई आश्वासन दिया गया था?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): (क) और (ख) भारत के विचारों से अमरीकी संसद् के प्रतिनिधिमंडल तथा उक्त संसद के अन्य सदस्यों को अवगत करा दिया गया है। इन प्रयासों के परिणामों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

बागानों में बाल श्रमिक

*53. **श्री आनन्द पाठक:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सभी बागानों में पहले सर्वेक्षण के अनुसार बाल श्रमिकों का अनुपात 4.9 प्रतिशत से बढ़ कर तीसरे सर्वेक्षण में 8.4 प्रतिशत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): (क) और (ख) जी, हां। बाल श्रमिकों का अनुपात में वृद्धि संपूर्णतः चाय बागानों में थी। इस वृद्धि के लिये सर्वेक्षण ने यथार्थ कारण नहीं बताये हैं।

ताप बिजली घरों को कोयले का परिवहन

*54. श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ताप बिजलीघरों को कोयले के परिवहन हेतु वैगनों की सप्लाई बढ़ाने का निर्णय किया है ताकि वे बिजली बन्द होने को बचाने के लिये पर्याप्त भण्डार रख सकें ;

(ख) यदि हां, तो वैगनों की सप्लाई में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) गत तीन वर्षों में देश में ताप बिजलीघरों को कोयले के परिवहन हेतु प्रत्येक मास कितने वैगन दिये गये; और

(घ) देश में उक्त बिजलीघरों को कोयले के परिवहन हेतु वैगनों की पर्याप्त नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

1977, 1978, 1979 में और फरवरी 1980 तक की अवधि के दौरान बिजली-घरों के लिए लादे गये माल-डिब्बो की दैनिक औसत संख्या का विवरण ।

महीना	1977	1978.	1979	1980
जनवरी	2421	2421	2679	2913
फरवरी	2386	1386	2600	3290 (अनंतिम)
मार्च	2831	2628	2807	
अप्रैल	2492	2664	2775	
मई	2643	225	2715	
जून	2764	2710	2806	
जुलाई	2939	2593	2828	
अगस्त	2425	2629	2669	
सितम्बर	2509	2425	2861	
अक्तूबर	2467	2441	2607	
नवम्बर	2418	2428	2738	
दिसम्बर	2326	2441	2860	

विवरण

(ख) और (ग) जैसा कि संलग्न विवरण से पता चलेगा कि ताप बिजलीघरों को कोयले का लदान जनवरी, 1977 के 2421 माल-डिब्बों से बढ़कर फरवरी, 1980 में 3290 माल-डिब्बे हो गया है ।

(घ) क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश दिये गये हैं कि अन्य उपभोक्ताओं पर तरजीह देकर भी ताप बिजली-घरों को कोयले के परिवहन के लिए माल-डिब्बों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जाये ।

व्यवसायिक परिक्षण केन्द्रों में कामकाजी महिलाओं और प्रशिक्षणार्थियों के लिए सीटें

*55. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, विशेषकर इंजीनियरी व्यवसाय में, कामकाजी महिलाओं और प्रशिक्षणार्थियों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने का है ?

श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने या नए केन्द्र स्थापित करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही की जाती है जो कि स्थानीय मांग पर निर्भर करती है । तथापि इंजीनियरी तथा गैर-इंजीनियरी दोनों व्यवसायों में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं और प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार एवं विविधता के मूल्यांकन के लिए सीडा/आई०एल०ओ० की सहायता प्राप्त, भारत सरकार की एक परियोजना है । इस परियोजना के पहले चरण, जो 1980 में पूरा किया जाना था, को 1982 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है ।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत के लिये पहल

*56. श्रीमती मोहसिना किदवई :
श्री के० पी० सिंह देव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों द्वारा उत्पन्न किये गये तनाव को कम करने हेतु बातचीत करने के लिए पाकिस्तान और वर्तमान अफगानिस्तान सरकारों को मनाने के लिए कोई पहल की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) यद्यपि इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा की संभावनाओं के कारण उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए आपस में बातचीत की शुरूआत करने के बारे में पाकिस्तान सरकार और अफगानिस्तान सरकार को प्रेरित करने के लिए भारत ने कोई विशेष पहल नहीं की है लेकिन भारत सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकारों से अलग-अलग परामर्श किया है । विशेष रूप से स्थिति को बिगड़ने से रोकने तथा बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से इस क्षेत्र

को मुक्त रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए स्थिति के भारत द्वारा मूल्यांकन के संबंध में भी उनके साथ विचार-विमर्श किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वयस्क बेरोजगार आश्रितों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ

*57. **श्री उत्तमराव पाटिल :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वयस्क बेरोजगार आश्रित व्यक्ति उस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं रहते, जब वे कभी-कभी दैनिक मजूरी अथवा दुकानों में काम करने जैसी निजी सेवा के जरिये रोजी कमाने लगते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत "परिवार" की परिभाषा के अंतर्गत "पति या पत्नी जैसी स्थिति हो, पूर्णतः आश्रित बच्चे अथवा सौतेले बच्चे और सरकारी कर्मचारी पर मुख्यतया आश्रित माता-पिता केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं ।" इस प्रकार अन्य व्यक्ति जो इस परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं ।

अखिल भारतीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी संघ से प्राप्त अभ्यावेदन

*58. **श्री सोम नाथ चटर्जी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में अखिल भारतीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी संघ से उनकी शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी, हां ।

(ख) अखिल भारतीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी संघ ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के लिए अभ्यावेदन किया है । संघ ने यह भी अनुरोध किया है कि वेतन समिति की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय शीघ्र लिया जाए ।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है और निर्णयों के शीघ्र ही लिए जाने की आशा है ।

सोवियत संघ के मंत्रियों के साथ हुई वार्ता

*59. श्री आर० के० महालगी :
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत के दौरे पर आये सोवियत संघ के मंत्रियों के साथ हुई वार्ताओं के पश्चात् कोई विज्ञप्ति जारी की गई थी; और

(ख) जारी की गई विज्ञप्ति का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के विदेश मंत्री श्री ए० ए० ग्रोमिको ने 12 से 14 फरवरी 1980 तक भारत की यात्रा की । इस यात्रा के अन्त में जारी प्रेस वक्तव्य की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की मन्त्रि-परिषद के उपाध्यक्ष श्री आई०वी० झारकिपोव ने 22 फरवरी से 1 मार्च 1980 तक भारत की यात्रा की । इस यात्रा के अन्त में कोई प्रेस वक्तव्य जारी नहीं किया गया था ।

विवरण

14-2-1980 को जारी किया गया सोवियत-भारत संयुक्त वक्तव्य

भारत सरकार के निमंत्रण पर सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के विदेश मंत्री श्री ए० ए० ग्रोमिको ने 12 से 14 फरवरी 1980 तक भारत की राजकीय यात्रा की।

दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान श्री ए०ए० ग्रोमिको ने भारत के राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी और भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम० हिदायतुल्ला से भेंट की ।

श्री ए० ए० ग्रोमिको ने भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से भी भेंट की और उन्हें सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सर्वोच्च सोवियत की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री एल० आई० ब्रेजनेव का एक संदेश दिया और उनके साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया ।

उन्होंने भारत के विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव से भी बातचीत की ।

इस बातचीत के दौरान, जो परस्पर विश्वास और सौहार्द के वातावरण में हुई थी, इस क्षेत्र तथा इसके आस-पास की गतिविधियों सहित अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की समीक्षा की गई ।

उन्होंने अपनी सुदीर्घ और परम्परागत मित्रता तथा 9 अगस्त 1971 की भारत-सोवियत शांति मित्रता और सहयोग सन्धि की भावना के परिप्रेक्ष्य में द्विपक्षीय सम्बन्धों की भी समीक्षा की ।

दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच परस्पर लाभप्रद सम्बन्धों को न केवल बनाए रखने अपितु उन्हें और अधिक विकसित तथा मजबूत करने के लिए अपने निश्चय की पुनः पुष्टि की ।

दोनों पक्षों ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य तथा सोवियत संघ के विदेश मंत्री श्री ए० ए० ग्रोमिको की भारत यात्रा पर अपनी सन्तुष्टि व्यक्त की ।

उन्होंने इस पर भी गौर किया कि इस बातचीत तथा विचार-विमर्श से दोनों पक्षों की पारस्परिक सद्भावना को सुदृढ़ करने में सहायता मिली है ।

दोनों पक्षों ने आपसी हित के मामलों पर दोनों देशों के बीच विचारों के निरन्तर आदान-प्रदान को बनाए रखने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की ।

सोवियत नेताओं तथा सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महा-सचिव और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की सर्वोच्च सोवियत की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री एल० आई० ब्रेजनेव की ओर से श्री ए० ए० ग्रोमिको ने भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को सोवियत संघ की सरकारी यात्रा पर आने का निमन्त्रण दिया । उन्होंने सोवियत सरकार की ओर से भारत के विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव को भी सोवियत संघ की सरकारी यात्रा पर आने का निमन्त्रण दिया ।

इन निमन्त्रणों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया । यात्रा के समय के बारे में बाद में निश्चय किया जाएगा ।

श्री ए० ए० ग्रोमिको ने भारत में अपने प्रवास के दौरान सौहार्दपूर्ण स्वागत तथा अतिथि-सत्कार के लिए भारतीय नेताओं का धन्यवाद किया ।

भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिये तेज गति की सीधी गाड़ी

*60. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए तेज गति की सीधी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक चलाया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) 1-4-80 से भेवनेश्वर, टाटानगर, बोकारो, गया और वाराणसी के रास्ते पुरी और नयी दिल्ली के बीच सप्ताह में तीन दिन चलने वाली 175/176 महासागर एक्सप्रेस नामक एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने का विनिश्चय किया गया है ।

बोरोदो से रायपुर तक बड़ी लाइन

*61. **श्री अमरसिंह वी० राठवा** : : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटा उदयपुर होते हुये बोरोदो से रायपुर तक बड़ी रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है और काम कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) प्रतापनगर-छोटा उदयपुर तथा अंकलेश्वर-राजपिपला छोटी लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने का एक प्रस्ताव गुजरात सरकार से प्राप्त हुआ है जो सामग्री की ढुलाई के लिए मुख्तया नर्मदा परियोजना की आवश्यकताओं को पूरी करेगी । राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि इन लाइनों का सर्वेक्षण निक्षेप कार्य के रूप में प्रारम्भ किया जा सकता है जो राज्य सरकार को प्रभार्य होगा ।

ईस्टर्न रेलवे इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन की ओर से ज्ञापन

291. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न रेलवे इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन ने पूर्व रेलवे की दानापुर डिविजन के सुपरिन्टेन्डेंट को एक 21 सूत्री ज्ञापन पेश किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार की नीति के अनुसार, किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर यथोचित विचार किया जाता है और उन पर यथावश्यक कार्रवाई की जाती है । सभी कोटियों के कर्मचारियों, जिनमें इंजीनियरी विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं, की मांगों पर विचार किया जाता है और सामूहिक सौदेबाजी तंत्र के विभिन्न टियरों, स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र एवं अनौपचारिक विचार-विमर्श के माध्यम से उन्हें सुनझाया जाता है ।

गुजरात में कोयला संकट

292. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री छीतू भाई गामित :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात राज्य में कोयला पहुंचाने के लिये कितने वैगन लगाये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य को कोयला संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य में कोयला पहुंचाने के लिये और वैगन आवंटित करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) रेल परिवहन प्रणाली में, किसी राज्य विशेष को कोयले अथवा अन्य पण्यों के परिवहन के लिए माल-डिब्बे निर्धारित नहीं किये जाते ।

(ख) कोयले की कमी के संबंध में गुजरात एवं अन्य राज्यों से गाहे-बगाहे रिपोर्टें प्राप्त होती रहती हैं ।

(ग) गुजरात एवं अन्य राज्यों में उपभोक्ताओं के लिए कोयले के लदान में तेजी लाने के लिए कार्रवाई की गयी है । जनवरी, 1980 में गुजरात राज्य के लिए औसतन 624 माल-डिब्बे प्रतिदिन लादे गये थे । फरवरी में लदान बढ़कर 662 माल-डिब्बे प्रतिदिन हो गया ।

भविष्य निधि न्यास बोर्ड की बैठकें

293. **श्री समर मुखर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :]

(क) 1979 में भविष्य निधि न्यास बोर्ड की कितनी बैठकें की गई है ; और

(ख) इन बैठकों में क्या निर्णय किये गये ?

श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यास बोर्ड की 1979 में पांच बठकें हुई ।

इनमें लिए गए निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. 5–2–1979 को हुई 78वीं बैठक

बोर्ड ने यह स्वीकृति दी कि :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 68–ज में संशोधन किया जाए ताकि आयुक्त अत्यधिक कठिनाइयों के मामलों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की शर्त को शिथिल कर सके ।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 68–ख में संशोधन किया जाए ताकि पट्टे की न्यूनतम अवधि को 40 वर्ष से घटा कर 30 वर्ष किया जा सके ।

(3) बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी जमा सम्बद्ध (लिंक्ड) बीमा योजनाओं के लिए 1978–79 के संशोधित अनुमानों और 1979–80 के बजट अनुमानों को मंजूर किया ।

(4) बोर्ड ने यह सिफारिश की कि 1979–80 वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के लेखों में प्रतिवर्ष 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाए।

(5) बोर्ड ने यह सिफारिश की कि वर्ष 1979–80 के लिए स्टाफ भविष्य निधि सदस्यों के लेखों (अंशदायी और गैर-अंशदायी) में 25,000 रुपये तक प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की दर से और 25,000 रुपये से अधिक रकम पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाए ।

(6) बोर्ड ने निवेश को और उदार बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी ताकि इन निवेशों से अच्छी आय हो सके ।

(7) बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधिस्वरूप नमूने से ऐसे प्रोफार्मा पर आंकड़े एकत्र किए जाएं जो छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा दिए गए ब्याज; उनके वास्तविक निवेश के पैटर्न और निवेश के मामले में उनके द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों यदि कोई हो, पर बनाए गए हों ।

(8) बोर्ड ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए गए 20,97,500 रुपये की राशि के अनुमानों को मंजूर किया, जो जयपुर में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए है ।

(9) बोर्ड ने एक उप-समिति गठित की जिसमें कर्मचारियों, नियोजकों और राज्य/केन्द्रीय सरकारों के दो-दो प्रतिनिधि थ, जो संगठन के ढांचे और उनके कर्मचारियों की सेवा-शर्तों की जांच करेगी ।

(10) बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि इन्दौर में कर्मचारियों के क्वार्टरों को पूरा करने के मामले पर भवन उप समिति द्वारा विचार किया जाए तथा श्री एन० के० पांडा और श्री फकीर चन्द ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया ।

(11) बोर्ड ने पहली जनवरी, 1979 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए गुप बीमा योजना को शुरू करने की मंजूरी दी ।

(12) बोर्ड ने कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के प्रशासन के लिए स्वीकृत 815 पदों को 29–2–1980 तक जारी रखने की मंजूरी दी । बोर्ड ने यह भी फैसला किया कि उन पदों को स्थायी किया जाए, जो तीन वर्षों से अधिक समय से विद्यमान हैं ।

2. **19–5–1979 को हुई 79वीं बैठक**

बोर्ड ने यह स्वीकृति दी कि :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 6 में संशोधन किया जाए जिससे सदस्य इस शर्त पर अपने-अपने वेतन के 16 प्रतिशत से अधिक दर पर अंशदान कर सके कि वित्तीय वर्ष के शुरू में बढ़ाए गए अंशदान को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले बदला नहीं जाएगा ।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 68–ठ में संशोधन किया जाए जिसमें यह व्यवस्था हो कि सरकार के आदेशों द्वारा उन क्षेत्रों को, जो प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा प्रभावित हों, घोषित किए जाने की तारीख से चार महीनों की अवधि के अन्दर अग्रिम राशि के लिए आवेदन-पत्रों को मंजूर किया जाए ।

(3) कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के पैरा 29 में संशोधन किया जाए ताकि पुत्र और पुत्री की आयु को 18 वर्षों और 21 वर्षों से बढ़ाकर क्रमशः 21 वर्ष और 24 वर्ष कर दिया जाए, जिससे इस योजना को केन्द्रीय सरकार पेंशन योजना, 1964 के बराबर किया जा सके जिसे बाद में 1972 में उदार बनाया गया था ।

(4) बोर्ड ने निदेशक (कार्मिक और प्रशिक्षण), हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुवादक (ग्रेड 1 और 2) और अवर श्रेणी लिपिक (हिन्दी टाइपिस्ट) के पदों के भर्ती नियमों को मंजूर किया । बोर्ड ने लेखा अधिकारी के पदों के भर्ती नियमों में संशोधन को भी मंजूर किया ।

3. 31-8-1979 को हुई 80वीं बैठक

बोर्ड ने यह स्वीकृति दी कि :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 68-ट में संशोधन किया जाए, ताकि सदस्य अपने पुत्र के विवाह के लिए वापिस न की जाने वाली पेशगी ले सके ।

(2) बोर्ड ने गोरखपुर में उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी ।

4. 12-10-1979 को हुई 81वीं बैठक

बोर्ड ने निर्णय लिया कि :

(1) क्षेत्रीय आयुक्त, उत्तर प्रदेश के दोषी प्रतिष्ठान (मैसर्स गणेश फ्लोर मिल) के नियोजक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा जाए, जिसमें यह कहा जाए कि छूट की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उनके पक्ष में दी गई छूट को रद्द क्यों न कर दिया जाए ।

(2) बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन और कर्मचारी जमा सम्बद्ध (लिंक्ड) बीमा योजनाओं के कार्य संबंधी वर्ष 1978-79 की वार्षिकी रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया ।

(3) बोर्ड ने मदुराई में उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का अनुमोदन दे दिया ।

(4) बोर्ड ने उप-क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद के लिए कार्यालय भवन और कर्मचारियों के मकानों के निर्माण के लिये भूमि को खरीदने की स्वीकृति दी ।

5. 2-11-1979 को हुई 82वीं बैठक

बोर्ड ने कर्मचारियों के संगठन और सेवा की शर्तों संबंधी उप-समिति की रिपोर्ट को सर्वसम्मत से स्वीकार करने और इसे बोर्ड की सिफारिशों के रूप में सरकार को विचारार्थ भेजने का निर्णय लिया ।

पश्चिमी तट कोंकण रेल मार्ग

294. श्री मधु दण्डवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने वैशेथ में उर्वरक परियोजना को स्थापित किये जाने की सरकारी निर्णय से भी पहले पश्चिमी तट कोंकण रेल मार्ग के अप्ता-रोहा अनुभाग के लिये अनुमति दे दी थी और उस स्वीकृत अनुभाग के निर्माण का कार्य भी उर्वरक परियोजना से संबंधित निर्णय लिये जाने से पहले ही आरम्भ किया जा चुका था, और

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी तट कोंकण रेल मार्ग अप्ता-रोहा अनुभाग के निर्माण कार्य की प्रगति क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर-शरीफ) : (क) यह सही है कि उर्वरक परियोजना के स्थान निर्धारण को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था जब आप्ता-रोहा खंड को योजना आयोग ने स्वीकृति दी थी लेकिन आप्ता-रोहा परियोजना के औचित्य में अन्य उद्योगों से प्रत्याशित यातायात और पूंजी पर प्रतिफल के साथ-साथ आप्ता-रोहा लाइन से निकलने वाली उर्वरक संयंत्र साइडिंग की संभावना को ध्यान में रखा गया है ।

(ख) आप्ता-रोहा रेल सम्पर्क की समग्र प्रगति 22.5 प्रतिशत है और आप्ता से पेन (20 कि०मी०) तक का प्रथम चरण 1980 के मध्य तक पूरा होने की सम्भावना है ।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जी० ए० सी० सड़क का निर्माण

295. श्री मनोरंजन भक्त : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह में जी० ए० टी० सड़क की लम्बाई कुल कितनी है और इसके निर्माण का काम कब हाथ में लिया गया था ;

(ख) पुलों सहित कुल कितने मील लम्बी सड़क बन चुकी है ;

(ग) उस पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च हो चुकी है और क्या जिकोंटांग क्षेत्र के बाद के क्षेत्र में काम रोक दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जिकोंटांग क्षेत्र के बाद के क्षेत्र में काम पुनः आरम्भ करने का है ; यदि हां, तो कब ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) - जी० ए० टी० मार्ग 343 किलोमीटर लम्बा है जिसमें से 243 किलोमीटर तक सड़क बन चुकी है । इस मार्ग पर निर्माण कार्य दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था । इस पर जनवरी, 1980 तक 11.46 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं ।

जी० ए० टी० मार्ग पर जिकोंटांग के बाद निर्माण कार्य सन् 1975 में प्रशासनिक कारणों से रोक दिया गया था और यही स्थिति अभी भी है ।

रेलवे सेवा आयोग के सदस्यों और चेयरमैनों के लिये भर्ती नियम

296. कुमारी कमला कुमारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेवा आयोग के सदस्यों और चेयरमैनों के पदों पर भर्ती के लिये कोई नियम बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ;

(ग) क्या ऐसे पदों पर भर्ती के तरीके के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं, यदि हां, तो वह क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ;

(घ) क्या रिक्त पदों का विज्ञापन दिया जाता है अथवा इन पदों पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिये भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इसे परिचालित किया जाता है ;

(ङ) क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को नियुक्त करने के लिये उनका कोई कोटा रखा जाता है, यदि हां, तो वह क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) 1978 और 1979 के दौरान कितने पद रिक्त हुये और उनमें नियुक्ति किस प्रकार की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेल सेवा आयोग (अध्यक्ष, सदस्य सचिव और सहायक सचिव) भर्ती नियम, 1970 की एक प्रति संलग्न (अनुबन्ध-I) है जिसमें इन पदों को भरने के लिए अपनायी जाने वाली भर्ती की प्रक्रिया बतायी गयी है।

(घ) सदस्य सचिवों के पद सेवारत रेलवे अधिकारियों में से इस काम के लिए अपने को प्रस्तुत करने वालों के नाम मांगकर नियमानुसार भरे जाते हैं। अध्यक्षों के पद भरते समय पैनल बनाने के लिए सेवा-निवृत्त रेलवे अधिकारियों के अतिरिक्त, विभिन्न वर्गों से प्राप्त नामांकनों पर भी विचार किया जाता है, क्योंकि भर्ती-नियमों के अनुसार, भूतपूर्व संसद् सदस्यों, शिक्षाविदों, सुप्रसिद्ध वकीलों, इत्यादि के नाम चुनाव-क्षेत्र में शामिल किये जाते हैं।

(ङ) रेल सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्य सचिवों के पदों पर नियुक्तियां उन पात्र उम्मीदवारों के पैनल में से भर्ती नियमों के अनुसार की जाती हैं जो अपेक्षित मानदण्ड पूरे करते हैं। ये भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवरण के आधार पर की जाती हैं। इसके लिए कोई विशेष कोटा आरक्षित नहीं किया जाता लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति और अल्प संख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को, जब भी वे उपलब्ध हों, पैनलों में शामिल किया जाता है। इस समय, अध्यक्षों और सदस्य सचिवों के 14 पदों में से दो पद खाली है। बाकी 12 पदों में से सात पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार तथा एक पद पर अल्प-संख्यक समुदाय का उम्मीदवार काम कर रहा है।

(च) एक विवरण संलग्न (अनुबन्ध-II) है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 486/80]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हड़ताली छात्रों की मांगे

297. **श्री फरक अब्दुल्ला** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के रेजिडेंट डाक्टरों ने 15 फरवरी 1980 को संस्थान के हड़ताली छात्रों के समर्थन में, जो 30 जनवरी, 1980 से हड़ताल पर हैं, सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उन की मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने हड़ताली छात्रों की मांगों पर विचार किया है ; और

(घ) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर पुनर्विचार करने का निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां।

(ख) छात्रों की मुख्य मुख्य मांगें इस प्रकार थीं :—

(i) समुदाय (ग्रामीण केन्द्रों) में इन्टर्नशिप नियुक्ति की अवधि को 6 महीने से घटाकर तीन महीने करना।

(ii) सामुदायिक आयुर्विज्ञान—भाग-I (मानव विज्ञान) पाठ्यक्रम में मूल्यांकन की प्रेक्टिस समाप्त करना।

(iii) मानव जीवविज्ञान पाठ्यक्रम को जो अगस्त, 1980 से शुरु हो रहा है, समाप्त करना।

(iv) प्रयोगशाला सुविधाओं तथा छात्रावास की पर्याप्त व्यवस्था करने की मांग।

(ग), (घ) और (ङ) छात्रों की मांगों पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, द्वारा जो एक स्वशासी संविधिक संस्था है, विचार किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्टाफ परिषद् तथा छात्रों के बीच समझौता हो जाने के फलस्वरूप 16 फरवरी, 1980 को यह हड़ताल समाप्त हो गई।

दिल्ली परिवहन निगम को आवंटित प्लाट

298. श्री धर्मदास शास्त्री : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I नई दिल्ली में स्थित लगभग 3600 वर्ग गज माप का प्लान नं० सी-119 दिल्ली परिवहन निगम को आवंटित किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्लाट कब आवंटित किया गया ;

(ग) दिल्ली परिवहन निगम ने अब तक इस प्लाट को अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया है ; और

(घ) दिल्ली परिवहन निगम इस प्लाट को कब अपने कब्जे में लेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख); (ग) और (घ) प्रश्न नहीं होता।

दिल्ली जयपुर पिंक सिटी रेलगाड़ी को अजमेर तक चलाया जाना

299. श्री भगवान देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-जयपुर पिंक सिटी रेलगाड़ी को अजमेर तक, जहां ख्वाजा साहिब का दरगाह स्थित है और यात्री यहां से पुष्कर जाते हैं, चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को अजमेर तक कब तक चलाया जायेगा,

(ग) यदि नहीं, तो इस रेलगाड़ी को अजमेर तक चलाने में क्या कठिनाइयां हैं, और

(घ) क्या सरकार का विचार ख्वाजा साहिब एक्सप्रैस के नाम से अजमेर के लिए एक नई रेल गाड़ी चलाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 501/502 पिंक सिटी एक्सप्रेस संघ की राजधानी और राजस्थान की राजधानी जयपुर के बीच एक तेज अंतर्नगरीय सेवाओं के रूप में चलायी जा रही है और ये बहुत लोकप्रिय हो चुकी हैं। इसलिये पिंक सिटी एक्प्रेस को आगे बढ़ाना वांछनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त, फुलेरा किशनगढ़ खंड पर लाइन क्षमता का अभाव होने और अपर्याप्त संसाधनों के कारण 501/502 पिंक सिटी एक्सप्रेस को अजमेर से और अजमेर तक बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है।

(घ) जी नहीं।

मानखुर्द से पन्वेल तक रेलवे लाइन

300. श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में मानखुर्द (समीप थाना) से नई बम्बई में पन्वेल वाशी और बेला पुर तक रेलवे लाइन बढ़ाने के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कर रहा है,

(ख) वह कब से तयार किया जा रहा है, और

(ग) यह कब तक उपलब्ध हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) मानखुर्द से पनवेल क्रीक तक रेलवे लाइन का विस्तार करने के लिए तकनीकी–आर्थिक एवं व्यावहारिकता सर्वेक्षण से संबंधित कार्य महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) संगठन, बम्बई द्वारा नवम्बर, 1978 में प्रारम्भ किया गया था और इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही मिलने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त बम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की ओर से पन्वेल क्रीक से पन्वेल टाउन तक का सर्वेक्षण भी प्रारम्भ किया जा रहा है जिसके अगस्त, 1980 तक पूरा होने की सम्भावना है।

ताप्ती नदी पर एक पुल का निर्माण

301. श्री विजय एन० पाटिल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डीजल और अन्य ईंधन की वास्तविक कमी देखते हुए बम्बई आगरा मार्ग पर धवलसी में ताप्ती नदी पर एक शुल्क पुल सैल ब्रिज बनाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी ताकि कुल दूरी 10 किलोमीटर कम की जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए योजना प्राक्कलनों का अनुमोदन कर दिया गया है ; और

(ग) इस पुल के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क), (ख) और (ग) : ताप्ती नदी पर एक नया हाई लेवल पुल बनाने के बारे में मंजूरी देने के लिए वर्ष 1980–81 में विचार करने का सुझाव है । इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से नक्शे और तख्मीने अभी नहीं प्राप्त हुए हैं । ब्यौरेवार नक्शों और तख्मीनों के मिल जाने पर इस निर्माण कार्य पर खर्च के बारे में विचार किया जाएगा ।

गावों में मलेरिया की चुनौती का सामना करने के उपाय

302. **श्री जय नारायण** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के गावों में मलेरिया के प्रसार की चुनौती का सामना करने के लिये सरकार ने अब तक क्या विशेष उपाय किये है अथवा करने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रजन लास्कर) : (क) देश भर में मलेरिया पर काबू पाने के लिये एक संशोधित कार्य योजना पहली अप्रैल, 1977 से लागू की जा चुकी है। इस संशोधित कार्य योजना की मुख्य-मुख्य, बातों का एक विवरण अनुबन्ध 1 पर है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

संशोधित कार्य योजना की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की वर्तमान यूनिटों का जिले की भौगोलिक सीमा के अनुरूप पुनर्गठन किया गया है । पहले जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था लेकिन इन यूनिटों का पुनर्गठन हो जाने के कारण उन्हें जिले में इस कार्यक्रम के लिये मुख्य रूप से जिम्मदार बनाया गया है ।

2. राज्यों को विभिन्न कीटनाशी दवाइयों, डी. डी. टी., बी. एच. सी. मलेथियन की अधिक मात्रा सप्लाई की गई है / की जा रही है । जहां रोग वाहकों पर डी. डी. टी./ बी. एच सी. का कोई असर नहीं होता, उन यूनिटों/जिलों को वैकल्पिक कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध की जा रही है ।

3. उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां प्रति हजार जनसंख्या के पीछे दो या इस से अधिक रोगी है, कीटनाशी दवाइयों का छिडकाव किया गया है ।

4. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को मलेरिया-रोधी दवाईयां पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की गई है /की जा रही है । औषधियां आसानी से उपलब्ध करने के लिये लगभग 1.92 लाख औषधि वितरण केन्द्रों/ज्वर उपचार केन्द्रो की स्थापना कर दी गई है । जिन क्षेत्रों में परजीवियों पर क्लोरोक्विन का कोई असर नहीं हुआ वहां पर कुनीन जैसी वैकल्पिक मलेरिया रोधी दवाई सप्लाई की गई है ।

5. नगरीय मलेरिया कार्यक्रम के अंतर्गत लार्वा-रोधी कार्यों को तेज कर दिया गया है। 1979 में इस योजना को वर्तमान 103 शहरों के अलावा 12 और शहरों में लागू कर दिया गया है।

6. क्षेत्रीय स्टाफ के निगरानी कार्य को तेज कर दिया गया है।

7. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के क्षेत्र में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक अनुसंधान करने के लिये कदम उठाये गये है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के तत्वाधान में 14 अनुसंधान योजनायें अर्थात 8 आपरेशन अनुसंधान के लिये और 5 मलेरिया के प्रयोगशाला अनुसंधान के लिये आरम्भ की गई है।

8. ब्लड स्मीयरो का तत्काल परीक्षण तथा सक्रिय रोगियों पर तत्काल इलाज करने के लिये प्रयोगशाला सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

9. प्लासमीडियम फल्सीफेरम के संक्रमण को, जिसके कारण मस्तिष्कीय मलेरिया हो जाने से मौत हो जाती है, फैलने से रोकने के लिय विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के 18 जिलों में सघन कार्यक्रम आरम्भ कर दिये गये हैं। यह कार्यक्रम 37 और जिलों में चालू किया जा रहा है।

10. रोग के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिये और इसके नियंत्रण के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) क्लोरोक्विन की गोलियों के वितरण के लिये पंचायतों और स्कूल अध्यापकों को शामिल किया गया है।

(ii) दूर-दराज वाले पिछड़े क्षेत्रों में दवाइयों के डिपुओं को खोल दिया गया है। कुछ राज्यों में यह कार्य जनजाति कल्याण विभाग के सहयोग से किया गया है।

(iii) 'दि थ्रेट' नामक एक फिल्म जो हाल ही में तैयार की गई थी उसे चोदह क्षेत्रीय भाषाओं में सारे देश में दिखाया जा रहा है।

(iv) इस आशय के पोस्टर "बुखार—मलेरिया हो सकता है—क्लोरोक्विन गोलिया लीजिये' पंचायतों—स्कूलों, प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों और सब-सेंटरों में प्रदर्शित करने हेतु राज्य सरकारों को सप्लाई किये गये हैं।

(v) क्षेत्रीय भाषाओं में, मलेरिया में क्या-क्या करना चाहिये, नामक एक पैम्पलेट भी तैयार किया गया है, जिसमें मलेरिया के लक्षणों क्लोरोक्विन की मात्रा, आदि का उल्लेख है और उसे पंचायतों, स्कूलों अध्यापकों और अन्य स्वैच्छिक एजेन्यिों में वितरित करने के लिये राज्यों को सप्लाई किया गया है।

(vi) पंचायतों के अध्यक्षों और मंत्रियों को मलेरिया के बारे में विषय परिचायक प्रशिक्षण देने का भी विचार है।

(vii) चिकित्सा व्यावसायिक के क्या-क्या कार्य होने चाहिये, इसके बारे में भी फोल्डर तैयार करके राज्यों को सप्लाई किये गये हैं ताकि वे उन्हें चिकित्सा व्यावसायिकों में बांट दें। इसी प्रकार एक और पैम्पलेट 'मलेरिया फिर क्यों' भी तैयार किया गया है और उसे उपार्युक्तों मुख्य चिकित्साधिकारियों और खण्ड विकास अधिकारियों में बांटने के लिये राज्यों को सप्लाई कर दिया गया है ताकि उपर्युक्त अधिकारियों को मलेरिया संबंधी मौजूदा समस्याओं और प्रस्ताविक कार्यवाही करने के बारे में जानकारी दिलाई जा सके।

(viii) मलेरिया-रोधी संदेश का प्रचार करने के लिये डाक और तार विभाग द्वारा विशेष पोस्टर स्टेशनरी रिलीज की गई है।

(ix) मलेरिया की रोकथाम तथा इसके इलाज के बारे में लोगों को जानकरी दिलाने के लिये आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने भी कार्यक्रम शुरू कर दिये हैं।

मंगलौर में शिपयार्ड का निर्माण

303. **श्री जनार्दन पुजारी**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मंगलौर में शिपयार्ड का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

(घ) सरकार द्वारा गठित तकनीकी-आर्थिक कार्य दल ने दिसम्बर, 1973 में शिपयार्ड की स्थापना के लिये कुछ संभव स्थानों की सिफारिश की थी जिनमें मंगलौर नहीं था।

अकांउट्स क्लर्कों को अग्रिम वेतन-वृद्धियां

304. **श्री के. ए. राजन**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को फर्निशिंग इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास-38 के लेखा विभाग के कर्मचारियों की ओर से गत दो वर्षों के दौरान कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) और (ख) जी हां, 1978 से पिछले 2 वर्षों के दौरान अपने अनरोध पर सवारी डिब्बा कारखाना में स्थानान्तरण के कारण वरिष्ठता को हानि और अपेंडिक्स-III की परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के तथाकथित मूल्यांकन ठीक से न करने और सवारी डिब्बा कारखाना में स्थानान्तरण पर जाने के लिये अग्रिम वेतन प्रदान करने के सम्बन्ध में क्लर्क-ग्रेड-I से 3 अभ्यावेदन, वेतन वृद्धि अवरुद्धता हटाने के संबंध में सब-हैंडों से एक अभ्यावेदन, 1-1-73 से पूर्व तथा उपलब्ध अग्रिम वेतन वृद्धियां पुनः प्रारम्भ करने और पदों का निर्धारित प्रतिशत वितरण लागू न करने और क्लर्क-ग्रेड-I के रूप में स्नातकों की पीछे भर्ती बन्द करने के संबंध में क्लर्क-ग्रेड II से 2 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

भारत नेपाल सम्बन्ध

305. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1980 में भारत-नेपाल वार्ता हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला है?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव): (क) जी हां, 18-19 फरवरी, 1980 को काठमांडू में नेपाल के साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई थी।

(ख) इस बातचीत में अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिति के बारे में सामान्य विचार-विमर्श हुआ जिसमें खास तौर पर अफगानिस्तान की हाल की घटनाओं के संदर्भ में विचारों का आदान प्रदान भी शामिल है। इस संबंध में दोनों पक्षों के दृष्टिकोण में समानता थी और दोनों ने ही इस बात को स्वीकार किया कि नेपाल के महाराजाधिराज ने भी जिसे इस क्षेत्र में "अस्त्र-आमंत्रण" कहा है वह शान्ति और स्थायित्व के लिए सहायक नहीं है।

पारस्परिक हित के द्विपक्षीय मामले पर भी बातचीत हुई जिसमें दोनों देशों के आपसी लाभ के लिए नेपाल में जल संसाधनों का विकास भी शामिल है। दोनों पक्षों ने जल संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के महत्व को पुनः दोहराया। इस बात पर सहमति हुई कि इस संबंध में तकनीकी स्तर की बैठकें शीघ्र बुलाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

31 जनवरी, 1980 को बिना चिकित्सा सहायता वाले गांव

306. श्री माधव राव सिन्धिया: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, राज्यवार ऐसे गांवों की संख्या क्या है जहां 31 जनवरी, 1980 को चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं थी ;

(ख) 31 जनवरी, 1980 को देश में कितने अर्हता प्राप्त एम० बी० बी० एस० डाक्टर बेरोजगार थे ; और

(ग) प्रत्येक गांव में चिकित्सा सहायता उपलब्ध करने और अर्हता प्राप्त डाक्टरों को रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) देश में गांवों की स्वास्थ्य और चिकित्सीय आवश्यकताओं को बड़े पैमाने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्र खोलकर पूरा किया गया है । इस समय 5444 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 48571 उपकेन्द्र हैं । प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र औसतन अस्सी हजार से एक लाख लोगों अर्थात् लगभग 80 से 100 गांवों को सुविधाएं प्रदान कर रहा है । इसी प्रकार एक उपकेन्द्र दस हजार लोगों अर्थात् लगभग दस गांवों को सुविधाएं प्रदान कर रहा है ।

(ख) 30 जून, 1979 को भारत के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में पंजीकृत चिकित्सा स्नातकों तथा स्नातकोत्तर डाक्टरों का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रत्येक गांव में चिकित्सा सहायता उपलब्ध करने तथा डाक्टरों को रोजगार हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनका एक ब्रीफ नोट (सारांश) संलग्न है ।

विवरण

राज्य	चिकित्सा स्नातक	स्नातकोत्तर	योग
1. आंध्र प्रदेश	2776	119	2895
2. असम	85	..	85
3. बिहार	931	49	980
4. गुजरात	167	7	174
5. हरियाणा	218	19	237
6. हिमाचल प्रदेश	6	..	6
7. जम्मू व कश्मीर	2	..	2
8. कर्नाटक	1255	10	1265
9. केरल	759	4	763
10. मध्य प्रदेश	565	10	575
11. महाराष्ट्र	620	78	698
12. मणीपुर	..	..	..
13. मेघालय	..	..	..
14. नागालैंड	..	..	..
15. उड़ीसा	402	7	409
16. पंजाब	117	..	117
17. राजस्थान	263	9	272
18. तमिलनाडु	1710	2	1712
19. त्रिपुरा	..	..	..
20. उत्तर प्रदेश	427	8	435
21. पश्चिम बंगाल	123	11	134

राज्य	चिकित्सा स्नातक	स्नातकोत्तर	योग
संघ शासित क्षेत्र			
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह .	..	..	..
2. अरुणाचल प्रदेश . . .	..	..	..
3. चंडीगढ़	213	4	217
4. दादर व नगर हवेली . . .	..	..	..
5. दिल्ली	1377	392	1769
6. गोआ, दमण व द्वीव . . .	159	6	165
7. लक्षद्वीप	6	..	6
8. मिजोरम	..	..	..
9. पांडिचेरी	126	..	126
अखिल भारतीय योग . . .	12307	735	13042

*इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय नहीं है।

नोट :—इनमें विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन कार्यालयों के आंकड़े शामिल नहीं है। लेकिन इनमें दिल्ली के (दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया विश्वविद्यालयों) दोनों कार्यालयों के आंकड़ें शामिल हैं।

स्रोत :—रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय।

संक्षिप्त टिप्पणी

राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा गांवों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार ने निम्नलिखित योजनायें चलाई हैं :—

1. जन स्वास्थ्य रक्षक योजना
2. बहुद्देश्यीय कार्यकर्ता योजना
3. दाई प्रशिक्षण योजना
4. चिकित्सा शिक्षा से स्थिति अनुकूल बनाने की योजना।

1. **जन स्वास्थ्य रक्षक योजना :** देश में यह योजना 2 अक्टूबर, 1977 को 734 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चलाई गई थी। तब से अब तक इस योजना के अन्तर्गत 1698 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाये जा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत लोगों द्वारा प्रत्येक गांव में से एक जन स्वास्थ्य रक्षक चुना जाता है। प्रत्येक जन स्वास्थ्य रक्षक को एक जन स्वास्थ्य रक्षक टिकट दी जाती है जिसमें उन्हें हर महीने पचास रुपये के मूल्य की दवाईयां दी जाती हैं। आशा है कि 1982–83 तक पूरा देश इस योजना के अन्तर्गत आ जायेगा। अब तक 1,29,654 जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

2. **बहुद्देशीय कार्यकर्ता योजना :** इस योजना के अन्तर्गत 46 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों तथा 7 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा रीओरिएन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि एकोद्देश्यीय कार्यकर्ताओं को सभी स्तरों पर तकनीकी रूप से कुशल बनाया जा सके। वर्ष 1987–88 तक प्रत्येक पांच हजार जनसंख्या के लिये एक-एक पुरुष तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध करने का लक्ष्य प्राप्त करने का विचार है। अब तक सभी स्तरों पर 1,14,195 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

3. **दाई प्रशिक्षण :** प्रत्येक गांव में एक-एक दाई (परम्परागत दाई) को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है ताकि सुरक्षित प्रसव किये जा सकें तथा जिन ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता नहीं मिल रही है, उन्हें उचित चिकित्सा सहायता सुलभ की जा सकें। अब तक 2.18 लाख दाईयों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 1982–83 तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है।

4. **चिकित्सा शिक्षा को स्थिति अनुकूल बनाना :** चिकित्सा शिक्षा को स्थिति अनुकूल बनाने के भाग के रूप में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिये देश में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के प्रत्येक मेडिकल कालेज को तीन-तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उत्तरदायी बनाने का निश्चय किया गया है। इनमें से प्रत्येक मेडिकल कालेज को पूर्णरूप से सुसज्जित तीन-तीन मोबाइल क्लिनिक दिये जायेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मौके पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करेंगे। सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मचारियों के साथ-साथ इन मेडिकल कालेजों के अध्यापकगण तथा छात्र इन क्लिनिकों के जरिये दूरदराज के गांवों में चिकित्सीय सुविधायें प्रदान करेंगे। ये तीन मोबाइल क्लिनिक इन मेडिकल कालेजों के साथ सम्बद्ध तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये होंगे। इस योजना के अन्तर्गत मेडिकल कालेज के अध्यापकगण तथा मेडिकल छात्रों को न केवल जन स्वास्थ्य समस्याओं का सीधा अनुभव होगा बल्कि उन लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सीय तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें भी सुलभ करेंगे जो आमतौर पर ये सेवाएं प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा परिचर्या का विस्तार करने की दृष्टि से जन स्वास्थ्य रक्षक योजना को लागू करते हुए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक अतिरिक्त डाक्टर नियुक्त करने की व्यवस्था कर दी गई है। इस प्रकार 1982–83 तक वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 5400 अतिरिक्त डाक्टर तैनात करने की योजना है।

सुदर्शन पार्क से केन्द्रीय सचिवालय तक बस-सेवा आरंभ करना

307. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुदर्शन पार्क और केन्द्रीय सचिवालय के बीच बस सेवा सम्पर्क नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कालोनी के कार्यालयों में जाने वाले व्यक्तियों को वहां दिल्ली परिवहन निगम की कोई सेवा न होने से बहुत कठिनाई होती है और उन्हें

केन्द्रीय सचिवालय के लिये बस लेने हेतु मोती नगर बस स्टैंड तक जाना पड़ता है जो लगभग दो किलोमीटर दूर है ;

(ग) यदि हां, तो सरकारी कर्मचारियों के लाभ हेतु कम से कम प्रातः और सायं बस सेवा आरंभ करने हेतु सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?.

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) : सुदर्शन पार्क, नजफगढ़ रोड और रिंग रोड के बीच मोतीनगर के पश्चिम में स्थित है। दिल्ली परिवहन निगम अपनी हर कोशिश के बावजूद इस कालोनी को बस सेवायें उपलब्ध नहीं कर सका है क्योंकि भारी मोटरगाड़ियां यहां पर तंग सडकों पर नहीं चलाई जा सकती।

तो भी, मुख्य नजफगढ़ रोड और रिंग रोड से केन्द्रीय सचिवालय और शहर के अन्य मुख्य स्थानों के लिये अधिक बसें चलाई गई हैं । सुदर्शन पार्क के निवासियों की सुविधा के लिये, सुदर्शन पार्क से कुछ ही दूरी पर जैसे मोतीनगर, न्यू मोती नगर, रमेश नगर और कीर्ति नगर में बस स्टापों की व्यवस्था की गई है।

फतूहा-इस्लामपुर लाईट रेलवे के कर्मचारियों का खपाया जाना

308. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में फतूहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे के बन्द किये जाने के बाद से इस रेलवे के कर्मचारियों को भारतीय रेलों में खपाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : गाड़ी सेवाएं फतूहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे कम्पनी की देख-रेख में निजी रूप से चलाई जा रही है और इन्हें बन्द नहीं किया गया है। इसलिये लाइट रेलवे के कर्मचारियों को भारतीय सरकारी रेलों में समाहित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

भारत सोवियत संयुक्त आयोग की बैठक

309. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में भारत-सोवियत संयुक्त आयोग की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि तीसरे देशों में कुछ बड़ी परियोजनाएं स्थापित करने में भारत-सोवियत सहयोग हो रहा है, यदि हां, तो वे परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और उन देशों के नाम क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत इस समय सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ द्वारा तीसरे देशों में स्थापित कतिपय योजनाओं में उनके साथ सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श कर रहा है। ये बातचीत अभी बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर चल रही है और परियोजनाओं के नाम अथवा किन देशों में परियोजनाएं शुरू की जायेंगी, इसके बारे में कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगा।

रलवे में जनरल मैनेजरों के पद

310. श्री आर० पी० यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा हाल ही में जनरल मैनेजर श्रेणी के काफी पदों को बनाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसा प्रशासन ने विकेन्द्रीकरण के आधार पर किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन पदों की संख्या कितनी है और इन पर कुल कितना व्यय होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) से (ग) जी नहीं। लेकिन, वर्तमान प्रवर प्रशासनिक ग्रेड के 18 पदों का अपर महाप्रबन्धक का पदनाम दिया गया है जिसके साथ प्रतिमाह 250 रुपये का विशेष वेतन शामिल किया गया है। इसे अधिकारों के प्रभावकारी अधोमुखी प्रत्यायोजन के साथ अविनार्य विकेंद्रीकरण लागू करने के उद्देश्य से किया गया है।

अपर महा प्रबन्धकों के पुनर्वर्गीकृत पदों पर प्रति वर्ष लगभग 54,000 रुपये अतिरिक्त खर्च आएगा।

राजस्थान में प्रस्तावित रेलवे लाइनें

311. श्री विरधी चन्द्र जेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अगामी पांच वर्षों में बिछाई जाने वाली प्रस्तावित रेलवे लाइनों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे लाइन बिछाने और इस प्रकार वहां की जनता को सुविधाएं देने के संबंध में गत 30 वर्षों से निरन्तर पश्चिमी राजस्थान की उपेक्षा की जा रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार बीकानेर जैसलमेर–बाड़मेर छोटीमाता सचर कुंडला (गांधी धाम) नामक नई रेल लाइन बिछाने का है जो पिछड़े क्षेत्रों के विकास और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है और यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) नयी रेलवे लाइनों के निर्माण की योजना राज्यवार नहीं बनायी जाती है। चालू परियोजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नयी लाइनों को शामिल करना अन्तिम आबटनों पर निर्भर करेगा।

(ख) राजस्थान में एक सुगठित रेल प्रणाली है जिसके पास भारतीय रेलों के 60693 कुल मार्ग कि० मी० में से 5608 कि० मी० लम्बा मार्ग है । पिछले दो दशकों में राजस्थान में निम्नलिखित रेल लाइनों का निर्माण पूरा किया गया और उन्हें यातायात के लिए खोल दिया :—

क्रम सं०	रेलवे लाइन का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	यातायात के लिए खोलने की तारीख
1.	पोखरन जैसलमेर (मी०ला०) . .	105,00	28-1-1966
2.	हिन्दूमल कोट श्रीगंगानगर (व०ला०) .	27,56	30-4-1970
3.	उदयपुर हिम्मतनगर (मी०ला०) . . (जिसका कुछ भाग गुजरात में भी है)	215,00	14-11-1965
4.	डाबला-सिघाना (मी० ला०) (जिसका कुछ भाग हरियाणा में है) . . .	3295	15-6-1974

रतलाम बांसवाड़ा-डूंगरपुर फालना नाथद्वारा और बीकानेर छत्रगढ़ रेल सम्पर्कों के सर्वेक्षण पूरे हो गये हैं । कोटा से चितौड़गढ़ तक बड़ी रेल लाइन सम्पर्क का भी प्रस्ताव है जिसके लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण और वैकल्पिक मार्गों के लिए यातायात सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है ।

(ग) जी नहीं ।

कोच निर्माण कारखाने

312 **श्री पी० जे० कुरियन**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोच निर्माण कारखाने कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार के पास कोच निर्माण के नये कारखानों को स्थापित करने का कोई कार्यक्रम है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) इस समय तीन सवारी डिब्बे उत्पादन यूनिट अर्थात्, सवारी डिब्बा कारखाना, पैरम्बूर, मद्रास,

(ii) भारत अर्थ मूवर्स लि० बंगलरु और

(iii) जैसप एण्ड को० लि० कलकत्ता है ।

(ख) और (ग) रेलवे सवारी डिब्बों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए एक नये सवारी डिब्बा उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है । जब यह जांच पूरी हो जाएगी तब योजना आयोग से मंजूरी मिलने के बाद सवारी डिब्बा उत्पादन यूनिट स्थापित करने पर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा । उसके बाद अन्तिम परियोजना

रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें प्रस्तावित सवारी डिब्बा फैक्टरी की क्षमता, प्रयुक्त की जाने वाली कार्यविधि, लागत, स्थान निर्धारण आदि शामिल होंगे ।

दिल्ली में भट्टा श्रमिक के रूप में बंधुवा श्रमिक

313. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि बंधुवा मजदूरी को समाप्त करने के लिए काफी कुछ किया गया है फिर भी यह अभी तक जारी है और वह भी राजधानी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि ऐसे दो लाख से भी अधिक असहाय लोग लगभग 400 भट्टा मालिकों ने काम पर लगा रखे हैं ;

(ग) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इन व्यक्तियों के परिवार उनसे अलग कर दिये गये हैं और वे भूखों मर रहे हैं तथा उन्हें अपने मूल स्थानों पर नहीं जाने दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (घ) हाल ही में एक प्रैस रिपोर्ट थी, जिसमें दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के भट्टा उद्योग में बंधित श्रमिकों की विद्यमानता के बारे में आरोप लगाया गया था । इसकी दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच की गई, जिन्होंने सूचित किया है कि अभिकथित श्रमिक बंधित श्रमिक नहीं हैं इस मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । दिल्ली में लाइसेंस प्राप्त भट्टों की संख्या 309 है, जबकि दिल्ली के भट्टों में श्रमिकों की अनुमानित संख्या लगभग 25,000 है ।

दिल्ली और इसके आस-पास के अधिकांश भट्टा श्रमिकों को ठेकेदारों तथा एजेन्टों द्वारा ठेका श्रमिकों के रूप में नियोजित किया जाता है । उनके हितों की सुरक्षा क लिये न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन पर्याप्त कानूनी उपबन्ध विद्यमान हैं । इनमें उचित न्यूनतम मजदूरी के भुगतान करने, रोजगार की शर्तों को नियमित करने और उनके लिए कल्याण तथा अनिवार्य स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है । निरीक्षण प्राधिकारी भट्टों का प्रायः निरीक्षण करते हैं और उन्होंने ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए दोषी भट्टा मालिकों के विरुद्ध वर्ष 1979 में 12 अभियोजन चलाए हैं । प्रशासन ने दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में भट्टा उद्योग के लिए भी 1-1-1980 से 9.25 रुपये प्रतिदिन या 240 रुपये प्रति माह की न्यूनतम मजूरी दरें अधिसूचित की है

दक्षिणी राज्यों को जाने वाली तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियां

314. **श्री के० मालन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता की बढ़ती हुई मांग और लम्बी दूरी को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी राज्यों के लिये तेज रफ्तार वाली रेल गाड़ियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) फिलहाल नहीं।

(ख) लाइन और टर्मिनल क्षमता की कमी के कारण निकट भविष्य में दिल्ली से दक्षिणी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक अतिरिक्त गाड़ियां चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

वर्ष 1980–81 के दौरान नसबंदी के लिये निर्धारित लक्ष्य

315. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978–79 और 1979–80 के लिये नसंबदी के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और उनको प्राप्त करने में कितनी सफलता मिली थी और पूरे लक्ष्य प्राप्त न कर सकने के क्या कारण थे ; और

(ख) वर्तमान सरकार ने वर्ष 1980–81 के लिये इस बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जायेगा ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) वर्ष 1978–79 और 1979–80 में परिवार नियोजन के नसबंदी तरीके के क्षेत्र में हुए कार्य के पुर्वानुमानित लक्ष्य अथवा कार्यनिष्पादन के स्तर और उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

वर्ष	नसबंदी आपरेशन दस लाख में		लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में उपलब्धि
	लक्ष्य	प्राप्त किये गए लक्ष्य	
1978–79 . . .	3.97	1.48	37.4
1979–80 . . .	3.05	1.31*	42.9

*अप्रैल, 1979 से जनवरी, 1980 की अवधि में उपलब्धियां।

वर्ष 1977 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के विरुद्ध किये गये गलत प्रचार के कारण लोगों तथा फील्ड स्टाफ के विभाग में भारी भ्रांतियां पैदा हो गई थीं जिसकी वजह से इस कार्यक्रम को गम्भीर धक्का पहुंचा । इस स्थिति के कारण इन दो वर्षों में हुए कार्य पर काफी प्रभाव पड़ा ।

(ख) 1980–81 के लिये अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में धनराशि का दुरूपयोग

316. **श्री राम लाल राही** : : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978, 1979 और 1980 में किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ की औषधियों और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के लिये आबंटित की गई धनराशि औषधियों

आदि पर खर्च करने की बजाये भत्तों आदि पर खर्च की गई है जिसके फलस्लरूप मेडिकल कालेज में औषधियों आदि का संकट है और गरीब रोगियों को औषधियां नहीं मिल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जैसा कि कालेज के प्रिंसिपल ने सूचित किया है, औषधियों के लिये आवंटित धनराशि अन्य आवश्यकताए पूरी करने के लिये खर्च नहीं की गई है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में व्यवहार आयुविज्ञान संस्थान की स्थापना

317. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में एक पूर्ण व्यवहार आयुविज्ञान (फोरनसिक) संस्थान स्थापित करने के लिये अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

सूर्यग्रहण का मानव आंखों पर प्रभाव

318. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न राज्यों में 16 फरवरी, 1980 को हुये सूर्यग्रहण के दौरान कितने व्यक्तियों की आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उनकी चिकित्सा के बाद परिणाम क्या रहे ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सड़कों के निर्माण के लिये निर्धारित धनराशि

319. **श्री के० प्रधानी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान देश में सड़कों के निर्माण के लिए कुछ धनराशि निर्धारित की थी ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार किन-किन स्थानों पर सड़कें बनाई गई और उनकी लम्बाई कितनी-कितनी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री आनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी हां । संभवत: माननीय सदस्य केन्द्रीय सड़क स्कीमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना

चाहते हैं जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग और कुछ ऐसी सड़कें भी शामिल हैं जिनके लिए केन्द्र द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है । इन स्कीमों के लिए वर्ष 1977–78 और 1978–79 में क्रमशः 105.66 करोड़ रुपये और 115.63 करोड़ रुपये नियत किये गये थे । इस धन-राशि से जो विकास कार्य किये गये उनमें अधिकांश कार्य मौजूदा सड़कों को सुधारने के बारे में हैं । जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, कुछ नई सड़कों का भी निर्माण किया जा रहा है जिससे बड़े-बड़े मार्गों पर सीधा यातायात हो सके । वर्ष 1977–78 और 1978–79 में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ जिन नई सड़कों (राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़कों) का निर्माण किया गया उनका ब्यौरा संलग्न सूची में दिया गया है ।

विवरण

क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राज्य	खंड	पूरी की गई सड़क की लम्बाई	
				वर्ष 1977–78 में (किलोमीटर)	वर्ष 1978–79 में (किलोमीटर)
1	2	3	4	5	6
1	30	बिहार	आरा-मोहनिया मार्ग	9	—
2	13	कर्नाटक	हुगली-मंगोली खंड	60	—
	13	कर्नाटक	हास्पेट-कुस्तगी खंड	4	15
	13	कर्नाटक	दोणहल्ली–होशल्ली खंड	8	—
3	12	मध्य प्रदेश	देवरी-तेंडुखेडा खंड	18	10
4	6	उड़ीसा	कांजीपानी-कुन्तला खंड	—	4
5	41	पश्चिम बंगाल	कोलाघाट-हल्दिया मार्ग	3	14
	34	पश्चिमी बंगाल	फरक्का बांध के कारण फिर से सड़क का निर्माण	1	12
			कुल	103	55

देश में स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर

320. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में स्वास्थ्य शिक्षा के अत्यधिक निम्न स्तर के बारे में जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) स्कूल शिक्षा के 10+2 पैटर्न के अंतर्गत निम्नतम स्तर से ही स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है । केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए श्रव्य-दृश्य सामग्री पुस्तकों और पुस्तिकाओं, पोस्टरों, पैम्फलेटों आदि के रूप में प्रोटोटाइप सामग्री का डिजाइन बनाता है और उन्हें विकसित करता है तथा स्वास्थ्य शिक्षा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रबंध करता है । राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरों को, जो ऐसे ही कार्य सीमित पैमाने पर करते हैं, केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा उनके कार्य में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के कार्यकर्ता उदाहरणतः बहुद्देशीय कार्यकर्ता, खंड विस्तार शिक्षक, जन स्वास्थ्य रक्षक भी लोगों को अनौपचारिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं ।

पुणे स्टेशन से सतारा रोड स्टेशन तक लोकल रेलगाड़ी

321. श्री शंकर राव पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य रेलवे पर पुणे स्टेशन से सतारा रोड स्टेशन तक लोकल रेल गाड़ी (शटल) सेवा आरम्भ करने के बारे में निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब आरम्भ होगी; और

(ग) प्रस्तावित पुणे-सतारा लोकल सेवा पर सरकार को लगभग कितना वार्षिक खर्च करना होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाया जाना

322. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है ;

(ख) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से भी कोई जानकारी प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंहराव) : (क) इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक तथा भारत के प्रधान मंत्रियों के बीच हुए पत्र-व्यवहार के माध्यम से पाकिस्तान सरकार को इस संबंध में अपनी चिन्ता से अवगत कराया है । राष्ट्रपति जिया उल हक ने भारत सरकार को यह आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार न्युक्लीय हथियार नहीं बनायेगी । आशा है कि पाकिस्तान सरकार अपने आश्वासन पर कायम रहेगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य रेलवे में उप-नगरीय सेवाओं में सुधार

323. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास वृहद बम्बई में मध्य रेलवे पर उप-नगरीय सेवाओं में सुधार के लिए कोई ठोस योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) मध्य रेलवे के बम्बई क्षेत्र में उपनगरीय यातायात की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए रेलों की योजना में निम्नलिखित को शामिल किया गया है :—

(i) आगे-पीछे चलने वाली गाड़ियों के बीच केवर्तमान अन्तराल को कम करके अतिरिक्त क्षमता का सृजन करके वर्तमान उपनगरीय प्रणाली को इष्टतम सीमा तक करना जिसके चरण I पर काम चल रहा है ।

(ii) बान्दरा के उत्तर में आवासीय क्षेत्रों और विक्टोरिया टर्मिनस के निकट मध्य व्यापारिक जिले के बीच के दैनिक यात्रियों की यातायात संबंधी सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे की धीमी लाइनों को मध्य रेलवे की हार्बर लाइनों से सम्बद्ध करने के लिए बान्दरा में एक फ्लाई ओवर का निर्माण । यह काम पहले से ही चल रहा है और 1981 तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

इसके अलावा निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय करने का विचार है :—

(क) दीर्घकालिक अशक्तता समाप्त करना ।

(ख) वर्तमान शक्तिशाली बेड़े की उपस्कर विश्वासनीयता में सुधार ।

(ग) बिजली के लिए सब-स्टेशन की क्षमता में सुधार और बिजली सप्लाई को अधिक कारगर बनाना ।

दुर्घटनाओं में बच्चों की मौतें

324. **श्री एन० के० रोजवलकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों की मौतें होने का मुख्य कारण दुर्घटनाएं हैं और यदि हां, तो गत वर्ष दुर्घटनाओं के कारण कितने बच्चों की मौत हुई और इस संबंध में शिशु शल्य-चिकित्सा के तीसरे अखिल विश्व वार्षिक सम्मेलन के प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है तथा इन मौतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ;

(ख) क्या केवल भारत में प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख बच्चे जन्म से ही विकृत पैदा होते हैं और क्या इसका मुख्य कारण माताओं का कुपोषित होना है ; और

(ग) यदि हां, तो स संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत में कितने बच्चे जन्म से विकृत पैदा होते हैं उनकी संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है। अब तक किए गए अध्ययनों से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि माताओं के कुपोषण के कारण ही बच्चे जन्म से विकृत पैदा होते हैं।

(ग) जन्म से विकृत पैदा होने के कारणों का पता लगाने के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं।

चंगेल और बाजारिया स्टेशनों के बीच झंडी स्टेशन

325. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण पूर्वी रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के अन्तर्गत चंगेल और बाजारिया स्टेशनों के बीच झंडी स्टेशन बनाने के लिए कोई प्रस्ताव और अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव के पक्ष में निर्णय लेने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इनका निर्माण कब किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चंगेल और बाजारिया के बीच एक हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गयी थी किन्तु इसे न तो इंजीनियरी और न ही परिचालन की दृष्टि से वांछनीय पाया गया है।

राज्यों के लिये परिवार नियोजन और कल्याण का लक्ष्य

325. डा. बंसत कुमार पंडित : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य के लिए परिवार कल्याण और नियोजन के लक्ष्य निर्धारित किये हैं और यदि हां, तो वर्ष 1980–81 के लिए, राज्यवार, ब्योरा क्या है;

(ख) नसबन्दी और बंध्यकरण के माध्यम से कितने मामले होंगे ;

(ग) सरकार ने लक्ष्यों को पुरा करने के लिए परिवार नियोजन के अन्य कौन से तरीके स्वीकार किये हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने परिवार नियोजन के लिये हाल ही में निर्मित आयुर्वेदिक गोलियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) 1980-81 के लिये परिवार कल्याण और नियोजन के अभी तक कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ख) पुरुष नसबन्दी के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

(ग) इस प्रकार सरकार द्वारा गर्भरोधन के जो अन्य उपाय उपलब्ध किए जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) लूप निवेशन

(2) खाई जाने वाली गोलियां

(3) प्रचलित गर्भ निरोधक

(घ) जी नहीं। आयुर्वेदिक पद्धति के अन्तर्गत विकसित औषधियों का अभी क्लिनिकल परीक्षण किया जा रहा है।

श्रमिकों एवं नियोजकों के प्रतिनिधियों के साथ बोनस तथा औद्योगिक संबंधों पर बातचीत

827. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री अमर राय प्रधान :
श्री मधु दंडवते :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस तथा औद्योगिक सम्बन्धों के सभी प्रमुख पहलुओं पर विचार करने के लिए वे श्रमिकों एवं नियोजकों के प्रतिनिधियों से मिले थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और क्या सरकार बोनस की "आस्थगित भुगतान" की कल्पना से सहमत हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी, हां।

(ख) पक्षों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और मामले में सरकार की नीति तैयार करते समय इनको ध्यान में रखा जाएगा।

कुवैत से भारतीयों लोग का निकाला जाना

829. **श्री पी० के० कोडियन :**
डा. वल्लभ कुमार पंडित :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत की सरकार तथा खाड़ी के अन्य देशों द्वारा वहां आप्रवासी श्रम

विधियां लागू किये जाने के परिणामस्वरूप इन देशों से बड़ी संख्या में भारतीय आप्रवासी श्रमिकों, अधिकांशतः केरल के लोगों को निकलना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो खाड़ी के देशों द्वारा लागू की गई नई विधियों का कुल कितने भारतीय आप्रवासी श्रमिकों पर प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या भारत सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिकों के निष्कासन को रोकने के लिए खाड़ी के देशों की सम्बन्धित सरकारों से बातचीत की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) खाड़ी के देशों में कार्य कर रहे अन्य देशों के राष्ट्रिकों के साथ-साथ उन भारतीय कामगारों को भी खाड़ी के देशों से भी निर्वासित किया जा सकता है, जो वैध प्रवेश-पत्र और अन्य दस्तावेजों के बिना वहां रह रहे हैं ?

(ख) इससे प्रभावित होने वाले भारतीय आप्रवासी कामगारों की सही-सही संख्या बताना अभी सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) कुवैत स्थित हमारा मिशन इस सम्बन्ध में कुवैत सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखता है। विदेश मन्त्रालय के एक सचिव के नेतृत्व में हाल ही में कुवैत की यात्रा पर गए भारत के सरकारी प्रतिनिधिमण्डल को कुवैत ने आश्वासन दिया कि रोक कर रखे गये अथवा निर्वासित किये गये लोगों को गलत ढंग से परेशान नहीं किया जायेगा और उन्हें कोंसली सुविधाएं उपलब्ध कराई जावेंगी।

बाल श्रमिकों की संख्या

330. श्री चित्त महाटा : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बाल-श्रमिकों की संख्या विश्व के किसी भी अन्य देश के बाल-श्रमिकों से अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार अनुमानतः कितनी बालक-बालिकायें काम पर लगी हुई हैं और सरकार की उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागरविमानन तथा श्रम मन्त्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) श्रम आंकड़े सम्बन्धी आई०एल०ओ० इयर बुक, 1977 के अनुसार भारत में सबसे अधिक बाल श्रमिक हैं।

(ख) 1971 की जनगणना के अनुसार, नियोजित बाल श्रमिकों की कुल अनुमानित संख्या 107 लाख थी। उक्त जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे बालक-बालिकाओं सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। सरकार बाल श्रमिकों के रोजगार से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं के प्रति चिन्तित है। गत वर्ष स्थापित की गई समिति ने इस विषय पर विचार किया। समिति की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है और इसकी जांच की जा रही है।

विवरण

1971 में राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्र में काम कर रहे बालक-बालिकाओं (ग्रामीण और शहरी क्षेत्र) की संख्या

(आंकड़े हजारों में)

क्रमांक	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	बाल श्रमिक		
		बालक	बालिकाएं	कुल
	भारत	7,889	2,850	10,739
	राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,051	576	1,627
2.	असम	214	25	239
3.	बिहार	839	220	1,059
4.	गुजरात	372	144	516
5.	हरियाणा	124	14	138
6.	हिमाचल प्रदेश	31	41	72
7.	जम्मू व कश्मीर	62	8	70
8.	कर्नाटक	581	228	809
9.	केरल	60	51	111
10.	मध्य प्रदेश	748	364	1,112
11.	महाराष्ट्र	607	381	988
12.	मणिपुर	9	9	18
13.	मेघालय	19	13	32
14.	नागालैण्ड	6	8	14
15.	उड़ीसा	423	69	492
16.	पंजाब	230	3	233
17.	राजस्थान	443	145	588
18.	तमिलनाडु	489	224	713
19.	त्रिपुरा	1	3	18
20.	उत्तर प्रदेश	1,082	245	1,327

(आंकड़े हजारों में)

क्रमांक	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	बाल श्रमिक		
		बालक	बालिकाएं	कुल
21.	पश्चिम बंगाल	450	61	511
	संघ-राज्य क्षेत्र			
22.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	—	1
23.	अरुणाचल प्रदेश	8	10	18
24.	चण्डीगढ़	1	—	1
25.	दादरा तथा नागर हवेली	2	2	4
26.	दिल्ली	15	2	17
27.	गोवा, दमन तथा दीव	4	3	7
28.	लक्षद्वीप	—	—	—
29.	पांडिचेरी	3	1	4

स्रोत: भारत की जनगणना, 1971 सीरीज I—भारत, 1972 का पेपर 3—जनसंख्या की आर्थिक विशेषताएं (चयनित सारणियां) महा-पंजीकार और जनगणना आयुक्त, भारत, नई दिल्ली,. 1973 पृष्ठ 2–73 ।

छपरा रेलवे स्टेशन

331. **श्री सत्यदेव सिंह**: क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में छपरा रेलवे स्टेशन के पुराने भवन का जीर्णोद्धार करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) से (ग): छपरा में दूसरे दर्जे का प्रतीक्षालय और बुकिंग कार्यालय का पुनर्निर्माण तथा विस्तार करना एक अनुमोदित कार्य है और 1981 के अन्त तक इसके पूरा होने की सम्भावना है। स्टेशन इमारत का शेष भाग अच्छी हालत में है और इस समय स्टेशन पर होने वाले यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

छपरा में ऊपरी-पुल

332. श्री कृष्ण प्रताप सिंह: क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छपरा बिहार में छपरा में रेल लाइन पर ऊपरी पुल का निर्माण करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य पुरा हो चुका है; और

(घ) ऊपरी पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की आशा है और इसको पुरा करने की समय सूची क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) जी हां।

(ख) से (घ) : इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावों को राज्य सरकार (सड़क प्राधिकरण) द्वारा प्रायोजित किया जाना होता है जिसे, वर्तमान नियमों के अनुसार अपने हिस्से का खर्च वहन करने का आश्वासन भी देना होता है। छपरा-सलमपुर मार्ग पर समपार के बदले एक ऊपरी सड़क पुल बनाने के सम्बन्धी में एक प्रस्ताव रेलवे को राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है और इस पर अभी विचार किया जा रहा है। इस स्थिति में यह कहना सम्भव नहीं है कि ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कब तक प्रारम्भ किया जायेगा और वह कब तक पुरा हो जायेगा।

आगरा-कचौराघाट-इटावा सड़क राष्ट्रीय राजपथ के रूप में

333. श्री बाबू लाल सोलंकी: क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आगरा-कचौराघाट-इटावा सड़क को राष्ट्रीय राजपथ अथवा राज्य शासकीय राजपथ घोषित करने से दिल्ली तथा कानपुर के बीच की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर कम हो जायेगी और ईंधन की खपत में बचत के द्वारा करोड़ों रुपये का लाभ होगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सड़क को राज्य शासकीय अथवा राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने का है और क्या उस पर भारी यातायात को देखते हुए इसको चौड़ा करने तथा इसकी मरम्मत करने का भी प्रस्ताव है और यदि हो, तो ऐसा कब तक किया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): (क) और (ख) : भारत सरकार किसी भी सड़क को राज्य शासकीय राजपथ नहीं घोषित करती और वह राज्य शासकीय राजपथ को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करती है। आगरा और इटावा मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लम्बाई और कचौराघाट होते हुए आगरा-इटावा सड़क की लम्बाई में कोई अधिक अन्तर नहीं है। इसके अलावा भारत सरकार वित्तीय कठिनाइयों और अन्य कार्यों को प्राथमिकता दिये जाने के कारण किसी भी नई सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने में असमर्थ है। यदि स्थिति आगरा-कचौराघाट-इटावा सड़क के बारे में भी है।

रेल अधिकारियों के लिये सैलून

334. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल अधिकारियों के प्रयोग के लिए रेलवे के पास 250 सैलून हैं और उनके रख-रखाव पर हर वर्ष 2 करोड़ रु० की राशि व्यय की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इतने अधिक व्यय को कम करने के लिए इन सैलूनों की संख्या में कमी करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) भारतीय रेलों पर 984 निरीक्षण-यान हैं जिनमें से 641 निरीक्षण-यान 4/6 पहियों वाली हैं जिन्हें मेल/एक्सप्रेस अथवा तेज सवारी गाड़ियों के साथ नहीं लगाया जा सकता है । निरीक्षण-यानों के अनुरक्षण लागत का रिकार्ड अलग से नहीं रखा जाता है ।

(ख) निरीक्षण-यानों का रेल अधिकारियों द्वारा केवल कार्यात्मक प्रयोजन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है । स्थिति के आधार पर बेकार घोषित कर दिये जाने के मामले को छोड़ कर निरीक्षण-यानों की संख्या कम करने का प्रस्ताव नहीं है ।

रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई

335. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी और फरवरी, 1980 में रेलवे द्वारा कोयले सहित माल की ढुलाई में कोई उल्लेखनीय सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सुधार हुआ है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : जी हां ।

(ख) अप्रैल से दिसम्बर, 1979 तक की अवधि की तुलना में जनवरी और फरवरी, 1980 के महीनों में बड़ी लाइन पर प्रतिदिन औसतन 500 अधिक माल डिब्बों (कोयले के 440 माल डिब्बों सहित) का लदान किया गया था और मीटर लाइन पर प्रतिदिन 680 अधिक माल डिब्बों का लदान किया गया था ।

मंदिर हिल स्टेशन का विस्तार

336. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जिला भागलपुर (बिहार) में पूर्व रेलवे की मेन लाइन पर मन्दिर हिल सैक्शन में जसीडीह-जमरान तक विस्तार हेतु सर्वेक्षण कार्य पुरा हो गया है और भूमि के अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी कर दिये गये हैं; और

(ख) विस्तार का वास्तविक कार्य कब आरम्भ होगा और बोन्सी तथा जसीडीह जंकशन के बीच सम्पर्क जोड़ा जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) और (ख) :मन्दिर हिल में बैद्यनाथ धाम तक बड़े आमान की एक रेलवे लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण

पूरा होने वाला है और आशा है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट कुछ ही महीनों में तैयार हो जायेगा। सवर्क्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, समग्र संसाधनों की स्थिति के साथ-साथ इस परियोजना को वित्तीय अर्थक्षमता को देखते हुए इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जायेगा। अधिसूचना केवल रेलवे लाइन के सर्वेक्षण से सम्बन्धित थी।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के मुख्यालय में अधिकारियों की परस्पर बदली

37. श्री सी० बी० एम० तिवारी: क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मन्त्रालय/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के मुख्यालयों में स्थापना कार्य से सम्बद्ध केन्द्रीय सचिवालय सेवा, श्रेणी I, सलेक्शन ग्रेड के अधिकारियों और निदेशक की बारी बारी से परस्पर बदली करने की प्रणाली विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की कितने समय बाद परस्पर बदली की जाती है;

(ग) क्या यह सच है कि एक अधिकारी का एक सीट पर लगातार टिके रहने में निहित स्वार्थ होता है; और

(घ) मन्त्रालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के मुख्यालय में ऐसे कितने अधिकारी हैं, जिन्होंने अवर सचिव के मामले में अनुभाग अधिकारियों के रूप में उपसचिव के मामले में अवर सचिव के रूप में और निदेशक के रूप में इन ग्रेडों में की गई सेवा को सम्मिलित करते हुए लगातार 3 वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया हो ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख): सामान्यतः जिन अधिकारियों ने किसी विशेष अनुभाग/पद पर लगातार 5 वर्षों की सेवा कर ली हो, बारी बारी से उनकी बदली मन्त्रालय/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अन्दर-अन्दर अथवा मन्त्रालय से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से मन्त्रालय में की जाती है।

(ग) ऐसा दृष्टांत ध्यान में नहीं आया है।

(घ) एक।

राजगीर-गया रेल लाइन

338. श्री विजय कुमार यादव :
श्री राम स्वरूप राम :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजगीर-नालन्दा और बोधगया जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों की प्रतिवर्ष यात्रा करने वाले लाखों भारतीय, विदेशी और पर्यटकों को राजगीर और गया का सीधा रेल सम्पर्क न होने की वजह से, भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कठिनाई के निवारण के लिए सरकार का बख्तियारपुर-राजगीर रेल लाइन को गया तक बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) गया और राजगीर के बीच बड़े आमान की एक रेलवे लाइन के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण हो चुका है। पूर्व रेलवे द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और आशा है कि कुछ ही महीनों में यह तैयार हो जायेगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, समग्र संसाधनों की स्थिति के साथ-साथ इस परियोजना की वित्तीय अर्थ क्षमता को देखते हुए इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा।

गया से दिल्ली तक मेल रेलगाड़ी

339. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गया से दिल्ली तक एक मेल-गाड़ी सेवा आरम्भ करने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) 1-4-80 से गया के रास्ते पुरी और नयी दिल्ली के बीच सप्ताह में तीन बार एक जोड़ी फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का विनिश्चय किया गया है। यह गाड़ी गया और दिल्ली के बीच अतिरिक्त क्षेत्र सेवा भी प्रदान करेगी।

विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा

340. **श्री इब्राहिम सुलेमान सेट** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-फरवरी, 1980 की अवधि के दौरान किस-किस विदेशी गणमान्य व्यक्ति ने भारत की यात्रा की; और

(ख) भारत सरकार और उन विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत के क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जनवरी-फरवरी, 1980 में विदेश के जिन गणमान्य व्यक्तियों ने भारत की यात्रा की उनके नामों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त विदेश के कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी यूनिडो सम्मेलन में अपने-अपने देशों के प्रतिनिधि मण्डलों का नेतृत्व करने के लिए नई दिल्ली आए।

(ख) उपर्युक्त यात्राओं के परिणामस्वरूप इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ़ हुए और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मसलों तथा इस क्षेत्र की स्थिति पर एक दूसरे के विचारों को बेहतर ढंग से समझा गया।

विवरण

1. ब्रिटेन के विदेश एवं राष्ट्रमण्डलीय कार्य मन्त्री परम सम्माननीय लार्ड केरिंगटन, के सी एम जी, एम सी, एवं श्रीमती केरिंगटन।

2. गणप्रजातन्त्री बंगला देश के राष्ट्रपति महामान्य श्री जियाउर रहमान एवं बेगम जियाउर रहमान।

3. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव महामान्य डा० कुर्त वाल्दहेम एवं श्रीमती वाल्दहेम।

4. फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महामान्य श्री वल्लरी जिस्कार्द द स्तेंग एवं श्रीमती जिस्कार्द।

5. आस्ट्रेलिया के विदेश मन्त्री महामान्य श्री एण्ड्रयू शार्प पी कॉक।

6. आस्ट्रिया गणराज्य के संघीय चांसलर महामान्य डा० ब्रूनो क्रेस्की।

7. ईराक गणराज्य के विदेश मन्त्री महामान्य श्री हमीद ऐल्वन।

8. सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य एवं सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के विदेश मन्त्री महामान्य श्री ए० ए० ग्रोमिको एवं मडम ग्रोमिको।

9. भूटान नरेश महामहिम जिग्मे सिंगे वांगचुक तथा भूटान के विदेश मन्त्री।

10. ओमान सल्तनत के उपप्रधान मन्त्री एवं सुरक्षा मन्त्री, महामान्य सैय्यद फाहिर बिन तैमूर अल-सइद एवं श्रीमती अल-सइद।

11. यूगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य के विदेश मन्त्री महामान्य श्री जोसप ब्रोज टीटो।

12. एफ० एल० एन० पार्टी के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य तथा अल्जीरिया लोकतान्त्रिक एवं जनवादी गणराज्य के विदेश मन्त्री महामान्य श्री मोहम्मद सादिक बेनयाहिया।

13. हंगरी जनवादी गणराज्य के विदेश मन्त्री महामान्य श्री फ्रीजे पूजा।

14. यू० के० के विदेश मन्त्री महामान्य श्री पीटर ब्लेकर।

15. संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के विशेष दूत महामान्य श्री क्लार्क क्लीफर्ड।

16. सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की मन्त्री परिषद् के उपाध्यक्ष महामान्य श्री आई० वी० आर्खिपोव।

17. बंगला देश के विद्युत् जल संसाधन एवं बाढ़ नियन्त्रण मन्त्री, महामान्य काजी अनवरुल हक।

18. पाकिस्तान के राष्ट्रपति की पर्यटन सलाहकार (राज्य मन्त्री के स्तर का) बेगम बिकार-उन-निसा नून।

येलाहन्का में फैक्ट्री व्हील और एक्सल प्लांट

341. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) येलाहन्का बंगलौर (कर्नाटक) में व्हील और एक्सल प्लांट में उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा;

(ख) क्या फैक्टरी में स्टाफ की भर्ती के बारे में कोई अनुदेश जारी किये गये हैं; और

(ग) क्या भर्ती के मामले में कर्नाटक के लोगों को प्राथमिकता देने के लिये सरकार फैक्टरी को अनुदेश जारी करने के बारे में कदम उठायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) पहिया एवं धुरा सन्यन्त्र, येलाहंका, में 1982-83 में उत्पादन शुरू होने की आशा है।

(ख) और (ग) पहिया एवं धुरा सन्यन्त्र के लिए अभी तक कारीगर कर्मचारियों की नियमित भर्ती शुरू नहीं हुई है। फिलहाल सीमित आवश्यकताओं को रेलों और उत्पादन यूनिटों से प्रशिक्षित कर्मचारियों को लेकर पूरा किया जा रहा है। इसमें कर्नाटक वासियों को तरजीह दी जाती है। भर्ती किये गये नैमित्तिक श्रमिकों में से लगभग 78 प्रतिशत स्थानीय श्रमिक हैं। पहिया एवं धुरा सन्यन्त्र ने यथासम्भव अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को नियुक्त करने की योजना बनाई है।

गत दो वर्षों के दौरान रद्द की गई गाड़ियां

342. **श्री श्री तारीक अनवर :**
श्री ओस्कर फर्नांडीज

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितनी गाड़ियां रद्द की गई;

(ख) अब तक उनमें से कितनी गाड़ियां पुनः चालू कर दी गई हैं; और

(ग) शेष रद्द गाड़ियों के कब तक पुनः चालू कर दिये जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान रद्द की गयी / पुनः चलायी गयी ऐसी गाड़ियों के ब्यौरे के सम्बन्ध में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह बहुत विस्तृत है। दरारों आदि के कारण रद्द की गयी गाड़ियां मोरवी क्षेत्र को छोड़ कर पुनः प्रारम्भ कर दी गयी हैं। लोको कोयले की कमी के कारण रद्द की गयी सभी गाड़ियां यथाशीघ्र पुनः चला दी जायेंगी।

दिल्ली से काटगोदाम तक सीधी रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव

343. **श्री हरीश रावत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार दिल्ली से काठगोदाम तक सीधी रेल गाड़ी चलाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू किये जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं। ग्रामान-भिन्नता के कारण इस समय दिल्ली और काटगोदाम के बीच कोई सीधी गाड़ी चलाना सभव नहीं है। तथापि इन स्थानों के बीच बड़ी और मीटर लाइन की सम्पर्क सेवाएं उपलब्ध हैं।

विशाखापत्तनम डाक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

344. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम डाक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों ने नवम्बर, 1979 में हड़ताल की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या थे ;

(ग) दिनांक 13 नवम्बर, 1979 से 18 नवम्बर, 1979 तक हुक-वार और तारीख-वार कितनी-कितनी मात्रा में जहाज से सीमेंट उतारी गई ;

(घ) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि आयातित सीमेंट को दिये जाने के लिये अन्दर आने के गेट से बाहर जाने वाले गेट तक जल्दी से माल ले जाने के लिए व्यक्तियों को धन (स्पीडमनी) दिया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम डाक और लेबर बोर्ड के कर्मचारी उन दो रजिस्टर्ड कर्मचारियों के निलम्बित किये जाने के विरोध में 8 नवम्बर, 1979 की तीसरी शिफ्ट से 27 नवम्बर, 1979 की दूसरी शिफ्ट तक हड़ताल पर रहे जिन्होंने जहाज से सीमेंट उतारने के मामले में बाकी कर्मचारियों को धीरे काम करने के लिए भड़काया था।

(ग) 13 से 18 नवम्बर, 1979 तक प्रति हुक सीमेंट उतारने की औसत मात्रा इस प्रकार रही :

तारीख	प्रति हुक औसत उतराई (टनों में)
13-11-79	12
14-11-79	47
15-11-79	इस दिन मौसम खराब होने के कारण काम नहीं हो सका।
16-11-79	59
17-11-79	66
18-11-79	66

(घ) और (ङ) जी, हां। पोर्ट डाक और वाटरफ्रंट वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया से इस प्रकार की कुछ शिकायतें मिली थीं। उक्त फेडरेशन को यह सलाह दी गई थी कि यदि उन्हें पोर्ट और डाक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का कोई स्पष्ट मामला दिखाई देता है तो वे इसे विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन की जानकारी में लाएं और जहां तक आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का सवाल है, इस संबंध में वे आंध्र प्रदेश सरकार से बातचीत करें।

अंगूरी-तुली रेल लाइन

345. **श्री चिंगवांग कोन्यक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे में अंगूरी रेलवे स्टेशन से तुली (नागालैंड) तक रेल लाइन बढ़ाने का पिछली सरकार का कोई प्रस्ताव था ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) इस रेल सम्पर्क का निर्माण पहले ही अनुमोदित किया जा चुका हैं और अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण करने और निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए उपस्करों का संचयन और कर्मचारियों की तैनाती करने के लिए प्रारम्भिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं ।

भावनगर तारापुर रेल लाइन

346. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे पर भावनगर-तारापुर रेल लाइन के सर्वेक्षण का कितना कार्य कब तक पूरा हो चुका है और उस पर कितनी राशि खर्च हुई है ;

(ख) रेल की पटरी बिछाने का कार्य कब से शुरू हो जायेगा और क्या इस संबंध में बजट अनुमानों में कोई प्रावधान किया गया है ; और

(ग) क्या, जैसा कि सर्वेक्षण किया गया है, धोलेरा बन्दर को भी इस रेल लाइन से जोड़ा जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाकर शरीफ) : (क) अभी तक निम्नलिखित लाईन पर 4 सर्वेक्षण किये गये हैं :—

वर्ष	सर्वेक्षण की प्रकृति	सर्वेक्षण लागत रुपये
1953	प्रारम्भिक यातायात सर्वेक्षण	13,559
1957–58	प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण	1,31,000
1968	नया यातायात सर्वेक्षण	71,652
1977	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण	5,06,105

(ख) इस लाइन के निर्माण के लिए कोई बजट व्यवस्था नहीं की गयी है । यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं है । इसके अलाव धन की तंगी भी है । अतः इस परियोजना के संबंध में आगे काम नहीं किया गया हैं ।

(ग) अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के अनुसार संरक्षण धुलेरा बन्दर होता हुआ गुजरेगा ।

राजदूतों के रिक्त पद

347. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें राजदूतों/उच्च आयुक्तों के पद रिक्त पड़े हैं और उसके कारण क्या हैं ; और

(ख) वे पद किन-किन तारीख से रिक्त पड़े हैं और किस-किस तारीख तक भरे जायेंगे ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंहराव) (क) और (ख) इस समय भारतीय मिशन प्रमुखों के निम्नलिखित पद रिक्त हैं :—

राजदूत	जिस तारीख से रिक्त है
1. अल्जीयर्स	21–11–79
2. डब्लिन	4–7–79
3. पीकिंग	16–11–79
4. रोम	27–1–80
5. साना	1–8–79
6. तेहरान	21–11–79
7. वाशिंगटन	7–7–79
हाई कमिश्नर	
1. कुआलालम्पुर	8–8–79
2. लन्दन	18–8–79
3. पोर्ट लुई	6–10–79

अल्जीयर्स, डब्लिन, साना, तेहरान एवं कुआलालम्पुर के लिए नियुक्तियों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और आश है कि ये पद शीघ्र ही भर दिए जायेंगे ।

2. सरकार की नीति यह है कि इन पदों को हर तीन वर्ष की सामान्य कार्यावधि के लिए बारी-बारी से राजनयिकों को भेजने के सिद्धान्त के आधारपर भरा जाए । यद्यपि इस बात का सुनिश्चय करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जाते हैं कि ये पद रिक्त न रहें, परन्तु कभी-कभी नए राजदूत/ह.ई कमिश्नर के पद संभालने से पूर्व अनिवाय रूप से थोड़े समय का अन्तराल हो जाता है ।

बिना बिजली वाले रेलवे स्टेशन

348. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालका-शिमला रेलवे लाइन पर कनोह और कोटी रेलवे स्टेशन बिना बिजली के हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन्हें अनुमानतया किस तारीख तक विद्युतीकृत किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) आस-पास बिजली की सप्लाई उपलब्ध न होने के कारण इन स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था करना अभी तक संभव नहीं हुआ है । स्टेशनों पर बिजली लगाने का काम 1980–81 के निर्माण-कर्यक्रम में शामिल कर लिया गया है क्योंकि अब एक किलोमीटर के भीतर बिजली की

सप्लाई उपलब्ध नहीं है और स्टेशनों पर बिजली लगाने का काम 1981 में पूर होने की आशा बशर्ते कि इसके लिए धनराशि उपलब्ध हो ।

हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर पंजाब तथा हरियाणा में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग

349. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पंजाब तथा हरियाणा राज्यों से गुजरने वाले ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं जो चालू वित्तीय वर्ष में निर्माणाधीन है ; और

(ख) जब से इन सड़कों का निर्माण आरम्भ किया गया है तब से प्रत्येक पर कितनी राशि व्यय की गई है तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित व्यय क्या है तथा प्रत्येक राजमार्ग का निर्माण पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है ।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1, 1–क, 1–ख, 2, 8, 10, 15, 21 और 22 हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पंजाब तथा हरियाणा से होकर गुजरते हैं । इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई तरह के सुधार एवं निर्माण कार्य चल रहे हैं, जैसे–सड़कों का स्तर ऊंचा उठाना, उनकी नए सिरे से पैमाइश करना, उन्हें चौड़ा और मजबत करना, सड़क के आर-पार पानी के निकास की नालियों का निर्माण पुनर्निर्माण करना और सड़कों पर रेल-पुल बनाना इत्यादि । इन सभी कार्यों की प्रगति अलग-अलग है । उपरोक्त सुधार/निर्माण कार्यों पर 31–3–1979 तक खर्च की गई राशि, वर्ष 1979–80 के लिए अनुमानित खर्च और इन कार्यों को पूरा करने की अंतिम तारीखों के बारे में सूचना नीचे दी गई है :—

(लाख रुपये)

राष्ट्रीय राजमार्ग का का नाम	31–3–1979 तक का खर्च	1979–80 के लिए अनुमानित खर्च	काम पूरा होने की अंतिम तारीख
राष्ट्रीय राजमार्ग			
1–390.67		153.24	31–3–1982
2–क 4341.45		467.68	31–3–1982
2–ख		5.42	31–3–1981
2–142.98		30.29	31–3–1982
8–30.36		35.20	31–3–1981
10–342.10		90.05	31–3–1982
15–90.68		83.11	31–3–1982
*21–441.23		162.37	31–3–1982
22–1761.95		129.22	31–3–1982

* कुछ कार्यों के 31–3–1983 तक पूरा होने की संभावना है ।

बच्चों को रोजगार दिये जाने के बारे में सर्वेक्षण

350. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष 1979 के दौरान 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को रोजगार दिये जाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार का सर्वेक्षण किया जायेगा; और

(घ) बच्चों को श्रमिकों के रूप में रोजगार देना बन्द करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) सरकार ने पिछले वर्ष एक समिति गठित की जो बालकों के नियोजन से संबंधित विभिन्न विषयों की व्यापक रूप से जांच करेगी ।

(ख), (ग) और (घ) उक्त समिति की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है और उसमें की गई सिफारिशों पर इस समय विचार हो रहा है ।

औरंगा बाद-मनमाड़ छोटी लाईन को बड़ी लाइन में बदलना

351. **श्री मधु दंडवते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के पिछड़े हुए मराठवाड़ा क्षेत्र में औरंगाबाद और मनमाड़ रेल मार्ग को बड़ी लाइन में बदलने के लिये वर्ष 1978–79 और 1979–80 के रेल बजट में पहले ही प्रावधान किया जा चुका था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लाइन बदलने की परियोजना का कार्य पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका था ;

(ग) क्या बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को रोकने के लिए हाल ही में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) जी नहीं । लेकिन धनराशि की सीमित उपलब्धता और वीरमगांव ओखा, बारावंकी-समस्तीपुर तथा न्यू बोगांईगांव-गुहाटी आमान परिवर्तन जैसी पुरानी और चालू परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने की आवश्यकता के कारण मनमाड़-औरंगाबाद खंड के लिए केवल सीमित धनराशि आवंटित करना सम्भव हुआ है । काम को बन्द नहीं किया जा रहा है और अगले वर्ष के दौरान भी इस काम के लिए कुछ धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है और यह काम जारी रहेगा । ऊपर बतायी गयी बड़ी परियोजनाओं में से आगामी दो वर्ष के भीतर कुछ परियोजनाएं पूरी हो जाने पर ही इस काम के लिए अधिक धनराशि आवंटित करना तथा काम में तेजी लाना संभव हो सकेगा ।

बादशाह खान का भारत में इलाज

352. **श्री मधु दंडवते :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बादशाह खान के भारत में इलाज के लिये शीघ्र ही आने की आशा है ;

(ख) क्या यह सच है कि पिछली सरकार ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि वह बादशाह खान को भारत में इलाज के लिये सभी सुविधायें देने को राजी हैं ; और

(ग) क्या वर्तमान सरकार पिछले वायदों को पूरा करेगी ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंहराव) (क) भारत सरकार ने बादशाह खान को यह संदेश भेजा है कि वे अपनी सुविधानुसार अपने इलाज के लिए जब चाहें भारत आ सकते हैं। भारत सरकार के निमन्त्रण को वे कब स्वीकार करेंगे इसके बारे में उन्होंने अभी नहीं बताया है।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार की हमेशा यह नीति रही है कि जब भी बादशाह खान इलाज के लिए भारत आएं, उनका स्वागत किया जाए। जैसा कि ऊपर के भाग (क) में बताया गया है कि वर्तमान सरकार भारत में इलाज के लिए बादशाह खान को निमन्त्रण भेज चुकी है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवा

353. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में अंतरद्वीपीय यात्री सेवा के बुरी तरह से अस्त व्यस्त होने के बारे में जानकारी है, यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या भारत सरकार को इस संबंध में संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ था, यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में श्रमिकों को बोनस

354. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंडमान तथा निकोबार, द्वीपसमूह में चैथाय सां मिल, पोर्ट ब्लेयर के श्रमिकों, वन विभाग के श्रमिकों, बिजली तथा परिवहन और नौवहन के श्रमिकों की बोनस की मांग की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो रेल कर्मचारियों को दिये बोनस को ध्यान में रखते हुए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में रेल कर्मचारियों की भांति सरकार के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक विभागों के कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न की जांच करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे. बी. पटनायक) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

पूर्वी रेलवे में आहार की सप्लाई

355. श्री मनोरंजन भक्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वी रेलवे में घटिया किस्म का आहार सप्लाई किया जाता है और बर्तन गन्दे होते है ;

(ख) यदि हां, तो आहार में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार पूरे "ब्रैड रोल" सप्लाई नहीं किये जाते ; और

(घ) पूर्वी रेलवे में हालत सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) पूर्व रेलवे द्वारा सप्लाई किये जाने वाले भोजन का स्तर सामान्यत: संतोषजनक रहा है और भोजन तयार करने और परोसने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले बर्तन भी सामान्यत: साफ रहते हैं । शिकायतों और जांच के दौरान पायी गयी त्रुटियों के मामलों में सेवाओं में सुधार लाने के लिए समुचित दंडात्मक और उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है ।

(ग) और (घ) जी नहीं । विशिष्ट शिकायतों के मामलों में, उपचारात्मक कार्रवाई भी की जाती है । रेलों को बिस्तरों की सप्लाई में विशेष निगरानी रखने के लिए अनुदेश दिये जाने गये हैं।

डाक और तार विभाग के पेंशनभोगियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं देने के बारे में अभ्यावेदन

356. श्री आर. के. महालगी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की अखिल भारतीय डाक और तार विभाग तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगी एसोसियेशन, पूणे (महाराष्ट्र) से दिनांक 7 अप्रैल, 1979 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें सरकार से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधायें डाक और तार विभाग के पेंशनभोगियों पर लागू करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जिस प्रकार केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को सी० जी० एच० एस० सुविधाएं मिल रही हैं उसी प्रकार पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद तथा जयपुर में अखिल भारतीय डाक और तार विभागों के पेंशनभोगियों को ये सुविधाएं देने के प्रश्न पर इस मंत्रालय में विधिवत विचार किया गया है, लेकिन इन चारों स्थानों के डाक और तार विभाग के पेंशनभोगियों को ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं की जा सकती क्योंकि इन स्थानों पर कार्यरत डाकतार कर्मचारियों ने सी० जी० एच० एस० सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया है । जैसे ही इन चारों स्थानों पर डाक और तार विभागों के कर्मचारी इस योजना में शामिल हो जाएंगे इस योजना का विस्तार इन चारों स्थानों पर डाक व तार विभाग के पेंशनभोगियों के लिए कर दिया जाएगा ।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत को परिवार नियोजन के लिये सहायता

357. **श्री जय नारायण :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1980–84 के परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये संयुक्त राष्ट्र से सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका और राज्यों को धनराशि के नियतन का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) 1980–84 के परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए 'जनसंख्या कार्यकलापों की संयुक्त राष्ट्र निधि' (यू० एन० एफ० पी० ए०) नामक संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी, से अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है । तथापि, यह आशा की जाती है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की प्रबंध परिषद्, जो य० एन० एफ० पी० ए० की गतिविधियों के लिए धन मंजूर करती है, भारत में परिवार नियोजन कार्यों के लिए एक सहायता कार्यक्रम 1980 के दौरान मंजूर कर देगी जो 1980–84 (कलेन्डर वर्ष) के 5 वर्षों की अवधि के लिए होगा और जिसकी धनराशि लगभग 10 करोड़ डालर होगी । इन योजनाओं के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं लेकिन यह सहायता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के आधारभत ढांचे का विकास करने के साथ-साथ कुछेक अन्य राज्यों के कुछ चुनिंदा जिलों में विदेशी सहायता के लिए बनाई जा रही इसी प्रकार की योजनाओं की भांति बिहार (6) और राजस्थान (3) के चुनिंदा जिलों में सुविधाओं के विकास के लिए भी उपयोग की जाएगी ।

ट्रकों के लिये अखिल भारतीय परिमिट

358. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रकों के लिये नए अखिल भारतीय परिमिट जारी करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) इस समय राष्ट्रीय परमिटों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

रेलवे में भाप से चलने वाले इंजन

359. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नोरेन घोष :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे आंशिक रूप से भाप वाले इंजन चलाने पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ : (क) और (ख) : भारती रेलों की कर्षण नीति माल और यानी यातायात की अधिकांश ढुलाई वाले मुख्य ट्रंक मांगों को समग्र आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर प्रगामी तौर पर डीजलीकृत / विद्युतीकरण करने की रही है। अतएव, भाप इंजनों को उनका उपयोगी समय पूरा कर लेने पर धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। इस नीति में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

भाड़े की दरों में अन्तर

360. श्री विजय एन० पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केलों की ढुलाई के लिये एक समान दूरी के लिये मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे की भाड़ों की दरों में अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति 1000 किलोमीटर की दूरी के लिये कितना अन्तर है ; और

(ग) भाड़े की दर में ऐसी असमानता को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :(क), (ख) और (ग) : माल भाड़ा दर सूची और कोचिंग दर सूची की दरों में कोई अन्तर नहीं है। लेकिन, यह अन्तर तब ही होता है जब कोई यातायात स्टेशन से स्टेशन तक की दरों के अन्तर्गत होता है, जिन्हें स्टेशनों की निर्धारित जोड़ियों के बीच एक मुश्त दरों के रूप में तथा विभिन्न तथ्यों का ध्यान रख कर उद्धृत किया जाता है। इन दरों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

गुजरात राज्य में रद्द की गई रेलगाड़ियां

361. श्री अमर सिंह बी० राठवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की कमी के कारण पिछले तीन महीनों के दौरान गुजरात राज्य से गुजरने वाली जो गाड़ियां रद्द की गई हैं उनके नाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार उनमें से कुछ गाड़ियां फिर से चलाने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात में जिन गाड़ियों को फिर से चलाने का प्रस्ताव है उनके नाम क्या हैं और वे कब से चलाई जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) : इंजन-कोयले की कमी के कारण दिसम्बर, 1979 में गुजरात राज्य में 21 जोड़ी गाड़ियां रद्द की गयी थीं। अब इन गाड़ियों को पुनः चालू कर दिया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

362. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुछ और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिया जायेगा और प्रत्येक अस्पताल किस-किस स्थान पर खोला जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० पी० पटनायक) : (क) और (ख) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 38 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का निर्माण करने का विचार है। इनकी सूची (विवरण संलग्न है ।

विवरण

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्माण किये जाने वाले प्रस्तावित अस्पतालों की सूची

क्रमांक	अस्पताल खोले जाने का स्थान
1.	हैदरावाद (आन्ध्र प्रदेश),
2.	विहार शरीफ (विहार),
3.	सिमलतल्ला (विहार).
4.	झिलमिल (दिल्ली),
5.	दक्षिणी दिल्ली (दिल्ली),
6.	टी० बी० अस्पताल (दिल्ली) (स्थान का निर्णय अभी किया जाना है)
7.	भावनगर (गुजरात),
8.	नदियां (गुजरात),
9.	पोरबन्दर (गुजरात),
10.	जामनगर (गुजरात),
11.	पेटलद (गुजरात),
12.	अहमदावाद (गुजरात),
13.	वल्लवगढ़ (हरियाणा),
14.	वहादुरगढ़ (हरियाणा)
15.	गुड़गांव (हरियाणा)
16.	भिवानी (हरियाणा),
17.	दवनगिरे (कर्नाटक),
18.	थोट्टडा (केरल),
19.	पालघाट (केरल),

20. फेरोके (केरल),
21. भोपाल (मध्य प्रदेश),
22. कोल्हापुर (महाराष्ट्र),
23. औरंगाबाद (महाराष्ट्र);
24. नासिक (महाराष्ट्र)
25. बीवेवाडी पूना (महाराष्ट्र),
26. चिंचवाड (महाराष्ट्र),
27. लुधियाना (पंजाब),
28. मण्डी गोविन्दगढ़ (पंजाब),
29. फगवाड़ा (पंजाब),
30. सलेम (तमिलनाडु),
31. बरेली (उत्तर प्रदेश),
32. अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश),
33. पिपरी (उत्तर प्रदेश),
34. हरिद्वार (उत्तर प्रदेश)
35. कानपुर (उत्तर प्रदेश)
36. श्याम नगर (पश्चिम बंगाल),
37. गार्डन रीच (पश्चिम बंगाल)
38. दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)

आंध्र प्रदेश में नई रेल लाइनें

363. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** :क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में चालू वर्ष के दौरान किन-किन लाईनों का निर्माण किया जायेगा ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्माण के लक्ष्य क्या थे ; और

(ग) क्या उक्त लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त कर लिये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) : 1979–80 में आंध्र प्रदेश में किसी नयी लाइन का निर्माण करने का प्रस्ताव नहीं है । आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित लाइनों पर कार्य हो रहा है और स्थिति नीचे दी गयी है :—

(i) बीवीनगर-नडिकुडे (ब० ला०)—प्रथम चरण में बीवीनगर-नालगोंडा (74 कि०मी०) भाग में निर्माण कार्य चल रहा है और 1980 के मध्य तक इसके पूरा हो जाने की सम्भावना है । नालगोंडा से नडिकुडे तक के शेष भाग का निर्माण-कार्य प्रथम चरण के पूरा हो जाने के बाद प्रारम्भ किया जायेगा ।

(ii) भद्राचलम-मांनूगुरु (व ला०) (52 कि० मी० कार्य प्रगति पर है और 1981 तक पूरा होने की सम्भावना हैं वशर्ते पर्याप्त धन उपलब्ध हो ।

"सीटू" को केन्द्रीय सलाहकार ठेका मजदूर बोर्ड में प्रतिनिधित्व देना

364. **श्री वीरेन्द्र घोष :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सलाहकार ठेका मजदूर बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हुए छः माह से भी अधिक समय हो चुका है ;

(ख) क्या सरकार को "सेन्टर आफ ट्रेड यूनियन" के प्रतिनिधि को उक्त बोर्ड में शामिल करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे. बी. पटनायक) : (क) यह सत्य नहीं है कि केन्द्रीय सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड का, एक निकाय के रूप में, कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तथापि यह सत्य है कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के अनुसार बोर्ड के 12 सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की सेवावधि के पश्चात् मई, 1979 में समाप्त हो गया था।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में हड़ताल

365. **श्री नीरेन घोष :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, उनकी शाखाओं तथा सहायक कम्पनियों के क्या नाम हैं जहां एक मास से अधिक समय से हड़तालें चल रही हैं ; और

(ख) तत्संबंधी विवादों को हल करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे. बी. पटनायक) : (क) और (ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । यह एकत्र की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

अखिल भारतीय भविष्य निधि कर्मचारी संघ का अभ्यावेदन

366. **श्री नीरेन घोष :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में अखिल भारतीय भविष्य निधि कर्मचारी संघ से हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे. बी. पटनायक) : (क) और (ख) अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ संघ, नई दिल्ली और अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ संघ, बंगलौर के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ संघ, नई दिल्ली ने केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि की उप-समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन करने और संगठन के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करने का अनुरोध किया है । अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ संघ, बंगलौर ने बोनस देने, कार्यभार में कमी करने, लेखा अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लाने पर प्रतिबन्ध लगाने और उत्पीड़न संबंधी कार्यवाहियों को वापिस लेने की मांग की है । दूसरी मांग यह है कि उप-समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की जाए और दीर्घ-कालिक समझौते के लिए संघ को आमंत्रित किया जाए । बोनस उप-समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । यह सूचित किया गया है कि अन्य मामले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की उप-समिति के विचाराधीन हैं ।

रेल मेडिकल अधिकारियों के संवर्ग का पुनरीक्षण

367. **श्री नारायण चौबे :**
श्री मधु दंडवते :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मेडिकल अधिकारियों के संगठन ने मांग की है कि शीघ्र ही उनके संवर्ग का पुनरीक्षण और उनकी सेवा का उन्नयन किया जाये;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे में हाल ही में किए गए संवर्ग पुनरीक्षणों में उन्हें शामिल नहीं किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उनकी मांगों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) चिकित्सा विभाग की संवर्ग-समीक्षा को उसकी विशेष समस्याओं की दृष्टि से अलग से आरम्भ किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

चितपुर शैडों से माल का न उठाया जाना

362. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल मंगाने वाले सौदागरों तथा व्यापारियों ने ईस्टर्न रेलवे के चितपुर शेडों से अपना माल, जिसमें चीनी, अनाज, दालें, चारा, सोडा-एश और अन्य वस्तुएं शामिल हैं, नहीं उठाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) माल मंगाने वाले सौदागरों तथा व्यापारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) न छुड़ाए गए माल का मूल्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) 12-2-1980 से परेषिति अपने सामान की सुपुर्दगी नहीं ले रहे हैं। निकासी एजेण्ट द्वारा निजी तौर पर नियुक्त किये गये श्रमिकों के दो वर्गों, जो परेषितियों की ओर से माल उठाते हैं, के बीच विवाद के कारण ऐसा हुआ है ।

(ग) भारतीय रेल अधिनियम के सम्बद्ध उपबन्धों के अधीन परेषितियों को नोटिस भेज दिये गये हैं जिनमें सामान की बिक्री की सूचनाएं भी शामिल हैं। यह मामला पश्चिम बंगाल सरकार के ध्यान में भी लाया गया है ।

(घ) सुपुर्दगी न लिये गये माल की अनुमानित लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है ।

रेलवे के पास पड़ी भुगतान न की गई मजूरी राशि

369. **श्री नारायण चौबे** : : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के पास गत तीन वर्षों से मास-वार और जोनवार भुगतान न की गई मजूरी, यात्रा भता और अन्य बकाया राशियों के कारण कुल कितनी राशि इकट्ठी हुई पड़ी है ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि भुगतान न की गई ये राशियां उन लोगों को अदा की जायें जिन्हें ये राशियां देय हैं ; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है कि जब बिल तैयार हों और लेखा विभाग द्वारा स्वीकृत किये जायें तब कर्मचारियों को ये बकाया राशियां मिल जायें ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) अप्रदत्त मजूरी के जमाखाते में बकाया अधिशेष निम्न प्रकार हैं :—

(i) 31-3-77 को 167.24 लाख रुपये
(ii) 31-3-78 को 159.80 " "
(iii) 31-3-79 को 212.88 " "

रेलवे-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । विभिन्न रेलों का महीने-वार ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसे एकत्रित किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) कर्मचारियों को अप्रदत्त मजूरी का भुगतान, जब उसका दावा किया जाता है, सुनिश्चित करने की वर्तमान प्रक्रियाएं पर्याप्त हैं। खजांची नियत तारीखों में भुगतान न की गई रकम को एक महीने की अवधि तक अपने पास रखते हैं, जिसके दौरान वे कर्मचारी, जो नियत तारीख तक अपना भुगतान प्राप्त नहीं कर सकते, खजांचियों से अपना भुगतान सीधे प्राप्त कर सकते हैं । इस अवधि के अन्त में अप्रदत्त राशि, अप्रदत्त मजूरी की सूची के साथ

वापिस कर दी जाती हैं, जिनकी प्रतियां, विल तैयार करने वाले अधिकारियों तथा अन्य को भेज दी जाती हैं। तीन महीने की अवधि तक, विल तैयार करने वाले यूनिटों द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने पर अप्रदत्त मजूरियों का खजांची भुगतान कर देते हैं। तीन महीने की इस अवधि के बाद भुगतान, विल वाले अधिकारी द्वारा नियमित अदायगी आदेश जारी करने पर, किया जाता है और लेखा अधिकारी द्वारा उसकी जांच की जाती है और उसे पास किया जाता है। अप्रदत्त रकम उचंत लेखे के अंतर्गत रोके रखी जाती है जिसकी विल बनाने वाले कार्यालयों तथा लेखा कार्यालयों द्वारा उचंत में रखी गयी रकम की निकासी के लिए अवधि समीक्षा की जाती है।

विवरण

भारतीय रेलों पर अप्रदत्त मजूरी का क्षेत्रवार अलग-अलग विवरण।

(लाख रुपयों में)

क्षेत्र	31–3–77 को समाप्त होने वाली अवधि	31–3–78 को समाप्त होने वाली अवधि	31–3–79 को समाप्त होने वाली अवधि
मध्य	29.76	27.58	35.90
पूर्व	26.68	33.90	32.49
उत्तर	30.87	28.22	35.39
पूर्वोत्तर	14.16	15.00	11.50
पूर्वोत्तर सीमा	9.39	7.30	22.64
दक्षिण	6.92	6.24	9.22
दक्षिण-मध्य	9.70	9.60	10.87
दक्षिण पूर्व	21.81	15.80	28.54
पश्चिम	16.44	14.87	22.03
चि० रे० इंजन कारखाना	0.93	0.54	1.49
डीज़ल	0.20	0.26	2.25
सवारी डिब्बा कारखाना	0.23	0.27	0.45
पहिया और धुरा संयंत्र	–	–	–
मेट्रो, कलकत्ता	0.08	0.10	0.08
म०प०प० । दिल्ली	0.06	–	–
म०प०प० । बम्बई	0.01	0.03	0.03
म०प०प० । मद्रास	–	–	–
कुल	167.24	159.80	212.88

टिप्पणी :—समस्त अप्रदत्त रकम "निक्षेप-अप्रदत्त मजूरी" शीर्ष के अन्तर्गत रखी जाती है और कोटिवार अलग-अलग ब्यौर जैसे यात्रा भत्ता और अन्य दकाये नहीं रखते हैं।

भारत नेपाल सीमा सड़क

370. **श्रीमती राज दुलारी सिन्हा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर बिहार में बाल्मीकी नगर को पूर्णिया से जोड़ने वाली भारत-नेपाल सीमा सड़क की व्यवहार्यता और महत्व की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) से (ग) संविधान की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार उन्हीं सड़कों के लिए उत्तरदायी है जो राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त अन्य सड़कें राज्य के कार्यकलापों के अन्तर्गत आती हैं । भारत नेपाल की सीमा की कोई भी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग की कोटि में नहीं आती है । बिहार और पश्चिमी बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश और असम के बीच बनाई गई पार्श्विक सड़क-बिहार में गोपालगंज-डुमरियाघाट-पिपराकोटि-मुजफ्फरपुर-बरौनी-पूर्णिया-अरया मार्ग के साथ-साथ जाती है । जहां तक बाल्मीकी नगर का सम्बन्ध है, यहां के लिए पहले ही पूर्णिया से बेतिया, सुगौली,मोतीहारी, मुजफ्फरपुर, बरौनी और खगरिया होते हुए एक सड़क बनी हुई है ।

अंकलेश्वर राजपीपला लाइन का ब्राडगेज लाइन में बदलदा

371. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अंकलेश्वर-राजपिपला छोटी लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सामान की ढुलाई हेतु मुख्यतः नर्मदा परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस खंड के आमान परिवर्तन के लिए गुजरात सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । राज्य सरकार को यह सूचित किया गया था कि राज्य सरकार को प्रभारित निक्षेप कार्य के रूप में इस लाइन का सर्वेक्षण हाथ में लिया जा सकता है ।

दिल्ली भूमिगत रेल लाइन

372. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भूमिगत रेल लाइन के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सर्वेक्षण किया जा चुका है ;

(ग) कार्य के कब तक प्रारम्भ किये जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) भूगत रेलवे सहित दिल्ली में व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली के लिए व्यावहारिकता अध्ययन किया गया है और 1975–76 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ।

(ग) योजना आयोग ने दिल्ली में भूगत रेलवे की स्वीकृति नहीं दी है । सस्ते विकल्प के लिए विचार किया जा रहा हैं ।

रेल-यात्रियों के सामान की चोरी और रेलवे द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान

373. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा बल में पद-वार कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और केन्द्रीय सरकार को उन पर कितना खर्च करना पड़ता है ;

(ख) क्या सुरक्षा बल की तैनाती के बावजूद रेल-यात्रियों के सामान की और माल गाड़ियों में माल की चोरी की घटनाएं दिन प्रति-दिन बढ़ती जा रही हैं और 1977 से 1980 तक की अवधि के दौरान चोरी के कितने मामलों को रेलवे को रिपोर्ट की गई है तथा कितने मामलों में रेलवे को क्षतिपूर्ति का कितना-कितना भुगतान करना पड़ा है ;

(ग) क्या यह सच है कि रेल मन्त्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को वेतन के रूप में भुगतान की गई धनराशि की तुलना में चोरी गए माल की क्षतिपूर्ति के रूप में अधिक राशि का भुगतान किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 31–12–1979 को रेलवे सुरक्षा बल में जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उनकी पद-वार संख्या इस प्रकार है :—

राजपत्रित				श्रेणी–III			
महा-निरीक्षक	उप महा-निरीक्षक गु सु० अ०	उप मु० स० अ०	सु अ स	सु०अ०	निरीक्षक सु व	उप-निरीक्षक	सहा-उप निरीक्षक
1	11	8	49	147	746	1931	3492

श्रेणी–IV		
प्रधान रक्षक	वरिष्ठ रक्षक	रक्षक
5029	5339	43957

केन्द्रीय सरकार ने 1978–79 में इन कर्मचारियों पर 29,43,31,250 रुपये खर्च किये :

(ख) जी नहीं। कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय होने के कारण, यात्रियों के सामान की रक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकारी रेलवे पुलिस की है, जो राज्य सरकारों के अधीन काम करती है। रेलवे सुरक्षा बल रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए होता है। 1977 से 1980 तक की अवधि के दौरान, यात्रियों के सामान की चोरियों की संख्या नीचे दी गयी है :—

1977	—	5827
1978	—	7145
1979	—	6617
1980(जनवरी)		561

यात्रियों के बिना बुक किये गये सामान की चोरी के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता।

जहां तक बुक किये गये परेषणों की चोरी और उनके लिए दिये गये मआवजे का सम्बन्ध है, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

अवधि	गुम/चोरी हो जाना		उठाईगीरि		जोड़	
	संख्या	रकम (लाख रु० में)	संख्या	रकम (लाख रु० में)	संख्या	रकम (लाख रु० में)
1977–78	48,083	452.95	82,926	546.94	1,31,009	999.89
1978–79	53,446	371.06	78,459	432.27	1,31,905	803.33
1979–80	22,628	139.15	28,446	151.48	51,074	290.63

बुक किये गये परेषणों की चोरी और उठाईगिरी के कारण अदा किये गये मुआवजे के दावों में 1978–79 में कमी हुई। 1979–80 (अप्रैल से अगस्त) में भी कमी का रुख बना रहा। उपर्युक्त आंकडों से यह स्पष्ट होगा कि गुम/चोरी और उठाईगिरी के सम्बन्ध में, 1977–78 अर 1978–79 के दौरान निपटाये गये दावों की संख्या लगभग 1.3 लाख मामले प्रति वर्ष थी : अत: इनमें से प्रत्येक मामले में अदा किये गये मुआवजे की रकम बता पाना कठिन है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी और कलकत्ता के बीच गंगा में स्टीमर/जलमार्ग सेवा का शुरू करना

374. श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वाराणसी और कलकत्ता के बीच गंगा नदी में मालवाहक जहाज और यात्री स्टीमर/जलमार्ग सेवा के शुरू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू किए जाने की आशा हैं ; और

(ग) उस पर कितनी धनराशि के खर्च होने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) फरक्का में नेवीगेशनल लाक गेट का निर्माण पूरा होने पर ही वाराणसी और कलकत्ता के बीच जलपरिवहन सेवा शुरू की जा सकती है । इस समय भारत सरकार के पास वाराणसी और कलकत्ता के बीच गंगा नदी में कार्गो और पैसेजर स्टीमर/जलमार्ग सेवा शुरू करने की कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चलती गाड़ियों में डकैतियां, चोरियां, छेड़-छाड़ और बलात्कार

375. श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 जनवरी से 25 फरवरी, 1980 की अवधि के दौरान गाड़ियों में डकैतियों, चोरियों, छेड़छाड़ और बलात्कार की कितनी घटनाएं हुई ;

(ख) इन घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये और घायल हुए तथा कितने मूल्य की नकद राशि लूटी गई ; और

(ग) ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिये सरकार का क्या प्रभावी कार्यवाही करने का सिचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) राज्य पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 10 जनवरी से 25 फरवरी, 1980 तक की अवधि के दौरान गाड़ियों में डकैतियों और लूट-पाट की 48 व चोरियों की 579 घटनाएं हुईं और छेडछाड का एक मामला हुआ तथा बलात्कार का कोई मामला नहीं हुआ ।

(ख) इन घटनाओं में कोई यात्री नहीं मारा गया। 28 व्यक्ति घायल हुए और चुरायी गयी सम्पत्ति का कुल मूल्य 9,75,381 रुपये है ।

(ग) कानून और व्यवस्था संविधान के अनुसार राज्य सरकारों का विषय होने के कारण यात्रियों की संरक्षा और उनके सामान की रक्षा सुनिश्चित करना राजकीय रेलवे पुलिस का काम है, जो राज्य सरकारों के अधीन काम करती हैं । रेलें सभी स्तरों पर

राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखती हैं और जब भी आवश्यक होता है, अपेक्षित सहायता प्रदान करती हैं । रेलवे सुरक्षा बल रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए है । बहरहाल, अपराधियों को डराने और यात्रियों के बीच विश्वास की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से, क अन्य उपाय के रूप में, रेलवे सुरक्षा बल के लगभग दो हजार कर्मचारियों को सवारी गाड़ियों की मार्ग में रक्षा करने के लिए तैनात किया गया है । कुल मिलाकर, 353 गाड़ियों में केवल रेलवे सुरक्षा बल के मार्गरक्षी 314 गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के मिले-जुले मार्ग-रक्षी और 519 गाड़ियों में केवल राजकीय रेलवे पुलिस के मार्ग-रक्षी रहते हैं । 22.00 बजे से 06.00 तक गाड़ियों के गलियारों में ताला लगा दिया जाता है । चल टिकट परीक्षकों/परिचरों/कलेक्टरों को अनुदेश दिये गये हैं कि अनधिकृत व्यक्तियों के डिब्बों में प्रवेश को रोकने के लिए वे सावधान रहें ।

बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता

376. श्री चन्द्रपाल शैलानी :
श्री चित्त महाटा :
श्री अमर राय प्रधान :
श्री जय नारायण :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1979 तक देश में बरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए सरकार का क्या कारगर कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) क्या बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) 31-12-1979 की स्थिति के अनुसार देश में 14.33 मिलियन रोजगार चाहने वाले (जिनमें सभी बेरोजगार नहीं हैं) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत थे ।

(ख) एस० एफ० डी० ए०, डी० पी० ए० पी०, आई० आर० डी० कार्यक्रमों; स्व-रोजगार वर्धन और उद्यमकारिता विकास कार्यक्रमों, जिनमें जिला उद्योग केन्द्र योजना, काम के लिए अनाज कार्यक्रम, आप्रेशन फल्ड II कार्यक्रम, ग्रामीण युवकों के लिए प्रक्षिण कार्यक्रम आदि की तरह के अनेक रोजगार/लाभानुमुख कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों से आरम्भ किए गए हैं, रोजगार अवसर सृजित कर रहे हैं और सृजित करना जारी रखेंगे । 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम जिसने गरीबों, भूमिहीनों, दस्तकारों, हथकर्घा बुनकरों, अनसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य सामाजिक रूपसे पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाया है, को पुनः लागू

तथा कार्यान्वित किया जाएगा । कृषि और ग्रामीण विकास, जिसमें लघु और वीमांतरीय किसानों तथा कृषि श्रमिकों की सहायता पर विशेष जोर दिया जाएगा, को सरकार की नीति में उच्चतम पूर्वता प्रदान की जाएगी । वर्तमान औद्योगिक क्षमता का बेहतर उपयोग, निर्यात के कृषिक विस्तार, ऊर्जा "इन्फ्रास्ट्रक्चर" विकास आदि के संबंध में व्यापक राष्ट्रीय नीति ऐसे मामले हैं जिन पर सरकार ध्यान देगी । इन सब कार्यवाहियों से पर्याप्त रोजगार अवसरों के सृजित होने की सम्भावना है :

(ग) जी नहीं ।

खण्डवा और दौहद के बीच रेल लाइन

377. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में पश्चिम/मध्य रेलवे पर खण्डवा और दौहद के बीच रेलवे लाइन आरम्भ करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और रेल लाइन बिछाने आदि का कार्य तब तक आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं । खण्डवा पहले ही दौहद के साथ सम्बद्ध है जिसमें रतलाम में आमान परिवर्तन की व्यवस्था है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नये ब्रिटिश नियमों का भारतीयों पर प्रभाव

378. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री शिव कुमार सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "न्यू एण्ट्री रुल्स इन यू० के०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नियमों का ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ; और

(ग) सरकार का विचार वहां रहने वाले भारतीयों के लाभार्थ ब्रिटिश सरकार द्वारा नियमों में परिवर्तन कराने के लिए जो कदम उठाने का है उनका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क), जी हां ।

(ख) और (ग) नये नियमों में यूनाइटेड किंगडम में जन्मी ब्रिटिश महिलाओं अथवा ऐसी महिलाएं जिनके माता-पिता में से किसी एक का जन्म मुनाइटेड किंगडम में

हुआ हो तथा विदेश में जन्मी ऐसी ब्रिटिश महिलाएं जिनके माता-पिता भी विदेश में पैदा हुए हैं; अन्तर रखा गया है । दूसरे वर्ग में आने वाली महिलाएं अर्थात विदेश में जन्मी ऐसी महिलाएं जिनके माता-पिता का जन्म भी विदेश में हुआ है, यदि अपने पति अथवा मंगेतर को यूनाइटेड किंगडम में बुलाने के लिए उनके प्रवेश की अनुमति चाहती हों, तो वे ऐसी अनुमति की हकदार नहीं होंगी । इससे ब्रिटेन में अप्रवासी अहिलाओं द्वारा अपने जीवन साथी के चयन किए जाने पर प्रतिबंध लग जाएगा । इन नियमों से दादा, दादी तथा 18 वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चों जैसे कुछ निश्चित श्रेणी के आश्रितों के ब्रिटेन में प्रवेश पर भी प्रतिवन्ध लग गया है ।

हमने विभिन्न स्तरों पर ब्रिटेन के प्राधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि इन नये नियमों में किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तनों में भेदभाव का जो तत्व मौजूद है उसका प्रभाव ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के कुछ लोगों पर पड़ेगा । लन्दन स्थित हमारे कार्यकारी हाई कमिश्नर ने इस सम्बन्ध में नवम्बर, 1979 में ब्रिटेन के गृह मंत्री को एक स्मरण-पत्र भी प्रस्तुत किया था । यद्यपि हम यह स्वीकार करते हैं कि आप्रवास नियम पूर्णत: ब्रिटेन की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, फिर भी हम ब्रिटेन में भारतीयों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ब्रिटेन के प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाते रहेंगे ।

भुसावल-इटारसी डिवीजन का विद्युतीकरण

379. **श्री शिव कुमार सिंह :** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य रेलवे के भुसावल-इटारसी डिवीजन का विद्युतीकरण करने के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस डिवीजन का अब तक विद्युतीकरण न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस डिवीजन में विद्युत-चालित रेलगाड़ियां कब से चलाई जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) भुसावल-इटारसी खण्ड को विद्युतीकृत करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, मध्य रेलवे के मार्ग से होकर दिल्ली-बम्बई ट्रंक मार्ग सहित कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास को जोड़ने वाले ट्रंक मार्गों को विद्युतीकृत करने की योजना बनाई गयी है । बम्बई छोर बम्बई वी० टी० से भुसावल तक पहले ही विद्युतीकृत किया जा चुका है और दिल्ली छोर से दिल्ली-मथुरा-झांसी खण्ड के विद्युतीकरण की स्वीकृति दी जा चुकी है और प्रारम्भिक विद्युतीकरण का काम चल रहा है ।

जहां तक झांसी और भुसावल के बीच के शेष खण्ड (जिसमें भुसावल-इटारसी खण्ड शामिल हैं) का सम्बन्ध है, इन की उपलब्धता तथा अन्ततोगत्वा विद्युतीकृत किये जाने

के लिये अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों सहित पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर इसके विद्युतीकरण के बारे में विचार किया जायेगा ।

निम्बोल्मा के निकट उपरि पुल

380. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे की भुसावल-इटारसी रेल लाइन पर निम्बोल्मा गांव के निकट एक उपरिपुल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और काम कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार । स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किये जाने होते हैं, जिन्हें नियमों के अनुसार पुल की लागत के उनके हिस्से की राशि वहन करने का भी वचन देना होता है । मध्य रेलवे के भुसावल-इटारसी लाइन पर निनोल्मा गांव के निकट ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

सुदर्शन पार्क से रेलवे स्टेशन और अन्तर्राज्यीय बस अड्डे तक बस सेवा

381. **श्री पीयूष तिरकी :** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुदर्शन पार्क (मोती नगर) और दिल्ली में किसी भी रेलवे स्टेशन और अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के बीच कोई बस सेवा नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और इस क्षेत्र से बस सेवा कब तक आरम्भ हो जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क), (ख) और (ग) : सुदर्शन पार्क नजफगढ़ रोड़ और रिंग रोड के बीच मोती नगर के पश्चिम में बसा हुआ है । अपनी हर संभव कोशिश के बावजूद, दिल्ली परिवहन निगम इस कालोनी में अपनी बस सेवाएं चालू करने में असमर्थ है क्योंकि कालोनी की तंग सड़कों पर भारी गाड़ियां चलाना संभव नहीं है ।

इसके अलावा मोती नगर और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और अंतर्राज्यीय बस अड्डे के बीच बहुत बसें आती-जाती हैं । इसका सबूत यह है कि इस समय मोती नगर और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच निगम की बसो के 10 रुट मोती नगर और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच 8 रुट और मोती नगर और अंतर्राज्यीय बस अड्डे के बीच 19 रुट चल रहे हैं। सुदर्शन पार्क के निवासियों की सुविधा के लिए मोती नगर, न्यू मोती नगर, रमेश नगर और कीर्ति नगर पर जो सुदर्शन पार्क से थोड़ी ही दूर पड़ते हैं, बस स्टापों की व्यवस्था की गई है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय, नानकपुरा (नई दिल्ली) में रात्रि सेवाएं

382. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय, नानकपुरा, नई दिल्ली से सम्बद्ध 20,000 के० स० स्वा० सेवा के लाभग्राही व्यक्तियों को क्रियाशील औषधालय (रात्रि सेवाएं) सुविधा उपलब्ध नहीं की जा रही हैं जबकि इस प्रकार की सुविधाएं निकटवर्ती दूसरे के० स० स्वा० सेवा औषधालयों में, जहां कि लाभग्राहियों की संख्या काफी कम है, उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;]

(ग) क्या सरकार नानकपुरा के के० स० स्वा० सेवा औषधालय में रात्रि सेवाओं को प्रारम्भ करने के लिए उस कालोनी के स्थानीय कल्याण संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो रात्रि सेवायें प्रारम्भ करने में कितना समय लग जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी नहीं, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, नानकपुरा से सम्बद्ध लाभार्थियों को रात के समय और सामान्य कार्य के समय के बाद इमर्जेन्सी सेवाएं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, मोती बाग-i में प्रदान की जाती है जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय नानकपुरा से लगभग 1½ कि० मी० की दूरी पर स्थित है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) इन अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है लेकिन इसे क्रियाकारी (फंक्शनिंग) यूनिट में बदलने का कोई विचार नहीं है क्योंकि ये सुविधाएं निकटवर्ती औषधालय में उपलब्ध हैं ।

बागान श्रमिक (संशोधन) विधेयक, 1973

383. **श्री आनन्द पाठक :** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागान मजदूरों की दशा सुधारने के लिये संघ श्रम मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का सुझाव है ; और

(ख) 1973 में राज्य सभा में पेश किये गये बागान श्रमिक (संशोधन) विधेयक की स्थिति क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) बागान श्रमिकों की दशा सुधारने और उनकी रक्षा करने के लिए बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 में आवश्यक उपबन्ध हैं ।

(ख) बागान श्रमिक (संशोधन) विधेयक, 1973 सम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

रेलवे में सुधार

384. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :**
श्री फारुक अब्दुल्ला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल गाड़ियों के समय पर चलने , रेल पटरियों और रेलवे स्टेशनों की सफाई के संदर्भ में रेलवे के का करण में सुधार करने के प्रयोजन से क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ; और

(ख) रेलवे मे वर्यों के आरक्षण के मामले में भ्रष्ट तथा समाज विरोधी तत्वों को समाप्त करने के लिये क्या कड़े उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) न केवल फील्ड स्तर पर अपितु क्षेत्रीय मुख्यालय के स्तर पर भी रेलों को समय पर गाड़ियां चलाना और महत्वपूर्ण मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों पर दिन प्रतिदिन नियंत्रण रखने की ओर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। गाड़ियों की परिहार्य रकौनी पर तुरन्त कार्र ाई की जाती है और उनके चालान में सुधार लाने के लिए उपाचारत्मक / दण्डात्मक कारवाई की जाती है। रेलों को यह भी अनुदेश दिये गये हैं कि इस मामले में कर्मचारियों की ढिलाई कर कड़ाई और शीघ्रता से कार्र वाई की जाये । खतरे की जंजीर खीचने, होज पाइप को अलग कर देने की घटनाओं और अन्य शरारतपूर्ण गतिविधियों की रोकथाम के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क भी बनाये रखा जाता है।

स्टेशन परिसरों में और रेलवे प्लेटफार्मों पर सफाई का समुचित स्तर सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है । इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षी कर्मचारियों को स्थायी रुप से हिदायते दे रखी है कि वे अक्सर जांच करते रहें और यदि कोई चूक हो जाये तो तुरन्त कार्रवाई करें। रेलवे स्टेशनों की समुचित सफाई सुनिश्चित करने के लिए 5–2–1980 से एक विशेष अभियान चलाया गया है।

(ख) आरक्षण के मामले में कदाचार में अर्न्तग्रस्त समाज विरोधी तत्वों का पता लगाने के लिए धोखाधड़ी विरोधी दस्तों सतर्कता संगठनों, राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से जांच का काम तेज किया गया है। समाज विरोधी तत्वों की भ्रष्ट और अनियमित गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखने तथा कड़ी कार्रवाई करने और उनको गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए रेलों को सावधान कर दिया गया है। आरक्षित टिकटों की खरीद और उनके हस्तान्तरण को संज्ञेय अपराध मानने के लिए भारतीय रेल अधिनियम में समुचित संशोधन करने का प्रस्ताव है।

आरक्षण के मामले में यात्रियों को बेहतर और अधिक संतोषजनक सेवा प्रदान करने के लिए हाल ही में कुछ उपाय किये गये हैं। इनमें से कुछ उपाय ये हैं :—

(i) महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर अतरिक्त आरक्षण काउंटर खोले गये हैं।

(ii) टिकटघरों की भीड़ को कम करने के लिए अलग से किराया वापसी काउंटर खोले गये हैं।

(iii) आरक्षण रद्द कराने से सामान्यतः जो जगहें खाली होती हैं उन्हें देखते हुए अब शायिकाओं के सामान्य कोटे से अधिक के लिए पक्के आरक्षण किये जा रहे हैं।

(iV) अब यात्रियों से ब्यौरेवार मांग-पत्र भरवाये बिना ही दिन की गाड़ियों में सीटों का आरक्षण किया जा रहा है।

रेल सम्पत्ति को हुई क्षति

385. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष वार प्रत्येक राज्य में उत्तेजित भीड़ द्वारा किये गये हमलों में वैगनों आदि सहित रेल सम्पत्ति को कितनी क्षति हुई ; और

(ख) रेल सम्पत्ति को इतनी बड़ी हानि से बचाने के लिये क्या सुरक्षा उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार,।

(ख) संविधान के अन्तर्गत कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, जन समूह के आक्रमण के दौरान रेल परिसरों में उसे बनाए रखना राज्य सरकार / राज्य पुलिस प्राधिकारियों के अन्तर्गत सरकारी रेलवे पुलिस का उत्तरदायित्व है।

रेलें अपनी ओर से राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर निकट सम्पर्क बनाए रखती है और जब भी अपेक्षित हो उन्हें सहायता प्रदान करती हैं। कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को आशंका के मामले में राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा रेल सम्पत्ति की पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय स्तर पर तुरन्त सम्पर्क स्थापित किया जाता है। रेलों की परिसम्पतियों जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल/ रेलवे सुरक्षा विशेष बल के कर्मचारी भी तैनात किए जाते हैं।

विवरण

(रकम रु० में)

राज्य का नाम	1977	1978	1979
आंध्र प्रदेश	—	5,08,552	38,637
बिहार	—	2,30,440	13,565
दिल्ली	—	—	70,500
गुजरात	100	755	600
हरियाणा	—	150	200
कर्नाटक	400	82,714	—
केरल	—	10,175	—
महाराष्ट्र	—	28,34,070	53,660
मध्य प्रदेश	—	101	47,205
पांडिचेरी	—	—	14,165
पंजाब	—	—	21,000
राजस्थान	300	10	13,46,477
तमिलनाडु	42,15,260	1,10,592	—
उत्तर प्रदेश	3,000	2,64,865	4,68,727
पश्चिम बंगाल	—	2,900	—
जोड़	42,19,060	40,45,324	* 20,74,736

*1979 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

असंगठित कृषि श्रमिक

386. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असंगठित कृषि श्रमिकों की दशा सुधारने और उनके लिए एक संगठन की स्थापना करने के लिए क्या कार्रवाही की जा रही है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बेरोजगारी है और कृषि श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर मजूरी नहीं दी जाती है ; इस बात को सुनिश्चित कराने के लिए क्या कार्य वाही की गई है कि श्रमिकों को झूठे गढ़े गए आधारों पर न हटाया जाए और उन्हे सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मजूरी दी जाए ; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) कृषि श्रमिकों की समस्याएं कुछ समय से सरकार के विचाराधीन हैं और विभिन्न रिपोर्टों और जाचों में बेरोजगारी, अपूर्ण रोजगार, कम मजदूरी, सुविधाओं की कमी, अपर्याप्त आवास संगठनों की कमी, जैसी समस्याओं का उल्लेख किया गया है जिनके कारण उनके रहन-सहन का स्तर निम्न हो जाता है । सितम्बर, 1978 में सरकार ने ग्रामीण असंगठित श्रमिक संबंधी केन्द्रीय स्थायी समिति गठित की, जो ग्रामीण असंगठित श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में सुधार करने तथा उनके संगठनों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रशासनिक एवं कानूनी उपायों के बारे में सरकार को सलाह देगी । स्थायी समिति के मुख्य विचारार्थ विषयों में से एक विषय रोजगार सृजन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार को दूर करने के उपायों के बारे में सलाह देना है ।

स्थायी समिति ने तीन उप–समितियां गठित की हैं जो

(1) कृषि श्रमिकों की मजदूरी और रोजगार की शर्तों को विनियमित करने के लिए केन्द्रीय विधेयक का ढांचा तैयार करेगी और विवादों और दावों के निपटान के लिए तंत्र की व्यवस्था करेगी ;

(2) बंधित श्रमिकों का पता लगाने और उन्हें मुक्त कराने की प्रक्रिया और पद्धति की पुनरीक्षा करेगी और उन्हें अधिक कारगर बनाने के लिए किए जाने वाले सुधारों की सिफारिश करेगी ;

(3) ग्रामीण श्रमिकों के संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक तथा कानूनी उपायों के संबध में रिपोर्ट देगी और ग्रामीण श्रमिकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा की ओर उचित ध्यान देगी ।

उपयुंक्त (1) और (2) में निर्दिष्ट उप-समितियों ने अपनी रिपोर्टों को अंतिम रुप दे दिया है और मद (3) पर निर्दिष्ट उप समिति की रिपोर्ट को शीघ्र अंतिम रूप देने की आशा है। सभी उप-समितियों की रिपोर्टों को ग्रामीण असंगठित श्रमिक संबंधी केन्द्रीय स्थायी समिति की शीघ्र ही आयोजित की जाने वाली बैठक के समक्ष रखा जाएगा । तत्पश्चात् स्थायी समिति सरकार को और आगे कार्यवाही करने के संबंध में सिफारिश करेगी ।

ड्राफ्ट पंचवर्षीय योजना 1978—83 में अधिकांश साधनों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर मोड़ने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने छोटे किसानों के लिए विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा उन्मुख एरिया कार्यक्रम और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम जैसी अनेक विशेष योजनाएं शुरु की हैं ताकि कृषि श्रमिकों के रोजगार स्तर में वृद्धि हो सके । इन योजनाओं का उद्देश्य कार्यक्रम क्षेत्रों का विकास और उन क्षेत्रों में सभी उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करना है और इस प्रकार कमजोर वर्गों को डेरी उद्योग, मर्गी पालन उद्योग, भेड़ पालन और ऊन उत्पादन,

सूअर पालन आदि जैसे उत्पादक कार्य कलापों द्वारा सहायता पहुंचाना है। लाभानुभोगियों की ऋण, आर्थिक साहयता तथा तकनीकी परामर्श द्वारा मदद की जाती है। सरकार ने सिंचाई विकास को भी उच्च प्रथमिकता दी है ताकि कुल खाद्य उत्पादन और कृषि में अधिक श्रमिकों को खपाने कीक्षमता--दोनों में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त वर्तमान श्रम कानूनों, ग्रामीण श्रमिक कैम्पों द्वारा ग्रामीण श्रमिकों को शिक्षा, बंधित श्रमिकों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम आदि कुछ ऐसे अन्य उपाय हैं जो असंगठित कृषि श्रमिकों की दशाओं में सुधार करने के लिए उठाए जा रहे हैं।

भारत में जनसंख्या नियंत्रण साधन के रूप में कानून के बारे में गोष्ठी

387. **श्रीमती मोहसिना किदवई :**
श्री तारिक अनवर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भारत में जनसंख्या नियंत्रण के साधन के रूप में कानून" के बारे में नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित गोष्ठी में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अनेक सुझाव दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, "भारत में जनसंख्या नियंत्रण के साधन के रूप में कानून" पर 9–11 फरवरी, 1980 तक नई दिल्ली में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ था और कुछ सुझाव दिए गए थे ।

(ख) गोष्ठी में दिए गए सुझावों की मुख्य-मुख्य बातें 11–2–80 के प्रेस रिलीज में दी गई है जिसे परियोजना के निदेशक ने गोष्ठी के अन्त में जारी किया था। इसकी एक प्रति संलग्न है।

(ग) सरकार को गोष्ठी के आयोजकों से पूरी रिपोर्ट नहीं मिली है। यद्यपि सभी फायदेमंद सुझावों पर उचित ध्यान दिया जायेगा तथापि सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि परिवार नियोजन को लोगों में केवल शिक्षा और प्रेरणा द्वारा ही बढ़ाया जाये। इस बारे में सेवाओं की जो भी मांग होगी उसे वितरण पद्धति के समुचित विस्तार से पूरा किया जायेगा।

विवरण

प्रेस विज्ञप्ति

भारत में कानून और जनसंख्या अध्ययन पद संयुक्त राष्ट्र परियोजना

भारत में जनसंख्या नियंत्रण के साधन के रूप में कानून के बारे में राष्ट्रीय गोष्ठी

भारत में कानून और जनसंख्या अध्ययन संबंधी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तत्वाधान में हुई भारत में जनसंख्या नियंत्रण के साधन के रूप में कानून के बारे में तीन दिन की गोष्ठी 11 फरवरी, 1980 को समाप्त हो गयी। यह एक बहु विषयक गोष्ठी थी जिसमें पूरे देश में स्थित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के कानूनी शिक्षकों के अलावा प्रतिष्ठित डेमोग्राफरों, समाजशास्त्रियों, चिकित्सको, प्रशासकों और जाने

माने सांसदों ने भाग लिया । न्यायमूर्ति श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर और न्यायामूर्ति आर० एस० पटनायक और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने इन तीनों कार्यसत्रों की अध्यक्षता की । चौथे कार्यसत्र की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक डा० आर० के० सान्याल ने की। इस गोष्ठी का उद्घाटन अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के उपाध्यक्ष डा० नगेन्द्र सिंह ने 9 फरवरी, 1980 को दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में किया और इसकी अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो० यू० एन० सिंह ने की। समापन सत्र की अध्यक्षता विधि के प्राफेसर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैम्पस के निर्देशक प्रो० के० बी० रोहतगी ने की । गोष्ठी निदेशक दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के डा० पी० एस० संगल थे जो कि संयुक्त राष्ट्र परियोजना के निदेशक भी हैं। जनसंख्या नियंत्रण के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर गोष्ठी में विधि के माध्यम से विस्तृत रूप से विचार किया गया। सारांश में जिन विषयों पर विचार विमर्श किया गया वे हैं प्रजनन विनियम, परिवार कानून, बाल और शिशु कल्याण, दण्डय अपराध तथा दण्डविज्ञान, जन कल्याण, जन स्वास्थ्य शिक्षा सम्पत्ति तथा आर्थिक तथ्य ।

इस गोष्ठी में भाग लेने वालों ने बीस पेपर प्रस्तुत किये ।

निम्नलिखित मुद्दों पर मतैक्य अथवा नजदीक मतैक्य था :—

1. जनसंख्या नियंत्रण के प्रयोजन के लिये कानून को वर्धमान उपाय के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिये। अन्य बातों के साथ साथ यह आवश्यक है कि विभिन्न सरकारी एजेन्सियों द्वारा जनसंख्या योजनाओं को लागू करने में मनमानी न हो। जनसंख्या नियंत्रण के मामले में स्वैच्छिक कार्रवाई के लिये कानून का प्रेरक के रूप में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिये।
2. भारत के संविधान में जनसंख्या नियंत्रण का अधिक सुस्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। इस सम्बन्ध में जिन विभिन्न सुझावों पर बहस हुई वे इस प्रकार है:—
   (क) संविधान के भाग चार में जनसंख्या नियंत्रण को एक निर्देशक सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत करना।
   (ख) भारत के संविधान में परिवार नियोजन को मूल कर्तव्यों के अध्याय में प्रस्तुत करना ।
   (ग) संविधान में इसे महिलाओं के मूल अधिकार के रूप में प्रस्तुत करना। इस सिफारिश का सारांश यह है कि प्रत्येक परिवार के घर के नजदीक परिवार नियोजन के लिये आवश्यक उपायों की व्यवस्था करने हेतु सरकारी तंत्र पर जोर डाला जाना चाहिये ।
3. विवाह को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिये।
4. जन्म और मरण का अनिवार्य पंजीकरण करने के बारे में कानून को, विशेषकर गांव में उचित ढंग से लागू किया जाना चाहिये।
5. जहां तक संभव हो राज्य को सामाजिक सुरक्षा के बारे में उपाय करने चाहिये ताकि माता-पिता यह न समझें कि अधिक बच्चे ही सामाजिक सुरक्षा है।

6. जिस दत्तक ग्रहण विधेयक को जिसे पहले अधिनियमित किया जाना था, शिथिल किया जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर अधिनियमित किया जाना चाहिये ।

7. यह महसूस किया गया कि महिलाओं का स्तर तथा प्रजननता के बीच अति महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। इसलिये महिलाओं का स्तर न केवल कानून की नजर में बढ़ाया जाना चाहिए बल्कि उसे वास्तविक रूप भी दिया जाना चाहिए।

8. शिक्षा के सभी स्तरों पर जनसंख्या शिक्षा को शुरू करने पर बहुत जोर दिया जाना चाहिए ।

9. चिकित्सा से गर्भ समापन की सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

10. भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि अधिक बच्चों पर यह सीमा बढ़ न जाये और इस प्रकार यह बड़े परिवार के लिए पुरस्कार बन जायें।

11. छोटे परिवार के सिद्धान्त को बढ़ावा देने के लिए कर लगाने के कानूनों का भी उचित उपयोग किया जाना चाहिए।

12. परिवार नियोजन की अत्याधिक आवश्यकता तथा इस संबंध में कानून क्या भूमिका निभा सकता है इस बारे में विधायकों और प्रशासकों को शिक्षित किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को उसकी/उसके/पत्नी/पति की नसबन्दी के बाद अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना

388. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार कर्मचारी अथवा उसकी /उसके/पत्नी/पति,जिसकी 4दिसम्बर, 1979 से पूर्व अथवा "जनता शासन" के दौरान नसबंदी हुई थी, अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि की सुविधाए देने का है जिनकी 4दिसम्बर, 1979 से पूर्व अथवा जनता शासन के दौरान नसंबन्दी हुई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां, क्योंकि विशेष वेतन वृद्धि के और ये आदेश 4–12–1979 को जारी किये गये थे और यह आदेश इस तारीख से अथवा इस के बाद की तारीख से लागू हैं।

(ख) और (ग) वित्तीय सम्बन्धी आदेशों को भावी तारीख से लागू करने की भारत सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप उपर्युक्त आदेशों को जारी करने की तारीख से लागू किया गया है। चूंकि उनके मामले में कोई छूट नहीं दी जा सकती और कोई ऐसी पिछली तारीख जो सभी को स्वीकार्य हो, निर्धारित करना कठिन है, इसलिये उन कर्मचारियों को, जो इन आदेशों के जारी होने से पहले नसबंदी आपरेशन करा चुके हैं, रियायत देना सम्भव नहीं है। इससे अन्य रियायतों / प्रोत्साहन के बारे में भी समस्यायें पैदा हो जाएंगी ।

झेलम एक्सप्रेस का देर से चलना

389. **श्री उत्तमराव पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुणे से जम्मू तवी के बीच चलने वाली झेलम एक्सप्रेस सदैव लेट रहती है।

(ख) यदि हां, तो अप्रैल 1979 से दिसम्बर, 1979 तक और जनवरी तथा फरवरी 1980 के दौरान लेट चलने का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस गाड़ी के बारे में समय की पावन्दी न रखने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का उन रलवे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है, जो इस गाड़ी को लेट चलने के लिए जिम्मेदार हैं, यदि नहीं तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं।

(ङ) क्या यह भी सच है कि पुणे और जम्मू के बीच झेलम एक्सप्रैस के मार्ग पर खान-पान, पीने के पानी और अन्य मूल सुविधाओं का उचित प्रबन्ध नहीं है और यात्रियों को इस मार्ग पर अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) पुणे से जम्मू तवी के बीच चलने वाली 177 डाउन झेलम एक्सप्रैस अप्रैल से सितम्बर 1979 तक की अवधि में 183 दिनों में से 165 दिन देर से चली। परन्तु अक्तूबर–दिसम्बर, 1979 तक की अवधि के दौरान यह 92 दिनों में से 50 दिन और जनवरी तथा फरवरी 1980 में 60 दिनों में से केवल 16 दिन देर से चली।

(ग) अप्रैल से सितम्बर, 1979 तक की अवधि के दौरान इस गाड़ी के समय पालन पर मुख्य रूप से इसे बहुत कम समय दिये जाने के कारण प्रभाव पड़ा। इस गाड़ी के चालन सम्बन्धी अनुभव प्राप्त होने के बाद 1–10–79 से वास्तविक आधार पर इस गाड़ी का चालान समय पुनः निर्धारित किया गया। जनवरी और फरवरी, 1980 के दौरान समय पालन में और सुधार हुआ है।

(ङ) और (च) जिन स्टेशनों पर झेलम एक्सप्रैस ठहरती है वहां पर पीने के पानी की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। गर्मी के महीनों में दूसरे दर्जे के शयनयान और पहले दर्जे के डिब्बों में भी पीने के पानी की सुविधा की व्यवस्था की गई है। झेलम एक्सप्रैस के उपयुक्त समय पर रुकने की व्यवस्था उन स्टेशनों पर की गई है जहां भोजन, नाश्ता तथा चाय के लिए पर्याप्त खान-पान व्यवस्था है ।

परादीप में शुष्क-पत्तन

390. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परादीप पत्तन न्यास ने परादीप में शुष्क पत्तन के निर्माण के लिए अपनी सिफारिशें संघ सरकार को जून, 1979 में भेज दी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) परादीप पत्तन पर एक कमर्शियल ड्राई डॉक का निर्माण कराने के बारे में एक सुझाव प्राप्त हुआ है।

(ख) देश में जहाजों के मरम्मत की सुविधाओं की आवश्यकता पर और ये सुविधाएं कहां कहां पर स्थापित की जा सकती हैं, इस पर विचार करने के लिए एक व्यापक अध्ययन कराया जा रहा है। इस अध्ययन की रिपोर्ट के मिलने पर परादीप पोर्ट ट्रस्ट के सुझाव के बारे में निर्णय लिया जाएगा ।

परादीप में माल के लिए दूसरा सामान्य घाट

391. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या परादीप में माल के लिए दूसरे सामान्य घाट का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्माण का कार्य कब तक पूरा किया जाना है।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) परादीप पत्तन के लिए एक और जनरल कार्गो वर्थ की मंजूरी दी गई है। इस वर्थ के निर्माण के लिए ठेका दिया जा चुका है और निर्माण कार्य जारी है। आशा है कि इसका निर्माण कार्य वर्ष 1982 में पूरा हो जाएगा।

कटक रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल

392. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कटक शहर के रेलवे फाटक पर एक उपरि पुल का निर्माण करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह निर्माण कार्य कब तक शुरु किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव प्रारम्भिक चरण में हैं। प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल के लिए राज्य सरकार से निश्चित स्थान निर्धारण विवरण और आकलन प्राप्त नहीं हुये हैं।

इस सम्बन्ध में रेलव राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित किये हुये है। इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि निर्माण-कार्य कब शुरू किया जायेगा।

विशाखापत्तनम में हड़ताल

393. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में फरवरी, 1980 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक के सभी पोतों पर काम रोक दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसका आयोजन किस मजदूर संघ ने और किन कारणों से किया था और वह मजदूर संघ किस से सम्बन्ध है;

(ग) क्या मजदूर संघ के नेतागण बिना प्रवेश-पत्रों के ही बाहरी लोगों के साथ गोदी जोन में घुस गए थे और एक पोत से दूसरे पोत पर जाकर तथा पोतों पर काम कर रहे कर्मचारिरियों को डरा धमका कर जबरन काम बन्द कर दिया था ;

(घ) गोदी श्रमिक बोर्ड में श्रम सदस्यों की नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया क्या है ; और

(ङ) क्या काम बन्द कराने वाले मजदूर संघ ने विशाखापत्तनम पर तैनात सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) को 1978 की वार्षिक विवरणी इस सत्यापन के लिए प्रस्तुत कर दी है कि विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड के कर्मचारियों में से कितने उनके सदस्य हैं।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :(क) जी हां ।

(ख) यह हड़ताल पोर्ट खलासीज यूनियन (इंटक) के द्वारा बुलाई गई थी जो विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड में अपना प्रतिनिधित्व शामिल किये जाने की मांग कर रहे थे।

(ग) ऐसी कोई भी सूचना नहीं मिली है कि कोई बाहरी आदमी पास के बिना डॉक में घुस आया था और उसने जबरदस्ती काम बन्द करवाया था ।

(घ) डॉक वर्कस (रेगुलेशन आफ इम्प्लायमेन्ट) रूल्स, 1962 के अधीन गोदी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को इन कर्मचारियों की ऐसी यूनियनों के साथ विचार विमर्श कर नियुक्त किया जायगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार इन कर्मचारियों को प्रतिनिधि समझती है। यूनियनों और एसोसियेशनों के प्रतिनिधित्व के बारे में इन यूनियनों और एसोसियेशनों के प्रमाणित सदस्यों की नवीनतम उपलब्ध संख्या के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(ङ) किसी भी कानून के अधीन यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी ट्रेड यूनियन सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को सदस्यता की मांग करते हुए अपने वार्षिक विवरण भेजे। इसलिए पोर्ट खलासी यूनियन द्वारा सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को वार्षिक विवरण भेजने का प्रश्न ही नहीं होता ।

रेलवे कोच फैक्टरी

394. **श्री जी० एम० बनातवाला :**
श्री पी० जे० कुरियन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अन्य रेलवे कोच फैक्टरी स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने, विशेषतया इस तथ्य को देखते हुए कि केरल में कोई भी महत्वपूर्ण रेलवे संस्थान नहीं है यद्यपि वहां पर आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद है, केरल राज्य में नई फैक्टरी की स्थापना का अनुरोध किया था; और

(ग) फैक्टरी की स्थापना के स्थान के बारे में सरकार का निर्णय क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ); (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) एक नया रेल सवारी डिब्बा उत्पादन कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है और उसके स्थान के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

आप्रवासी कानूनों में परिवर्तन

395. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नौकरियों के लिये विदेश जाने के इच्छुक को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु आप्रवासी कानूनों में परिवर्तन की जनता की मांग तथा आवश्यकता का पता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त कानूनों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) विचाराधीन ऐसे किसी परिवर्तन की मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में एक विधेयक पेश करने के प्रस्ताव पर सरकार गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है। प्रस्तावित विधेयक में भारत तथा विदेशों में बेईमान तत्वों द्वारा भारतीय उत्प्रवासी कामगारों के शोषण के विरुद्ध पर्याप्त कानूनी संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी ।

तालचेर-विमलागढ़ लाईन

396. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तालचेर-विमलागढ़ लाईन बिछाने के लिये एक तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण आरम्भ किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी लाईन आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य रहेगी तथा सार्वजनिक हित में लाभप्रद होगी ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को क्रियान्वित हेतु अगली योजना में शामिल करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) 1970 में, तालचेर से विमलागढ़ तक बड़ी आमान की रेल लाईन का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण किया गया था। उस समय प्रस्तावित लाईन पर 16 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान था। इस परियोजना से डी० सी० एफ० विधि द्वारा केवल 3.22 प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त होना था। अतः इस पर आगे कार्रवाई नहीं की गयी।

गंगा पर रेल का पुल

397. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पटना के नजदीक गंगा पर एक रेल का पुल बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसन्धान स्टेशन, पुणे से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) चूंकि केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसन्धान केन्द्र, पुणे द्वारा अभी इस सम्बन्ध में तकनीकी व्यावहारिता तथा आर्थिक अध्ययन किये जा रहे हैं, इसलिए पटना में गंगा नदी पर रेलवे ऊपरी पुल के निर्माण की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गयी है।

(ख) जी नहीं।

त्रिवेन्द्रम-एरनाकुलम रेल लाईन का विद्युतीकरण

398. **श्री पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से त्रिवेन्द्रम-एरनाकुलम रेल लाइन तथा केरल में अन्य रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिए कोई अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केरल में बिजली प्रचुर मात्रा में तथा सस्ती दर पर उपलब्ध है, इस मामले में सरकार द्वारा कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) केरल में विद्युतीकरण की जाने वाली रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) जी हां। विद्युतीकरण के लिए बिजली का प्रचुर मात्रा में और सस्ती दरों पर उपलब्ध होना उन कई तथ्यों में से केवल एक है जिनका रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के लिए चुनाव करने में ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा, जैसा कि 1988-89 में प्रक्षिप्त किया गया है, केरल राज्य में पड़ने वाले रेलवे के खण्डों पर यातायात का घनत्व विद्युतीकरण के लिए अपेक्षित आवश्यक यातायात के घनत्व से कहीं कम है जैसा कि 1978 में किये

गये अध्ययन में पाया गया है। इसलिए ईरो -एर्णाकुलम तिरुवनन्तपुरम खण्ड के विद्युतीकरण के कार्य को फिलहाल शुरू न करने का निर्णय किया गया है।

बाड़मेर रेलवे स्टेशन

399. **श्री विरधी चन्द्र जैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बाड़मेर रेलवे स्टेशन की इमारत का निर्णाण कब किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त रेलवे स्टेशन की इमारत बहुत ही छोटी है और कर्मचारियों की बढ़ती संख्या और जनता की बढ़ती सुविधाओं को देखते हुए अपर्याप्त है;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन का विचार रेलवे स्टेशन का विस्तार करने तथा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए जनता तथा रेल कर्मचरियों की मांग को पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) बाड़मेर स्टेशन की इमारत जिसका निर्माण 1929–30 में किया गया था ठीक स्थिति में है और यात्री यातायात तथा कर्मचारियों की आवश्यकता पूरी करने के लिये पर्याप्त है। इसलिए, फिलहाल स्टेशन की इमारत का विस्तार किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चाय, काफी तथा रबड़ बागानों में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन

400. **श्री के० मालन्ना :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय, काफी तथा रबड़ तीन प्रमुख बागान उद्योगों मे महिला श्रमिकों का वेतन पुरुष श्रमिकों की तुलना में अभी भी कम है और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में, कोई अध्ययन किया गया है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) श्रम ब्यूरो द्वारा बागान उद्योगों के सम्बन्ध में किये गये तृतीय व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (1974–75) की रिपोर्ट के अनुसार, बागान उद्योग में पुरुष श्रमिकों की प्रतिदिन औसत आय महिला श्रमिकों की तुलना में अधिक थी । रबड़ बागानों में महिला श्रमिक पुरुष श्रमिकों की तुलना में अधिक वेतन पा रही थीं, जबकि काफी और चाय बागानों में महिला श्रमकिों की प्रतिदिन न्यूनतम औसत मजदूरी दरें पुरुष श्रमिकों की तुलना में कम थी। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि समान कार्य के लिए महिला श्रमिकों के लिए निर्धारित मजदूरी दरें पुरुष श्रमिकों की तुलना में कम थी। इनमें भिन्नता का मुख्य कारण अपेक्षाकृत कम लाभकारी व्यवसायों में महिलाओं का यथानुपात अधिक नियोजित किया जाना है । समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1975 को बागान उद्योग में भी लागू कर दिया गया है । राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम के कार्यान्वियन के लिए जिम्मेदार हैं और अब तक राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि इनमें से अधिकांश राज्यों ने अधिनियम को लागू करने के लिए समुचित प्राधिकारी नियुक्त किये हैं।

एम० वी० अराबा नामक जहाज का गुम हो जाना

401. **श्री के० मालन्ना :**
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 फरवरी, 1980 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकारी कर्मचारियों की चौबीस यूनियनों तथा फेडरेशनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि 17 महीने से अधिक समय पूर्व रहस्यमयढंग से गायब हो गए एम० वी० अराबा नामक जहाज के बारे में जांच की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) एम० वी० "अराबा" एक विदेशी जहाज है । यह विदेश में समुद्र में लापता हो गया । इस सम्बन्ध में सांविधिक जांच कराने के लिए भारत सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । इस जहाज के लापता होने के बारे में हमारे दूतावासों और कौंसुलेट्स के पास कोई जानकारी नहीं है ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रबन्ध

402. **श्री राम लाल राही** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ को वित्तीय संकट के कारण अपने वार्षिक खर्च को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ा है जिसके लिए उसे 1400 रुपए प्रतिमास ब्याज देना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो कालेज के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रबन्ध करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) किंग जार्ज मैडिकल कालेज, लखनऊ ने यह सूचित किया है कि (1) राज्य सरकार से अपर्याप्त अनदान मिलने के लिए कारण स्थापना सम्बन्धी वार्षिक खर्च पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ा था, (2) इस ऋण का ब्याज अदा किया गया था, और (3) राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि इस कालेज के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाए ।

सीतापुर और बहराइच के बीच रेल सम्पर्क

403. **श्री राम लाल राही** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विकास की गति में तेजी लाने की दृष्टि से उत्तर भारत के सीतापुर और बहराइच जिलों को जोड़ने के लिए एक नई रेलवे लाइन का निर्माण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस रेल लाइन का निर्माण कब तक करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरी और मध्य भारत में रेल लाइनें

404. **श्री राम लाल राही** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में उत्तरी और मध्य भारत में कुछ नई रेल लाइनें बिछाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार इस योजना के अन्तर्गत सीतापुर और बहराईच जिलों को सम्मिलित करने को भी सुनिश्चित करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 1979-80 में केवल तीन नयी लाइन परियोजनाएं अर्थात् एर्नाकुलम-अलेप्पी, मानिकगढ़-चन्दर तथा तलगढ़िया-तुपकडीह शामिल की गयी हैं।

(ग) सीतापुर और बहराइच जिलों को जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कुवैत में भारतीय आप्रवासियों का रोका जाना

405. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :
श्री टी० आर० शमन्ना :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत में हाल ही में कुछ भारतीय आप्रवासियों को रोका गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) कुवैत की सरकार ने कुवैत में सभी प्रवासी कामगारों के प्रवेशपत्र जांचने के लिए एक अभियान शुरु किया है जिसमें भारतीय राष्ट्रिक भी शामिल हैं। जिनके पास आवास सम्बन्धी वध प्राधिकार-पत्र नहीं हो उन्हें वहां

के कानूनों के अन्तर्गत नजरबंद किया जा सकता है और अथवा वहां से निर्वासित किया जा सकता है। हमारी सूचना के अनुसार 5 मार्च, 1980 तक सैंकड़ों विदेशियों को नजरबंद कर लिया गया था जिनमें से 25 भारतीय राष्ट्रिक थे।

(ख) कुवैत के वीसा विनियम काफी कठोर हैं और उत्प्रवासियों के दस्तावेजों की अधिक जांच की जाती है। इस प्रकार की जांच भेदभाव पूर्ण नहीं होती लेकिन उसका उद्देश्य कुवैत में वैध प्रवेश पत्रों और अन्य दस्तावेजों के बिना कार्य कर रहे सभी विदेशियों की जांच करना है। सरकार के एक सचिव के नेतृत्व में हाल ही में कुवैत की यात्रा पर गए भारतीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल को कुवैत ने आश्वासन दिया कि जिन लोगों को इस सिलसिले में रोका जाएगा उन्हें अनुचित रूप से परेशान नहीं किया जायेगा और उन्हें कौंसली सुविधाएं उपलब्ध कराई जायगी।

किराये का पुनरीक्षण तथा दिल्ली परिवहन निगम को घाटा

406. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम द्वारा गत वर्ष फरवरी में किये गये किराए के पुनरीक्षण का दिल्ली परिवहन निगम को होने वाले घाटे पर कोई प्रभाव पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979 के दौरान आय और घाटा कितना रहा था ; और

(ग) घाटे को कम करने के लिए सरकार का क्या नए कदम उठाने का विचार है।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां। जहां वर्ष 1979-80 के दौरान कार्यचालन का अनुमानित घाटा 8.10 करोड़ रुपए था, वहां यह घाटा अब लगभग 5.80 करोड़ रुपए रह गया है और यह घाटा डीजल तथा फालतू पूर्जों इत्यादि की कीमतों में वृद्धि को झेलने के बाद हुआ है।

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान अनुमानित आय, व्यय और घाटा इस प्रकार है :—

(i) आय 39.98 करोड़ रुपए

(ii) कार्यचालन व्यय 45.78 करोड़ रुपए।

(iii) कार्यचालन घाटा 5.80 करोड़ रुपए।

(ग) उक्त घाटे को और कम करने के लिए निगम कई कदम उठा रहा है। इस सम्बन्ध में उठाए जा रहे कुछ कदम इस प्रकार हैं :—

(i) प्रशासनिक व्यय पर नियंत्रण;

(ii) राजस्व की चोरी को रोकना;

(iii) बसों के उपयोग में सुधार करना;

(iv) गाड़ियों का अधिक से अधिक उपयोग करना ताकि कम से कम फेरे मिस किये जाएं;

(v) ईंधन की खपत में किफायत करना।

नार्थ तथा साउथ एवेन्यु, नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पद्धति के अधीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का एक चिकित्सालय खोलना

407. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन यूनानी चिकित्सा पद्धति सहित सभी पद्धतियों के चिकित्सालय खोल रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे युनानी पद्धति के चिकित्सालय कितने हैं तथा कहां कहां हैं; और

(ग) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों तथा संसद् सवस्यों के लाभार्थ नार्थ एवेन्यू तथा साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली में भी एक यूनानी चिकित्सालय खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां।

(ख) इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दो यूनानी औषधालय चल रहे हैं। एक औषधालय दिल्ली में है और दूसरा हैदराबाद में है।

(ग) नार्थ अथवा साउथ एवेन्यू में एक यूनानी औषधालय खोलने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ाना

408. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्राधिकारी राजधानी एक्सप्रेस और देश में तेज रफतार वाली अन्य रेलगाड़ियों की रफ्तार बढाने के मामले में फिर से विचार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) इस समय इन गाड़ियों की रफ्तार को बढ़ाने या घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म

409. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के सुधार पर गत तीन वर्षों में कितना व्यय किया गया ;

(ख) क्या प्लेटफार्म संख्या 2 (ग्वालियर) पर यात्रियों के बैठने के लिए कोई समुचित प्रबन्ध है और क्या इस प्लेटफार्म पर प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब उपलब्ध करा दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) व्यय निम्न प्रकार किया गया :—

वर्ष	किया गया खर्च (लगभग) रुपयों में	
	रख रखाव मरम्मत और अनुरक्षण	परिवर्द्धन और परिवर्तन पर
1977–78	5,000	——
1978–79	10,000	7,000
1979–80 (सम्भावित)	10,000	69,000

(ख) जी हां। पूरे प्लेटफार्म पर 37 बैंच तथा 13 सीटें हैं। पहले दर्जे के यात्रियों सहित सभी यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अधिक बसें चलाने की दृष्टि से मोटर गाड़ी अधिनियम में परिवर्तन

410. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मोटर-गाड़ी अधिनियम में मूल परिवर्तन करने का है ताकि यात्रियों के लिए सड़कों पर अधिक बसें चलाई जा सकें।

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों के राज्य परिवहनों को एकाधिकार प्रदान किये जाने के परिणामस्वरूप नये मार्गों पर बसें नहीं चलाई जा रही है और जो बसें पहले से चल रही हैं वे पर्याप्त अनियमित और पुरानी हैं ; और

(ग) क्या राष्ट्रीयकरण योजनाओं के कारण गैर-सरकारी बसों के सूचारु संचालन में विभिन्न कठिनाइयां आई हैं जिसके परिणामस्वरुप यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) मौजूदा मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के स्थान पर एक व्यापक और समेकित कानून बनाए जाने के लिए मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 में संशोधन करने, या अधिनियम में नए उपबन्ध रखने के लिए जिससे कि आवश्यक संशोधन किये जा सकें जो समय की गति के साथ करना आवश्यक हो गया है, या कानून के निर्वचन में अस्पष्टया को दूर करने के लिए या सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा की अधिक व्यवस्था करने आदि के लिए कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। संयोगवश मौजूदा कानून के अधीन भी राज्य परिवहन अधिकरण याड़ियों द्वारा उचित मांग किये जाने पर बसों की संख्या बढ़ाने या अधिक ट्रिप लगाने की अनुमति दे सकता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं इस सम्बन्ध में भारत सरकार को ऐसी शिकायत या अभिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

भावनगर-ओखा रेल लाइन का बदला जाना

411. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भावनगर से ओखा रेल लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के कार्य की गति क्या है ; और

(ख) इस लाइन को यातायात के लिए कब तक खोल दिये जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) भावनगर और ओखा के बीच वर्तमान मीटर लाइन के आमान परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है । इस समय वीरमगाम से ओखा और पोरबन्दर लाइन का आमान परिवर्तन किया जा रहा है इस परिवर्तन के प्रथम चरण के रूप में वीरमगाम से हापा तक (288 कि० मी०) का आमान परिवर्तन आगामी कुछ महीनों में किया जायेगा और हापा से ओखा तक का शेष आमान परिवर्तन (289 कि० मी०) 1981–82 में पूरा हो जाने की संभावना है ।

जामनगर जिले में परिवार कल्याण केन्द्रों का खोलना

412. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य क जामनगर जिले में कार्य कर रहे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या आगामी दो वर्षों के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे और केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों की संख्या कितनी है और उन स्थानों के नाम क्या हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जामनगर जिले में 96 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सम्बद्ध ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	9
(2) ग्रामीण उप-केन्द्र	73
(3) दर्जा बढ़ाये गए उप-केन्द्र	3
(4) नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र	10
(5) प्रसवोत्तर केन्द्र से सम्बद्ध नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र	1

(ख) और (ग) : राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना के अधीन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त उप-केन्द्र खाले जाने हैं । 1971 की जनगणना के आधार पर 1980–81 के दौरान सारे देश में 300 अतिरिक्त नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र (टाइप–एक और टाइप–दो) खोले जायेंगे। गुजरात राज्य की भी जनसंख्या पर आधारित

पिछली जरूरत के अनुसार अतिरिक्त केन्द्र खोलने की अनुमति दी जाएगी। केन्द्रों पर जिलेवार अगला ब्यौरा राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जायेगा । इस सम्बध में 1981-82 की योजनाओं को 1980 के अन्त तक ही अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

खड़गपुर डिवीजन के अन्तर्गत अतिरिक्त शेडों का निर्माण

413. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर डिवीजन के अन्तर्गत चेंगल स्टेशन प्लेटफार्म पर अतिरिक्त शेडों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इन शेडों का निर्माण कब किया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार को चेंगल स्टेशन से चकासी तक सड़कों का निर्माण करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) : द्वीप प्लेटफार्म पर 100 फुट लम्बे शेड की व्यवस्था करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है और आशा है कि मार्च, 1981 तक यह काम पूरा हो जायेगा ।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । रेलवे का उत्तरदायित्व केवल रेलवे सीमा के अन्दर पहुंच मार्गों की व्यवस्था करना है। चेंगल स्टेशन में रेलवे सीमा के अन्दर पहले से ही स्टेशन के लिए पहुंच मार्ग मौजूद है ।

राज्यवार बेरोजगार लोग

414. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार पंजीकृत बेरोजगार लोग कितने हैं ; और

(ख) रोजगार केन्द्रों के माध्यम से रोजगार की व्यवस्था करने की प्रतिशतता क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

(ख) वर्ष 1979 के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हुए पंजीकरण और नियुक्तियों की संख्या क्रमशः 6127.2 हजार और 466.3 हजार थी । वर्ष के दौरान पंजीकरणों की तुलना में नियुक्तियों की प्रतिशतता 7.6 थी ।

विवरण

(आंकड़े हजारों में)

राज्य	31 दिसम्बर, 1979 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	1237.1
2. असम	319.2
3. बिहार	1998.6
4. गुजरात	420.4
5. हरियाणा	325.7
6. हिमाचल प्रदेश	119.4
7. जम्मू और काश्मीर	52.7
8. कर्नाटक	553.9
9. केरल	1204.2
10. मध्य प्रदेश	737.5
11. महाराष्ट्र	1119.7
12. मणिपुर	88.1
13. मेघालय	10.3
14. नागालैण्ड	4.3
15. उड़ीसा	429.6
16. पंजाब	407.6
17. राजस्थान	338.4
18. सिक्कम*	--
19. तमिलनाडु	987.6
20. त्रिपुरा	70.8
21. उत्तर प्रदेश	1407.6
22. पश्चिम बंगाल	2082.1
संघराज्य क्षेत्र	
1. अण्डेमान और निकोबार द्विपसमूह	8.0
2. अरुणाचल प्रदेश*	—

1	2
3. चण्डीगढ़	52.8
4. दादरा और नागर हवेली*	—
5. दिल्ली	281.4
6. गोआ	25.2
7. लक्षद्वीप	4.4
8. मिजोरम	15.3
9. पांडिचेरी	32.0
अखिल भारतीय योग	14333.9

नोट: 1. *इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़ कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन कार्यालय के सम्बन्ध में आंकड़े शामिल नहीं हैं।

रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्तियां

415. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्रीय सरकारी उपक्रमो में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ही नियुक्तियां किये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह नीति गैर-सरकारी नियुक्तियों के सम्बन्ध में भी लागू की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) वर्तमान निदेशों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में ऐसे सभी पदों पर भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जानी अपेक्षित है जिनका अधिकतम वेतनमान 800 रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं है।

(ख) और (ग) इस नीति को निजी क्षेत्रों में नियोजन पर विस्तारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं तु, क्योंकि ऐसा करने में कानूनी तथा प्रशासनिक कठिनाइयां हैं।

रोजगार कार्यालय

416. **श्री हन्नान मोल्लाह** : : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने रोजगार कार्यालय हैं ;

(ख) राज्यवार उनकी संख्या क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के भरे गए पदों में से कितने प्रतिशत पदों पर इन केन्द्रों के माध्यम से भर्ती की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) :(क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वर्ष 1977, 1978 और 1979 के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की गई कुल नियुक्तियों में से क्रमश: 22.2%, 20.5% और 21.1% नियुक्तियां केन्द्रीय सरकार के पदों में की गई थीं।

विवरण

राज्य	31-12-1979 को रोजगार कार्यालयों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	26
2. असम	31
3. बिहार	41
4. गुजरात	21
5. हरियाणा	25
6. हिमाचल प्रदेश	14
7. जम्मू और काश्मीर	8
8. कर्नाटक	30
9. केरल	14
10. मध्य प्रदेश	55
11. महाराष्ट्र	33
12. मणिपुर	6
13. मेघालय	5
14. नागालैंड	3
15. उड़ीसा	17
16. पंजाब	33
17. राजस्थान	28
18. सिक्कम*	—
19. तमिलनाडु	20
20. त्रिपुरा	4
21. उत्तर प्रदेश	70
22. पश्चिम बंगाल	41

संघ शासित क्षेत्र	31-12-1979 को रोजगार कार्यालयों की संख्या
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप	1
2. अरुणाचल प्रदेश*	—
3. चण्डीगढ़	1
4. दादर व नागर हवेली*	—
5. दिल्ली	13
6. गोवा	1
7. लक्षद्वीप	1
8. मिजोरम	1
9. पांडिचेरी	1
अखिल भारतीय योग :	546

नोट : 1. *इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. पूरे देश में इसके अतिरिक्त 1969 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र भी कार्य कर रहे थे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रारूप को राज्यों को भेजा जाना

417. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रारूप को सभी राज्यों तथा सम्बद्ध संस्थाओं और एसोसिएशनों को भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने प्रत्युत्तर आये हैं ;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा एसोसिएशन (इंडियन मैडिकल एसोसिएशन) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का नया प्रारूप भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो उन्होंने सरकार की योजनाओं में किन-किन मुख्य मुद्दों को लेकर संशोधन किया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में मंत्री (श्री शंकरानन्द) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बी० का एक प्रारूप मार्च, 1979 में परिपत्रित किया गया था।

(ख), (ग) और (घ) राज्य सरकारों, अन्य संस्थाओं तथा एसोसिएशनों से, जिनमें भारतीय चिकित्सा संघ शामिल है, बहुत से उत्तर प्राप्त हुए हैं। इन टिप्पणियों पर सरकार विचार कर रही है।

काला-अजार के लिए संवेदनशील और इससे बार-बार ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण

418. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काला-अजार के लिये संवेदनशील और ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है जहां-जहां यह बार-बार होता है ;

(ख) काला-अजार के फैलने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है ;

(ग) वर्ष 1978–79 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितनी मात्रा में पेंटेमैडाइन दी, उसका कितना आयात किया गया और उस पर क्या लागत आई ; और

(घ) क्या सरकार ने बालू-मक्षिका क्षेत्रों में छिड़कने के लिए पेंटेमैडाइन और अन्य आधुनिक कम्पाउन्डों के निर्माण की योजना बनाई है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी, हां।

(ख) काला-अजार को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

1. **बिहार के लिए** :

   (1) घरों तथा छतों पर डी०डी०टी० का छिड़काव ;

   (2) रोगियों का शुरू में पता लगाना तथा उनका पूर्ण इलाज करना ;

   (3) लोगों में स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार ; तथा

   (4) काला-अजार के नियंत्रण में खंड चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण।

2. **अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिये** :

   (1) बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों में काला-अजार संबंधी समस्याओं की व्याप्तता का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन मुख्यालय में एक काला-अजार सर्वेक्षण दल बना दिया गया है ; तथा

   (2) किसी प्रकार की आकस्मिक स्थिति का मुकाबला करने के लिए पेंटेमैडाइन नामक काला-अजार रोधी औषधि बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, तमिल नाडु, मेघालय तथा दिल्ली को भेज दी गई है।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पेंटेमैडाइन की 100 मि०लि० (तरल) की 12,000 शीशियां तथा 200 मि०ग्राम (सूखा पाउडर) के 20,000 एम्पूल उपहार स्वरूप दिये थे जिनमें से 1978–79 में पेंटेमैडाइन (सूखा पाउडर) के 200 मि०ग्राम के केवल 4000 एम्पूल प्राप्त हुए थे। इस औषधि का कोई आयात नहीं किया गया था।

(घ) (1) पेंटेमैडाइन का निर्यात भारत में आवश्यक नहीं समझा गया।

2. बालू-मक्षिका पर नियंत्रण करने के लिए छिड़काव में डी०डी०टी० उपयोग की जाती है।

पार्वती नदी पर पुल

419. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्वती नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, जो मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ तथा सिहोर जिलों को मिलाता है, पर पुल के लिए प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्माण के लिए कितना अनुमानित व्यय होगा और उसके लिए निर्धारित समय क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार का सिंचाई विभाग प्रस्तावित पुल से धारा के नीचे की ओर एक बांध का निर्माण करना चाहता है । प्रस्तावित पुल के डेक लेवल के बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पहले इस बांध के कारण पुल की स्थिति पर पड़ने वाले असर पर विचार करना आवश्यक समझा गया । अत: इस बारे में मध्य प्रदेश के सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ 3 अगस्त 1979 को भोपाल में संयुक्त बैठक कर विचार विमर्श किया गया । इसके बाद प्रस्तावित पुल के डेक लेवल के बारे में अन्तिम निर्णय लिया गया और इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को सूचना देते हुये उससे इस पुल और इस पर दोनों ओर से पहुंचने वाली सड़क के लिए आवश्यक अनुमान तैयार करने के लिए कहा गया । यह अनुमान अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) इस संबंध में फिलहाल अभी कोई सूचना नहीं दी जा सकती ।

अकाउन्ट्स क्लर्कों की अग्रिम वेतन वृद्धि का बन्द किया जाना

420. **श्री के० ए० राजन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अकाउन्ट्स क्लर्कों की, जो ए०पी०पी० ए० परीक्षा पास II करते हैं, सामान्य प्रदान की जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियां देना बन्द कर देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या विभिन्न रेलवे के इस निर्णय से प्रभावित होने वाले क्लर्कों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(झ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घी० के० जाफर शरीफ) : (क) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1-1-1973 से पहले लिपिक ग्रेड-II को देय अग्रिम वेतन वृद्धियों को 1-1-73 से लागू संशोधित वेतनमानों में जारी नहीं रखा गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेंशन लाभ देने से कथित रूप से इन्कार

421. **श्री के० एल० राजन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुन्टकाल साउथ सैन्ट्रल रेलवे के ट्रांशिपमेंन्ट यार्ड के श्रमिकों से पेंशन लाभों बारे में सेवा निवृत्त होने पर जिससे उनको वंचित किया जा रहा है, कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां, दक्षिण मध्य रेलवे को अभ्यावेदन दिये गये थे।

(ख) और (ग) दक्षिण मध्य रेलवे से इस सन्दर्भ में हाल ही में एक पत्र प्राप्त हुआ है और इस मामले में जांच की जा रही है।

दक्षिण पश्चिम एशिया में हथियारों का जमाव

422. **श्री पी० के० कोडियन:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान में हुई घटनाओं के बाद अरब सागर और फारस की खाड़ी के क्षेत्रों में हथियारों के जमाव और पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर अमरीकी हथियारों की सप्लाई के कारण भारत की सुरक्षा को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) क्या भारत ने इन क्षेत्रों में हथियारों के जमाव और पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई के विरुद्ध रोष व्यक्त किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): (क) हिन्द महासागर में शांति क्षेत्र स्थापित करने के प्रति अपनी वचनबद्धता के अनुरूप हमने इस क्षेत्र में किसी भी विदेशी सेना की उपस्थिति का हमेशा विरोध किया है। सैनिक अड्डों की स्थापना और अस्त्रों में वृद्धि से इस सम्पूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा का वातावरण और अधिक बिगड़ जाएगा।

(ख) और (ग) भारत ने इस बात पर बल दिया है कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस क्षेत्र में महान शक्तियों की बढ़ती हुई स्पर्धा विशेषकर, घातक अस्त्रों के संचयन के परिणामस्वरूप उत्पन्न वर्तमान तनाव की स्थिति समाप्त करनी चाहिए। इससे सम्बद्ध देशों में समझ-बूझ [illegible] हुआ है।

कैरली नामक जहाज का गुम होना

423. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल नौवहन निगम के कैरली नामक गुमशुदा जहाज का पता लगाने के लिए केन्द्र से सहायता का अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो गुमशदा जहाज का पता लगाने के लिए क्या सहायता दी गई थी ;

(ग) क्या केन्द्र ने कैरली के गायब हो जाने के बारे में कोई जानकारी एकत्र की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) एम० वी० कैरली के लापता होने की जैसे ही खबर मिली त्यों ही बम्बई स्थित वाणिज्य जल परिवहन विभाग के प्रधान अधिकारी ने इस क्षेत्र में सभी जहाजों को लापता जहाज को ढूंढने के लिए तार के जरिए खबर भेज दी। उन्होंने नौसेना के अधिकारियों से भी अपने हवाई जहाजों और पानी के जहाजों से इस जहाज को ढूंढने के लिए कहा। सान्ताक्रुज हवाई अड्डे के अधिकारियों से भी कहा गया कि वह अपने प्रायलटों को इस जहाज को ढूंढने की कोशिश करने के लिए कहें। विदेशों से जैसे यमन, सोमालिया, यू० एस० ए० और यू० एस० एस० आर० की सरकारों से भी इस जहाज को ढूंढने में सहायता के लिए कहा गया। लायड्स इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, लन्दन से भी इस लापता जहाज के बारे में पूछताछ की गई।

लेकिन इस सबके बावजूद इस जहाज या इस जहाज पर सवार व्यक्तियों के जीवित मिलने के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिल सकी है।

(ग) जी, हां।

(घ) एम० वी० करली जहाज जो केरल शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड का था, मुरगांव से 30 जून, 1979 को दजिवौती होते हुये रोस्तॉक (पश्चिम जर्मनी) के लिए 20500 टन कच्चा लोहा लेकर चला था। इस जहाज पर 49 अधिकारी और अन्य कार्मिक तथा एक इंजीनियर की पत्नी और छोटा बच्चा सवार थे। यह जहाज दजिवौति नहीं पहुंचा। इस जहाज से आखिरी सम्पक 3 जुलाई, 1979 को हुआ था।

लोको शेडों में ठेका मजदूरी पद्धति का निषेध

426. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सलाहकार ठेका मजदूरी बोर्ड लोको शेडों और यार्डों में कोयला उतारने और चढ़ाने तथा जला कोयला उठाने के लिए ठेके के मजदूरों का इस्तेमाल न करने का निर्णय पहले ही कर चुका है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय कब किया गया था और उपयुक्त अधिसूचना जारी करने के लिए क्या उपाय किये गये ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को उक्त विषय पर कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रमिक बोर्ड ने, अपनी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 13 दिसम्बर, 1977 को हुई अपनी नौवीं बैठक में सरकार को इस प्रकार की कार्यवाही करने की सिफारिश की। इस मामले को रेल मंत्रालय के साथ उठाया गया और यह अभी तक विचाराधीन है।

(ग) सरकार को इंडियन रेलवे कोल एण्ड ऐश हैंडलिंग मजदूर यूनियन, हुगली (पश्चिम बंगाल) का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच रेल मंत्रालय से परामर्श करके की जा रही है।

खनन उद्योग में महिला श्रमिक

425. **श्री समर मुखर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन उद्योग में महिला श्रमिकों की संख्या में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो महिला श्रमिकों की संख्या में कमी किन किन कारणों से हुई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) 1941–75 की अवधि के लिये खनन उद्योग में महिला श्रमिकों की सहभागिता की प्रवृत्ति के अध्ययन से, जो श्रम ब्यूरो द्वारा किया गया, पता लगा है कि 1972 तक इसमें लगातार कमी हुई है और उसके पश्चात् महिलाओं के नियोजन में मामूली सी वृद्धि हुई।

(ख) अध्ययन के अनुसार, 1941–72 वर्षों के दौरान महिलाओं के रोजगार में कमी भूमिगत कार्य में निषेध, मेहनत बचाने के साधनों को शुरू करने या उत्पादन के तरीकों में प्रौद्योगिक सुधार, महिला श्रमिकों की मजदूरी-दरों में वृद्धि और महिला श्रमिकों से संबंधित उपबन्धों की सांविधिक अपेक्षाओं के कारण नियोजकों पर अतिरिक्त भार जैसे कई कारणों से हुई।

(ग) सरकार इस प्रवृत्ति के प्रति जागरूक है।

खनन उद्योग में लगे श्रमिकों के बारे में अध्ययन

426. **श्री समर मुखर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के खनन उद्योग में लगे श्रमिकों के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) खनन उद्योग में लगे श्रमिक बल के संबंध में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पटना और दिल्ली के बीच सीधी 'सुपर फास्ट' गाड़ी चलाया जाना

427. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राज्यों की अन्य राजधानियों की तरह पटना और दिल्ली के बीच कोई सीधी 'सुपर फास्ट' गाड़ी चलाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क), (ख) और (ग) इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

विहार और उत्तर प्रदेश को मिलाने के लिए मांझीघाट के निकट नदी पर पुल का निर्माण

428. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विहार और उत्तर प्रदेश को मिलाने के लिए मांझीघाट नदी पर एक सड़क पुल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस पुल का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) जी हां । फरवरी, 1979 में 450 लाख रुपये की अनुमानित लागत से घाघरा नदी के ऊपर प्रस्तावित पुल के निर्माण की एक योजना स्वीकृत की गई थी । यह ऋण सहायता विहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के लिए है । इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सर्वेक्षण और जांच कार्य, टेंडर मंगाने के लिए नोटिस तैयार करना जैसे प्रारम्भिक कार्य किए जा रहे हैं । इस पुल का निर्माण कार्य कब पूरा हो जाएगा, इस बारे में कोई तारीख तभी निर्धारित की जा सकती है जब विस्तृत अनुमान तैयार करके स्वीकृत हो जायें और निर्माण कार्य वास्तविक रूप से शुरू हो जाए ।

छपरा-रक्सौल सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करना

429. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनियापुर, मोहम्मदपुर, डुमरिया घाट, मोतिहारी और बेतिया होकर नेपाल तक की छपरा रक्सौल सड़क का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) यातायात और व्यापार की दृष्टि से रक्सौल नेपाल का प्रवेश द्वार है और ऐसी हालत में छपरा-रक्सौल मार्ग एक महत्वपूर्ण मार्ग है ।

(ख) और (ग) छपरा–बनियापुर–मोहम्मदपुर–डुमरियाघाट–मोतीहारी–रक्सौल मार्ग का डुमरियाघाट–पिपरा–मोतीहारी–रक्सौल खण्ड पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके बाकी खण्ड छपरा-रक्सोल मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का, फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि भारत सरकार वित्तीय कठिनाइयों और अन्य कार्यों को प्राथमिकता दिये जाने के कारण किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने में असमर्थ है।

दारोन्दा-महाराजगंज लाइन पर बन्द की गई गाड़ियां

430. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता सरकार ने दारोन्दा-महाराजगंज रेल लाइन पर गाड़ियों का चलना बन्दकर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि काफी समय से महाराजगंज एक वाणिज्यिक केन्द्र रहा है ;

(घ) क्या इस लाइन पर गाड़ियों के बन्द किये जाने के कारण इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अधिक असुविधा पैदा हो गई है ;

(ङ) क्या सरकार को इस लाइन पर गाड़ियों को पुनः चलाये जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पीतमपुरा रिहायशी योजना से केन्द्रीय सचिवालय के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

431. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पीतमपुरा रिहायशी योजना से केन्द्रीय सचिवालय के लिए दिल्ली परिवहन निगम की कोई सीधी बस सेवा नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि काफी संख्या से पीतमपुरा रिहायशी योजना में रहने वाले लोग केन्द्रीय सचिवालय काम्पलैक्स में स्थित कार्यालयों में सुबह के समय पहुंचने और कार्यालय के समय के पश्चात् शाम को घर वापस जाने में काफी दिक्कतें अनुभव करते हैं ; और

(ग) क्या सरकार नियमित सेवा लागू किये जाने तक प्राथमिकता के आधार पर पीतमपुरा से केन्द्रीय सचिवालय के लिए कम से कम पीक-आवर सर्विस आरम्भ करेगी और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रूट नं० 114, 141, 921 और 938 की बसें पीतमपुरा से होते हुए शहर के विभिन्न स्थानों के लिए चलती हैं। इस सेवा के अलावा, अधिकतम यातायात के समय

प्रातः 8.30 बजे, 10.00 बजे और सांय 3.50 बजे और 5.50 बजे रूट नं० 901 की विशेष बसें चलायी जाती हैं। केन्द्रीय सचिवालय आने जाने वाले यात्रियों के लिए, आजादपुर, कश्मीरीगेट, पंजाबीबाग टर्मीनल और लाल किले के स्थानों पर बस बदलने की सुविधायें उपलब्ध हैं। दिल्ली परिवहन निगम के लिए शहर के सभी स्थानों से केन्द्रीय सचिवालय के लिए सीधी बसें चलना संभव नहीं है।

अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

432. **श्री बाबू लाल सौलंकी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 29 फरवरी, 1980 से पहले के 10 महीनों के अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960–100) के मासिक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) 12 महीनों के औसत आंकड़ों का विवरण क्या है ;

(ग) क्या मूल्य सूचकांक को मूल्य सूचकांक समिति की सिफारिशों के अनुसार संशोधित करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, संलग्न है।

(ग) और (घ) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

विवरण

वर्ष 1960–100 के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) और बारह महीनों की परिवर्ती औसत।

मास	मासिक सूचकांक	12 महीनों की परिवर्ती औसत
1979		
अप्रैल	337	332.67
मई	339	334.00
जून	345	335.50
जुलाई	353	337.42
अगस्त	360	339.83
सितम्बर	363	342.08
अक्तूबर	365	344.17
नवम्बर	368	346.50
दिसम्बर	374	349.75
1980		
जनवरी	371	353.00

नोट : फरवरी, 1980 के आंकड़े संकलित किये जा रहे हैं।

साहिबाबाद में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के एक औषधालय का खोला जाना

433. **श्री बाबू लाल सोलंकी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी स्थान पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय को खोलने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं ; और

(ख) क्या जिला गाजियाबाद के हिंडन पार क्षेत्र में रह रहे हजारों सरकारी कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार साहिबाबाद में एक औषधालय खोलने का है ; यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन एक नया औषधालय खोलने के लिए जो मानदण्ड अपनाया जाता है वह यह है कि किसी खास क्षेत्र/बस्ती के 3 किलोमीटर के घेरे में कम से कम 2000–2500 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी रहते हों ।

(ख) वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

53 हिमाचल एक्सप्रेस को साहिबाबाद स्टेशन पर ठहराना

434. **श्री बाबू लाल सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गाड़ियों के नाम और संख्या (पृथक-पृथक) क्या हैं जो गाजियाबाद और साहिबाबाद पर ठहरती हैं तथा उनके आगमन और प्रस्थान समय क्या-क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि 6 डी जी और 376 दिल्ली-बरेली सवारी गाड़ी के बीच साहिबाबाद स्टेशन पर कोई गाड़ी नहीं ठहरती है (यद्यपि उस अवधि के दौरान चार गाड़ियां बिना ठहरे गुजरती हैं) जिसके परिणामस्वरूप जो यात्री 6 डी जी गाड़ी पकड़ना चूक जाते हैं उन्हें लगभग तीन घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती है और वे लगभग आधी रात में साहिबाबाद पहुंचते हैं ;

(ग) क्या यात्रियों की कठिनाइयों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि बस भी आसानी से नहीं मिलती है, 53 हिमाचल एक्सप्रेस को साहिबाबाद पर ठहरने की व्यवस्था की जाएगी जो वहां 21.50 बजे पहुंचती है ;

(घ) यदि हां, तो 53 हिमाचल एक्सप्रेस को साहिबाबाद स्टेशन पर ठहराने की व्यवस्था कब तक की जाएगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) से (ङ) 6 डी जी और 676 दिल्ली–बरेली पैसेंजर गाड़ियों के बीच 6 डाक/एक्सप्रेस गाड़ियां दिल्ली से छूटती हैं और ये सभी गाड़ियां गाजियाबाद स्टेशन पर रूकती हैं, न कि साहिबाबाद स्टेशन पर । चूंकि ये सभी लम्बी दूरी की गाड़ियां हैं इसलिये इनमें से किसी भी गाड़ी

को साहिबाबाद स्टेशन पर रोकने का औचित्य नहीं समझा जाता है। 20.25 पर चलने वाली 6 डी जी के पश्चात् यात्री 22.50 पर दिल्ली से चलने वाली 376 यात्री गाड़ी से 23.16 बजे साहिबाबाद पहुंच सकते हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 487/80]

पंजाब मेल को मुरैना पर ठहराना

435. **श्री बाबू लाल सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संसद् सदस्य ने पंजाब मेल को मुरैना स्टेशन पर ठहराने (अप और डाउन दोनों तरफ) के बारे में कोई उन्हें पत्र लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली से मुरैना आने वाले लोगों और मुरैना से दिल्ली जाने वाले लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये पंजाब मेल को मुरैना पर ठहराने की व्यवस्था की गई है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब से किया गया है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मुरैना पर होने वाले यातायात को छः जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा जो इस समय मुरैना स्टेशन पर ठहरती हैं पर्याप्त रूप से सम्हाला जाता है। इसलिए पंजाब मेल को मुरैना स्टेशन पर ठहराने का यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है।

बन्धक मजदूरों की मुक्ति

436. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अब भी 28 लाख बन्धक मजदूर मौजूद हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन मजदूरों की मुक्ति के लिए सरकार के कार्यक्रम का विवरण क्या है ?

पर्यटन तथा नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अब तक पता लगाए गए और मुक्त कराये गये बंधित श्रमिकों की कुल संख्या 1,20,292 है। इनमें से 88,831 श्रमिक 1979-80 तक पुनर्वास के अन्तर्गत लाए गए हैं। संलग्न विवरण में राज्य-वार ब्यौरा दिया गया है।

दो विभिन्न नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर, विभिन्न अनंतिम अनुमान हैं, जिनमें बंधित श्रमिकों की विद्यमानता की संभावित संख्या लगभग 3.4 लाख से 22.4 लाख बताई गई है। तथापि यह केवल अनुमान हैं और इनसे यह पता नहीं चलता है कि बंधित श्रमिक पद्धति के बहुत से पंजीकृत या पता लगाए जाने वाले मामले हैं, क्योंकि इस पद्धति को बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 द्वारा पहले से ही समाप्त किया जा चुका है। राज्य सरकारों से, जो मुख्य रूप से इस अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेवार हैं और जिन्हें पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं, अनुरोध किया गया है कि वे संभाव्य क्षेत्रों में गहन स्थानीय सर्वेक्षण करें और ऐसे श्रमिकों को कारगर ढंग से मुक्त कराय, जहां कहीं ऐसे श्रमिक विद्यमान हों। ग्रामीण विकास और कमजोर वर्ग के कल्याण के संबंध में राज्यों में चल रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मुक्त कराये गए बंधित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता और समर्थन उपलब्ध है। इन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए, 1978–79 से केन्द्र द्वारा संचालित योजना भी चल रही है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत की बराबर-बराबर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह सहायता मुक्त कराए गए श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों के प्रस्तावों और उनके द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों के अनुसार दी जाती है। इनसे संबंधित राज्य-वार ब्यौरा भी संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य	गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा बंधित श्रमिकों की अनुमामित संख्या	बंधित श्रमिकों की संख्या					नवासित किए जाने वाले शेष बंधित श्रमिक (कालम 4 से 8)
			पता लगाए गए और मुक्त कराए गए	अब तक पुनर्वासित किए गए				
				अन्य चालू योजनाओं के अधीन	केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के अधीन		योग (कालम 5 से 7)	
					1978–79 के दौरान	1979–80 के दौरान अनुदानों के अंतर्गत आने वाली योजना		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आन्ध्र प्रदेश	3,25,000	12,504	2,662	2,920	1,586	7,168	5,336
2	बिहार	1,11,000	4,218	952	388	309	1,649	2,569
3	गुजरात	1,71,000	42	42	—	—	42	—
4	कर्नाटक	1,93,000	62,689	39,960*	378	1,521	41,859	20,830
5	केरल	—	700	138	110	—	248	452
6	मध्य प्रदेश	4,67,000	1,531	—	121	—	121	1,410

*अस्थायी रोजगार में लगाए गए 30,557 बंधित श्रमिक शामिल हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	महाराष्ट्र	1,05,000	—	—	—	—	—	—
8	उड़ीसा	—	311	—	308	—	308	3
9	राजस्थान	67,000	6,000	4,256	700	700	5,656	344
10	तमिलनाडु	2,50,000	27,828	27,311	—	—	27,311	517
11	उत्तर प्रदेश	5,55,000	4,469	1,368**	495	2,606	4,469	—
	योग	22,44,000	1,20,292	76,689	5,420	6,722	88,831	31,461

**अस्थायी रोजगार में लगाए गए।

भोगपुर और पंसपुरा के बीच नया स्टेशन

437. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हावड़ा–खड़गपुर मंडल में दक्षिण पूर्व रेल के भोगपुर और पंसपुरा स्टेशनों के बीच एक नया रेल स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो प्उसकी मंजूरी के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) भोगपुर और पांसपुर स्टेशनों के बीच एक हाल्ट/फ्लैग स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा जांच की गयी थी लेकिन इसका वित्तीय औचित्य नहीं पाया गया ।

कलकत्ता महानगर परिवहन परियोजना

438. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में महानगर परिवहन परियोजना कार्य में असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि महानगर परिवहन परियोजना के इंजीनियरी संबंधी आदेश उन पार्टियों को दिये जाने के जो पश्चिम बंगाल की नहीं हैं और भारी वस्तुओं के लिए टेंडर विदेशों से मंगाने की व्यवस्था के परिणामस्वरूप न केवल पश्चिम बंगाल के इंजीनियरी उद्योग का अपेक्षित विकास हो पा रहा है, अपितु परियोजना में विलम्ब भी हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या रेल मंत्रालय इन मामलों में कोई उपचारी उपाय करने पर विचार कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) दम दम टालीगंज द्रुत परिवहन वाहन का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और इस संबंध में कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है ।

इस कठिन परियोजना के लिए विश्व निविदा अथवा अन्य निविदायें मंगाने का मानदंड किसी क्षेत्रीयता के विचार पर आधारित नहीं है अपितु ठेकों की मांग करने वाली फर्मों के इस संबंध में अनुभव सक्षमता और उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये विशुद्ध रूप से तकनीकी विचार-विमर्श पर विनिश्चय किया जाता है । इस दृष्टि से कोई उपचारात्मक उपाय करना आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

अन्डमान मुख्य भूमि यात्री सेवा

439. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० वी० अण्डमान्स तथा एम० वी० नानकौरी नामक जलपोतों के किसी भी समय निष्कार्य हो जाने की सम्भावना के करण अण्डमान भूमि सेवा भंग हो जाने की आशंका है ।

(ख) क्या यह सच है कि अधिकारियों द्वारा इससे पुर्व उनके वायदे तथा व्यक्तव्य दिये जाने के बावजूद भी भारतीय नौवहन निगम ने भजगांव गोदी को एम०वी० विक्रमादित्य के निर्माण के लिये आदेश नहीं दिये हैं यदि हां, तो इसके क्या कराण हैं, और

(ग) यदि हां, तो इन दोनों जलपोतों के स्थान पर नये जलपोत चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :(क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । भारतीय नौवहन निगम ने जून 1971 में मजगांव डाक लिमिटेड को विक्रमादित्य नामक पैसेंजर व कार्गो जहाज बनाने का एक आर्डर दिया था ।

(ग) एम०वी० अण्डमान्स और एस० एस० ननकौरी नामक दोनों जहाजों का विशेष सर्वेक्षण करा कर इनकी चालन क्षमता की अवधि बढ़ा कर क्रमशः मई, 1982 और अपैल, 1983 कर दी गई है और ये दोनों जहाज भलीभांति चल रहे हैं।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

440. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बिहार में मोकामा से लखीसराय जमनी और बेलहार होते हुए फरक्का तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को स्वीकृति देने पर विचार कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : जी, नहीं । भारत सरकार वित्तीय कठिनाईयों और कुछ अन्य कार्यों को प्राथमिकता दिये जाने के कारण किसी भी नई सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं घोषित कर रही है ।

रेलवे सुरक्षा बल को बोनस

441. **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि सरकार ने रेल कर्मचारियों को बोनस देना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवेवार ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनको अब तक बोनस दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल को बोनस देने का निर्णय अभी नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कराण हैं और उनको बोनस देने का निर्णय कब तक किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) उत्पादकता सम्बद्ध बोनस योजना के महत्व को स्वीकार करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रेल कर्मचारियों

को 15 दिन की मजूरी का तदर्थ भुगतान किया गया/जा रहा है । उत्पादकता सम्बन्द्ध बोनस योजना 1979–80 के वित्त वर्ष से आरम्भ हुई है और इस वर्ष के लिये उत्पादकता सम्बद्ध बोनस 31 अक्तूबर, 1980 को देय होगा ।

(ख) जिन कर्मचारियों को 15 दिन का तदर्थ वेतन का भुगतान किया गया/किया जा रहा है, उनका रेलवेवार ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है ।

(ग) रेलवे सुरक्षा बल तथा रेलवे सुरक्षा विशेष बल उत्पादकता सम्बद्ध बोनस योजन के अन्तर्गत नहीं आते ।

(घ) रेलवे सुरक्षा बल तथा रेलवे सुरक्षा विशेष बल के आर्थिक लाभों सहित वर्तमान सेवा शर्तों में सुधार करने के प्रश्न पर अलग से विचार किया जा रहा है । आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही विनिश्चिय किया जायेगा ।

उत्तर सीमान्त रेलवे में तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती

442. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर सीमान्त रेलवे के लिए जिसका मुख्यालय गौहाटी में है, तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के भर्ती के लिए अलग से रेलवे सेवा आयोग है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पश्चिमी बंगाल तथा बिहार के प्रतिनिधियों को उक्त आयोग में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त आयोग द्वारा रेलवे में नई भर्तियों के विज्ञापन केवल आसाम से प्रकाशित समाचार पत्रों में निकाले जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) रेल सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और ए सदस्य-सचिव होता है। उन प्रत्येक राज्यों से, जहां से रेलें गुजरती हैं, एक प्रतिनिधि रखना व्यवहारिक नहीं है।

(घ) से (ङ) जी नहीं, यदि विज्ञापित पदों का न्यूतम वेतनमान 425 रु० से कम है तो कलकत्ता और पटना के समाचार पत्रों में भी विज्ञापन दिये जाते हैं । यदि न्यूनतम वेतन-मान 425 रु० से अधिक है तो अखिल भारतीय आधार पर समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जाते हैं ?

मुख्य सुरक्षा अधिकारी

443. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों में से गुजरने वाले रेल मार्ग के मामले में ऐसे सभी राज्यों के अधिकारियों को बारी-बारी से उस रेल मार्ग का मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उत्तर सीमान्त रेलवे में इस प्रथा क अमल नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और सरकार की उस पर क प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं, भ नियमों के अनुसार मुख्य सुरक्षा अधिकारियों के पद अन्य उमीदवारों के साथ-सा भारतीय पुलिस सेवा के उपयुक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जा सकते हैं आमतौर पर जिन राज्यों से होकर कोई क्षेत्रीय रेल गुजरती है उन राज्यों के भारत पुलिस सेवा के अधिकारियों को मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के व में विचार किया जाता है परन्तु अन्तिम रूप से व्यक्ति का उपयुक्तता, अनुभव और का कुशलता के आधार पर, विशेष कर राज्य मुख्यालयों के साथ सम्पर्क करके, चयन कि जाता है ।

(ख) और (ग) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का एक बड़ा भाग असम राज्य की भौगोलि सीमा के अन्तर्गत पड़ता है और रेलवे का मुख्यालय भी असम राज्य में ही स्थित है इसलिये असम संवर्ग के अधिकारियों को प्रशासनिक हित में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर मु सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है ।

रेलवे बुकिंग के लिये कमप्यूटर लगाना

444. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेलवे बुकिंग के लिए कम्प्यूटर प्रणाली शुरू करने का विच है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि इस कदम को उठाने से बहुत सारे कर्मचारी बेरोजग हो जाएंगे और इससे रेलवे विभाग में रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) और (ख) रेल मंत्रा ने संगणीकृत यात्री आरक्षण प्रारम्भ करना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है ।

(ग) यह तथ्य नहीं है । इस कदम से किसी प्रकार की छटनी की संभावना न है । जहां तक नियोजन की संभावना का सम्बन्ध है, अभी इस बारे में मूल्यांकन कर कठिन है क्योंकि इस योजना का अभी अध्ययन किया जा रहा है ।

दिल्ली परिवहन योजना

445. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्रीमती मोहसिना किदवई :
श्री आर० के० महालगी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन योजना को ताक पर रख दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) 22 करोड़ रुपये की लागत से शकूरबस्ती और तुगलकाबाद में स्पर लाइनें सहित रिंग रेलवे के साथ-साथ विद्युतीकृत रेल दैनिक यात्री सेवाओं की व्यवस्था करने से सम्बन्धित योजना अभी तक योजना आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा 4 जनवरी, 1980 को सचिव स्तर पर एक अन्तर्मंत्रालय बैठक आयोजित की गई थी । इस बैठक में लिये गये निर्णयों से पता चलता है कि इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है परन्तु योजना आयोग यह महसूस करता है कि परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने से पहले दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के लिये विशिष्ट कार्यक्रम बनाये जाने चाहिएं तथा इस सम्बन्ध में उपाय किये जाने चाहिएं ।

2. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए योजना आयोग द्वारा योजना को स्वीकृति प्रदान करने तथा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात् ही रेलवे द्वारा इस परियोजना पर काम शुरू किया जा सकता है ।

फेफड़ों के क्षयरोग के लिये बी० सी० जी० के टीकों के प्रयोग के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बैठक

446. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में बड़े पैमाने पर किये गये परीक्षणों के निष्कर्षों कि बी० सी० जी० का टीका फेफड़ों के क्षेयरोग के विरुद्ध कोई संरक्षण नहीं देता है, की जांच के लिए क्षयरोग के विशेषज्ञों की दो बैठकें आयोजित करेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन का दो बैठकें बुलाने का प्रस्ताव है । इन बैठकों का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. **28 अप्रैल से 2 मई 1980 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन/नई दिल्ली में क्षयरोग के टीके संबंधी वैज्ञानिक दल की बैठक :**

प्रख्यात वैज्ञानिकों की यह बैठक विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व को यह सलाह देगी कि भारत में क्षयरोग निवारण परीक्षण के निष्कर्षों पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए आगे क्या अनुसंधान किया जाना चाहिए ।

2. **24 से 27 जून, 1980 तक जनेवा में बी० सी० जी० टीका नीति संबंधी अध्ययन दल ;**

यह अध्ययन दल, जिसमें जन स्वास्थ्य प्रशासक, कार्यक्रम प्रबन्धक तथा नीति निर्माता भी होंगे, इस संपूर्ण विषय पर तथा वैज्ञानिक दल की सिफारिशों पर विचार करेगा और यह सलाह देगा कि बी० सी० जी० टीका के संबंध में वर्तमान जानकारी से क्या कोई नीति संबंधी निर्णय लिए जाएं और लिए जाएं तो क्या-क्या निर्णय लिए जाएं ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका जन स्वास्थ्य सेवा से मिल कर किए गए क्षयरोग निवारण परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि फुफ्फुस यक्ष्मा के बेसिलरी रूप के विकसित होने से बी०सी०जी० से कोई बचाव होता है इसका पता नहीं चला । इस रिपोर्ट का संक्षिप्त पाठ भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान पत्रिका के सितम्बर, 1979 के अंक में प्रकाशित किया गया है । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के तत्वाधान में एक विशेषज्ञ दल ने इस रिपोर्ट की जांच की थी जिसने यह राय व्यक्त की है कि ट्यूबरक्ल बेसिली के मूल संक्रमण के बाद होने वाले क्लिनिकल रोग की घटनाओं को कम करने में बी सी०जी० टीका की कुप्रभावकारिता के बारे में वर्तमान अध्ययन से कोई भी निश्चित प्रमाण नहीं मिला है जबकि चिकित्सा साहित्य में ऐसे अनेक परीक्षण मिलते हैं जिनसे यह पता चलता है कि इन क्लिनिकल रोगों में बी०सी०जी० टीके मे वस्तुत: काफी हद तक बचाव होता है । अत: उन्होंने यह सलाह दी है कि बच्चों को बचपन में बी०सी०जी० का टीका लगाने की वर्तमान पद्धति को बंद न किया जाए ताकि बी०सी०जी० टीका के संभावित लाभों से बच्चों को, जिन्हें रोग जल्दी पकड़ लेते हैं, वंचित न किया जाए ।

औद्योगिक संबंध विधेयक

447. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विधेयक के सभा के समक्ष कब तक आने की आशा है;

(ग) क्या प्रस्तावित विधेयक में मजदूरों तथा कर्मचारियों की आवश्यकता पर आधारित न्यूतम मजूरी के भुगतान का कोई उपबंध है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (घ) सम्पूर्ण विषय विचाराधीन है ।

फतुआ-इस्लामपुर छोटी रेल लाइन के गेज में परिवर्तन

448. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत समय से बिहार राज्य में फतुआ-इस्लामपुर छोटी रेल लाइन बन्द पड़ी है और इसके परिणामस्वरूप लाखों यात्रियों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का छोटी रेल लाइन के स्थान पर बड़ी लाइन डालकर यात्रियों को सुविधा देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) फतुवा-इस्लामपुर लाइट रेलवे की गाड़ी सेवाएं, जो भीषण बाढ़ से हुई क्षति के कारण कुछ समय तक स्थगित रही थीं, उचित मरम्मत के बाद पहले ही शुरू कर दी गई हैं और अब भी चल रही हैं ।

(ख) और (ग) जी नहीं, भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बिहार में बीड़ी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान

449. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के नालन्दा जिले में बिहार शरीफ म्यूनिसिपल क्षेत्रों तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में बीड़ी कारखानों में बीड़ी मजदूरों के रूप में काम कर रहे पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन बीड़ी कारखानों में बीड़ी मजदूरों के रूप में काम कर रहे पुरुषों तथा महिलाओं को देय सरकार द्वारा निर्धारित महगांई भत्ते की बड़ी राशि इन बीड़ी कारखानों की ओर बकाया है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि देय है और यह कब से बकाया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार मजदूरों को मंहगाई भत्ते की राशि का यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कराण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) :(क),(ख), (ग) और (घ) : राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

गया तथा पटना के बीच दोहरी लाईन

450. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की गया जंकशन तथा पटना जंकशन के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाने की कोई योजना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) जी नहीं । वर्तमान यातायात के लिए इस खंड की क्षमता पर्याप्त है ।

बंगलौर-मैसूर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

451. **श्री टी० आर० शमन्ना** : : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर-मैसूर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना अब किस चरण में है; और

(ख) परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) यह काम 1979-80 में अनुमोदित किया गया है और पुलों को मजबूत करने का काम प्रारम्भ किया जा चुका है ।

(ख) यह काम निधियों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रहा है, जिसके आधार पर, वर्तमान सम्भावना यह है कि यह परियोजना 2 से 3 वर्षों में पूरी की जा सकती है वशर्ते निधि उपलब्ध हो ।

पाकिस्तान स्थित भारत के मिशनों की अकार्यकुशलता

453. **श्री आर० के० महालगी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान "इण्डो-पाक टाइज" (भारत पाक सम्बन्ध) शीर्षक के अन्तर्गत दिनांक 18-2-80 के 'टाइम्स और इंडिया' (बम्बई संस्करण) के 'लेटर्स' स्तम्भ में प्रकाशित दो पत्रों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने प्रचार क्षेत्र के सम्बन्ध में, विशेषकर दिसम्बर, 1971 से "इण्डिया वीकली" नामक समाचार बुलेटिन जारी न करने में, कराची और इस्लामाबाद स्थित भारत के मिशनों की कथित अकार्यकुशलता की ओर ध्यान दिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत ने, भारत और पाकिस्तान से प्रकाशित होने वाले कुछ समाचार-पत्रों और पात्रिकाओं पर दोनों देशों के बीच सुलह की भावना होने के बावजूद रोक लगा दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां ।

(ख), ((ग) और (घ) यह तो सही है कि 1976 में पाकिस्तान में अपने मिशनों के पुन: खोले जाने के बाद से इस्लामाबाद और कराची स्थित भारतीय मिशन नियमित रूप से बुलेटिनों का प्रकाशन नहीं कर पाये हैं, लेकिन वहां की परिस्थितियों की बाध्यता के कारण ऐसा हुआ है और इससे हमारे मिशनों की कार्य-कुशलता में कमी का कोई संकेत नहीं मिलता है । वास्तव में इस्लामाबाद तथा कराची स्थित भारतीय मिशन एक दूसरे देश की यात्रा करने वाले भारतीय और पाकिस्तानी पत्रकारों, संगीतज्ञों, कलाकारों और प्रोफेसरों की सक्रियतापूर्वक सहायता करते रहे हैं। उन्होंने समय-समय पर सांस्कृतिक तथा संगीत समारोहों, फिल्म शो तथा भाषणों का भी आयोजन किया है । इन मिशनों ने विशेष अवसरों पर समाचार और फीचर बुलेटिन भी प्रकाशित किये हैं । यह कहना सही नहीं है कि भारत और पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच समाचार पत्रों और पत्र-पत्रिकाओं के आदान-प्रदान पर रोक लगा दी है । भारत और पाकिस्तान की अनेक संस्थाओं के बीच पारस्परिकता के आधार पर समाचार पत्रों और पत्र-पत्रिकाओं का आदान-प्रदान हो रहा है। लेकिन वाणिज्यिक आधार पर समाचार पत्रों का आदान-प्रदान भारत-पाकिस्तान वाणिज्यक करार को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही हो सकेगा जो इस समय दोनों सरकारों के विचाराधीन हैं ।

राजदूतों द्वारा पद-त्याग

454. श्री एन० ई० होरो : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राजदूतों ने केन्द्र में नई सरकार द्वारा कार्यभार सम्भाले जाने के बाद राजदूत का पद छोड़ने की अपनी इच्छा प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राजदूतों के नाम क्या हैं जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है अथवा सरकार ने उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) नई सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर त्रिनिडाड में हमारे हाई कमिश्नर श्री गजसिंह जोधपुर ने अपने पद से हटने का प्रस्ताव किया था । सरकार ने उनसे जून 1980 के अंत तक इस पद पर बने रहने का अनुरोध किया है जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है ।

काम के अधिकार को मूल अधिकार बनाना

455. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "काम के अधिकार" को मूल अधिकार के रूप में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी पहल कब की जायेगी तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) : सरकार का विचार है कि "कार्य के अधिकार" को तभी मूल अधिकार बनाया जाए जबकि किसी व्यक्ति के लिए कार्य के अधिकार की स्थितियां वास्तविकता बन सके अन्यथा कार्य का अधिकार खोखला वायदा रह जायेगा । सरकार बेरोजगारी और गरीबी हटाने के लिए प्रयास कर रही है और क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं और कार्यक्रमों को इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु तीव्र किया गया है । 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को पुनः लागू करने से इस लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र होगी ।

भूतपूर्व विदेश मंत्री का विदेशों का दौरा

456. श्री भगवान देव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977–78, 1978–79 और जुलाई 1979 तक भूतपूर्व विदेश मंत्री कितने दिन भारत में तथा कितने दिन विदेशों में रहे;

(ख) इस अवधि में उनके विदेश दौरों पर कितना व्यय हुआ ;

(ग) इन सभी विदेश दौरों पर उनके साथ जाने वाले पुरुषों और महिलाओं के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सभी पुरुष और महिलाएं उनके साथ सरकारी अथवा गैर-सरकारी प्रयोजनों से गए ; और

(ङ) सरकार ने उनके विदेश दौरों पर कितना व्यय किया ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) वर्ष 1977-78, 1978-79 और जुलाई 1979 तक तत्कालीन विदेश मंत्री 717 दिन भारत में और 225 दिन विदेश में रहे ।

(ख) उनकी विदेश यात्रा पर 7,30,959.95 रुपए खर्च हुए ।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) उनके साथ जाने वाले सभी अधिकारी सरकारी काम से गए थे ।

(ङ) तत्कालीन विदेश मंत्री के साथ विदेश में गए दलों पर 13,04,142.62 रुपए खर्च हुए थे ।

विवरण

क्रम सं०	देश का नाम	विदेश मंत्री के साथ जाने वाले पुरुषों और महिलाओं के नाम
1	2	3
		सर्व/श्री
1	फ्रांस	जे० एस० मेहता, वी० के० आहूजा, आर० एन० मल्होत्रा, के० जी० बेद्य प्रकाश शाह, कुमारी अरुंधती घोष और ए० मुबई
2	यू० के०	प्रधान मंत्री के साथ गए
3	नेपाल	जे० एस० मेहता, सी० वी० रंगनाथन, ए० एन० वर्मा, ए० मुबई और ए० एस० भसीन
4	तंजानिया	वी० के० आहुजा, ए० के० दामोदरन, आर० के० आनन्द, ए० एफ० कोऊती, पी० एम० एस० मलिक और ए० मुबई
5	बर्मा	एम० ए० वेल्लोडी, एस० शाहबुद्दीन, ए० मुबई और पी० के० भूटियानी
6	अफगानिस्तान	ज० एस० मेहता, डा० एल० पी० सिंह, आर० के० जेरथ, ए० मुबई और आर० ए० के० शेरवानी

1	2	3
7	यू० एस० ए० (यू० एन०)	ए० मुबई
8	यू० एस० एस० आर०	प्रधान मंत्री के साथ गए
9	यूगोस्लाविया	जे० एस० मेहता, ए० के० दामोदरन, ए० मुबई और आर० सेन
10	भूटान	जे० एस० मेहता, सी० वी० रंगनाथन, पी० घोष और बी० आर० जस्सल ।
11	नेपाल	प्रधान मंत्री के साथ गए ।
12	पाकिस्तान	जे० एस० मेहता, आई० पी० सिंह, एस० वी० पुरुषोत्तम, ए० मुबई, श्रीमती एल० के० पोनप्पा, आकाशवाणी का एक प्रतिनिधि, दूरदर्शन के दो प्रतिनिधि और फोटो प्रभाग का एक प्रतिनिधि ।
13	आस्ट्रेलिया	प्रधान मंत्री के साथ गए ।
14	मारीशस	एम० ए० वेल्लोडी, आर० के० आनन्द, के० के० भार्गव, ए० मुबई और बी० पी० सिंह ।
15	यू० एस० ए०	जे० एस० मेहता, वी० के० अहूजा और पी० घोष ।
16	आस्ट्रिया	जे० एस० मेहता और ए० मुबई ।
17	ईरान	जे० एस० मेहता, वी० के० अहूजा और एस० एन० मेहरा ।
18	बेल्जियम, यू० के० तथा यू० एस० ए०	प्रधान मंत्री के साथ गए ।
19	यूगोस्लाविया	जे० एस० मेहता, आर० जयपाल, एन० पी० जैन, एम० दुबे, कुमारी ए० घोष, आर० एन० मुलये, आर० एम० आयंकर और पी० घोष ।
20	जापान, कोरिया गणराज्य तथा हांगकांग	एम० ए० वेल्लोडी, ई० गोन्साल्वेज, सी० वी० रंगनाथन, ए० मुबई और श्रीमती एस० विश्वनाथन ।

1	2	3
21	यू० एस० एस० आर० तथा अफगानिस्तान	जे० एस० मेहता, ए० आर० देव, एस० वी० पुरुषोत्तम, पी० घोष, एम० वी० ओक, डा० आई० पी० सिंह, और डा० आर० ए० के० शेरवानी ।
22	यू० एस० ए० (यू० एन)	ए० मुबई ।
23	नेपाल	जे० एस० मेहता, सी० वी० रंगनाथन, एल० पी० कपिला और ए० एस० भसीन
24	चीन लोक गणराज्य	जे० एस० मेहता, ई० गोन्साल्वेज, एस० वी० पुरुषोत्तम, सी० वी० रंगनाथन, वी० वी० परांजपे, ए० मुबई और जी० एन० राव ।
25	मोजाम्बिक तथा कीनिया	एम० ए० वेल्लोडी, एन० पी० जैन, वी० सीकरी, पी० घोष और जे० एस० मेहता ।
26	बंगलादेश	प्रधानमंत्री के साथ गए ।
27	यू० एस० ए०	जे० एस० मेहता, पी० पी० डी० सूजा, जे० एन० दीक्षित, टी० बालाकृष्णन और ए० मुबई ।
28	कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सीरिया तथा ईराक	जे० एस० मेहता, पी० पी० डी'सूजा, जे० एन० दीक्षित, टी० बालाकृष्णन और पी० घोष
29	श्रीलंका	जे० एस० मेहता, टी० अब्राहम, एन० कृष्णन, बी० सी० मिश्रा, एम० दुबे, आर० एन० मुलये, सुशील दुबे और नलिन सूरी ।
30	यू० एस० एस० आर० पोलेंड, चेकोस्लोवाकिया एवं यूगोस्लाविया	प्रधान मंत्री के साथ गए ।
31	अल्जीरिया	जे० एस० मेहता एवं एस० एन० मेहरा ।

पाकिस्तान के बारे में सोवियत संघ के विदेश मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

457. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ के विदेश मंत्री ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में एक वक्तव्य दिया है जिसमें पाकिस्तान सरकार को उसके द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण की किसी कार्यवाही किये जाने के विरुद्ध चेतावनी दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस वक्तव्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क), (ख) और (ग) विदेश मंत्री द्वारा श्री ग्रोमिको के सम्मान में आयोजित रात्रि-भोज और श्री ग्रोमिको द्वारा दिये गये रात्रि-भोज के अवसरों पर उनके भाषणों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है । इन प्रलेखों से यह स्पष्ट होता है कि सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के विदेश मंत्री सिर्फ यह बता रहे थे कि पाकिस्तान की विदेश नीति के प्रति उनकी सरकार का क्या दृष्टिकोण है । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4881/80[.

विदेश सचिव की पाकिस्तान यात्रा

458. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1980 के स्टेट्समैन में छपे इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति के विदेशी मामलों के सलाहकार ने यह कहा है कि यद्यपि सोवियत रूस हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है परन्तु फिर भी पाकिस्तान को मुख्य खतरा भारत से ही है ;

(ख) क्या फरवरी 1980 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हुई भारत के विदेश सचिव की सरकारी वार्ता के दौरान भी पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा यही भाव व्यक्त किए गए थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पाकिस्तान के रवैये को भारत के प्रति युद्धकारक समझती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या देश ने पाकिस्तान को हमारे खिलाफ, विशेष रूप से बड़ी मात्रा में हथियारों की सहायता लेने के पश्चात् किसी आक्रामक योजना के विरुद्ध चेतावनी दी है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) (ग) एवं (घ) फरवरी 1980 में पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ विदेश सचिव की बातचीत के दौरान भारत-पाकिस्तान संबंधों के विभिन्न पहलुओं के बारे में विचारों का आदान-प्रदान हुआ और पाकिस्तानी अधिकारियो को यह बताया गया कि यद्यपि पाकिस्तान की प्रादेशिक अखंडता, सुरक्षा और स्थिरता का भारत सम्मान करता है, फिर भी पाकिस्तान में हथियार मंगाये जाने के प्रयत्नों को वह चिन्ताजनक मानता है क्योंकि इससे शिमला समझौते में परिकल्पित सामान्यीकरण की प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न होगा।

भारत-पाकिस्तान संबंध

459. श्री के० मालन्ना : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया है कि इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों द्वारा हथियारों के दिये जाने से शिमला समझौते की यह प्रक्रिया विफल हो जायेगी जिसके अनुसार दोनों देशों के बीच सभी मसलों को आपसी बात-चीत के द्वारा सुलझाये जाने की व्यवस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत सरकार ने इस क्षेत्र में बाहर से हथियार मंगवाने के प्रयत्न पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है और यह बताया है कि इससे भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों के सामान्यीकरण, जिसके लिए दोनों देश शिमला-समझौते के अन्तर्गत प्रतिबद्ध हैं, की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने बताया है कि उनके द्वारा प्राप्त किये जा रहे हथियार सुरक्षात्मक उद्देश्यों और पश्चिमी सीमा पर उत्पन्न कथित खतरों का सामाना करने के लिए हैं।

पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

460. श्री मूल चन्द डागा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों ने नाम क्या हैं जिन्होंने गत वर्ष पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार सप्लाई किये और उनमें से प्रत्येक ने कितने-कितने हथियार सप्लाई किये हैं ;

(ख) इन देशों के साथ चल रही बात-चीत का ब्यौरा क्या है ताकि हमारे देश की सुरक्षा खतरे में न पड़े ; और

(ग) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) यह ज्ञात हुआ है कि संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस और चीन ने पिछले वर्ष विभिन्न प्रकार के हथियार, जिसमें टैंक, विमान, रेडार, ध्वंसक जहाज, पनडुब्बी तथा कई प्रकार की तोपें शामिल हैं, पाकिस्तान को देने की संविदा की है अथवा उन्हें सप्लाई किया है।

(ख) और (ग) सरकार इस मामले में सभी संबद्ध सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं और भारत की सुरक्षा सम्बन्धी हितों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध

461. श्री मूल चन्द डागा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान शिमला समझौते की शर्तें स्वीकार कर रहा है या नहीं और यदि नहीं, तो कौन-सी शर्तें स्वीकार नहीं की जा रही हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने काश्मीर के मामले को वर्तमान सरकार के साथ पुनः उठाया है और यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) पाकिस्तान सरकार ने शिमला करार के अन्तर्गत भारत के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की अपनी वचनबद्धता को हाल ही में दुहरांया है । राष्ट्रपति जिया ने इसकी सूचना प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गान्धी को प्रेषित अपने पत्र में दी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से यह स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर के प्रश्न को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना इस प्रश्न का शिमला करार की रूपरेखा के अन्तर्गत शांतिपूर्वक और द्वपीक्षीय रूप से समाधान निकालने की उनकी प्रतिवद्धता के विरुद्ध है ।

न्यूनतम मंजूरी अधिनियम का पालन न करने संबंधी मामले

462. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या श्रम मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में वर्ष 1978-79 और वर्ष 1979–80 में जनता पार्टी के शासन काल में न्यूनतम मजूरी अधिनियम का पालन न करने सम्बन्धी कितने मामले सूचित किये गये थे;

(ख) क्या इसका एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) क्या इसे सख्ती से लागू करने की दृष्टि से सरकार का विचार न्यूनतम मजूरी अधिनियम की समीक्षा करने का है ?

पर्यटन तथा नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्रित करने के वाद एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

दिल्ली के अस्पतालों में अप्रयुक्त पड़े चिकित्सा उपकरण

463. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 25 जनवरी, 1980 के "दैनिक हिन्दुस्तान" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की जांच की है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक डा० आई० डी० वजाज ने यह बताया है कि रख-रखाव के न होने के कारण दिल्ली के अस्पतालों में करोड़ों रुपए मूल्य के चिकित्सा उपकरण अप्रयुक्त पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो अस्पताल-वार अप्रयुक्त पड़े हुए प्रत्येक उपकरण का नाम और लागत क्या है ; और

(ग) अस्पतालों में इनके प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क), (ख) और (ग) 25 जनवरी, 1980 के हिन्दी दैनिक 'हिन्दुस्तान' में दिया गया सही पाठ इस प्रकार है :-

> स्वास्थ्य सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक डा० आई० डी० बजाज के अनुसार करोड़ों रुपए के मूल्य के चिकित्सा उपकरण देखभाल के अभाव में अस्पतालों में बेकार पड़े हैं।

डा० बजाज ने यह वक्तव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में "आयुर्विज्ञान इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी" पर भारत-जापान तकनीकी फोरम के उद्घाटन समारोह में दिया था। अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक केवल देश के अस्तपालों में आधुनिकतम चिकित्सा उपकरणों की सही ढंग से मरम्मत और रख-रखाव करने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने सुझाव दिया था कि ऐसे उपकरणों की मरम्मत और रख-रखाव सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने के लिए तरीके निकाले जाने चाहिएं।

विदेश सचिव की पाकिस्तान यात्रा

464. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या विदश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि हमारे विदेश सचिव ने हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा की है ; और

(ख) यदि हां, तो अमरीकी सहायता से अपनी रक्षा सम्बन्धी स्थिति मजबूत बनाते हुए, पाकिस्तानी प्रयासों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी नेताओं के साथ हुई भेंट में उनकी यात्रा का क्या परिणाम रहा ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां। विदेश सचिव ने 4 से 7 फरवरी, 1980 तक पाकिस्तान की यात्रा की। यात्रा के दौरान इस क्षेत्र में बाहर से हथियार मंगवाने के प्रयत्नों पर भारत की चिन्ता से पाकिस्तान सरकार को अवगत कराया गया और इस बात पर बल दिया गया कि इससे तनाव कम होने की बजाय और अधिक बढ़ जायेंगे तथा भारत और पाकिस्तान के बीच के सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस बातचीत के परिणामस्वरूप इस मामले पर एक-दूसरे के विचार को बेहतर ढंग से समझा गया।

पाकिस्तान द्वारा हथियार एकत्र किया जाना और उसका शिमला समझौते पर प्रभाव

465. डा० फारुक अब्दुल्ला : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान को यह बात स्पष्ट कर दी है कि इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों द्वारा हथियार दिये जाने से दोनों देशों के बीच सभी मामलों को आपसी बातचीत द्वारा हल करने की शिमला समझौते की प्रक्रिया विफल हो जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने पाकिस्तान को यह भी बताया है कि इस्लामाबाद में हुई इस्लामी विदेश मंत्रियों की बैठक सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों में काश्मीर समस्या के उल्लेख से शिमला समझौते की शर्तों का उल्लंघन हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(घ) क्या इस बात के बावजूद भी पाकिस्तान ने चीन और अमरीका से बड़ी मात्रा में मिलिटरी का सामान प्राप्त किया है और फ्रांस परमाणु बम बनाने में उसकी सहायता कर रहा है ; और

(ङ) भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत सरकार ने इस क्षेत्र में बाहर से हथियार मंगवाने के खतरों से पाकिस्तान सरकार को आगाह करने का प्रयत्न किया है और बताया है कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य बनाने और सुधारने की उस प्रक्रिया के लिए हानिकारक होगा, जिसके प्रति दोनों देश शिमला करार के अंतर्गत वचनबद्ध हैं ।

(ख) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को यह भी बताया है कि कश्मीर के प्रश्न को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर इसके बारे में उत्तेजनात्मक दृष्टिकोण अपनाना, शिमला करार की शर्तों के अंतर्गत इस प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता के विरुद्ध है ।

(ग) लेकिन पाकिस्तान सरकार ने यह बताया है कि वह कश्मीर के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने के लिए स्वतंत्र है ।

(घ) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि अमरीका की सरकार ने 15 करोड़ डालर की सैन्य सामग्री की बिक्री में, जिसके बारे में पहले से कार्रवाई चल रही है, के काम में तेजी लाने तथा अगले 19 महीनों में आर्थिक एवं सैनिक सहायता के लिए 40 करोड़ डालर की व्यवस्था करने की घोषणा की है । चीन लोक गणराज्य की सरकार ने भी बताया है कि वह पाकिस्तान को आर्थिक एवं सैनिक सहायता प्रदान करता रहेगा । सरकार को इस बात का कोई सबूत देखने में नहीं मिला है कि फ्रांस पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने में सहायता कर रहा है ।

(ङ) सरकार निरन्तर इस स्थिति की समीक्षा कर रही है और सभी संबद्ध सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं ।

कृषि श्रमिकों के लिये निर्धारित न्यूनतम मंजूरी लागू करना

466. श्री पी० के० कोडियन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कृषि श्रमिकों के लिये निर्धारित न्यूनतम मजूरी लागू नहीं की गई है ;

(ख) क्या अधिकांश राज्यों में यें मजूरी दरें लागू करने के लिये कोई मशीनरी नहीं है ;

(ग) क्या न्यूनतम मजूरी की दरें लागू करने के लिए ग्रामीण श्रमिकों के संगठनों ने राज्यों तथा केन्द्र में पृथक प्रवर्तन मशीनरी की स्थापना की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा नागरविमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकारें सामान्यतया कृषि श्रमिकों के लिए उनके द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के लिए कदम उठाती हैं और अधिकतर राज्यों में प्रवर्तन मशीनरी स्थापित हैं ।

(ग) केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

फिलिस्तीनियों के लिए भारतीय समर्थन

467. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामी सम्मेलन के मिशनों के अध्यक्षों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह फिलिस्तीनियों के पक्ष में समर्थन मजबूती से दे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां । इस्लामी सम्मेलन राज्य के नई दिल्ली स्थित मिशन-प्रमुखों ने 12 नवम्बर, 1979 को तत्कालीन विदेश मंत्री को एक स्मरण-पत्र दिया जिसमें उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि फिलिस्तीनियों की समस्या के प्रति और अधिक एक-जुटता प्रदर्शित करने पर विचार किया जाये । स्मरण-पत्र में इजरायलियों द्वारा अरब जेरुसलम के अवैध कब्जे की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए भारत सरकार से यह अनुरोध भी किया गया था कि 19 नवम्बर, 1979 को जेरुसलम में नव वर्ष की शुरूआत के अवसर पर भारत की ओर से एक उपयुक्त वक्तव्य तथा एक स्मारक डाक-टिकट जारी किया जाये ।

जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है हाल ही में इस्लामी सम्मेलन के सदस्य राज्यों के मिशन-प्रमुखों ने 26 फरवरी, 1980 को अशोक होटल में एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया था जिसका उद्देश्य फिलिस्तीनी समस्याओं को प्रकाश में लाना तथा इजरायल की अडियल तथा विस्तारवादी नीतियों पर रोक लगाने के संबंध में और अधिक प्रभावकारी उपाय खोजने के लिए विश्व-समुदाय से अनुरोध करना था । कुछ समाचार पत्रों में इस संवाददाता-सम्मेलन की जो रिपोर्ट छपी, उसमें फिलिस्तीनियों की समस्या के प्रति और अधिक समर्थन प्रदान करने के लिए भारत सरकार से किये गए अनुरोध का भी उल्लेख था ।

(ख) जहां तक फिलिस्तीनी आन्दोलन के प्रति भारत सरकार के समर्थन का प्रश्न है, इसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनेक अवसरों पर की गई है । भारत यह मानता है कि फिलिस्तीनी समस्या की जड़ में वस्तुतः पश्चिम एशिया की समस्या मौजूद है । जब तक इस समस्या का ऐसा हल नहीं निकाल लिया जाता जिससे कि फिलिस्तीनी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक पश्चिम एशिया में न्यायोचित एवं स्थायी शांति कायम नहीं हो सकती । सरकार के इस दृढ़ मत की सामान्य रूप से अरब देशों और विशेष रूप से फिलिस्तीनियों द्वारा बहुत सराहना की गई है। इस्लामी

सम्मेलन के सदस्य राज्यों के मिशन-प्रमुखों द्वारा दिए गए स्मरण-पत्र में भी इसकी यथोचित रूप से सराहना की गई है । हाल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन कार्यालय के निदेशक ने भारत सरकार से मिल रहे समर्थन पर संतोष व्यक्त किया है ।

यूरेनियम संवर्धन प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान के प्रयास

468. **श्री सतीश अग्रवाल :** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान अन्य देशों से यूरेनियम संवर्धन प्रौद्योगिकी का ज्ञान प्राप्त करने की निरन्तर कोशिश कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि नेदरलैंड सरकार ने यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने संभावतया "चोरी" से ज्ञान प्राप्त किया है ; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये अत्याधिक सतर्कता बरती है कि हमारी ऐसी उपलब्धियां, जो शांतिपूर्ण कार्यों के लिये हैं; अन्य देशों को न दी जायें ।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) :

(क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली परिवहन निगम के वर्ष 1977–78 के प्रमाणित लेखे और समीक्षा और विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण आदि

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम के वर्ष 1977–78 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम के वर्ष 1977–78 के लेखे की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(तीन) लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल०टी० सं० 396/80]

(2) व्यापार पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पोत परिवहन विकास निधि समिति के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल०टी० सं० 397/80]

मध्य प्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं मध्य प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मध्य प्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) अधिसूचना संख्या 3828-एफ-4-80-(पीए)-इक्कीस-ए, जो दिनांक 6 फरवरी, 1980 के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम, 1957 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये एल० टी० सं० 398/80]

(दो) अधिसूचना संख्या 3830-एफ-4-80-(पीए)-इक्कीस-ए, जो दिनांक 6 फरवरी, 1980 के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश विधान सभा सदस्य पेंशन नियम, 1977 में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये एल०टी० सं० 399/80]

(तीन) अधिसूचना संख्या 3832-एफ-4-80-(पीए)-इक्कीस-ए, जो दिनांक 6 फरवरी, 1980 के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश विधान सभा सदस्य (वकाया राशि की वसूली) नियम, 1977 में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये एल० टी० सं० 400/80]

(चार) अधिसूचना संख्या 3834-एफ-4-80-(पीए)-इक्कीस-ए, जो दिनांक 6 फरवरी, 1980 के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क यात्रा) नियम, 1978 में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये एल०टी० सं० 401/80]

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1977–78, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1977–78 के प्रमाणित लेखे, हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन और **खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1979** ।

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1977–78 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 402/80]

(2) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1977–78 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल०टी० सं० 403/80]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 404/80]

(4) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 231 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 405/80]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 55 (ङ) (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 18 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति, तथा हेसियन को छोड़कर पटसन माल को निर्यात शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 406/80]

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत अधिसूचना और उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड बहरामपुर, गंजम के वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे, सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जफ़र शरीफ़) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 56 (ख) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० आ० 111 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कतिपय स्टेशनों को 'अधिसूचित स्टेशन' घोषित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 407/80]

उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड बहरामपुर, गंजम के वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 408/80]

तारांकित प्रश्न संख्या 268, दिनांक 30-6-1977 के उत्तर में शुद्धि करने के बारे में वक्तव्य

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, श्री राजनारायण ने श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा 30-6-77 को पूछे गये तारांकित प्रश्न के बारे में पूरक प्रश्न का उत्तर देते समय अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि अब तक मिली सूचना के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपायुक्त को परिवार नियोजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रेरणा राशि के रूप में 4,370/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व उपायुक्त श्री जगमोहन के 1-7-1977 के अभिवेदन पर, जिसमें उपर्युक्त वक्तव्य को चुनौती दी गई थी, दिल्ली प्रशासन से

4-7-1977 को अनुरोध किया गया कि वे वास्तविक स्थिति से अवगत करायें। दिल्ली प्रशासन ने 10 जुलाई, 1979 को निम्नलिखित सूचना दी :—

"प्रेरकों की रसीदों को देखने पर, जो उन्होंने प्रेरणा-राशि लेने के फलस्वरूप ग्रहण की थी, यह पता चलता है कि प्रेरणा राशि ग्रहण करने पर जारी की गई किसी भी रसीद पर श्री जगमोहन द्वारा अपने हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। इन रसीदों पर विभिन्न लोगों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी शामिल हैं।"

इसे देखते हुए 30—6—77 को पूरक प्रश्न के उत्तर में दिया गया वक्तव्य संशोधित हो जाता है।

2. यह वक्तव्य पहले इसलिये सही नहीं किया जा सका कि दिल्ली प्रशासन ने 16 जुलाई, 1977 को सूचित किया था कि वे विभिन्न एजेंसियों से प्रेरणा राशि से संबंधित वाउचरों/सुसंगत रिकार्ड की पड़ताल करवाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे, और अन्तिम स्थिति केवल रिकार्ड आदि की पड़ताल का कार्य पूरा हो जाने पर ही स्पष्ट होगी। जैसाकि ऊपर बताया गया है इस मंत्रालय को दिल्ली प्रशासन के 10—7—79 के पत्र से ही अन्तिम स्थिति मालूम हुई।

3. जैसाकि विदित ही है, छठी लोक सभा 16 जुलाई, 1979 को अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई, 3 अगस्त, 1979 को उसका सत्रावसान किया गया और 22 अगस्त, 1979 को वह भंग कर दी गई।

समितियों के लिये निर्वाचन

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4 (झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4 (झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान सस्थान, चन्डीगढ़

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 5(छ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 5(छ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अधिनियम 1956 की धारा 4 (छ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 4 (छ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) क्षय रोग सम्बन्धी भारतीय संघ की केन्द्रीय समिति

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय क्षय रोग संघ के नियमों तथा विनियमों के खण्ड (3) (सात) (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें भारतीय क्षय रोग संघ की केन्द्रीय समिति में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय क्षय रोग संघ के नियमों तथा विनियमों के खण्ड (3) (सात) (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय क्षय रोग संघ की केन्द्रीय समिति में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, मुझे आधे ही मिनट में कुछ निवेदन करना है . . . .

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री ज्योतिमय बसु : नियम 376 के अधीन यदि आप इसे व्यवस्था का प्रश्न कहना चाहें।

मैं आपको पहले भी लिख चुका हूं कि जब विभिन्न निकायों, निगमों या सांविधिक निकायों या ऐसे ही संगठनों में काम करने के लिए इस सदन से सदस्यों का चुनाव किया जाए तो सदस्यों को उनके मामलों से सम्बद्ध अपने काम की रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए। यदि इस मामले पर विचार किया गया तो मैं अत्यधिक आभारी हूंगा। मैं तो इसे पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं . . . .

अध्यक्ष महोदय : हम इसे नियम-समिति को भेज सकते हैं।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : मेरा एक वाइन्ट आफ़ आर्डर है। मैंने गृह मंत्री जी के खिलाफ़ लिख कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तथ्यों के लिए भेजा है।

श्री मनी राम बागड़ी : मुझे कोई इत्तिला नहीं मिली है।

अध्यक्ष महोदय : जब फैक्ट्स आ जायेंगे, तब बता देंगे।

श्री मनी राम बागड़ी : अगर मंत्री जी ऐसा बयान दें, तो ठीक नहीं है . . . *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पीपरा कांड के बारे में नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : वह हो जाएगा।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : महोदय, अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था कि वे छोटे किसानों, कलाकारों, छात्रों, चिकित्सकों, अभियन्ताओं और अन्य छोटे लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। यद्यपि यह राष्ट्रीयकृत बैंकों का उद्देश्य और लक्ष्य है, इन्होंने जनसाधारण की सेवा अच्छे ढंग से बहुत ही कम की है। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि ऋणों के रूप में अधिकांश राशि बड़े उद्योगों को दे दी जाती है और छोटे उद्योगों को कम। ऋण के लिए दिये गये आवेदन-पत्र के विलम्ब से निपटान की भी शिकायतें मिली हैं।

प्रबन्धकों और क्षेत्रीय कर्मचारियों का रवैया असहानुभूतिजनक रहता है। ऋण देने की प्रक्रिया दुर्वह है। ऋण का उपयोग और उसकी वसूली की उत्तरगामी कार्यवाही मुश्किल से ही की जाती है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और व्यावहारिक दृष्टिकोण से सुधारात्मक उपाय सुझाने चाहियें जिससे कि ऋण की प्राप्ति में छोटे ऋण लेने वालों को विलम्ब के कारण कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह भी सलाह देनी चाहिये कि वे निम्न दरों पर ऋण दें यथा चार प्रतिशत पर, आजकल की तरह 12 से 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की उच्च दरों पर नहीं।

(दो) प्राथमिक शिक्षा के लिये अधिक धन राशि दिये जाने की आवश्यकता

श्री रामावतार शास्त्री (पटनी) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं। मेरा शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है इसे ध्यान से सुनें और आवश्यक कार्यवाही करें। देश में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की जो आवश्यकता है उस पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान नागरिक-मंच के तत्त्वावधान में पटना विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के डा० एच० बी० सिन्हा द्वारा पटना में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के किये गये सर्वेक्षण की ओर दिलाना चाहता हूं। जिस दयनीय स्थिति में ये विद्यालय क्षीण होकर नष्ट प्रायः होते जा रहे हैं, यह बात सर्वेक्षण से उजागर होती है। सर्वाधिक आघातजनक जो बात है वह यह है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संविधान के लागू होने के दस वर्ष पश्चात् प्रदान करने के संवैधानिक निर्देश को पूरा करना तो दूर रहा, उस राज्य में उपलब्ध सीमित स्कूलों में शिक्षा देने की ग्यूनतम सुविधाएं भी नहीं जुटाई जा सकी हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, पटना के 30 प्रतिशत विद्यालयों में 4 या 5 कक्षाओं को पढ़ाने के लिये केवल एक कमरा या बरामदा

है। 71 प्रतिशत स्कूल जीर्ण अवस्था में हैं। अध्यापन सामग्री किसी भी स्कूल में बड़ी मुश्किल से मिलती है। पहली और दूसरी कक्षाओं की गणित और हिन्दी की पुस्तकें बहुत देरी से मिल पाती हैं। किसी भी स्कूल में विज्ञान-अध्यापक नहीं है। मध्यम या उच्च आय वर्गों के लोग अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं भेजते।

अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि प्राथमिक शिक्षा के लिये और अधिक धन राशि आवंटित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि :

(क) वर्तमान प्राथमिक स्कूलों की स्थिति में सुधार हो, और

(ख) सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अधिकाधिक संख्या में विद्यालय खोले जाएं।

महोदय, बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिये यह विशेषकर बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है।

(तीन) आसाम में विदेशियों सम्बन्धी न्यायाधिकरणों के पंचाट

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भाषण समाप्त भी करेंगे ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैं तो शैतान को उपदेश दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि असम में बहुत ही असामान्य स्थिति पैदा हो गई है और इसके परिणामस्वरूप शीघ्र ही देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। यह ज्ञात नहीं हो पाया है कि असम सरकार ने किस कानून के उपबन्धों के अधीन 16 विदेशी न्यायाधिकरणों का गठन किया है जो मामलों को निपटा रहे हैं। इसके फलस्वरूप गम्भीर कठिनाइयां सामने आ रही हैं और इन न्यायाधिकरणों के निर्णयों के आधार पर पुलिस कुछ लोगों को बलपूर्वक उस स्थान पर फेंक रही है जो किसी देश की सीमा में नहीं है। एक बार जब दुर्भाग्यशाली लोगों को उधर फेंक दिया जाता है तो दोनों तरफ--एक तरफ भारतीय सीमा और दूसरी तरफ बंगलादेश की सीमा की ओर से, बन्दूकधारी उन्हें न तो भारत वापस आने देते हैं और न ही बंगला देश जाने देते हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसका इतिहास में उदाहरण ही नहीं मिलता।

हाल ही के एक मामले को लीजिए, 17 जनवरी, 1980 के निर्णय में कहा गया है कि एक परिवार के सदस्य 1951 में असम में आए और विधिवत उनका पंजीकरण शरणार्थी के रूप में किया गया और तभी से वे एक ही स्थान पर रह रहे हैं। परन्तु इस निर्णय में यह कह कर सबको चकित कर दिया गया कि चूंकि उनमें से किसी के पास नागरिकता प्रमाण-पत्र नहीं है इसलिए इतनी अधिक अवधि से वहां रहने के बावजूद वे कानून के तहत विदेशी ही हैं।

इस मामले विशेष में, निर्णय की सूचना दुर्भाग्यशाली निवासियों को नहीं दी गई और पुलिस ने उस समय सबको चकित कर दिया जब वह एक ट्रक लेकर उन्हें (3 परिवारों के 15 सदस्यों को) उठाने के लिए आ गई और उन्हें अन्य इसी प्रकार के दुर्भाग्यशाली लोगों के साथ गोलकगंज सीमा पर भेज दिया गया। यह 27 जनवरी, 1980 की बात है।

[श्री ज्योतिर्मय वसु]

अध्यक्ष महोदय, आप कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए और बताइए कि जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही हो तो संसद का क्या कर्त्तव्य है। मंत्री महोदय, ही कुछ बताएं जैसा कि मैंने पहले कहा है यह तो बड़ी गम्भीर समस्या है। यदि आप समय रहते कार्य नहीं करते तो देश विदेशियों से खाली हो जाएगा। महोदय, यह एक अलग मामला कैसे है जबकि* . . . .

अध्यक्ष महोदय : इसके पश्चात कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए।

श्री ज्योतिर्मय बसु :*

अध्यक्ष महोदय : यह हमारा राष्ट्र है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामस्वरुप राम—यहां उपस्थित नहीं हैं।

बजट (सामान्य), 1980-81—सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगे (सामान्य), 1980-81

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1979-80

अध्यक्ष महोदय : अब हम बजट पर आगे सामान्य चर्चा करेंगे। श्री लक्ष्मण मलिक।

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंह पुर) : कल मैंने चर्चा में भाग लिया था परन्तु मैं इसे पूरा नहीं करसका क्योंकि सभा स्थगित हो गई थी। महोदय, मैं अधिक समय नही लूंगा। कुछ ही मिनटों में समाप्त कर दूंगा।

महोदय, मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि यह बजट निस्संदेह, विकासोमुके है परन्तु मुझे सन्देह है कि इससे देश में सामाजिक न्याय भी आ पाएगा। आर्थिक विकास के विशेषज्ञों ने यह पहले ही अनुभव कर लिया था कि प्रति व्यक्ति आय या सकल राष्ट्रीय उत्पादकता की धारणा का अब एक देश के विकास के लिए कोई औचित्य नहीं रह गया है। जब तक वित्तीय और बजट तंत्र में सामाजिक न्याय की धारणा को सम्मिलित नहीं कर लिया जाता तब तक अमीर और अमीर और निर्धन और निर्धन होते जाएंगे। मैं सभा को हमारे घोषणा पत्र में दिए गए वचन की याद दिलाता हूं जिसमें निर्धनों दलितों और अल्प संख्यकों की सुरक्षा और विकास की बात कही गई है। यदि हम वर्तमान नीतियों को नया रूप नहीं देते वित्तीय कार्यक्रमों में आमूल परिवर्तन नहीं करते और उन्हें अपने बजट में सम्मिलित नहीं करते तो हम अपने वचन से पीछे हट रहे हैं और पिछली सरकार वाले जाल में फंसे हुए हैं जिसमें वे गिरे और समाप्त हो गए। आज जो बजट पेश किया गया है उसमें ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने के लिए पर्याप्त धन का आवंटन नहीं किया गया है और न ही बेरोजगारी समाप्त करने के लिए और न ही सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए पर्याप्त धन का आवंटन किया गया है।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुझे विश्वास है कि सरकार इन सभी समस्याओं का अध्ययन करने का कष्ट करेगी और राष्ट्रीय उद्देश्यों का पुनर्निर्धारण करेगी और आगामी वर्षों के लिए एक नई नीति का निर्माण करेगी ।

अन्त में, मुझे बजट में वित्तीय प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत अर्थात प्रत्यक्ष लाभ; पर्याप्त मितव्ययता और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में शीघ्र और गुणात्मक विकास हेतु वास्तविक सम्पत्ति का निर्धारण करना, कभी नहीं मिले हैं । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि नए सिद्धांत और वित्तीय प्रबंध की नई धारणाओं का निर्माण किया जाए ताकि इसे अधिक वास्तविक और जनता-उन्मुख बनाया जा सके ।

महोदय, जब तक मौजूदा वित्तीय और आर्थिक ढांचे को तोड़कर और स्रोतों के उपयोग की नई पद्धतियों का निर्माण कर गरीबी को जड़ से समाप्त करने हेतु व्यापक प्रयत्न नहीं किए जाते, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे । महोदय, पेश किया गया बजट है, केवल व्यय-उन्मूख कार्यक्रम को ही प्रोत्साहन देगा न कि देश के विकास हेतु परिणामोन्मुख कार्यक्रम को । अतः योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण में और उन्हें बजट में सम्मिलित करने हेतु दृष्टिकोण और उद्देश्यों में आमूल परिवर्तन करना अनिवार्य है ।

इन्हीं शब्दों के साथ और वित्त मंत्री को यह अनुरोध करने के साथ कि वह इस पर विचार करेंगे मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं । महोदय, धैर्य से सुनने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं ।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर) : मैंने कटौती प्रस्ताव पेश करने के लिए दिए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उनके लिए अनुमति दे दी गई है । अब श्री सतीश अग्रवाल ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, मैं इस सम्मानित सभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर जनता पार्टी की ओर से अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । मुझ खेद है कि वह सभा में उपस्थित नहीं हैं परन्तु मुझे आशा है कि वह याद रखेंगे कि . . .

अध्यक्ष महोदय : राज्य मंत्री तो बैठे हुए हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : परन्तु श्री पहाड़िया, श्री वेंकटरमन के विचारों को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे । चलो अच्छा मैं श्री वेंकटरमन द्वारा पिछले वर्ष के बजट पर चर्चा करते हुए की गई टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहता हूं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : वह दूसरे सदन में हैं और आ रहे हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है । पहाड़िया जी आप मेरे अच्छे मित्र हैं ।

अध्यक्ष महोदय : : यही भावना सब ठीक कर देगी ।

श्री सतीश अग्रवाल : मुझे समझ नहीं आया है कि सरकार ने पूरा बजट क्यों नहीं पेश किया है यद्यपि उसे सत्ता में दो महीने हो चुके हैं । वित्त मंत्रालयम में यह प्रथा है कि बजट कार्य नवम्बर में आरम्भ हो जाता है । बजट व्यावहारिक रूप से, जनवरी में ही तैयार हो जाता है और फरवरी में छपने के लिए चला जाता है । यह भी सर्वविदित तथ्य है कि बजट फरवरी के तीसरे सप्ताह में पेश किया जाता है । वही पूरा बजट होता है । मैं नहीं जानता हूं कि किन परिस्थितियों से बाध्य होकर वित्त मंत्री ने अन्तरिम बजट पेश करना पसन्द किया ।

शायद यही बात है । यही कारण है कि इसे राजनीतिक बजट कहा गया है । परन्तु महोदय, राजनीति को देश की अर्थव्यवस्था से आगे नहीं निकलना चाहिए । आज से तीन महीनों बाद चुनाव होने जा रहे हैं । शायद इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने कराधान लगाना या स्रोतों को जुटाना स्थगित किया है परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि पेश किये गये बजट में कोई दिशा निर्देश नहीं है न ही उन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने का निश्चय है । इस समय तो यह केवल एक राजनीतिक बजट है और मुझे विश्वास है कि सरकार ने 1979 को आधार माना है । उन्होंने उन्हीं कराधानों को चलाने का निश्चय किया है जो 1979 में इस सभा में पेश किए गए थे । आपने उसको स्वीकृति दी है । आप उन्हीं करों को जारी रख रहे हैं जो जनता सरकार ने 1979 में लगाए थे । आपने उनको स्वीकृति दी है । आपने उन्हीं बजट प्रस्तावों को स्वीकृति दी है जो हमने 1979 में सभा में पेश किए थे । इस तथ्य को जानता हूं कि 1979 में जब श्री वेंकटरमन इस बजट पर बोले थे तो उन्होंने कराधान प्रस्तावों की आलोचना की थी और कहा था 'ये अव्यावहारिक हैं" और "इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा" । मुझे खेद है कि उन्हीं श्री वेंकटरमन ने उन्हीं कराधानों को जारी रखना पसन्द किया और न ही उनमें कोई संशोधन किया । उन्होंने 1979 में बजट का विरोध किया था और कहा था कि विदेशी मुद्रा के भण्डारों को प्रयोग न करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इस संबंध में उन्होंने झा समिति क: रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का तर्क रखा था, उन्होंने चौकसी समिति की रिपोर्ट को लागू करने का तर्क रखा था । अब मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि झा समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ ? चौकसी समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ ? आप घाटे को उसी स्तर पर रख रहे हैं जिस पर हमने 1979 में रखा था जो कि 1350 करोड़ रुपये था । आप भी घाटे की राशि को उतना ही रख रहे हैं । जैसा कि 1350 करोड़ रुपए का घाटा वर्तमान वर्ष में 2700 करड़ रुपए हो गया, इसी प्रकार आप द्वारा दिखाया गया घाटा भी वर्ष के अन्त तक 2000 करोड़ रुपए की सीमा को पार कर जाएगा । यह तो वह न्यूनतम राशि है जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूं । अतः आपको लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए । आप पूरे तथ्यों को क्यों नहीं रखते ? आप ने जनता शासन के तीन वर्षों—1977-78, 1978-79 और 1979-80 को लिया है । देश में पांच महीनों तक काम चलाऊ सरकार रही और सरकार भी क्या करे जब देश में अस्थिरता हो । परन्तु आपने क्या किया है ? आपने उन्हीं कराधानों को लागू करना पसन्द किया । आपने इसे इसीलिए चुना क्योंकि यह ठीक था । श्री वेंकटरमन ने इसका व्यापक समर्थन किया था, पिछले वर्ष, मुझे याद

है उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है । आपने इसका समर्थन किया था और आज आप कह रहे हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है । यदि सरकार ने दो वर्षों में अर्थात् 1977-78 और 1978-79 में अच्छा कार्य किया तो आपने तुलना के लिए 1979-80 को क्यों चुना ? आप 1978-79 को चुनते और इसे आधार मानते परन्तु आपने उसे चुना । सरकार एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । यह राजनीति का प्रश्न नहीं है । यह देश की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है । यह बजट प्रस्ताव है, अतः आपने उन्हें नहीं चुना और आपने जनता सरकार के पहले दो वर्षों को छोड़ दिया । आपने इसे महसूस नहीं किया । क्या यह तथ्य नहीं है कि 1977-78 में कृषि उत्पादन 1260 लाख टन नहीं था ? क्या यह तथ्य नहीं है कि 1978-79 में यह 1300 लाख टन हो गया था ? क्या यह तथ्य नहीं है कि 26 लाख हैक्टर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई सुविधा जुटाई गई थी, जो कि विश्व रिकार्ड है । यह विश्व कीर्तिमान है यह भारत का कीर्तिमान नहीं है ।

जहां तक विदेशी मुद्रा के भण्डारों का संबंध है, आपने 1977 में जब श्रीमती इन्दिरा गान्धी सत्ता से हटीं थी तो 2800 करोड़ दिए थे । श्रीमती इन्दिरा गान्धी के 1966-76 के विकास के प्रगतिशील दशक में विकास दर क्या थी ? इन दस वर्षों में विकास दर 3.2 थी । ये आंकड़े तो प्रगतिशील आर्थिक विकास के दशक के हैं । क्या यह सच नहीं है कि यह विकास दर 1971-76 में घट कर 2.8 पर आ गई थी ? क्या यह सच नहीं है कि वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान क्रमशः 3.2 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर की तुलना में जनता शासन के दो वर्षों में यह औसतन 5.5 प्रतिशत थी ? क्या जनता शासन में अर्थव्यवस्था का अस्त व्यस्त होना यही है ? यह सब तो इस सच्चाई के बावजूद था कि हम प्रशिक्षु थे और हमारे पास प्रशिक्षु का लाइसेंस था । हमारे पास जब प्रशिक्षु का लाइसेंस था तो हम कोई गलती भी कर सकते थे परन्तु आप के इस क्षेत्र के 20 वर्षों के अनुभव का क्या हुआ ? औद्योगिक उत्पादन था तो वह भी बढ़ गया । अब श्री रेड्डी द्वारा कुछ आंकड़े दिए गए हैं । उन्होंने यह बताया है कि वर्ष 1978-79 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद स्थिर मूल्य पर 4.4 प्रतिशत बढ़ा, मौजूदा मूल्यों पर उत्पादों की प्रति व्यक्ति खपत 9.9 प्रतिशत बढ़ी, औद्योगिक उत्पादन 7.6 प्रतिशत बढ़ा, कृषि उत्पादन 4 प्रतिशत बढ़ा और थोक मूल्य सूचकांक 1978-79 में 0.1 प्रतिशत गिर गया । क्या इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप जनता सरकार का अभिवादन करें । उन दो वर्षों को तो नहीं लिया गया तुलना के लिए 1979-80 को चुना गया । इस वर्ष को हिसाब में नहीं लिया जाना था । यह एक असामान्य वर्ष था, अपवाद वर्ष था । इस वर्ष में देश में राजनीतिक अस्थिरता थी इस एक वर्ष में तीन प्रधान मंत्री आए । इसलिए आप इस वर्ष के साथ तुलना नहीं कर सकते । उन्हीं के साथ तुलना कीजिए जो तुलना योग्य है । अपने 28 वर्षों के शासन की तुलना जनता पार्टी के दो वर्षों से कीजिए । मैं उस मुद्दे विशेष पर बहस के लिए तैयार हूं परन्तु 1979-80 पर नहीं । वर्ष 1978-79 में विदेशी मुद्रा के भण्डार में 26.3 की वृद्धि हुई ।

आपने वर्ष 1980–81 का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत न कर उसके साथ धोखा किया है। आपने उस दस्तावेज को प्रस्तुत क्यों नहीं किया? हमेशा से यह परम्परा रही है कि बजट पेश करने से पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत किया जाता है ताकि हम देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के बारे में एक स्पष्ट चित्र प्राप्त कर सकें। श्री रेड्डी आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी संसद का बजट अधिवेशन होता है इसे प्रस्तुत किया जाता है। इस बार ऐसा नहीं किया गया है। क्या ऐसा इसलिये हुआ है कि बजट प्रस्ताव तैयार नहीं थे अथवा आर्थिक सर्वेक्षण तैयार नहीं था या उसे प्रकाशित नहीं किया जा सका था। उसे प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया है? क्या ऐसा इसलिये किया गया है कि आप संसद का अपमान करना चाहते हैं? संसद का अपमान करने का यह सुनियोजित प्रयास है और आप देश को केवल राजनीति पर ही अपना सारा ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। आप देश की अर्थ-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? राजनीति की बात तो एक तरफ रही, आप तो आरोप लगा रहे हैं? पहले छः पैराग्राफों में श्री वेंकटरामन ने अपना सारा ध्यान पहली सरकार पर केन्द्रित रखा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आरोपों से कोई बात बनने वाली नहीं है। यदि आपको देश के विकास के प्रति निष्ठा है यदि आप गरीबी दूर करना चाहते हैं, यदि आप बेरोजगारी हटाना चाहते हैं तो आपको सच्चे प्रयास करने चाहियें।

इसके पश्चात् आपने सातवें पैराग्राफ में राष्ट्रीय सहमति के लिये अपील की है। उसको कैसे विकसित किया जा सकता है? पिछले 2 महीनों में आपने क्या किया है? आप अनुभवी प्रशासक हैं, कांग्रेस को पिछले 30 वर्ष का प्रशासन का अनुभव है। हम तो मात्र सीख रहे थे और गलती कर सकते थे किन्तु आपकी स्थिति ऐसी नहीं है। आपने क्या किया है? आप तो अपनी केबीनेट भी पूरी नहीं कर सके हैं। वित्त मंत्री महोदय, जिन पर बजट बनाने का कार्यभार ही इतना अधिक है, उन्हें उद्योग मन्त्रालय का कार्य भी देखना पड़ता है। मन्त्रियों के पास संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर देने का समय नहीं है। मने पिछले 30 वर्षों में ऐसा कभी नहीं देखा कि चार दिनों के बाद केवल एक व्यक्ति को केबीनेट में लिया गया हो। आपके पास अनेक भूतपूर्व मुख्य मंत्री और मंत्री हैं और इस देश में अनेक अति योग्य और अनुभवी प्रशासक हैं और जिन्होंने 17 वर्षों लगभग दो दशकों तक राज्यों में शासन किया है, यह अवधि श्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल से भी अधिक है। आपने इन महानुभावों के अनुभव से लाभ क्यों नहीं उठाया? आप केवल राजनीतिक चालबाजियां खेल रहे हैं। आप केबीनेट को पूरा नहीं कर सके और सरकार ने एक अशुभ शकुन में कार्य आरम्भ किया जबकि एक व्यक्ति जिन्हें केबीनेट में लेने के लिये चुना गया था बैठक से उठ कर चले गये। मैं उनके साहस के लिये उनकी प्रशंसा करता हूं। आप न्याय नहीं कर सके और आप न्याय कर भी कैसे सकते हैं? आपने क्या किया है?

बजट पर बहस के दौरान बोलते हुए श्री वेंकटरामन ने पिछले वर्ष कहा था कि यह बचतोन्मुख बजट नहीं है। जब तक आप निवेश नहीं करेंगे आप उत्पादन में वृद्धि कैसे कर सकते हैं। निवेश तभी हो सकता है जब बचत हो और बचत करने के लिये भी उपाय किये गये हों? किन्तु अब आपने क्या किया है? श्री वेंकटरामन ने पिछले वर्ष आयकर पर सरचार्ज की आलोचना की थी और कहा था कि इसे 10 अथवा 15 हजार रुपये की आय पर नहीं लगाया जाना चाहिये। अब आप इसे जारी क्यों रख रहे हैं। श्री वेंकटरामन ने ग्रामीण

कृषि क्षेत्र के लिये उर्वरकों पर दी गई सहायता अथवा छूटों की बड़ा जोरदार आलोचना की थी और कहा था कि गांवों की 15 प्रतिशत आबादी का 60 प्रतिशत भूमि पर अधिकार है और इनका लाभ केवल अमीर लोगों को मिल रहा है। अब क्या हुआ है? वह उसे अब भी जारी रखे हुए हैं। वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाना चाह रहे? हम यह नहीं कहते कि हम बिल्कुल सही थे। हमने भी गलतियां की होंगी? गलती तो इन्सान से ही होती है किन्तु एक बार गलती करके हम उसे पुनः नहीं करते गये। हमने सोने की बिक्री की। आपने उसका आलोचना की और हमने उसे रोक दिया। आपने बहुत शोर मचाया कि सोने की बिक्री क्यों की गई? यह इसलिये की गई थी कि सरकार का यह पक्का विश्वास था कि इस बिक्री से सोने की तस्करी पर रोक लग सकेगी। हमने संसद में यह धोषणा की थी। आपने इसकी आलोचना की कि हम उसमें असफल रहे हैं और तब हमने बिक्री बन्द कर दी। हमने अपनी गलती मान उसे बन्द कर दिया। किन्तु आप क्या करते है? 1970 से 1976 के वर्षों के दौरान क्या किया गया? सोने की कीमतें स्थिर थी। क्यों? यदि आप लंदन गोल्ड फील्ड का प्रतिवेदन देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें यह कहा गया है कि 1970–76 से जब देश में आपात स्थिति लागू थी, जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं, कांग्रेस दल सत्तारूढ़ था, लगभग 630 टन सोना देश में तस्करी के माध्यम से आया। इसलिये ही सोने के भाव कम थे। हम कुछ आर्थिक कदम उठा कर इस तस्करी पर रोक लगना चाहते थे और इसलिये ही हमने यह किया। किन्तु आपने उससे राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया। हमने यह बिक्री रोक दी क्योंकि आपने इसकी सलाहकार समिति में और संसद में आलोचना की थी। सरकार ने इस प्रश्न पर पुनः विचार किया और बिक्री बन्द कर दी।

अब बचत के लिये प्रोत्साहन कहां है? निवेश का प्रश्न कहां है? आप क्या कर रहे हैं? आपने यह बताना चाहा है कि सीमा-शुल्क में वृद्धि हुई है। किन्तु उत्पाद-शुल्क की स्थिति क्या है? आपने इसे उसी स्तर का दिखाया है। आपको सीमा-शुल्क के कारण लगभग 400 करोड़ रु० अधिक मिलने की संभावना है क्योंकि आप अधिक आयात कर रहे हैं जबकि पहले आप आयातों के लिये हमारी आलोचना कर रहे थे। आप यथास्थिति बनाये हुए है। इसमें नई बात क्या है? आप वहां कराधान बनाये हुए हैं, अप्रत्यक्ष कर भी वहां है, जिनकी आपने पिछले वर्ष आलोचना की थी। अब वित्त मंत्री राहत देने के मामले में केवल मदर टरेसा को ही याद करते हैं, मुझे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। आप ऐसा करें किन्तु प्रोत्साहनों की स्थिति क्या है? पिछले वर्ष, श्री रेड्डी, आपको याद होगा कि इसकी कटु आलोचना हुई थी और कहा गया था कि स्वीकृत बचत योजनाओं पर कुछ तो प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। जीवन बीमा निगम का क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी: किन्तु आपने प्रत्यक्ष करों की दरों में वृद्धि की थी।

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान मत डालिये।

श्री सतीश अग्रवाल: स्वीकृत योजनाओं में अधिक बचत के लिये प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में स्थिति क्या है? आपको कम से कम योजना के लिये अधिक संसाधन जुटाने तथा बजट में घाटे को कम करने में सक्षम होना चाहिये था तथा स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत

अधिक बजट करने के लियें लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिये था। हमने जीवन बीमा को कम करके 35 प्रतिशत कर दिया आपने उसकी आलोचना की। आप उसे पुनः वैसा क्यों नहीं करते? सरकारी भविष्य निधि लेखा और अन्य स्वीकृत योजनाओं और बचत के क्षेत्रों का क्या हुआ? आपने इस सम्बन्ध में क्या किया है?

प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा, इस सम्बन्ध में कोई दिशा नहीं, यह लोकप्रिय उपाय है, आप इन उपायों को कर सकते थे किन्तु आपने ऐसा नहीं किया। यह लोकप्रिय उपाय थे और आपको इसके लिये सदन के सभी सदस्यों का समर्थन मिलता।

इसके लिये 3 विकल्प हैं। या तो आप योजना का आकार छोटा कर दीजिये और अतिरिक्त कराधान कीजिये अथवा बजट में अधिक घाटा रखिये। यदि आप घाटे को कम करते हैं तो आपको कराधान करना होगा। यदि आप अतिरिक्त कर नहीं लगाना चाहते तो आपको योजना का आकार कम करना पड़ेगा। यदि आप इसके आकार को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त कराधान तथा घाटे का बजट बनाना होगा। इनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता इनके बिना कार्य नहीं चलेगा। मामले के इस पक्ष पर गौर न करना सुगम है।

आप केवल भूतपूर्व शासन पर आरोप थोप रहे हैं —इसके लिये कोई भी प्रश्न क्यों न हों, चाहे यह अफगानिस्तान का प्रश्न है अथवा कानून और व्यवस्था का, रेल दुर्घटनाओं का या मूल्य वृद्धि या कोई और, सभी के लिये आप पहले वाली सरकार को दोष दे रहे हैं। जनता के शासनकाल में क्या हुआ, इन सबके लिये आप उसे दोष दे रहे हैं। हो सकता है जनता के शासन के दौरान कुछ गलतियां हुई हों, इसका फल उन्हें मिल गया है। क्या आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु आप अर्थ-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ मत करिये। मैं यह निश्चय से कह सकता हूं कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं यदि ऐसे ही जाते रहें तो आपके दिन भी समाप्त हो गये हैं। पिछले 2 महीनों में आपने 150 व्यक्तियों की वरिष्ठता का उल्लंघन कर श्री भिंडर की नियुक्ति अथवा श्री जगमोहन की नियुक्ति के अतिरिक्त क्या काम किया है? मेरा इस मामले में कोई झगड़ा नहीं है। किन्तु पिछले दो महीनों में आपने अपने व्यक्तियों की यहां वहां नियुक्ति करने के अतिरिक्त क्या कार्य किया है? यह चैस-बोर्ड जैसी बात है? राजा कहीं है, रानी कहीं है और प्रधान मंत्री इधर-उधर दौड़ रही हैं और अन्य लोग इधर-उधर आ जा रहे हैं। आखिर यह है क्या? आप देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं?

मूल्य वृद्धि भी वहीं है। इस सम्बन्ध में बड़ा शोर मचाया जा रहा था। मैं कहता हूं कि 16 फरवरी से 23 फरवरी के एक सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अर्थात् प्रति सप्ताह इतनी वृद्धि हो रही है। 1978–79 के पूरे वर्ष में यह —0.1 प्रतिशत थी। इससे पहले वर्ष में अर्थात् फरवरी, 1979 से फरवरी, 1980 में मूल्यों में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है। आप मूल्य वृद्धि अथवा मुद्रास्फीति पर रोक नहीं लगा सकते। आप उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते। क्या आपने अधिक उत्पादन पर उत्पाद शुल्क में छूट देने पर विचार किया है? 1978–79 में लगभग 8 प्रतिशत अधिक औद्योगिक उत्पादन था। आप उसे आधार वर्ष मानें और आप कह सकते हैं कि जो भी 1978–79 से अधिक उत्पादन करेगा उसे उत्पाद-शुल्क में छूट दी जायेगी। आप के राजस्वों की इस स्तर पर गारन्टी है और आपको और भी मिलेगा। उत्पादन में वृद्धि होगी, राजस्व में वृद्धि होगी और कमियां भी नहीं रहेंगी और मूल्य भी स्थिर हो जाएंगे।

किन्तु आप इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठायेंगे । आप बस यथास्थिति बनाये रखना चाहेंगे । इसलिये ही मैं यह कह रहा हूं कि ऐसी सम्भावना है कि अर्थ-व्यवस्था स्थिर हो जायेगी । यह सरकार मुद्रा-स्फीति अथवा मूल्य वृद्धि पर प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी और न ही वित्तीय उपाय करेगी । इन बुराईयों को समाप्त करने के लिये इस बजट में ऐसी किसी दिशा का संकेत नहीं है और आप केवल अपना ध्यान विधान सभा के चुनावों पर लगाये बठे हैं और यह सोच रहे हैं कि उनमें कैसे जीत सकते हैं और कैसे अपने सत्ताच्युत लोगों का पुनर्वास कर सकते हैं । यह उचित रवैया नहीं है । मैं कहता हूं आप इस देश की जनता को धोखा दे रहे हैं । आप सभी आवश्यक दस्तावेजों, समूचे बजट को प्रस्तुत न करके इस देश की समूची अर्थ-व्यवस्था को कोई दिशा नहीं दे रहे हैं । आप जनता और और संसद से धोखा कर रहे हैं । किन्तु ईश्वर के लिये आप देश की अर्थ-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न करें । आपने खूब राजनीति की है और उसमें आपको मैडल भी मिला है । उसे सम्भालिये । बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री जेवियर अराक्कल: (एरनाकुलम) : मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । मैं इस अवसर पर सरकार को बधाई देता हूं । पिछली सरकार ने 1979–80 के बजट से जो धोबाघड़ी और लूट मचाई थी उसका सरकार ने भंडाफोड़ किया है । इसमें 1382 करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा दिया गया है । इसका अन्त कहां हुआ । यह 2700 करोड़ रुपये के घाटे पर अन्त हुआ । 1979–80 के रेल बजट में 80 करोड़ रुपये के लाभ का उल्लेख है । हमने इसका अन्त कहां किया ? हमने इसका अन्त 42.1 प्रतिशत घाटे में किया । इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? पिछली सरकार की नीति क्या थी ? क्या उनके पास इसका उत्तर है ?

श्री अग्रवाल उस समय बहुत भावुक हो गये थे जब वह अनुपूरक अनुदानों के बारे में कह रहे थे । क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि उन्हें हमसे क्या मिला था ? 1977 में उन्हें हमसे एक सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था मिली थी । 1980 में उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा ? हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार ने कहा है कि आगामी वर्षों में 1977–78 और 1980 चुनाव घोषणाओं को क्रियान्वित किया जाये । मुझे इस बात का खेद है कि चौधरी साहब ने कल अपने भाषण में वित्त मंत्री के भाषण का उल्लेख किया । क्या उन्होंने इसे पढ़ा । मैं समझता हूं उन्होंने इसे पढ़ा होगा क्योंकि इसका हिन्दी अनुवाद दिया हुआ है । यदि उन्होंने उसे देखा होता तो उन्होंने वे गल्तियां नहीं की होती जिनका उन्होंने उल्लेख किया है । वित्त मंत्री के भाषण के पैरा 4 का उल्लेख करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रीय कुल उत्पादन में 1–2 प्रतिशत की कमी होगी और कृषि उत्पादन में 6 प्रतिशत की कमी होगी तथा मूल्यों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है । क्या यही स्वस्थ अर्थ-व्यवस्था उन्होंने हमारे लिए छोड़ी है ? भारत के लोग पिछली दो सरकारों को न भूल सकते हैं और न क्षमा कर सकते हैं ।—(व्यवधान)

श्री जेवियर अराक्कल : आप संसद में और उसके बाहर चिल्लाना जानते हैं किन्तु आप यह न हीं जानते कि इस देश में हमारी अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है और आपने भारतीय अर्थ-व्यवस्था के साथ क्या व्यवहार किया तथा किस प्रकार उसे लूटा है ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने इसे लूटा ।

श्री जेवियर अराक्कल : आपने इसे लूटा। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि श्री अग्रवाल अथवा चौधरी साहब ने भाषण में दी गई सरकार की नीति का उल्लेख नहीं किया है। पैरा 9 में कहा गया है कि "चूंकि भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है कृषि के विकास तथा सम्बद्ध गतिविधियों को हमारी अर्थव्यवस्था के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए बनाई गई हमारी योजनाओं में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमने भारतीय कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों के विकास के लिए अपनी नीति पर जोर दिया है। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि विपक्षी दलों ने इस देश में कृषि विकास के लिए हमारी नीति और कार्यक्रमों के बारे में पढ़ा नहीं है। उन्होंने जो उपाय किये जाने हैं उनके बारे में पढ़ा नहीं है तथा अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए, कानून और व्यवस्था, स्थिरता, एकता और राष्ट्र की एकता तथा इससे भी परे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने के लिए सरकार जो प्रयत्न कर रही है उसे उन्होंने नहीं पढ़ा है। हम समर्थन करते रहेंगे और भारत के लोग भी समर्थन करते रहगे। अगले कुछ सप्ताहों में हम देखेंगे कि किस प्रकार अनेक राज्यों के लोग हमें अपना समर्थन देंगे।

मुझे अपनी स्थानीय समस्याओं के बारे में कुछ कहना है। देखा कि अर्थ व्यवस्था ऐसी है कि यह नीचे जा रही है। हमारे राज्य में 15 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। नारियल जटा, काजू, हथकरघा मत्स्यपालन आदि जैसे परम्परागत उद्योगों को गम्भीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि केन्द्रीय सरकार केरल के परम्परागत उद्योगों को पर्याप्त सहायता नहीं देती है तो अर्थव्यवस्था समाप्त हो जायेगी। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूं कि वह केरल के परम्परागत उद्योगों को सहायता दें। साथ ही हमें 1951 से 1980 तक अपना उचित हिस्सा नहीं मिला है। आंकड़ों से मालूम पड़ता है कि इस अवधि के दौरान केरल में निवेश नाममात्र का हुआ है। पिछली जनता और लोक दल सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गयी योजनाओं को ताक पर रख दिया था। कोचिन में बड़े टैंकरों के लिए स्थान के मामले को लिया नहीं गया तथा कोचिन पत्तन के विकास और विस्तार को एक तरफ रखा गया। इस के लिए कौन जिम्मेदार हैं? क्या हमें अपने देश में आर्थिक विकास को सन्तुलित नहीं रखना है? अतः मेरी सरकार से यह अपील है कि वह केरल के लोगों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं पर विशेष विचार करे। कोचिन हवाई अड्डे तथा केरल में रेलवे की दशा बिगड़ती जा रही है। हमें केन्द्र से काफी सहायता नहीं मिली है। मैं केन्द्रीय सरकार की शिकायत अथवा उसके कार्यों की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मेरी केवल यह अपील है कि हमारे राज्य के आर्थिक विकास पर विशेष विचार किया जाये। इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा हमारे राज्य में दो पैट्रो-रसायन परियोजनाओं के० पोलेक्टम और एरोमैटिक यूनिट—की स्वीकृति दी गई है, के० प्रोपेक्टम यूनिट कोचिन में "फैक्ट" के लगभग 3000 कर्मचारियों की सहायता करेगा। किन्तु इस योजना को केन्द्र सरकार ने रद्द कर दिया था। इसका प्रयोजन क्या था? यदि यह एकक केरल में स्थापित नहीं होता तो 3000 कर्मचारियों को अपनी जीविका से वंचित रहना पड़ेगा। कोचिन शोधनशाला की भी यही स्थिति रही है। ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं किन्तु केन्द्रीय सरकार में कुछ अधिकारियों का और स्वार्थ है तथा इन एककों के केरल में स्थापित किये जाने के बारे में द्वेषपूर्ण दृष्टिकोण है। यही कारण है कि पिछली सरकार ने केरल के साथ भेदभाव किया है। अब इस पर कम से कम उचित विचार किया जाना चाहिए।

प्रत्येक दूसरे राज्य में केन्द्रीय सरकार ने एक फार्मेस्यूटिकल एकक स्थापति किया है। किन्तु केरल में एक भी नहीं है यद्यपि हमारे यहां प्राकृतिक साधन और कच्चा माल है। जब तक राज्य सरकार तथा केन्द्र.सरकार पर्याप्त वित्तीय सहायता देती है, मुझे खेद है कि तब तक केरल भारत के अन्य राज्यों की समानता पर नहीं आयेगा। जब तक केरल ी अर्थ-व्यवस्था का देश के अन्य राज्यों के बराबर सुधार नहीं होता तब तक केरल अवनति की ओर बढ़ता रहेगा। अतः मेरी अपील है कि अन्तिम बजट में केरल के औद्योगिक विकास के लिए काफी व्यवस्था की जाये और आगामी वर्षों में इस प्रयोजन के लिए धनराशि का नियतन किया जाये। श्री अग्रवाल राष्ट्र के आर्थिक विकास की बात कर रहे थे। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि क्या वर्तमान अर्थव्यवस्था की सभी बातों पर विचार करते हुए 4.7 प्रतिशत राष्ट्रीय विकास हो सकता है ? यह सम्भव नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है ? ऐसा इस कारण हुआ है कि जनता लोग दल शासन में गलत नीतियां अपनाई गईं। अब समय आ गया है कि इसमें परिवर्तत किया जाये और एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाई जाये जो भारत के गरीब लोगों की अर्थव्यवस्था होगी। अतः मेरी सरकार से अपील है कि मेरे सुझावों पर विचार किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : सम्मानित अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा इस सदन में 1980-81 के लिए प्रस्तुत अन्तरिम बजट का स्वागत करता हुं और उन्हें वधाई देता हूं कि इस सक्रमण-काल के इतने संक्षिप्त समय में इनता सुन्दर बजट उन्होंने इस सदन में प्रस्तुत किया, जिससे देश की जनता के मन में आशाओं, आकांक्षाओं और इच्छाओं के पूरा होने की आशा पैदा होगी—इस के लिए मैं मंत्री महोदय को साधुवाद देता हूं।

मान्यवर, जिस तरह से पहले कांग्रेस के शासन-काल में इस देश के अन्दर एक नियोजित विकास का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन जनता पार्टी के सत्ता में आते ही वह एक दम से रुक गया और उन के शासन-काल के 33 महीनों के अन्दर अन्य क्षेत्रों की भांति आंतरिक क्षेत्रों में भी अराजकता, अनुशासनहीनता, निरंकुशता और नीतिविहिनता का बोलबाला रहा। विभिन्न मंत्रालय के अन्दर कोई समन्वय नहीं रहा। मैं इस का एक ही उदाहरण देना चाहता हुं— जब उन के कोयला मंत्री से पूछा गया कि कोयला क्यों नहीं पहुंच रहा है, तो वे जवाब देते हैं कि कोयला खुदा पड़ा है, लेकिन उस के पहुंचाने के लिए रेल-वैगन्स नहीं मिल रही हैं। जब उसी सरकार के रेल मंत्री से पूछा गया कि आप रैल-वैगन्स क्यों उपलब्ध नहीं कराते हैं तो वे जवाब देते हैं कि रेलें चलाने के लिए कोयला उपलब्ध नहीं है। यह उदाहरण है कि किस तरीके से असमन्वित रुप से उस सरकार के विभिन्न मंत्रालय काम कर रहे थे। जब सरकार के विभिन्न आर्थिक मंत्रालयों में ही आपस में समन्वय नहीं होगा तो कोई भी देश कैसे आगे बढ़ सकता है—इस की कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं।

मान्यवर, आज जो कीमतें बढ़ रही हैं, उन को रोकने के विषय में माननीय मंत्री जी ने जो संकल्प किया है, मैं उस से पूरीतरह से सहमत हूं और इस बात को मानता हूं कि यह चीज इतने संक्षिप्त समय में नहीं रुक सकती है, क्योंकि यह जनता पार्टी की उन गलत नीतियों का परिणाम है, जिस के कारण कीमतें इस तरह से लगातार बढ़ती जा रही हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस बात की आशा रखता हूं--वे एक सुयोग्य वित्त-वेत्ता हैं, उन की जानकारी वित्त के क्षेत्र में अपार है, वे कीमतों को निर्धारित करने के लिए, कीमतों को घटनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठायेंगे, जिस से कि आम आदमी को कुछ राहत मिल सके। आज आम आदमी जहां हम से इस बात की अपेक्षा करता है कि हम जनता पार्टी की पिछली भूलों को सुधारेंगे, वहां वह इस बात की भी आकांक्षा हम से करता है कि उसको राहत देने के लिए हम कुछ ठोस कार्य करेंगे। केवल दोषारोपण से कोई बात आगे चलने वाली नहीं है। आज आम आदमी का प्रजातन्त्र से विश्वास हट रहा है, वोट देने की प्रणाली से विश्वास उठ रहा है, नेताओं पर से विश्वास हट रहा है। यदि हम शीघ्र से शीघ्र आम आदमी को राहत नहीं दे सके, आर्थिक क्षेत्र में मजबूती नहीं ला सके, तो इस देश के अन्दर प्रजातन्त्र समाप्त हो जाएगा। जनता पार्टी की गलत आर्थिक नीतियों के कारण आज आर्थिक उन्नति की गाड़ी पटरी से उतर गई है। आप पर, वित्त मंत्री जी इस बात का दायित्व है कि उस को फिर से लीक पर लायें और इस देश को आगे बढ़ाने की कोशश करें।

कल लोक दल के माननीय नेता द्वारा यहां पर कहा गया कि सन् 1977-78 और 1978-79 में नेशनल इन्कन में कुछ वढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने कुछ आंकड़े दे कर इस बात को सिद्ध करना चाहा, लेकिन उन के आंकड़ों के बीच में, 1977-78 और 1978-79 के बीच का जो अन्तर है, 1978-79 में जो 1.1 प्रतिशत की घटोत्तरी हुई है उस का कारण वे मुझे नहीं समझा पाये। मैं समझता हूं कि जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण, उस की सरकार और लोक दल की सरकार की गलत नीतियों के कारण, जो अनुशासनहीनता और जो कुव्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में आई है और सन् 1976 और मार्च 1977 तक जो अनुशासन विभिन्न क्षेत्रों में था, उसको उसने समाप्त किया है और उसी गलत नीति का यह परिणाम हुआ कि नेशनल इन्कम में 1.1% गिवरावट आई।

मैं पर्वतीय क्षेत्र से चुन कर आता हूं और उत्तर प्रदेश का यह पर्वतीय क्षेत्र सब से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है परन्तु हमें ऐसा प्रतीत होता होता है कि वह प्राकृतिक सौन्दर्य हम को मुंह चिढ़ाता है क्योंकि वहां का जो आम आदमी है, उसकी जो गरीबी की अवस्था है, उस का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हमारे यहां की माताएं और बहनें अंधेरे में ही सुबह लकड़ी लेने के लिए जंगलों में निकल जाती हैं और जंगलों से लकड़ियों के गट्ठर सिर पर रख कर अपना काम चलाती हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने कभी जीवन जिया ही नहीं और जीवन का जो सुख होता है, उस को कभी अनुभव नहीं किया। वहां का व्यक्ति गरीबी में पैदा होता है और गरीबी की अवस्था में ही चिता में जल जाता है। वहां के जो बच्चे हैं, वे कब जवान होते हैं यह उन को पता ही नहीं चलता है और जवानी में ही बूढ़े हो कर मर जाते हैं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस क्षेत्र के लोगों की ओर दिलाना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए वे कुछ करें क्योंकि केन्द्र से ही उत्तर प्रदेश की सरकार को धन जाता है और काफी राशि केन्द्र ही उस को मुहय्या करवाता है, और उस से ही वहां पर आर्थिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

एक बात में यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर रेल गाड़ियों की मांग काफी दिनों से चली आ रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में रेल यातायात को बढ़ाया जाये। इसकी मांग कई बार उठ चुकी है लेकिन अभी तक इसका प्रावधान नहीं किया गया है।

वहां पर खनिज पदार्थों की बड़ी भारी मात्रा है लेकिन उनका दोहन नहीं किया जाता है। उसके दोहन के लिए एक निकाय की मांग कई वर्षों से की जा रही है लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। वहां पर हाइड्रो इलैक्ट्रिक योजना को प्रारम्भ करवाया जा सकता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस सन्दर्भ में वे कुछ ठोस कदम उठाएं और जब वे अपना सम्पूर्ण बजट लाएं, तो इन बातों का ध्यान रखें जिनके बारे में मैंने निवेदन किया है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता माननीय इन्दिरा जी को केवल प्रधान मंत्री ही नहीं समझती है बल्कि यहां का हर गरीब व्यक्ति उनको भारत माता के रूप में देखता है और उन से कुछ आकांक्षाएं रखता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब लोगों की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने का जो संकल्प लिया है, जो हमारी पार्टी ने निर्णय किया है, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाए।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री धर्मवीर सिन्हा (बड़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से, बजट भाषण असंगत, तर्कहीन तथा अनक्रियाहीन है। असंगत इस कारण है कि मंत्री महोदय अपने भाषण में एक जगह कहते हैं :

> "हमारे दल को भारत के लोगों ने जो व्यापक समर्थन दिया है उससे स्पष्ट है कि 1977 से पूर्व हमने जो आर्थिक विकास के कार्यक्रम आरम्भ किये थे उन्हें नये जोश से शुरु करने के लिए समर्थन किया है।"

इसका अर्थ यह है कि सरकार के कार्यक्रम निश्चित हैं और इन्हें और बल मिला है। किन्तु यदि हम उनके भाषण के दूसरे भाग पर विचार करें तो मालूम होता है कि वह योजना आयोग में अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो उन्हें नीतियां और कार्यक्रम देंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

वह कहते हैं :—

> "उनमें वर्तमान सरकार की नीतियों और कार्यक्रम पर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित नहीं होते क्योंकि जब से हमने कार्यभार संभाला है हमें उन्हें बनाने का काफी समय नहीं मिला है।"

एक जगह वह कहते हैं कि उनकी नीतियां निश्चित हैं तथा दूसरी जगह वह कहते हैं कि उनकी नीतियां अभी बनाई जानी हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं। यह स्वयं अपने आप में ही नहीं किन्तु सरकार के राजनैतिक अध्यक्ष में विश्वास की कमी होने के फलस्वरूप है। यदि कार्यक्रम निश्चित होते तो नियमित बजट को प्रस्तुत करने के लिए कुछ सप्ताह की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती और वह नियमित बजट पेश करते। तथा यह है कि सरकार

की नीतियां न निश्चित हैं और न अनिश्चित हैं। वास्तव में यह अनिश्चितता सभा तथा संविधान की उचित प्रक्रियाओं के प्रति श्रद्धा की कमी है जो वार्षिक लेखा विवरण के प्रस्तुतीकरण से मालूम होता है। एक राजनीतिक संस्थान के नाते यह सभा कार्यपालिका अर्थात् सरकार के इस अधिकार को मानती है कि उन्हें यदि वे चाहें कराधान प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए कुछ और समय चाहिए। यदि कुछ हफ्तों के विलम्ब की बात है तो ऐसी कोई बात नहीं थी, बात यह है कि यह एक राजनीतिक खेल है, यह इस देश की राजनीति को संसदीय संस्थानों का प्रयोग कर चलाना है।

सरकार ने सभा में नियमित बजट इस कारण प्रस्तुत करने को स्थगित नहीं किया कि वे अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में स्पष्ट अथवा अस्पष्ट हैं किन्तु वे उन राज्यों के लोगों को, जहां चुनाव होने जा रहे हैं धोखा देना चाहते हैं। किन्तु मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन राज्यों के लोग जहां चुनाव होने जा रहे हैं कराधान प्रस्तावों के प्रस्तुत करने के उनके निर्णय से धोखे में आने वाले नहीं हैं। 1,300 करोड़ रुपए के घाटे से तथा 20 प्रतिशत की मुद्रास्फीति से भारी करों के लगने की सम्भावना है। वित्त मंत्री को या तो बहुत सारी उन योजनाओं को जो उन्होंने सभा में प्रस्तुत किया छोड़ना पड़ेगा या भारी कर लगाने पड़ेंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि वे योजना आयोग में बुद्धिमान लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुराने सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है और योजना आयोग का अभी गठन होना है। मैं नहीं समझता कि वे किस प्रकार के लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह वह दावा करते हैं कि वे गांधी की परम्पराओं और पंडित जवाहरलाल नेहरु के कार्यक्रमों का अनुपालन करते हैं। यदि ऐसी स्पष्ट बात है तो मैं नहीं जानता कि भारत के किस भाग से कौन से अर्थशास्त्री और विद्वान योजना आयोग में आयेंगे और उनके लिए एक कार्यक्रम बनायेंगे जो लेखा विवरण में उल्लिखित कार्यक्रम से भिन्न हो।

मैं समझता हूं कि योजना आयोग के गठन से राजनीतिक दिशा नहीं मिलेगी तथा वह सरकार को नीति प्रदान नहीं करेगा। योजना आयोग केवल सरकार की नीतियों और विदेशों के अन्तर्गत ही काम कर सकता है। सरकार की ओर से दिशानिर्देशन, कार्यक्रम और नीति में कमी है और यह केवल उनके इस बात को मानने से इन्कार करना है कि उनके पास कोई नीति अथवा कायक्रम नहीं है।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आज जिन दो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वे हैं मंहगाई से जुड़ी बेरोजगारी की समस्या और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास न होना। बेरोजगारी न केवल भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, अपितु, मैं तो यह समझता हूं कि यह वर्तमान राजनीति के लिए भी एक चुनौती है। आज शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की गलियों में आवारा घूमते युवकों का ध्येय क्या है? शिकार के लिए घूमता आवारा युवक देश में संकुचित भावनाओं का, साम्प्रदायिक भावनाओं का और जातिवाद की भावनाओं का पोषण कर रहा है। जब युवक उद्देश्यहीन होगा, उसका कोई अपेक्षाकृत बेहतर दृष्टिकोण नहीं होगा और जब उसका बेहतर भविष्य नहीं होगा तो उसका उन शक्तियों का शिकार होना स्वाभाविक ही है जो संकुचित हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं और जो भारतीय राजनीति और जनता के अस्तित्व के ही विरुद्ध हैं।

मैं देश में बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के प्रवेश के सम्बन्ध में सरकारी स्रोतों से सुनाई पड़ने वाली बातों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के पास गिरवी रखने का तरीका ढूंढा जा रहा है। एक तरह तो भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश ही नहीं किया जा रहा और न ही किसी नए निवेश की संभावना है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेवार सरकारी व्यक्तियों के भाषणों में बहुराष्ट्रिकों को निमन्त्रित किया जा रहा है। आखिर यह सब हमें कहां ले जायेगा? यह हमें वहां ले जाएगा जहां भारतीय स्थिति पर भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय उद्योग का नियंत्रण होने की बजाए बहुराष्ट्रिकों का थोड़े समय में ही प्रभुत्व हो जायेगा। भारत में आज किये जा रहे निवेश की तुलना यदि भारत में बहुराष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा किये जा रहे निवेश से की जाए तो पता चलेगा कि भावी निवेश पद्धति पर उनका ही एकाधिपत्य होगा इसके अतिरिक्त उन कम्पनियों के लिए कई 'लाबी' भी सक्रिय हैं।

मैं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास न होने के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं कि क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर किसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है तो वह कृषि के माध्यम से हो सकता है। मैं संक्षेप में बिहार की गण्डक परियोजना का उदाहरण देना चाहता हूं। यदि हम गण्डक परियोजना के क्षेत्र को सिंचाई और बिजली उपलब्ध करा सकें और समय सीमा को भी 4 वर्ष से घटा कर 2 1/2 वर्ष कर सकें तो इससे प्रतिवर्ष 2 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इससे खाद्यान्नों में लगभग 40,000 मीटरी टन की वृद्धि होगी जिसका अर्थ हुआ गहन कृषि और इससे निश्चय ही भूमि और कृषि करने वाले लोगों के बीच के अनुपात में वृद्धि होगी। इस समय भारतीय कृषि और जापानी कृषि में भूमि और व्यक्ति के बीच 1:3 का अनपात है और यदि शीघ्र ही की कोई व्यापक प्रयत्न किये जाते हैं, यदि सरकार आगामी महीनों में ऐसा ही करने का निश्चय कर लेती है, तो मुझे विश्वास है कि ठीक दृष्टिकोण अपनाने पर भारत अर्थव्यवस्था का विकास होगा। परन्तु जैसा कि मैंने अभी कहा है, इस सरकार का कोई दृष्टिकोण नहीं है, न ही कोई कार्यक्रम है और न कोई नीतियां, यह तो केवल चुनाव हथकण्डों में व्यस्त है :

श्री जी० एल० डोगरा (जम्मू) : साहबे सदर, जो बजट पेश किया गया है और जो उसके जरिये ग्रान्टस मांगी गयी हैं मैं उनकी सपोर्ट के लिये खड़ा हुआ हूं। इस बजट की यह कह कर नुक्ताचीनी की गई कि इसमें कोई नई चीज नहीं है, पुरानी चीजों को ही आगे रखा गया है मेरा कहना है कि यह एक आरजी बजट है और इतने कम समय में पूरा बजट पेश हो भी नहीं सकता था। माननीय अग्रवाल साहब ने कहा कि टैक्सेशन प्रोपोजल्स के लिए 1979 को बेस ईयर क्यों लिया? मेरी गुजारिश है कि यह एक हिस्टारिकल नेसेसिटी है। यह नहीं है कि फाइनेस मिनिस्टर साहब उस नीति को अपनाना चाहते हैं, जिसकी कि श्री अग्रवाल के कहने के मुताबिक उन्होंने पहले नुक्ताचीनी की थी, क्योंकि थोड़े के समय में कोई घड़ी तबदीली नहीं की जा सकती है जब तक कि सारे बजट को कास्ट न किया जाय और उसको हमारी पार्टी के मैनीफेस्टों के अनुसार, न बनाया जाय। उसके लिये समय चाहिये, थोड़ा वक्त चाहिये।

कुछ इन्होंने आंकड़े पेश किये। मैं नहीं समझता कि यह कैसे दुरुस्त हो सकते हैं जब कि मुल्क में आबादी बढ़ रही हो, बेकारी हो मुल्क की इनके ही दौरान में यह कहते

हैं कि इन्कम बढ़ी , जब कि उसमें तूफान भी आये, Industrialcrisis भी आया, सूखा भी पड़ा । और सब कुछ होने के बाद एक ही बात इन्होंने बतायी कि हमने इरीगेशन को बहुत बढ़ाया , उसकी तरफ तवज्जह दी गई है। ठीक है जो बात सही है उसको मानना भी चाहिये। लेकिन उससे इतनी इन्कम बढ़ गई, यह कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि हालात उनके फिगर्स को सपोर्ट नहीं करती हैं। यह कैसी फिगर्स लाये हैं मैं तो नहीं समझ पाया शायद इसी किस्म की होंगी जैसा कि अग्रवाल साहब ने कहा कि इतना सोना स्मगल हुआ । जैसे यही उस ओपरेशन की अग्रवाल वह खुद ही कर रहे हो। इसमें सियासत की जरूरत नहीं है, मुल्क के डेवलपमेंट में सियासत के लिये कोई जगह नहीं होनी चाहिये। बल्कि समझना चाहिये कि हमारी इकानामी में क्या कमजोरी है और उसको कैसे दूर कर सकते हैं। एक तबके की आप आमदनी बढ़ा भी दें और समझें कि हमारी नेशनल इन्कम बढ़ गई और कह दें कि इतने परसेंट पर कैपिटा इन्कम बढ़ गई , इससे काम नहीं चलेगा। मुल्क के जो मसायल हैं, प्रौबलम्स हैं उनको हल करने की बात की जानी चाहिये।

यह सारे देश ने फैसला दे दिया कि आपने जो किया वह ठीक नहीं था। आपको सोचना चाहिये कि हमने क्या गलती की थी । हमारी कमजोरियां हैं इक्तसादियात में, उनका हल ढूढना चाहिये। केवल यह कहने से वोट आन अकाउन्ट क्यों पेश किया गया, या उन्हीं बातों को टैक्सेशन प्रोपोजल्स में रखा गया है जिनकी मुखालिफत हमारे वित्त मंत्रीजी पहले कर चुके हैं, इससे किसी समस्या का हल होने वाला नहीं है आगे जो पूरा बजट आयेगा उस समय जो नुक्ताचीनी आप करेंगे तब देखा जायेगा कि आपकी बात कहां तक ठीक है। इसलिये चौधरी साहब हों या अग्रवाल साहब हों उनका सारे मैजर फैक्टर्स को देखना चाहिये और सोचना चाहिये कि जितना नेशनल लास गुजरात के डैम फटने के कारण हुआ है उससे ही सारी उन्नति ही सेट आफ हो गई है। इसलिये मेरे ख्याल में जो आपके आंकड़े हैं उनमें कहीं न कहीं कोई घपला है। आन दी ग्राउन्ड जो पोजीशन है, वह जनता पार्टी के क्लेम्स को सपोर्ट नहीं करती हैं

इसी सिलसिले में जो आइन्दा बजट बनाना है उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ ऐसे मामलात हैं खास कर मेरे इलाके से जो ताल्लुक रखते हैं उनका रिफ्लेक्शन अगले बजट में जरूर होना चाहिये । हमारे यहां 1947 के रिफ्यूजीज है जो पाकिस्तान हैल्ड कश्मीर से आये । और एक 1971 की लड़ाई में छम्ब इलाके को छोड़ कर आये । इन दोनों के मसले हैं, उनके रिहैबिलिटेशन की बात है। जहां तक 1947 के शरर्णार्थियों की बात है प्रोपोजल्स काश्मीर सरकार से आये हैं, उनको ऐक्स-ग्रेशिया जो ग्रान्ट देनी है, उनकी जमीन की कमी को ठीक करना है या उन्हें जमीन की कीमत देनी है जो तो कैसे उनको रिहैबिलिटेट आप कर सके इस बात की तरफ अगले बजट में ध्यान जरूर देना चाहिये

जहां तक 1971 की लड़ाई के कारण बने हुए रिफ्यूजीज का ताल्लुक है, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता मगर पिछले ढाई साल में इस तरह से उसको हल किया गया कि लोगों को उठा कर फेंक दिया गया दरियाओं और नालों की बेड्स में और कह दिया गया कि हमारा मसला सोल्व हो गया । और कहा गया कि यह ठीक है और हमारा यह मसला हल हो गया। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो जमीन थी, वह वोगस थी इसलिये

1947 में रिफ्यूजीज को पूरी जमीन हम नहीं दे पाये थे, उनको कहा गया था कि यहीं उनको आबाद करना है। मैं भी मिनिस्टर था उस जमाने में जब कांग्रेस हुकूमत थी। हमने इन्कार कर दिया था कि जमीन नहीं है। वहां दरियाओं और नालों के बैड में जमीन थी वह ठीक नहीं थी। आप कहते हैं कि प्राबलम सौल्व हो गई, मेरा कहना यह है कि उनकी बहुत बुरी हालत है और तमाम हिन्दुस्तान की उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि वह फेल्योर आफ डिफेंस की वजह से अप-रूट हुए थे अपने घरों से। यह हमारी हुकूमत के लिये जरूरी हो जाता है। हमारी प्राइम-मिनिस्टर साहेबा जब टूर पर वहां गई थीं, तो उन्होंने इस मसले की तरफ तवज्जह दी। उनकी तवज्जह दिलाई गई थी। सबसे ज्यादा रिस्पोंसेबिलिटी हमारी सैंट्रल गवर्नमैंट पर आती है 1971 और 1947 के रिफ्यूजीज के रिहैबिलीटेट करने की ओर उनके मसलाजात को हल करने की।

जहां तक एक्स-सर्विस मैन का ताल्लुक है यह देखा गया है कि आपने पिछले 1 अप्रैल 1979 से एक आर्डर कर दिया कि उस दिन से पैन्शन बेहद बढ़ा दी। उससे पहले रिटायर होने वाले लोगों को मालूम होता है कि उनकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं दिया जैसे कि वह किसी और मुल्क में सर्विस करते थे और इसके बाद के लोग किसी और मुल्क में सर्विस करते हैं। इससे ऐसे वाक्यात हो गये हैं और हैजान और बेचेनी पैदा हो गई है, जिनको रिजाल्व करना बहुत जरूरी है। आप तो अब रहे नहीं, आप तो अब नुक्ताचीनी करेंगे। अब यह हमारी गवर्नमेंट पर डिपैंड करता है कि इस मसले को कैसे रिजाल्व करेंगे। मसले की इम्पलीकेशन्स और रिपरकशन्ज है, उनकी तरफ ध्यान दिया जाये। ।

सिविल सर्विस के जो रिटायर्ड लोग हैं, उनके भी रिपर्कशन्ज हैं, मैं चाहूंगा कि उनके साथ भी अच्छा ट्रीटमैंट किया जाये। वैलफेयर स्टेट में जो आदमी बूढ़ा हो जाता है स्टेट को इसकी देखभाल करनी चाहिए जिसने अपनी जिन्दगी इस मुल्क की खिदमत में लगा दी है, उसको आप कैसे इग्नोर करेंगे और कैसे उसके साथ डिस्कीमिनेशन करेंगे। जो एक अप्रैल से रिटायर हुए हैं वह तो काम भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से पेन्शनर उनसे ज्यादा ज्यादा बूढ़े हैं जो काम भी नहीं कर सकते हैं। एक एक्स सर्विसमैन की दरख्वास्त मेरे पास आई थी, वह आखों से अन्धा हो गया है, 5, 6 बच्चे हैं, औरत है उसके वह रो रहा है कि उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। । मैंने होम मिनिस्टर साहब को वह दरख्वास्त भेजी है कि इसकी कुछ मदद कर सकते हों तो करें। इस किस्म के जो मसले हैं उनको रिजाल्व करने की आवश्यकता है। लोक दल सरकार का यह पोलिटिकल मोटिवेटिड डिसीजन था जो कि वोट मांगने के लिये किया गया था जो कि इस तरह की कम्पलीकेशन्स को क्रीएट करता है। मैं समझता हूं कि इसको रिजौल्व करने में टाइम लगेगा और यह काफी मुश्किल काम है मगर करना चाहिए।

इसी तरह से सर्विस सोल्जर्स के भी कुछ मामले हैं जो पाकिस्तान की लड़ाई में फंसे हुए लोग हैं 12,13 उनमें ऐसे हैं, जो पाकिस्तान की जेलों में हैं लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट बताती नहीं कि कहा है। एक्सटरनल एफेयर्स मिनिस्ट्री को अभी तक कामयाबी नहीं हुई कि उनका पता लगाए सके। इस तरह के कम्पलीकेटेड मसले है, उनकी और भी दिक्कतें हैं। हमें देखना चाहिये। उनमें कन्फ्डेंस पैदा करने के लिये उनके जो मामलात हैं, हम क्या कर सकते हैं।

एयरपोर्ट जम्मू की बात भी जरूरी है। जनता वाले कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, कोई डिस्क्रीमिनेशन नहीं की। एयरपोर्ट जम्मू को जहां तक डेवलप करने का ताल्लुक है, यह बहुत पहले तय था कि उसे डेवलप किया जाये इसकी प्रायर्टी पहली थी ताकि छोटा बोइंग उसमें लैंड कर सके और टूरिज्म का डेवलपमेंट उसके साथ कनैक्टेड है। कई स्टेटों से लोग वहां बाई रोड और बाई ट्रेन आते हैं और वह जम्मू से श्रीनगर बाई एयर जाना चाहते हैं। उसकी प्रायर्टी को नीचे कर दिया गया है। जो प्रायर्टी नंबर में 1 थी उसको पहले मंत्री महोदय मध्यप्रदेश में ले गये क्यों कि वह उस समय सेंटर में थे। मैं समझता हूं कि अब इसकी तरफ तवज्जह देनी चाहिये क्योंकि टूरिज्म आपकी फारेन एक्स-चेंज कर भी बड़ा जरिया है और उसमें काश्मीर नं० 1 पर आता है। जितने भी टूरिस्ट रेल से काश्मीर को जाते हैं, उनके लिये यह फैसेलिटी बहुत जरूरी है। वैसे भी काश्मीर में लोग जाते हैं, चाहे सर्विस वाले हों, आर्मी वाले हों या बिजनेस मैन हों, उनकी सुविधा के लिये जम्मू से श्रीनगर तक वोइग चलाना निहायत जरूरी है। वगैर उसके वहां के ट्रैफिक को काबू में लाना बहुत मुश्किल है। इसलिये उस एयर पोर्ट को डैवलप करना बहुत जरूरी है।

जहां तक टेलीविजन का ताल्लुक है, सूबा जम्मू में सब लोग लाहौर का टेलीविजन प्रोग्राम देखते हैं। जो सियासी तौर पर गलत है इस लिए यह जरूरी है कि थोड़ा सा खर्च कर के वहां पर टेलीविजन का एक रिलेइंग स्टेशन बना दिया जाये ।

पावर के वारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हाइडल पावर की तरफ ज्यादा तवज्जह देनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमारे रीसोर्सिज बहुत हैं। दरियाओं में जो पानी वह जाता है वह समुद्र में चला जाता है और वापस नहीं आ सकता है। लीन पीरियड में थर्मल पावर का इस्तेमाल करना चाहिए । सलाल प्राजेक्ट का काम इस कद्र धीमी रफतार से चल रहा है कि वह कई सालों के वाद पूरा हो सकेगा । अगर उसको तेजी से कम्पलीट कर दिया जाता, तो कम से कम शुमाली हिन्दुस्तान का डेफिसिट दूर हो जाता।

फ्रूट के ट्रान्सपोर्ट की तरफ तवज्जुह देने की जरूरत है। उसके लिए काफी गाड़ियां चलाई जानी चाहिए । फ्रूट को बीमारी से बचाने के लिए डायथान कैमिकल्स इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया उसको सवसिडाइज कर रही है, जिसके लिए हम उसके मशकूर है। लेकिन डायथीन स्कैंव की बीमारी को इरेडिकेट नहीं कर पा रही है। एग्री-कल्चर मिनिस्ट्री को तवज्जुह दे कर फ्रूट की डिजीज फ्री कर देना चाहिए ।

हमारे यहां शूगर और एडिवल आयल की बहुत कमी है। हमारे यहां देहात में शूगर सिर्फ 200 ग्राम दी जाती है, जबकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि रूरल एरियाज में 450 ग्राम के हिसाव से शूगर दी जायेगी । ज्यादा सप्लाई कर के इस कमीं को पूरा करना चाहिए, ताकि हमारे देहात में लोगों को उतनी ही चीनी मिल सके, जितनी वाकी जगह मिलती है। एडिवल आयल की सप्लाई को वढ़ाने के लिए भी कोई इन्तजाम करना चाहिए, क्योंकि गरीव आदमियों को तो तेल ही इस्तेमाल करना है।

दिल्ली में सफदरजंग हास्पिटल गरीबों का हास्पिटल है। आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में रिसर्च की जाये, लेकिन मरीव आदमियों का इलाज वगैर खर्चे के

करना बहुत जरूरी है। सफदरजंग हास्पिटल की तरफ जितनी तवज्जह देनी चाहिए, उतनी नहीं दी गई है। मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वहां पर ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह बड़े-बड़े आपरेशनों का इन्तजाम किया जाना चाहिए, ताकि गरीब आदमी वहां जा कर इलाज करा सकें। अगर अमीर आदमियों के इलाज का पूरा इन्तजाम हो, लेकिन गरीब आदमी बगैर इलाज के मर जायें, तो इस डेवेलपमेंट का क्या फायदा है? इस तरफ फौरी तवज्जह देनी चाहिए।

मैं फिनांस मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि लद्दाख को इनकम टैक्स के बारे में दी गई एग्जेम्प्शन को जारी रखा गया गया है।

इन चंद गुजारिशात के साथ में इस बजट को सपोर्ट करता हूं।

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुज्जफर पुर): महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। मैं एक मुद्दे मर बोलना चाहता हूं। हम उस बजट पर चर्चा कर रहे हैं जिसकी शासन दल ने काफी प्रशंसा की है। यह एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। मैं देख रहा हूं कि न तो वित्त मंत्री और न ही और न ही वित्त राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। यह अनुचित है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): मैं उपस्थित हूं।

श्री जार्ज फर्नांडीज: मुझे पता है कि संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित हैं। मैं उन्हें संसदीय कार्य मंत्री के रुप में ही पहचानता हूं। मेरा मुद्दा यह है कि जब हम बजट पर चर्चा क र रहे हैं और वित्त मंत्री अन्य किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं तो कम से कम वित्त राज्य मंत्री तो यहां उपस्थित हो सकते थे। मैं अनुरोध करता हूं कि वित्त राज्य मंत्री यहां आकर बैठें।

उपाध्यक्ष महोदय: आप भूतपूर्व मंत्री हैं, आप तो संयुक्त उत्तरदायित्व से भिज्ञ हैं।

श्री जार्ज फर्नांडीज: संयुक्त उत्तरदायित्व आदि की बात तो ठीक है। परन्तु सभा के सम्मान का भी तो प्रश्न है। प्रश्न इस बात का भी है कि यहां पर किस विषय पर बहस हो रही है।

श्री भीष्म नारायण सिंह: सभा के प्रति तो पूरा सम्मान है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडीज: हम मंत्री महोदय की इस समय की उपस्थिति या अनुपस्थिति से चिन्तित नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि जो कुछ यहां कहा जा रहा है, मंत्री महोदय इस समझें। उन्हें वाद विवद का उत्तर भी देना है। संसदीय कार्य मंत्री तो इसका उत्तर नहीं . . (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट): इससे सभा की अवमानना करने के दृष्टिकोण का पता चलता है। व यह सुनने में ही रुचि नहीं रखत कि उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा क्या कहा जा जा रहा है, इस पक्ष का तो कहना ही क्या ? श्री वेंकटरमन ने सहयोग के लिए अनुरोध किया था। यह सहयोग है अगली बार जब वे बोलेंगे तो पूरा विपक्ष बाहर बैठगा। कुछ तो नम्रता होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य: यहां शासक दल से अधिक विरोधी दल के सदस्य उपस्थित हैं। (व्यवधान)

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं यह बैठा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस सभा में आपसे पहले से हूं। मैं इस सभा में श्री वेंकटरमण से भी पहले से हूं। यहां की कुछ प्रथाएं हैं, परम्पराएं हैं जिनका पंडित नेहरु के समय पालन होता था। अब उन्हीं परम्पराओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है।

श्री चित्त बसु : (बारसाट): श्री वेंकटरमन यहां आए, कुछ मिनटों के लिए रुके और चल गए। वित्त राज्य मंत्री भी कुछ समय के लिए यहां आए थे क्या यह सभा की अवमानना करना नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों के विचार सरकार द्वारा नोट किए जा रहे हैं।

श्री चित्त बसु : यह विचारों को नोट करने का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : भविष्य में हम अपने भाषण पर ही टेपरिकार्ड करने की व्यवस्था करेंग हम अपने टप रिकार्ड उन्हें दे देंग, और यदि वे चाहें तो अपने घर बैठ कर उन्हें सुन सकेंगे वे अब विधान सभा के चुनावों की राजनीति में बहुत व्यस्त हैं। उनके पास और कुछ सुनने का समय ही नहीं है। (व्यवधान)

***श्री एस० आर० ए० एस० अप्पालानायडू** (अनकापल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाद-विवाद में बोलने का अवसर दिए जाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं वित्त मंत्री को घाटे को कम करने के लिए बधाई देता हूं। पिछले वर्ष घाटा 2700 करोड़ रुपए का था और अगले वित्तीय वर्ष में यह केवल 1235 करोड़ रुपए रह जाएगा इससे पता चलता है कि सरकार शीघ्र तिशीघ्र घाटे के बजट की प्रथा को समाप्त करने करने का निश्चय कर चुकी है। यह और भी सन्तोष की बात है कि इस बजट में नए कर नहीं लगाए गए हैं। मैं मंत्री महोदय को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं। चूंकि सरकर ने देश की अर्थव्यवस्था को पुनरुजीवित करने का निश्चय कर लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय राष्ट्रीय महत्व की निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक अगले पांच वर्षों में किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनी ऋण सीमा बढ़ा कर 40 प्रतिशत करने पर सहमत हो गए हैं। यह वृद्धि अपर्याप्त है। किसान जो कि भारतीय जन संख्या का 80% हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई अनुभव कर रहे है। मैं मंत्री महोदय का अभिवादन करता हूं क्योंकि उन्होंने उनकी आवश्यकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि हमारे 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इन लोगों के कल्याण के लिए पहले कुछ नहीं किया गया है। सरकार ने उनकी बिलकुल उपेक्षा की। अत: बैंकों द्वारा केवल 40% ऋण सीमा बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। कम से कम उनकी 60% राशि तो ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग की जानी चाहिए। केवल उसी अवस्था में हम उनके प्रति कुछ न्याय कर सकेंगे।

केन्द्र या राज्य सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सेवा में लगे वैधानिक निगम या संस्थानों को छूट देना एक स्वागत योग्य बात है। इन लोगों की

*तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हमने काफी समय से उपेक्षा की है अतः उनके कष्टों के निवारण के लिए उठाए गए प्रत्येक कदम का स्वागत है। अतः वर्तमान छूट उस दिशा में उठाया गया एक कदम ही है अतः मैं इस छूट का स्वागत करता हूं।

मैं विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के विषय में भी कुछ कहना चाहता हूं। इस संयंत्र पर होने वाला अनुमानित व्यय 2250 करोड़ रुपए हैं और आशा है यह पांच वर्ष में उत्पादन आरम्भ कर देगा। परन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस संयंत्र के लिए इस वर्ष केवल 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यह संयंत्र निर्धारित समय में उत्पादन आरम्भ कर देगा। इसे पूरा होने में तो दस या पंद्रह वर्ष लग जाएंगे। यदि हम इसे निर्धारित समय में पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पर्याप्त धन की स्वीकृति देनी होगी। इस संयंत्र का राष्ट्रीय महत्व है अतः अपेक्षित धन की स्वीकृति देने में सरकार को कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हाल ही में सोवियत संघ के उपप्रधान मंत्री ने इस स्थान का दौरा किया। वह इससे अत्यन्त प्रभावित हुए और उन्होने इसे ठीक समय पर पूरा करने हेतु पर्याप्त सहायता देने का वचन दिया यह एक विशाल परियोजना है और यदि यह पांच वर्षों में पूरी नहीं की जाती है तो इसकी निर्माण लागत 500 करोड़ रुपए को भी पार कर जाएगी अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम अगले वर्ष के बजट में इस संयंत्र के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया जाए।

इस संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक और महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूं। इस समय केवल 500 रुपए या उससे कम तक के वेतन वाली नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित किया गया है और 500 रुपए से अधिक वेतन वाली नौकरियों के लिए देश के अन्य भागों से लोगों की भर्ती की जा रही है। महोदय, मंहगाई के इन दिनों में जब कि एक सफाई कर्मचारी 800 रुपए पा रहा है तो 500 रुपए से कम की नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित रखने को कैसे उचित कहा जा सकता है। क्या इसका अर्थ यह है कि सफाई कर्मचारी निचली नौकरियों को सुरक्षित रखा जाएगा इस नीति की पुनरीक्षा का समय आ गया है। वे सभी नौकरियां जिन पर वेतन 1000 रुपए या इससे कम है योग्य स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित रखीं जाएं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय हमारे राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के साथ न्याय करेंगे। विभागों के अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति होंगे जो स्थानीय भाषा जानते हों और अपेक्षित योग्यता रखते हों राउरकेला और भिलाई संयन्त्रों में अपनाई जा रही इस नीति को यहां भी लागू किया जाए।

दो शब्द कृषि के संबंध में भी हमारा देश कृषि प्रधान है। भूमि की प्रकृति जानने के लिए मिट्टी परीक्षण नहीं किए जा रहे हैं। एक बार भूमि की प्रकृति का पता चल जाए और उसके अनुरूप फसल बोई जाए तो हम बिना अतिरिक्त व्यय के अपनी फसल को दुगना कर सकेंगे। आप को एक उदाहरण देता हूं हम अपने राज्य में गन्ना बोकर बिहार के किसानों से दुगना उत्पादन उठा रहे हैं। अतः पूरे देश में मिट्टी का परीक्षण और फसल का निर्धारण करना काफी महत्वपूर्ण है।

हमारे किसान सारे वर्ष काम करते हैं और अपनी भूमि पर अपना सारा पैसा लगा देते हैं। फिर भी इन्हें अपने श्रम का फल पाने के लिए प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता

है । यदि प्रकृति की उस पर कृपा हो जाती है तो यह कोई गारंटी नहीं कि उसकी फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी । इसलिए अन्त में जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो उसके सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं । उसकी रीढ़ टूट जाती है । गत वर्ष जब मैंने कृषि संबंधी मांगों पर चर्चा में भाग लिया था तब मैंने सरकार का ध्यान इन समस्याओं की ओर दिलाया था । अब तक कुछ भी नहीं किया गया है । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह फसल बीमा योजना शुरू करे। इस तरह से आप किसानों के बोझ को हलका करेंगे। फसल बीमा योजना किसानों की मदद करने में सहायक होगी । आजकल हम चीनी की कमी के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं । हमें किसानों को गन्ना पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सभी तरह के कदम उठाने चाहिए । यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उन्हें इसका समान मूल्य मिले । इस समय दक्षिण और उत्तर के गन्ने के मूल्य में काफी अन्तर है । इस तरह की विषमतायें दूर की जानी चाहिए। अन्यथा मुझे भय है कि इससे दक्षिण और उत्तर में टकराव हो सकता है । मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चार चीनी मिले हैं। एक और चीनी मिल को भी लाइसेंस दिया गया है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह लाइसेंस दें और वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार रहे । मुझे आशा है कि चीनी की कमी को देखते हुए सरकार कारखाने की मदद करने में नहीं हिचकिचायेगी ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को काफी कठिनाई हो रही है, क्योंकि गुड़ का भंडार उठाने के माल मालडिब्बे उपलब्ध नहीं हैं। यदि यह समय पर नहीं उठाया जाएगा तो 2,000 करोड़ रुपए की हानि होगी । लगभग 3 लाख किसानों को क्षति होगी । 2,000 श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे । अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह यथाशीघ्र मालडिब्बों की व्यवस्था करे । सरकार चाहती है कि बढ़ती हुई आबादी की मांग को पूरा करने के लिए अधिक भूमि पर इसकी खेती की जाए । मेरे राज्य में गोदावरी का लगभग 90% जल बेकार जा रहा है । अतः पोलावरम में एक बांध बनाने का निर्णय किया गया है । जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तब लगभग 7 लाख एकड़ पर खेती की जाएगी । हमारे मुख्य मंत्री ने केन्द्र को अनुमानित राशि पहले ही भेज दी है । भारत सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह इस परियोजना को स्वीकृति दे । इससे लगभग 15 लाख मीटरी टन खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा । लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा ।

देश में तेल संकट के बारे में मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि सरकार स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है । प्रारंभिक प्रतिवेदनों से यह पता लगा है कि नरसपुर और मसुलीपटनम के बीच के क्षेत्रों में बम्बई हाई की अपेक्षा तेल के भंडार बहुत अधिक हैं। सरकार को तेल के कुओं की खुदाई करने के लिए कार्यवाही शुरू करनी चाहिए । इससे विदेशी मुद्रा की काफी बचत होगी । कच्चा तेल पाइप लाइन द्वारा विजाग जो पास में है, में भेजा जा सकता है । वर्तमान शोधनशाला का विस्तार और अधिक खर्च किए बिना किया जा सकता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि यह योजना चालू की जाएगी तो देश पैट्रोलियम उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा ।

मेरे जिले में के० डी० पेट के निकट पहाड़ों पर बाक्साइट के बड़े भंडार हैं। ये भंडार काफी घने हैं और ये विश्व में सबसे उत्तम किस्म के हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने के० डी० पेट के निकट एक अल्युमिना संयंत्र लगाने का निर्णय पहले ही कर लिया है जिससे पास में उपलब्ध बाक्साईट अयस्क का उपयोग किया जाएगा । मुझे आशा है कि प्रस्ताव शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा । यह संयंत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान सिद्ध होगा और इससे वहां की जनता की इच्छा भी पूरी हो जाएगी ।

मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक संगत मध्यम कालिक नीति अपनाने की कोशिश की है ।

इस संबंध में मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि हमारे घनी आबादी वाले क्षेत्र औद्योगिक करण के कारण दूषण से प्रभावित न हों ।

*श्री के० अर्जुनन (धर्मपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए 1980–81 के बजट पर कुछेक शब्द कहने के लिए मैं खड़ा होता हूं । पहले तो मैं धर्मपुरी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं और डा० कलैगनार करुणानिधि, जिनकी प्रेरणा से मैं इस सम्मानित सभा में आया हूं, के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं ।

शुरू में मैं तमिलनाडु के पुलिस कर्मचारियों की दयनीय स्थिति का उल्लेख करता हूं । आल इंडिया अन्नाद्रमुक सरकार ने हजारों पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप लगाकर उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया है । वे सड़कों पर भूखे धूप और वर्षा में पड़े हैं । अब चूंकि तमिलनाडु शासन प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार के हाथ में है इसलिए यह सुनिश्चित किया जाये कि ये पुलिस कर्मचारी सेवा में वापस लिए जायें । रेल कर्मचारियों की तरह रेलवे पुलिस को भी बोनस मिलना चाहिए ।

मेटूर में एक इंजीनियरी कालेज और एक आर्ट्स कालेज स्थापित किया जाना चाहिए । सलेम में एक हवाई अड्डा बनाया जाना चाहिए । धर्मपूरी जिला की तरह सलेम जिला को भी एक पिछड़ा जिला घोषित किया जाना चाहिए और इस जिले को भी पिछड़े क्षेत्रों को मिलने वाले वित्तीय और वास्तविक प्रोत्साहन तथा रियायतें दी जानी चाहिएं ।

तमिलनाडु के लोगों को डीजल, मिट्टी का तेल, बिजली, चीनी सीमेंट, आदि पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्य पर दिया जाना चाहिए । बिजली की कमी केरल राज्य से बिजली लेकर के पूरी की जानी चाहिए । हल्दी पर उत्पाद शुल्क वापस लिया जाना चाहिए । तभी किसानों को अपने उत्पादन की कीमत मिल सकेगी । तमिलनाडु से मिर्च का निर्यात बढ़ाने और इसे विनियमित करने के लिए मिर्च निर्यात संवर्धन परिषद बनायी जानी चाहिए । होसुर औद्योगिक बस्ती में छोटे उद्योगों को अधिक 'शेड' दिये जाने चाहिए । 1950 वें दशक में डा० ए० रामास्वामी मुदालियर ने तमिलनाडु के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सेतु समुद्रम परियोजना का सुझाव दिया था । यह अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई है । तमिलनाडु के आर्थिक विकास के लिए इसे शुरू किया जाना

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर ।

चाहिए । तूतीकोरिन बड़े पत्तन में एक पोत कारखाना होना चाहिए । मद्रास पत्तन में एक "कन्टेनर बर्थ" बनाया जाना चाहिए । मद्रास शहर में द्रुत परिवहन प्रणाली का त्याग नहीं किया जाना चाहिए । इस महानगर में यातायात नियमित रूप से हो, इसके लिए इसे अवश्य ही कार्यान्वित किया जाना चाहिए । तमिलनाडु के भूतपूर्व परिवहन मंत्री श्री पोन्नियन ने ए० टी० सी० बसों को बिना परमिट के सलेम से बंगलौर जाने की अनुमति दी थी और गैर सरकारी मुद्रणालयों में टिकट मुद्रित किए गए थे । ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस प्रकार से काफी पैसा कमाया । गत दिसम्बर में उन्होंने लारियों को केरल जाने के लिए 500 परमिट दिये और प्रत्येक परमिट के लिए चुपके से 10000 रुपए पर सौदेबाजी की गई । इस मामले की जांच केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो द्वारा करायी जानी चाहिये अरब सागर में गिरने वाली नदियों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाना चाहिए । यदि बांध बनाये जायें, तो रामनाथपुरम और तिरुनेलवेली जिलों के सूखाग्रस्त क्षेत्र उपजाऊ बन जायेंगे । 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को दिए गए सभी ऋण रद्द किए जाने चाहिएं । सभी अल्पकालिक ऋण मध्यम कालिक ऋणों में परिवर्तित किए जाने चाहिएं । उर्वरकों पर उत्पाद शुल्क वापस लिया जाना चाहिए जिससे किसानों की उत्पादन-लागत कम हो जाये ।

तमिलनाडु में संकटपूर्ण विद्युत स्थिति को सामान्य बनाने के लिए होगेनकल पन-बिजली केन्द्र शुरू किया जाना चाहिए । मेटूर तापीय केन्द्र शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। सलेम इस्पात संयंत्र का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे उन लोगों के लिए रोजगार अवसर बनाये जा सकें जिन्होंने अपनी भूमि इस संयंत्र के लिए दी थी। थोपैचर नदी पर एक बांध बनाया जाना चाहिए जिससे ओमालूर और मचेरी के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई सुविधायें मिल सकें ।

तमिलनाडु में रेडियो और टेलिविजन आल इंडिया अन्नाद्रुमुक सरकार के प्रवक्ता बन गये हैं। कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार से वेतन मिलता है और उन्हें श्री एम० जी० आर० से उनकी फिल्में टेलिविजन पर दिखाने के लिए चुपके से बारबार पैसा भी मिलता है । गत वर्ष सन्दल की लकड़ी के लट्ठों की नीलामी में, जो वन संरक्षक ने की थी, एक टन की कीमत 45,000 रुपए आई थी । इस वर्ष चूंकि इस नीलामी में श्री एम० जी० आर० ने अनुचित रूप से रुचि ली इसलिए इसका मूल्य घटकर प्रति टन 18,000 रुपए ही रह गया । मेरी मांग यह है कि इस अनुपयुक्त सौदे की जांच केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो द्वारा करायी जाये । गत 20 वर्षों से सलेम मैगनेसाइट के 3,000 कर्मचारी अपनी सेवाओं को नियमित करने, वेतन बढ़ाने और अन्य जब्त किए गए विशेषाधिकारों की मांग कर रहे हैं। मेरी मांग यह है कि उनकी मांगें शीघ्र पूरी की जायें । सलेम में भूमिगत जल निकास व्यवस्था की जानी चाहिए । सलेम नगरपालिका को सलेम निगम बनाया जाना चाहिए । सलेम और धमपुरी जिलों के लिए एक मेडिकल कालेज होना चाहिए । रेलवे उपकर निधि से इसे बनाया जा सकता है । सलेम में एक रेलवे डिजिवनल मुख्यालय होना चाहिए । त्रिवेन्द्रदम से जलारपेट तक चलने वाली यात्री गाड़ी मद्रास तक चलायी जानी चाहिए । थारमंगलम में करोड़ों रुपए के मूल्य की मूर्तियों की चोरी हुई है और ऐसा कहा जाता है । कि भूतपूर्व संसद सदस्य श्री कानन का इसमें हाथ है मैं चाहता हूं कि इस मामले में भी केन्द्रीय

गुप्तचर ब्यूरो द्वारा जांच की जाये । इंटेग्रल कोच कारखाने का विस्तार किया जाना चाहिए। जिससे अधिक डिब्बों का निर्यात किया जा सके और हम विदेशी मुद्रा कमा सकें । हथकरघा क्षेत्र को दिये जाने वाले प्रोत्साहन और रियायतें विद्युतचालित करघाक्षेत्र को भी दी जानी चाहिए जिससे रोजगार अवसर बढ़ाये जा सकें । सलेम दुग्ध सप्लाई संघ में प्रोमोटर और निदेशक की आल इंडिया अन्नाद्रमुक सरकार से सहानुभूति प्रतीत होती है । इसमें बड़ा कदाचार है और आज दिया गया दूध कल किसानों को खराब दूध के रूप में वापस भेज दिया जाता है । मैं चाहता हूं कि इसकी जांच की जाये । हमने लोगों से वोट इस आधार पर मांगे कि हम सोने का मूल्य कम करायेंगे । सोने का मूल्य कम किया जाना चाहिए और इस पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए । तिरुचेन्गोद में एक लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक साधन क्षमता है । इसे वहां स्थापित किया जाना चाहिए ।

धर्मपुरी एक पिछड़ा जिला है और यह पिछड़ापन वहां अधिक उद्योग लगा करके दूर किया जा सकता है । धर्मपुरी के पिछड़े जिले के लोगों की सुविधा के लिए इस दिशा में भारत सरकार को कदम उठाने चाहिएं ।

कुछ शब्द कहने के लिए आपने हमें जो मौका दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देकर मैं बैठता हूं ।

श्री के० टी० कौसलराम (तिरुवेंडूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके एक रुपया किया जाये ।"

[20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे कारीगरों, स्व-नियोजित लोगों इत्यादि को ऋण सुविधायें देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निदेश देने, जैसा कि जनता शासन से पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था, में असफलता । (47)]

"कि वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके एक रुपया किया जाये।"

[चिन्ना मुत्तुन मत्स्य पत्तन परियोजना के विकास के लिए धन की व्यवस्था करने में असफलता । (48)]

"कि वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके एक रुपया किया जाये ।

[चीनी पर उत्पाद शुल्क कम करने में असफलता । (49)]

"कि वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके एक रुपया किया जाये ।"

[दोहरी मूल्य नीति समाप्त करने में असफलता । (50)]

"कि उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[केन्द्रीय नमक बोर्ड के इस आशय के संकल्प का उल्लंघन करने के लिए केन्द्रीय नमक आयुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता की जहाज केवल तूतीकोरन के नमक उत्पादक संघ को ही दिए जायें । (52)]

"कि उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[केन्द्रीय नमक आयुक्त को जहाजों के आवंटन के बारे में जहाज निर्माण व्यापारियों को बार-बार मिलने से रोकने में असफलता (53)]

"कि विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके एक रुपया किया जाये ।"

[बड़ी कम्पनियों को संकटग्रस्त कम्पनियों में धन लगाने की अनुमति देने में असफलता । (54)]

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[कर्नाटक में छोटे किसानों तथा विधवाओं आदि को, जो भूमि सुधारों के शिकार हुए, कम मात्रा में प्रतिकर देना (108)]

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[खुले बाजार में चीनी का महंगा भाव । (109)]

"कि नागरिक पूर्ति शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[हाल में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि । (110)]

"कि नागरिक पूर्ति शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[आवश्यक वस्तुओं की अप्रभावी लोक वितरण व्यवस्था । (111)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[उद्देश्यपूर्ण और रोजगार प्रमुख शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता । (112)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[देश से प्रतिभा पलायन । (113)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें । "

[विद्यार्थियों की कापियों, पाठ्य पुस्तकों आदि के लिए छपाई के कागज की कमी । (114)]

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[विभिन्न राज्यों में बिजली की कटौती । (115)]

"कि वित्त मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[विभिन्न राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कारखानों और कार्यालयों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार देने की आवश्यकता (116)]

"कि वित्त मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[उन राज्यों को, जैसाकि कर्नाटक जिन्होंने चूंगी समाप्त कर दी है, अधिकर देने की आवश्यकता । (117)]

"कि वित्त मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[हाल के महीनों में मुद्रास्फीती में अत्यधिक वृद्धि (118)]

"कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[कोढ़ियों की संख्या में वृद्धि, विशेषतया बंगलौर तथा दक्षिण के अन्य नगरों में । (119)]

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रु० कम किये जायें ।"

[बेरोजगारी बीमा योजना की आवश्यकता । (120)]

"कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[युवकों, विशेषकर शिक्षित युवकों में बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति । (121)]

"कि विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[पुनरीक्षित मतदाता सूचियों को तैयार करने का त्रुटिपूर्ण ढंग । (122)]

"कि न्याय प्रशासन शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग 67 में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा अन्य निम्न न्यायालयों में अनिर्णित मामलों की अत्यधिक संख्या (123)]

"कि समाज कल्याण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 14) में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[खर्चीली शादियों तथा दहेज का अभिशाप । (124)]

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[किसानों को सस्ती दरों पर औद्योगिक सामान, उर्वरक और बीज देने में सरकार की असफलता (90)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[भूमि सुधार कानूनों को क्रियान्वित करने में असफलता । (91)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[किसानों द्वारा पैदा की गई फसलों का उचित मूल्य निर्धारित करने में सरकार के निर्णय की असफलता । (92)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[किसानों के दोहरे शोषण को समाप्त करने में सरकार की असफलता (93)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ?"

[कृषि श्रमिकों को विहित न्यूनतम मजदूरी देने में सरकार की असफलता (94)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[कृषि श्रमिकों और हरिजनों पर सामन्तवादी अत्याचारों को समाप्त करने में असफलता (95)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[किसानों को अपनी उपज की रक्षा के लिए डीजल और मिट्टी का तेल देने में असफलता (96)]

"कि कृषि शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[समूचे बिहार को सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित कराने में सरकार की असफलता (97)]

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[चीनी के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता (98)]

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[चीनी के मूल्य की दोहरी नीति समाप्त करने में असफलता (99)]

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[चीनी के मूल्य के बढ़कर 9 रुपये तक पहुंच जाने को रोकने में असफलता (100)]

"कि खाद्य विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[अनाज की कीमतें कम करने के लिए उसके थोक व्यापार को सरकारी अधिकार में लेने में असफलता (101)]

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[बिहार के जिलों जैसे पटना, गया, औरंगाबाद और भोजपुर को नहरों के जरिये समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी सप्लाई करने में असफलता (102)]

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बिहार को अधिक पानी देने के लिए बन सागर परियोजना सम्बन्धी समझौते में परिवर्तन करने की आवश्यकता (103)]

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[देश में मुख्य सिंचाई योजनाओं को पूरा करने में असफलता (104)]

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बिहार में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए नहर की सुविधायें बढ़ाने में असफलता (105)]

"कि नागरिक पूर्ति शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में असफलता (106)]

"कि नागरिक पूर्ति शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने में असफलता (107)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[रक्षा कर्मचारियों को बिना किसी शर्त के 8.33 प्रतिशत बोनस देने में असफलता (176)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें)।"

[छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924 में संशोधन करने में असफलता (177]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें "

[दानापुर (बिहार) के भर्ती कार्यालय में विद्यमान भ्रष्टाचार को समाप्त करने में असफलता (178)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा अन्य साम्प्रदायिक तत्वों के प्रभाव से मुक्त करने में असफलता (179)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[पटना विश्वविद्यालय में एन० एस० एस० को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रभाव से मक्त करने में असफलता (180)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें "

[पटना विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने में असफलता (181)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बिहार के विश्वविद्यालयों, कालेजों और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की उचित मांगों को स्वीकार करने में असफलता (182)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बिहार में गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग स्वीकार करने में असफलता (183)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों को वेतन की बकाया तथा नियमित वेतन देने में असफलता (184)]

"कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें "

[दूरस्थ गांवों में चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने में असफलता (185)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने में असफलता (186)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बिहार में हरिजनों और निर्बल वर्गों के लोगों, जान और माल की सुरक्षा करने में असफलता (187)]

"कि पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[देश में भोजन पकाने की गैस की अत्यन्त कमी को दूर करने में असफलता (188)]

[पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य कम करने में असफलता (189)]

"कि परमाणु ऊर्जा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[बिहार में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने में असफलता (190)]

"कि परमाणु ऊर्जा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये । "

[देश में डीजल, मिट्टी का तेल और पेट्रोल की अत्यन्त कमी को दूर करने में असफलता (191)]

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें "

[डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को बिना शर्त 8.33 प्रतिशत बोनस देने में असफलता (196)]

"कि संचार मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को तीन पदोन्नतियां देने में असफलता (197)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पटना विश्वविद्यालय की दयनीय वित्तीय स्थिति सुधारने में असफलता (198)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पटना विश्वविद्यालय छात्र असंतोष का संतोषजनक हल ढूंढने में असफलता (199)]

"कि पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पटना, बिहार में भोजन पकाने की गैस के गम्भीर संकट को हल करने में असफलता (206)]

"कि पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पटना में गैस के सिलेंडरों की सप्लाई में भोजन पकाने की गैस को सभी पांच वितरकों द्वारा अपनायी गई मनमानी, पक्षपात और भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता (207)]

"कि पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पटना सिटी में गैस के सिलेंडरों का पचास रुपये प्रति सिलेंडर बेचा जाना रोकने में असफलता (208)]

""कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

श्री पी० के० कोडियान (अडूर) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपऐ कम किए जायें।"

[कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी देना सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र तथा राज्यों में प्रभावीतंत्र स्थापित करने की आवश्यकता (77)]

"कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[कृषि श्रमिकों के लिए बिना और विलम्ब केन्द्रीय विधान बनाने की आवश्यकता (78)]

"कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय संख्या 141 के अनुसरण में ग्रामीण कर्मकारों के संगठनों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए ठोस उपाय करने की आवश्यकता (79)]

"कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता (80)]

"कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[कृषि में अप्रवरजक श्रमिकों के हितों की रक्षा क लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता (81)]

"कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[नियोजकों के लिए यह आवश्यक करने की आवश्यकता कि वे बाल श्रमिकों को शिक्षा की सुविधायें प्रदान करें (82)]

"कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने की आवश्यकता (83)]

"कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[थरैसरों के कारण दुर्घटनाओं के लिए कृषि श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में प्रतिकर देने हेतु उपाय करने की आवश्यकता (84)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[केन्द्र को कमजोर किए बिना राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता (125)]

"कि गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[वर्तमान व्यवस्था में पर्याप्त परिवर्तन लाने और केन्द्र तथा राज्यों दोनों को ही मजबूत बनाने की दृष्टि से केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के प्रश्न पर विचार करने के लिए संसद की एक समिति नियुक्त करने की आवश्यकता (126)]

"कि योजना मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके एक रुपया किया जाये ।"

[लोगों की भागीदारी की परवाह किए बिना योजना सम्बन्धी योजनाओं की क्रियान्विति (127)]

"कि सांख्यिकी शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके एक रुपया किया जाये ।"

[योजना का अतिकेन्द्रीयकरण (128)]

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[प्रभावी भूमि सुधार कानूनों द्वारा भू-सम्बन्धों में बुनियादी परिवर्तन लाए बिना ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए प्रयास (129)]

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना ग्रामीण पुनर्निमाण (130)]

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जाये ।"

[ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बनाने तथा उनकी क्रियान्विति में ग्रामीण कार्यकर्ता संगठनों को सम्बद्ध करने में असफलता (131)]

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[कृषि में मन्दी सीजन के दौरान कृषि कर्मकारों को रोजगार देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सार्थक नियोजन योजनाएं आरम्भ करने की आवश्यकता (132)]

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[कृषि कर्मकारों की समस्याओं पर दिया जा रहा अपर्याप्त ध्यान (133)]

"कि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[सभी भारतीय गांवों में पेयजल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने में असफलता (134)]

"कि पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[देश के समुद्र पर आधारित विदेशी व्यापार में भारतीय नौवहन के हिस्से की वृद्धि करने में असफलता (135)]

[कोचीन शिपयार्ड में जहाजों के निर्माण के लिए पर्याप्त कार्यादेश सुनिश्चित करने की आवश्यकता (136)]

"कि पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[केरल में छोटे तथा मध्यवर्ती पत्तनों के लिए एक ड्रेजर की खरीद के लिए केरल को वित्तीय सहायता मंजूर करने की आवश्यकता (137)]

"कि पत्तन, दीपस्तम्प और नौवहन शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[कोचीन पत्तन पर एक तेल टैंकर बर्थ के निर्माण करने की आवश्यकता (138)]

"कि पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[केरल नौवहन निगम का कैराली नामक खोए हुए पोत का पता लगाने के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता (139)]

"कि पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[कोचीन पत्तन के और विकास तथा विस्तार करने की आवश्यकता (140)]

"कि पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[केरल में छोटे पत्तनों के विकास के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता (141)]

"कि पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन शीर्ष के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[देश में छोटे तथा मध्यवर्ती पत्तनों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्ति करने की आवश्यकता (142)]

[देश के इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग को हानि पहुंचा कर भारत में इलैक्ट्रोनिक्स वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अनुमति (143)]

"कि इलैक्ट्रोनिक्स विभाग शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग को कम करके एक रुपया किया जाये ।"

[देश के इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के विकास की समस्या पर दिया जा रहा अपर्याप्त ध्यान (144)]

[दिल्ली से त्रिवेन्द्रम के लिये एक सीधी यात्री विमान सेवा आरम्भ करने की आवश्यकता (164)]

"कि विमानन के शीर्षक अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[कालीकट में एक हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता । (165)]

"कि विमानन शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[कोचीन में हवाई अड्डे की सुविधाओं का विस्तार करने में विलम्ब (166)]

"कि विमानन शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बिमान यात्रा सुरक्षा में सुधार करने की आवश्यकता (167)]

"कि विमानन शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर पर्याप्त यात्री सुविधाओं की कमी (168)]

"कि विमानन शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[कोचीन हवाई अड्डे पर अधिक यात्री सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता (169)]

"कि पर्यटन शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[पर्यटन के विकास के लिये केरल के प्राकृतिक सौन्दर्य का लाभ उठाने के लिये राज्य का एक व्यापक सर्वेक्षण करने की आवश्यकता (170)]

[देश में पर्यटन को बढ़ाने के लिये अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता (171)]

"कि पर्यटन शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[अन्तर्देशीय पर्यटन को बढ़ाने के लिये जनता होटलों की एक श्रृंखला कि निर्माण की आवश्यकता (172)]

"कि पर्यटन शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[नौका विहार तथा मनोरंजन की अन्य सुविधायें प्रदान करके केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ाने की आवश्यकता (173)]

"कि पर्यटन शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[देश में अधिक समुद्री विश्रामस्थलों के विकास की आवश्यकता (174)]

"कि पर्यटन शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[पर्यटन के समवर्धन के लिये केरल को अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता (175)]

श्री दलबीर सिंह : (शेहडोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो अन्तरिम बजट पेश किया गया है, मैं उस का समर्थन करता हूं ।

इस विधेयक में माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो वीकर सैक्शन्ज के लिये कर-अधिनियम में तीन प्रस्ताव लाये गये हैं––उन का स्वागत करता हूं । इन प्रस्तावों के द्वारा भारत के करोड़ों आदिवासी, हरिजन और शोषित समाज का सर्वेक्षण विकास होगा । इस अधिनियम के तेहत यह भी दर्शाया गया है कि राज्य शासन के द्वारा या केन्द्र शासन के द्वारा कोई ऐसा निकाय या संगठन जो उन संस्थाओं के लिये कार्य करेगा उनके लिये आय-कर विभाग द्वारा आय-कर में छूट दी जायेगी ।

मैं आप के माध्यम से यह निवेदन करूं कि मध्य प्रदेश से चुन कर आया हूं । इस समय मध्य प्रदेश में इतना भीषण अकाल छाया हुआ है कि ग्रामीण अंचलों में जो लोग रहते हैं वे इस लिये शहरों की ओर या खान प्रतिष्ठानों की ओर भाग कर आ रहे हैं ताकि उन को एक जून की रोटी मिल सके । उन को राहत पहुंचाने के लिये राज्यों को जो स्केअरसिटी-वर्क का काम सौंपा गया है, वह पर्याप्त नहीं है । इस अवसर पर अपनी राष्ट्र-नेत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से भी अनुरोध करना चाहता हूं––इस समय बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भंयकर अकाल की स्थिति है––उस ओर भी केन्द्र शासन का ध्यान जाना चाहिये। जो मिनिमम वेज आज मजदूरों को मिलना चाहिये, वह भी उन को नहीं मिल पा रहा है । मैं मध्य प्रदेश के शहडोल लोक सभा संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूं जिस की ओर मैं विशेष रुप से आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि वहां पर मध्य प्रदेश का जो "स्केअरसिटी-लगुअन" है वह लागू होना चाहिये ताकि मजदूरों को मिनिमम वेज मिल सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं वह शहडोल का क्षेत्र है और वहां के लिए बाणसागर का एक मेजर प्रोजेक्ट खोला गया है लेकिन वह कार्य बहुत दिनों से चल नहीं रहा है । 3 अरब 5 करोड़ रुपये की राशि का यह प्रोजेक्ट है लेकिन अभी तक कोई सेटिसफैक्ट्री कार्य इस का नहीं हो रहा है और बहुत मन्द गति से यह कार्य चल रहा है । इस प्रोजेक्ट से न केवल पूर्वी मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार को भी बिजली और पानी मिलने वाला है । इस सदन के द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सम्बन्धित मंत्री इस ओर जल्द से जल्द ध्यान दें ताकि यह योजना जल्दी से सफल हो सके ।

इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जितनी भी मध्यम सिंचाई की योजनाएं हैं, वे भी केन्द्र द्वारा स्वीकृत होती हैं, शासकीय स्वीकृति, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल केन्द्र की

होती है । उन को जल्दी से जल्दी स्वीकृत किया जाना चाहिए ताकि उन पर काम शीघ्र शुरु किया जा सके ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शहडोल के बिरसिंहपुरपाली स्थान पर एक थरमल पावर प्लान्ट लगाने का प्रस्ताव है यह प्लान जुहिला नदी पर लगाया जाएगा । इस के लिए वहां पर पर्याप्त जमीन है, कोयला है और पानी है । इस का सर्वे हो चुका है । इस का कार्य भी शीघ्र शुरु किया जाए ।

मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं यानी शहडोल जिले से, वहां पर लगभग 15 कोयले की खानें हैं । जिन लोगों की जमीनें कोयला खानों के लिए ली गई हैं, वे आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं । उन लोगों की जमीन का एक्वीजीशन किया गया है लेकिन उन को अभी तक पूरा कम्पेसेशन नहीं मिला है । इस के साथ ही साथ शासन से अनुरोध है कि जिन परिवारों की वह जमीन ली गई है, उन परिवारों के सदस्य चाहे एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज में रजिस्ट्रेशन कराएं या न कराएं, उन के एक सदस्य को नौकरी दी जाए । ऐसा कहा भी गया था । अभी तक उन को नौकरी नहीं मिली है । इस ओर भी सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह किसी भेदभाव की भावना से नहीं कह रहा हूं । मध्य प्रदेश में बहुत से औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं जैसे एच० ई० एल० बेलाडीला, भिलाई और कोरबा के प्लान्ट हैं । मेरा कहना यह है कि हमारे प्रदेश के लोगों को इन बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में काम करने का मौका नहीं मिलता है । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश के लोगों को उन प्रतिष्ठानों में अधिक से अधिक नौकरी दी जाए और यह निश्चित किया जाए कि जो लोग बाहर से आकर वहां बस गये हैं, उन को कितने पर सेन्ट स्थान दिये जाएं । हमारे यहां के लोगों को कितने स्थान दिये जाएं, इस ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

आवागमन के साधनों के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां ग्रामीण अंचलों में सब-प्लान चल रहे हैं, केन्द्र के मध्य प्रदेश में 33 सब प्लान्ट चल रहे हैं और वहां पर आर० ई० सी० स्कीम लागू है । आवागमन के साधनों को बढ़ाने के लिए मेरा सुझाव है कि आर० ई० सी० की तरह की एक रुरल रोडवेज कार्पोरेशन बननी चाहिए । अगर ऐसा होगा तो ज्यादा से ज्यादा सड़कें वहां पर बनेंगी और जब सड़कें बनेंगी, तो आर्थिक विकास भी शीघ्रता से होगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सब-प्लान के तेहत काम लिये जाते हैं, उनके लिए मीन्स आफ कम्युनिकेशन्स के लिए राज्य शासन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है । मैं सदन के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि सब-प्लान्स के लिए जो राशि दी जाती है, सड़कों के लिए भी राशि उस में जोड़ी जानी चाहिए ।

हमारा पूरा प्रदेश जंगलों से भरा हुआ है लेकिन ग्रामीण अंचलों में आम लोगों को अपने कामों के लिए तो लकड़ी जंगलों से नहीं मिलती है लेकिन जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, उन को मिल जाती है । बसोर जाति के लोग वहां पर टोकरी बना कर अपना गुजर-बसर करते हैं, लेकिन उस के लिए उन को बांस नहीं मिलता है । हमारा मध्य प्रदेश

जंगलों से इतना भरपूर है कि उसका पूरा लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन वहां पर जो खदानें खोदी जाती है, आफटर टेकिंग जंगल को रिप्लान्ट नहीं किया जाता। जंगलों को रिप्लान्ट किया जाना चाहिए ताकि जंगलों का डिफोरेस्टेशन न हो इस सम्बन्ध में मेरा यही निवेदन है कि इस दिफोरेस्टेशन को रोका जाना चाहिए। जंगलों को उतनी ही मात्रा में कटाई की जाए जितनी की जरुरी हो। जंगलों की अधिक कटाई से भीषण प्राकृतिक प्रभाव पड़ता है। इससे भी हमारे मध्य प्रदेश में अकाल की छाया व्याप्त है। मध्य प्रदेश में इतने सारे जंगल काट दिये गये हैं कि उसका वहां कृउपज पर प्रभाव पड़ा है। औद्योगिक संस्थानों पर तो अनाम-शनाप खर्च किया जाता है लेकिन वहां के फारेस्टेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है।

मैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से चुनकर आया हूं। वहां पर तीन प्रतिशत सिंचाई के आंकडे हैं। वहां पर मध्यम वर्गीय प्रोजक्ट ह जिसको राज्य सरकार ने केन्द्रीय प्रशासन को रिकमण्ड करके भेजा है। मैं केन्द्र के सम्बन्धित मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि व उनकी स्वीकृति जल्दी से जल्दी करके उनको जल्दी से जल्दी प्रारम्भ कराएं।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 18 फरवरी के पहले जो मध्यप्रदेश में जनता सरकार थी, उसने 20 हजार मीट्रिक टन चीनी की सप्लाई को नहीं उठाया और उसे लेप्स हो जाने दिया। उसी की वजह से आज वहां शक्कर की कीमत सात या आठ रुपये किलो है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां का जो कोटा लेप्स हो गया है, उसको देखते हुए मध्य प्रदेश के लिए केन्द्रीय शासन ज्यादा से ज्यादा शक्कर का कोटा प्रदान करने की स्वीकृति दे ताकि वहां पर शक्कर की प्राइसिज डाउन आ जाएं और वहां के उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर शक्कर मिल सके।

इतना ही कह कर मैं जो यह अन्तरिम बजट पेश हुआ है उसका समर्थन करता हूं।

श्री पी० के० थुंगोल (अरुणाचल पश्चिम) : बजट पर वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

सर्वप्रथम मैं सरकार को तथा वित्त मंत्री को अत्यन्त संतुलित और संगत अन्तरिम बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं।

हमारी जनसंख्या का 47 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से भी नीचे निर्वाह कर रहे हैं तथा 40 प्रतिशत मध्य वर्ग तथा निम्न मध्य वर्ग के लोग ह। हमारे देश की बहु-संख्यक जनता की क्रय-शक्ति बहुत कम है। इसके साथ ही विकास कार्यों के लिए हम योजनाएं बनाते हैं जिनमें हमें धन लगाना पड़ता है जिससे बाजार में धन उपलब्ध होता है। पूंजी लगाने के कारण स्वभावतः मुद्रास्फीती बढ़ती है। हमारी वर्तमान अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में देश भर में यह पूछा जाता है कि मुद्रा स्फीति क्यों होती है, मूल्य वृद्धि क्यों होती है। दूसरी ओर हमें निर्धनता, कम क्रय-शक्ति की समस्या का सामना करना पड़ता है और साथ ही हमें सामाजिक आर्थिक योजनाओं के उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वयन के लिए धन लगाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इससे अधिक अच्छा बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। मैंने अपने विपक्षी मित्रों से सुना कि यह बजट राजनीति से प्रेरित है। मेरा उनसे आग्रह है कि वे बजट के दूसरे पहलू को भी देखें। इस बजट के मुख्यतः दो पहलू ह एक ह कार्य सार्थकता और दूसरा पहलू है राजनीतिक। विपक्ष के मित्र केवल

राजनीतिक पहलू पर जोर दे रहे हैं और इसे राजनीति से प्रेरित कर रहे हैं जिससे वे आगामी विधान सभा चुनावों में इसका प्रचार कर सकें ।

वर्ष 1979-80 और अगले वर्ष के घाटे में अन्तर है । अब जो घाटा दिखाया गया है वह इस वर्ष के लिए जो घाटा दिखाया गय है उसके आधे से भी कम है । इससे यह स्तष्ट रूप से जान पड़ता है कि हमारा तथा सरकार का यह संकल्प है कि मूल्य वृद्धि को रोका जाये जोकि इस समय देश में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं विपक्ष के अधिकांश सदस्यों से मिला हूं और उनकी मूल्यवृद्धि के बारे में चिन्ता से अवगत हुआ हूं । किन्तु जब एक ऐसा बजट पेश किया जाता है जो मूल्यों को ठीक करेगा तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को गिरायेगा, तो वे उसकी आलोचना करते हैं । मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के लोग मूर्ख नहीं हैं । उन्हें इस बात की समझ है तथा वे काफी समझदार हैं और विपक्ष के इस झूठे प्रचार को समझते हैं । यह गत आम एवं संसदीय चुनावों से सिद्ध हो चुका है । मुझे विश्वास है कि यह आगामी विधान सभा चुनावों में भी सिद्ध हो जायेगा ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का जहां तक सम्बन्ध है, उस क्षत्र में काफी प्राकृतिक साधन—जल साधन, खनिज साधन, वन साधन, कृषि साधन आदि हैं। किन्तु हम पर्याप्त साधन होने पर भी गरीब हैं। इसके कई कारण हैं। इस क्षेत्र की काफी समय से उपेक्षा की गई है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां निवेश के लिए उचित मूलभूत ढांचा तैयार करने तथा अच्छा वातावरण बनाने के लिए, इन प्राकृतिक साधनों का, जो राष्ट्र की सम्पत्ति हैं, विकास करने तथा दोहन करने के लिए ठोस और सार्थक कार्यक्रम बनाये जायें।

मैं गत सत्र में तथा इस सत्र में आसाम, मेघालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के आन्दोलन पर चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनता रहा हूं। अधिकांश सदस्य, विशेष रूप से विपक्षी सदस्य एक पक्ष के ही बारे में कह रहे थे और वे केवल उन्हीं पहलुओं पर विचार कर रहे थे जो इस समय वहां हैं। किन्तु मैं समझता हूं उनमें से बहुत थोड़े लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र के इन आन्दोलनों तथा विद्रोहों के मूल में नहीं गये हैं। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधान मंत्री इस बारे में अच्छी तरह जानती हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसी धान मंत्री मिली हैं। यदि मैं यह कहूं कि हमारे नेताओं में, हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं में कितने एसे नेता हैं जो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। किन्तु वह ऐसी नेता हैं जो उस क्षेत्र के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में तथा उनके विचारों के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। यही कारण है कि काफी समस्याओं के बावजूद लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वे दृढ़ राष्ट्रवादी हैं। अब समय आ गया है कि हमें उस क्षेत्र के लिए कुछ ठोस और सार्थक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए ।

मैं सरकार का आभारी हूं कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ राशि अथवा व्यवस्था बजट में की गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, विशेष रूप से पिछड़े क्षत्रों में तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत, अरुणाचल प्रदेश सामाजिक, आर्थिक और

राजनीतिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष विचार किया जाना चाहिए। मैं रेल मंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में छः नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए प्रावधान किया है। यद्यपि यह उस क्षेत्र की भारी मांगों को देखते हुए, जहां कोई उचित जलमार्ग तथा वायु मार्ग नहीं हैं, कम से कम इस दिशा में कुछ शुरुआत की गई है।

वर्ष 1973 में हमने सरकार के समक्ष अरुणाचल प्रदेश में तीन रेल लाइनें बनाने का स्ताव रखा था। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि हमारे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि चूंकि अरुणाचल प्रदेश में कोई उद्योग नहीं है रेल लाइन आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है। उसके बाद हमने सरकार के पास एक कागज का कारखाना खोलने का प्रस्ताव किया और हमें कहा गया कि वहां कोई रेल लाइन नहीं है और इस उद्योग के लिए आवश्यक बिजली तथा अन्य सुविधाएं नहीं हैं। तब हमने पन-बिजली की एक योजना का स्ताव रखा। यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे सस्ती और लाभप्रद योजना है। हमें इस पर कहा गया कि बिजली का उपयोग करने के लिए वहां कोई उद्योग नहीं है। इस प्रकार यह दुश्चक्र बढ़ता ही गया। मुझे प्रसन्नता है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में एक नई लाइन की व्यवस्था करने से कम से कम कुछ सीमा तक यह दुश्चक्र समाप्त किया गया है और मुझे आशा है कि यह उत्तरी क्षेत्र के लाखों लोगों की आकांक्षा है कि कुछ ठोस कार्य किया जायेगा और हमारी वर्तमान सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाये जायेंगे।

मैं अब अपनी दूसरी बात पर आता हूं। हम रेल मंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने कहा है कि न्यू बोंगइगांव से गोहाटी तक बड़ी लाइन का विस्तार किया जा रहा है। इसका न्यू बोंगइगांव से ब्रह्मपुत्र के किनारे पर तिनसुखिया तक विस्तार किया जाना चाहिए। बड़ी लाइन को मोरकौंग-सेलेक्ट-सासोधाट तक विस्तार किया जाना चाहिए। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं किन्तु गाड़ियों की सेवा के बारे में एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। बोंगइगांव से मोरकोंग-सेलेक्ट तक केवल एक ही गाड़ी है। आसाम के उत्तरी किनारे पर यही एक गाड़ी है जो अरुणाचल प्रदेश की भी मांग पूरी करती है। उस गाड़ी का नाम अरुणाचल एक्सप्रैस है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों की यह मांग है कि या तो इसका नाम सुधारा जाना चाहिए अथवा गाड़ी को सही तरीके से चलाया जाये क्योंकि इसमें हमेशा कम से कम छः घंटे का विलम्ब होता है। यह एक आम बात है। गाड़ी की सेवा बहुत खराब है। सम्बद्ध अधिकारियों को इसकी भी जांच करनी चाहिए।

मैं इस तथ्य का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि ब्रह्मपुत्र पर एक पुल बन रहा है। मझे पूर्वोत्तर क्षेत्र की परिषद् का सदस्य होने का सौभाग्य रहा है। उन्होंने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है जिसमें सरकार तथा रेल मंत्रालय से निवेदन किया है कि ब्रह्मपुत्र पर इस दूसरे पुल को रेल तथा सड़क पुल बनाया जाये। हमें बताया गया है कि यह केवल सड़क पुल बनाया जा रहा है। विशेषज्ञों ने कहा है कि केवल 5 करोड़ रुपये अधिक निवेश करने से इसे रेल-एवं-सड़क पुल बनाया जा सकता है। किन्तु अरुणाचल,

आसाम और ब्रह्मपुत्र की सारी घाटी के अन्य स्थानों में केवल एक ही पुल है। यदि सरकार का यही रुख है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों का आन्दोलन करना स्वाभाविक है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सामान्य बजट पर बोलने के लिए काफी समय मिलेगा और आप उस समय बोल सकते हैं।

श्री पी० के० थुंगोन : मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं किन्तु मैं अब समाप्त करना चाहता हूं और मेरा निवेदन है कि मुझे बाद में अवसर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु।

अन्य दलों को ग्यारह मिनट आबंटित किये गये हैं। दो व्यक्ति हैं। आप छः या सात मिनट ले सकते हैं। यही आबंटन है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मुझे सन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री अपने अन्तरिम बजट भाषण के बाद यहां उपस्थित हैं। वित्त मंत्री ने अर्थ-व्यवस्था के बारे में जो उनके दल ने जनता पार्टी को 1977 में सौंपी थी बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहा। मेरे पास वित्त मंत्री द्वारा उल्लिखित इस पहलू पर बोलने के लिए अधिक समय नहीं है किन्तु मैं इस बात का पता करना चाहता हूं कि उस समय कौन सी दृढ़ एवं लचीली अर्थव्यवस्था थी जो उनके दल ने अगली सरकार को छोड़ी तथा जो लोगों को दी गई।

उनके शासनकाल में 1969 से 1977 तक एकाधिकारी गृह अधिक शक्तिशाली हुए। यदि कोई दृढ़ अर्थव्यवस्था थी तो वह हमारे देश के एकाधिकारी गृहों के समर्थन के लिए थी। इसके कुछ तथ्य हैं। 1969 में बिरला की परिसम्पत्तियां 293 करोड़ थीं ये बढ़कर 1977 में 1070 हो गई अर्थात् यह श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में हुई है। परिसम्पत्तियों में 777 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। टाटा की 1969 में 418 करोड़ की परिसम्पत्ति थी। यह बढ़कर 1069 करोड़ रु० हो गई। इसमें 581 करोड़ रु० की वृद्धि हुई। मफतलाल की 1969 में 46 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति थी। यह बढ़कर 286 करोड़ रुपये हो गई। इसमें 240 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1977 में जो अर्थव्यवस्था छोड़ी उसकी यही सुदृढ़ता है।

मूल्य वृद्धि पर जोर दिया गया है। हम देखें कि पहले कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ था। मेरे पास यह सिद्ध करने के लिए आंकड़े हैं कि 1962 से 1972 की अवधि के दौरान अर्थात् श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार के दौरान मूल्यों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वास्तविकता है। वास्तव में मैं इस बात से सहमत हूं कि बाद के वर्षों में 1978-79 और 1979-80 में भी मूल्यवृद्धि हुई थी। आज भी मूल्यवृद्धि है। किन्तु श्री वैंकटरमन के विरुद्ध मेरी शिकायत यह है कि वह भी जनता पार्टी के पद चिह्नों का अनसरण कर रहे हैं। वह भी वही आर्थिक तथा मुद्रा सम्बन्धी नीति अपना रही हैं जो मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। श्रीमती गांधी ने वही आर्थिक नीति और मुद्रा नीति अपनाई है। जनता पार्टी ने भी वही नीति अपनाई है जो श्रीमती गांधी ने अपनाई थी। इसका

परिणाम यह हुआ है कि अविश्वसनीय मूल्य वृद्धि हुई है। जब श्री वैंकटरामन विपक्ष में थे तो वह कह रहे थे कि यदि मूल्य वृद्धि को रोकना है तो वित्तीय नीतियों में परिवर्तन करना होगा। किन्तु अब मैं देख रहा हूं कि उन्होंने अपने अन्तरिम बजट भाषण में यह घोषणा की है कि वह उन वित्तीय नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हालांकि वह इन नीतियों की पहले भर्त्सना किया करते थे। मैं यह जानता हूं कि यह सरकारी पक्ष का सदस्य बनने के कारण मजबूरी है। उनके अन्तरिम बजट भाषण में हां दुर्भाग्य से इस बात का कोई संकेत नहीं है कि क्या वह सातवें दशक के आरम्भिक वर्षों में कांग्रेस द्वारा और जनता पार्टी द्वारा 1977, 1978 तथा 1979 में अपनाई गई आर्थिक नीतियों को पूरी तरह बदलना चाहते हैं। दूसरी ओर संकेत यह है कि वह उन्हीं वित्तीय नीतियों का ईमानदारी से अनुसरण करेंगे जिन्हें अब तक बनाया गया है।

पहले की तथाकथित लचीली और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में वृद्धि हो रही है। कुछ विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार 1966 में श्रीमती गांधी के शासनकाल में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 24 करोड़ थी और 1977 तक यह बढ़कर 30 करोड़ हो गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि सुदृढ़ और लचीली अर्थ-व्यवस्था का प्रभाव यह हुआ है कि अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब और गरीब हो रहे हैं। मेरी शिकायत यह है कि उन्होंने इस नीति में परिवर्तन नहीं किया है। इसके लिये मैं श्री वेंकटरामन को उत्तरदायी नहीं मान रहा हूं किन्तु मैंने उनसे यह आशा की थी कि वह उस नीति में पूर्ण परिवर्तन का संकेत देंगे। वह पहले वाली प्रक्रिया का पूरी तरह परित्याग कर देंगे। ऐसा नहीं किया गया है और उनके अन्तरिम बजट भाषण से बहुत ही निराशा हुई है।

वित्त मंत्री महोदय के अन्तरिम बजट में समुची योजना और आयोजना प्रक्रिया को छोड़ दिया गया है। आयोजना तो एक ऐसा सशक्त साधन अथवा हथियार है जिससे सामाजिक परिवर्तन तथा एक नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है जिसके माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता के लिये प्रयास किया जा सकता है। आयोजना प्रक्रिया तो एक सतत प्रक्रिया है इस बात से वह मुझ से सहमत होंगे। इस सतत संदर्श आयोजना को पहले श्रीमती गांधी के शासनकाल में विकृत किया गया और तब 1966-67 1967-68 तथा 1968-69 के तीन वर्षों तक योजना अवकाश रहा। उसी समय से बुनियादी सुविधाओं के अर्न्तगत विकृत प्रणाली अत्यधिक विकृत हो गयी। जिसका परिणाम यह हुआ है कि बुनियादी सुविधायें विशेषकर विद्युत उत्पादन सीमेंट, परिवहन तथा कोयले के क्षेत्र में अस्तव्यस्त सी हो गयी हैं। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय ने अपना खेद प्रकट किया है। यदि इस समय सरकारी क्षेत्र में और निवेशों से इस क्षेत्र को विकास का सच्चा यंत्र बनाया जाये, तो अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। किन्तु अन्तरिम बजट में इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता। यद्यपि केन्द्रीय योजनाओं में अपेक्षाकृत अधिक निवेशों की आवश्यकता है। वित्त मंत्री महोदय ने केवल 558 करोड़ रुपये अर्थात 6015 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6573 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। जब तक केन्द्रीय परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश नहीं होता, जब तक सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश नहीं किये जाते, जब तक व्यापक और बड़े आकार की योजना तैयार नहीं

की जाती, तब तक अर्थ-व्यवस्था को जो इस समय अस्त-व्यस्त सी है, उबारा नहीं जा सकता। अतः इस प्रकार का संकेत उनके बजट भाषण में नहीं है।

दूसरी बात यह है कि आयोजना-साधन को ही तोड़ कर रख दिया गया है। एक योजना आयोग है, एक आयोजना निकाय है, जो सतत बात-चीत की प्रक्रिया, जांच की एक सतत प्रक्रिया है, जो राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग के बीच संपर्क का एक माध्यम है। अब तो योजना आयोग भी नहीं है और सरकार ने इस बात का संकेत भी नहीं दिया है कि इसका गठन कब किया जायेगा। अब वह समूची छठी पंचवर्षीय योजना को पुनः बनाना चाहते हैं। किन्तु मेरी आशंका है कि इसे पुनः बनाने के नाम पर सरकार योजना-अवकाश करना चाहती है। क्या वह सदन को आश्वासन दे सकते हैं कि जब वह योजना की पुनरचना करेंगे तो योजना अवकाश नहीं होगा? यह योजना कब बनाई जायेगी और कैसे इसे लागू किया जायेगा? इसके अतिरिक्त यह भी संकेत मिलता है कि आयोजना प्रक्रिया को नौकरशाहों के हाथों में सौंपा जा रहा है। अभी हाल में राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया है किन्तु इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोई बातचीत नहीं की गई है जिसके कारण समुची आयोजना प्रक्रिया को नौकरशाहों के हाथों में सौंपा जा रहा है। अतः इस आयोजना प्रक्रिया में बहुत बड़ी विकृति है जिसे सुधारे जाने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय सहायता का प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। महोदय आप भी एक ऐसे दल में थे जिसने राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए संघर्ष किया है। अब प्रत्येक राज्य सरकार, चाहे वह तमिलनाडु सरकार हो या पश्चिम बंगाल या केरल या कोई अन्य राज्य सरकार हो, यह अनुभव करती है कि राज्य योजनाओं के लिये अधिक केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिये। अन्तरिम बजट में 126 करोड़ रुपये की थोड़ी सी वृद्धि की गई है किन्तु विकास की गति बनाये रखने के लिये यह राशि पर्याप्त नहीं है।

हमें उनके बजट प्रस्तावों का विश्लेषण करना चाहिये। 1980-81 वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्रित प्रत्येक रुपये में से 19 पैसे छोटी बचत, भविष्य निधि तथा बाजार ऋणों से प्राप्त होंगे, उत्पाद शुल्क तथा गैर-कर राजस्वों में से प्रत्येक से 17 पैसे तथा सीमाशुल्क से 15 पैसे एकत्रित होंगे अर्थात् उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क दोनों से एकत्रित राजस्व एक रुपये में 32 पैसे बनेगा। निगमित कर से केवल 7 पैसे प्राप्त होंगे ऋणों की वसूली से 9 पैसे मिलेंगे, बाहरी ऋणों तथा अन्य आय से 7 पैसे और जुड़ेंगे, आय-कर से 2 पैसे तथा अन्य करों से 1 पैसा प्राप्त होगा। इससे यह पता चलता है कि सरकार की प्रमुख आय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क से प्राप्त होगी और यही मुल्यवृद्धि का कारण बनती है। अतः यदि माननीय वित्त मंत्री इस रास्ते को अपनाते हैं तो घाटा 1250 करोड़, रुपये ही नहीं होगा, जोकि उन्होंने दिखाया है, बल्कि यह 2000 करोड़ रुपये तक हो सकता है। इसका कारण यह है कि करों के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बल्कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में, जनता तथा लोकदल के शासन काल में इसे बड़ी निष्ठा से अपनाया गया है किन्तु यह जन-विरोधी है तथा एकाधिकार तथा बड़े घरानों का समर्थक है। अतः यह अन्तरिम बजट भविष्य के लिये एक अपशकुन है जिसे भूगतने के लिये लोगों को तैयार रहना होगा।

श्री पी० वी० जी० राजू (बोबिली) : महोदय, मैं आयोजना के स्वरूप के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि यह देश के भविष्य के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर मैं सिचाई, भारी उद्योगों, अल्युमीनियम तथा इस्पात, बिजली, नोवहन और रक्षा जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त करूंगा।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश का समूचे विश्व में सबसे बड़ा नदियों का जाल है। ब्रह्मपुत्र विश्व में चौथी सबसे बड़ी नदी है। मेरी जानकारी के अनुसार इस समय ब्रह्मपुत्र नदी का 90 प्रतिशत जल हर वर्ष बंगाल की खाड़ी में बेकार चला जाता है। यदि इस 90 प्रतिशत जल का उपयोग किया जाये तो कलकत्ता पत्तन विश्व का सबसे उत्तम पत्तन बनाया जा सकता है और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु को समूचे एशिया में धान का क्षेत्र बनाया जा सकता है। यदि ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा के साथ जोड़ दिया जाये तो कन्याकुमारी तक भारत का समूचा पूर्वी क्षेत्र धान पैदा करने वाला क्षेत्र बनाया जा सकता है। मैं यह इसलिये कह रहा हूं। क्योंकि बंगला देश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। अतः मैं यह अनुभव करता हूं कि ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा के साथ जोड़ने के कार्य को प्राथमिकता दी जाये और उसके लिये छठी योजना में प्रावधान किया जाये।

यदि ब्रह्मपुत्र नदी को फरक्का बांध में गंगा नदी से जोड़ा जाये तो कलकत्ता पत्तन, जिसकी गहराई इस समय केवल 30 फीट है, 100 फीट गहरा हो सकता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि हम उसमें 100,000 टन तक के जहाज चला सकते हैं। मैं 100,000 टन इसलिये कह रहा हूं क्योंकि अभी हाल में कोचीन में हमने 88,000 डी०डब्लू०टी० का जहाज बनाया है। ऐसे जहाज अब कलकत्ता पत्तन में जा सकते हैं, अतः ब्रह्मपुत्र नदी को फरक्का बांध में गंगा से जोड़ा जाये।

इसके पश्चात् हम फरक्का बांध को उड़ीसा की तीन परियोजनाओं, अर्थात् हीराकुड, महानदी डेलटा सिंचाई परियोजना तथा सालंदी परियोजना के साथ जोड़ सकते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में हम ससंधरा परियोजना बना रहे हैं। वास्तव में 1939 में तत्कालीन मद्रास सरकार ने रामपदसागर के नाम से गोदावरी नदी के लिए एक योजना बनाई थी जिसके अन्तर्गत गोदावरी को पेन्नार नदी के साथ जोड़ा गया था और उसका सारा जल मद्रास शहर और दक्षिण की ओर ले जाया जाना था। यदि ब्रह्मपुत्र को गंगा के साथ जोड़ा जाता है और तब गंगा को वंसधरा तक महानदी से जोड़ा जाता है तो समूचा क्षेत्र जुड़ जायेगा। रामपदसागर परियोजना तत्कालीन मद्रास सरकार द्वारा बनाई गई थी। उस समय योजना पर अनुमानित व्यय 200 करोड़ रुपए था। तब निजाम सरकार ने कहा था कि वह रामपदसागर तथा नागार्जुनसागर के बीच कृष्णा नदी पर परियोजना बनाना चाहेंगे, गोदावरी पर नहीं, क्योंकि अधिकांश निजाम क्षेत्र गोदावरी से जलमग्न हो सकता है। इसलिए नागार्जुन-सागर परियोजना की व्यवस्था की गई थी। अब नागार्जुन सागर परियोजना पर कार्य समाप्त हो चुका है। अगर अब रामपद सागर परियोजना पर कार्य होता है और यदि ब्रह्मपुत्र नदी को रामपदसागर और नागार्जुन सागर से जोड़ा जाता है तो नागार्जुनसागर का जल कन्याकुमारी तक जा सकेगा जिसका अर्थ यह हुआ कि कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम बंगाल तक धान

का उत्पादन होगा । इसका अर्थ यह हुआ कि देश का एक-तिहाई भाग खाद्यान्न का उत्पादन करेगा । यह मेरा विचार है । मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं किन्तु में भारत की सामान्य जनता को उपलब्ध सामान्य जानकारी के अध्ययन के आधार पर अपनी राय दे सकता हूं ।

महोदय दूसरी बात यह है कि मैं भारी उद्योग इस्पात और अल्युमोनियम के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । जैसा कि आप जानते हैं कि विशाखापत्तनम में हम सागर पर आधारित इस्पात संयंत्र लगाना चाहते हैं । मुझे इस बात का पता नहीं है कि यहां कितने मित्र इस बात से परिचित है कि इस्पात संयंत्र पूरी तरह से जल-पूर्ति से सम्बद्ध है । वास्तव में यदि हम उच्च श्रेणी का संयंत्र चाहते हैं तो उसके लिए प्रति घंटा लगभग 20 लाख लिटर जल का उपयोग होता है । जब तक हम गोदावरी अथवा ब्रह्मपुत्र नदियों का जल विशाखापत्तनम पोत एक इस्पात संयंत्र क्षेत्र में उपलब्ध नहीं कर सकेंगे तब तक वहां इस्पात संयंत्र नहीं हो सकता और इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने जिस सिंचाई योजना का सुझाव दिया है उसे जोड़ा जा सकता है और अल्यमिनियम संयंत्र का शिवाखापत्तनम में इस्पात संयंत्र की आवश्यकता है । वास्तव में विशाखापत्तनम क्षेत्र में अथवा वरहामपुर तथा राजामुंदरी क्षेत्र के बीच अल्युमीनियम सयंत्र के लिए जल सुविधाओं की आवश्यकता है और यदि हम एक समन्वित सिंचाई योजना नहीं बना सकेंगे तो हम भारी औद्योगिक योजना भी कार्यान्वित नहीं कर सकेंगे ।

तीसरी बात बिजली उत्पादन के बारे में है। जहां तक में जानता हूं अमरीका में फ्लोरिडा राज्य में समुद्र से भू-तापीय बिजली का उत्पादन किया गया है । इसके लिए समुद्र तल में तट से 6000 फीट से अधिक ऊंचाई से जल डालना पड़ता है और इससे वह एक ऐसी ट्यूब लगा कर बिजली का उत्पादन कर लेते हैं जिसमें "मर्करी" आ जाता और यह समुद्री जल के भार से उत्पादन यूनिट में जाता है जो बिजली का उत्पादन करता है । इस प्रकार भू-तापीय बिजली बनती है । मैं यह अनुभव करता हूं कि विशाखापत्तनम पत्तन और वहरामपुर के बीच अर्थात् विजयनगरम् और श्रीकाकुलम जिलों से समुद्र टत से 5000 से 6000 फीट ऊंचाई से जल गिराया जाये वास्तव में इतनी ऊंचाई से जल दक्षिणी पठार से गिरता है । यदि भू-तापीय बिजली बन सकती है तब हम विशाखापत्तनम में बिजली इस्पात सयंत्र लगा सकते हैं। मेरे मित्र इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि विशाखापत्तनम में इस्पात संयंत्र लगाने की बात नहीं है परन्तु यह बात उस ऊर्जा के सम्बन्ध में है जो हम इस्पात संयंत्र के लिए उत्पादित करेंगे। आन्ध्र प्रदेश में कोयला उच्च तापीय इस्पात के लिए तापीय गर्मी उत्पन्न करने के लिए आन्ध्र के कोयला सीमित मात्रा में है और यदि हम पश्चिम बंगाल से कोयला आयात कर नहीं सकेंगे जैसा कि विजय नगरम् करते हैं तो हम विशाखापत्तनम में समुद्र पर आधारित इस्पात संयंत्र नही लगा सकेंगे। अतः मेरा सुझाव यह है कि हम विद्युत शक्ति के उत्पादन से एक विद्युत इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम में स्थापति किया जा सकता है । मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं बल्कि 1908 में सर विश्वेश्वरय्या ने जो उस समय मैसूर राज्य के दीवन थे भद्रावती में विद्युत इस्पात उत्पादक एकक लगाया था और अतः मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि जो सर विश्वेश्वरय्या मैसूर में कर चुके हैं वह अब भी किया जाये अर्थात् विशाखापत्तनम में ऐसा इस्पात संयंत्र लगाया जाये जैसा मैसूर राज्य में भद्रावती में लगाया गया है । उड़ीसा में एक क्षेत्र है चिल्का झील सम्पूर्ण भारत में यह सबसे बड़ा जल क्षेत्र है और इसका जल थोड़ा खारा अथवा नमकीन है लेकिन यदि इसकी मिट्टी निकाली जाए जैसाकि जापान में करते है

तो हम वहां 2 लाख टन अचल (डैड) भार वाला एक जहाज निर्माण यार्ड बना सकते हैं। इस यार्ड के लिए 200 फुट गहराई की आवश्यकता है। यह यार्ड भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसमें भारतीय पाकिस्तान और बंगला देश आते हैं सबसे बड़ा जहाज निर्माण क्षेत्र होगा। कोचीनयार्ड की वर्तमान क्षमता 88000 टन से अधिक नहीं है और विश्व में तीसरी श्रेणी का यार्ड माना जाता है। जापान की क्षमता 4 लाख टन अचल भार की है और चिल्का झील को यदि हम गहरा करें तो दो लाख टन अचल भार का निर्माण संभव होगा।

रक्षा मंत्रालय द्वारा चिल्का झील का उपयोग छोटे लड़कों के प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि आप रक्षा सम्बन्धी कार्यों पर लगाई जाने वाली राशि में से कुछ राशि असैनिक उत्पादन पर अथवा इसके विपरीत की जाए। जैसाकि आप जानते हैं रक्षा बजट 3,600 करोड़ रुपए के लगभग है अतः सामान्य आयोजना से इसका सम्बन्ध है। चिल्का झील को आसानी से गहरा किया जा सकता है, और इसमें 100 करोड़ या 150 करोड़ रुपए से अधिक लागत नहीं आएगी लेकिन हम वहां एक प्रथम श्रेणी का जहाज निर्माण उद्योग स्थापित कर सकते हैं।

मेरे विचार में सामान्य बजट और आयोजना दोनों अलग अलग नहीं हैं वह एक दूसरे का पर्याय हैं।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तोड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने जो 1980–81 का अन्तरिम बजट पेश किया है, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वास्तव में इस से ज्यादा सुव्यवस्थित बजट नहीं हो सकता था क्योंकि जनता पार्टी और लोक दल का जो 34 महीनों का शासनकाल रहा, उस में हमें विरासत में एक लड़खड़ाती हुई अर्थ-व्यवस्था और एक विकृत प्रर्थतंत्र मिला। ऐसी स्थिति में बड़ी सूझबूझ से माननीय वित्त मंत्री जी ने जो इतना सुन्दर बजट प्रस्तुत किया है, उस के लिए मैं उन को बधाई देती हूं।

यह जो बजट है, इस से समाजवाद का नारा बुलन्द होता है और वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस से हमारी जो घोषणा है, हमारे चुनावपत्र में जो घोषणा की गई है, उस का एक प्रतिविम्ब इस में दिखाई देता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है देश में से गरीबी हटाना। आज हम विश्व के मानचित्र पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि हमारे देश का स्थान 16 गरीब राष्ट्रों में आता है और इस देश में विश्व की 15 प्रतिशत जनसंख्या रहती है परन्तु विश्व की आय का 1.5 प्रतिशत भाग ही हमारे देश में आ पाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार की गरीबी इस देश में लम्बे समय से क्यों है? क्या कारण है जिससे की वजह से अभी तक गरीबी दूर नहीं हो पायी? मान्यवर, इस के मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला तो यह है कि हमारी जो सम्पदा है, हमारी जो प्राकृतिक सम्पदा है, उसका ठीक से उपयोग नहीं हुआ है। हमारे देश के कई भाग अभी भी विकास का इन्तजार कर रहे हैं।

मान्यवर, विकास की दृष्टि से, हमारे देश को दो भागों में बांट दिया जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। एक भाग तो वह है वहां पर कि विकास क्रम तीव्र गति से चला—जैसे कि पंजाब, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक आदि प्रदेश। इसके साथ ही दूसरा भाग

वह है जहां पर कि विकास का क्रम बहुत निम्न है और यह कहना चाहिए कि वहां विकास बहुत कम हुआ है--जैसे कि बिहार उड़ीसा, मध्यप्रदेश और राजस्थान प्रदेश ।

मान्यवर मैं राजस्थान से चित्तोड़गढ़ से आती हूं । यदि राजस्थान को रत्नगर्भा भूमि कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी क्योंकि वहां की भूमि में बहुत अधिक खनिज सम्पदा है । वहां पर अधिक खनिज सम्पदा होने के बावजूद भी वहां उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में केवल दो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं जो कि प्राइवेट सैक्टर में हैं । पब्लिक सैक्टर में वहां पर किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है । लम्बे समय से यह कहा जा रहा है कि निकट भविष्य में राजस्थान में खाद्य का कारखाना डाला जायेगा जोकि पब्लिक सैक्टर का कारखाना होगा । मान्यवर, अभी तक उस ओर कोई गौर नहीं किया गया है ।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र जो कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का इलाका है, वह प्राकृतिक दृष्टि से और व्यावहारिक दृष्टि से भी इस कारखाने के लिए सर्वोत्तम स्थान है । वहां पर उदयपुर में झांवर कोटड़ा में माइंस हैं जिन में रोक फास्फेट का भंडार छिपा है जिसकी कि फर्टिलाइजर के कारखाने में बड़ी आवश्यकता होती है । यदि वहां पर खाद्य का कारखाना लगाया जाता है तो वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहां की गरीबी की समस्या का समाधान भी हम कर पायेंगे । यह एक ऐसा स्थान है जो जंक्शन होने के कारण कई रेलवे लाइनों से जुड़ा हुआ है । यदि इस क्षेत्र में बड़ी लाइन डाल दी जाए जिसे कि कोटा से चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन कह सकते हैं तो इस से वहां के लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा ।

मान्यवर, हमारे देश की गरीबी का जो दूसरा कारण है वह यह है कि देश में आज जो कुछ भी हम पैदा करते हैं, उसका सारा का सारा भाग कुछ लोग ही दबा लेते हैं । यह विचित्र विडम्बना है कि हम लोगों ने कई प्लान बनाये, कई योजनाएं बनायीं लेकिन उनके बाद भी गरीब अधिक गरीब हुआ और अमीर अधिक अमीर हुआ । देश में पांच प्रतिशत लोग हैं जो कि रोजगार के सभी साधनों पर सांप की तरह कुंडली मारे बैठे हुए हैं । अतः इन विषमताओं को दूर करने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा । इस गरीबी का सब से अच्छा इलाज बीस सूत्री कार्यक्रम है और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है । पिछला हमारा अनुभव हमें इस बात को सिखाता है कि बीस सूत्री कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत बहुत तीव्र गति से देश में विकास के काम हुए । इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि नई परिवर्तित परिस्थितियों में इस बीस सूत्री कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को शीघ्रता से लाग किया जाना चाहिए ।

मान्यवर, गरीबी दूर करने के लिए हमें कर प्रणाली में भी संशोधन करना होगा उन लोगों पर अधिक कर लगाना पड़ेगा जो कि पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े कारखानों के मालिक हैं । सामान्य व्यक्तियों पर अधिक कर नहीं लगाये जाने चाहिएं ।

अर्थ व्यवस्था को विकसित करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए मेरे दिमाग में एक ही विचार आता है और वह यह है कि हमारी सारी की सारी विकास योजनाएं ग्रामोन्मुखी हों । ग्रामों में यदि उनको ले जाए तो इससे हमारे देश का कल्याण हो सकता है । इसका कारण यह है कि देश का अस्सी प्रतिशत भाग गांवों में निवास करते हैं । बजट में

कृषि विकास बैंकों की स्थापना की बात कही गई है । इस योजना का जो मसौदा पेश किया गया है मैं उसका स्वागत करती हूं । साथ ही मेरा निवेदन है कि जो भूमिहीन हैं और जो कृषि मजदूर हैं उनके बारे में भी सदियों से कुछ सोचा नहीं गया है । उनके बारे में अब कम से कम कुछ सोचा तो गया है । लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि ये जो बैंक स्थापित किये जाएंगे और अभी जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनका जो प्रोसिजर है वह बहुत कम्पलिकेटिड नहीं होना चाहिये । आज वह बहुत कम्पलिकेटिड है । एक किसान जो बैंक में लोन लेने के लिए जाता है, उनको लोन नहीं मिल पाता है। उसको कई चक्र लगाने पड़ते हैं और लगाने के बाद भी और इसकी सारी जिन्दगी यदि यह कहा जाए कि चक्रमय हो जाती है, फिर भी उसको लोन नहीं मिल पाता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लेने के प्रोसिजर को सरल किया जाना चाहिए । इससे सामान्य किसान भी ऋण ले सकें और अपना गजारा चला सकें, अपनी रोजी रोटी चला सकें ।

देश में पांच लाख से भी अधिक गांव हैं । मैं पूछना चाहती हूं कि क्यों नहीं सारी योजना को ग्रामोन्मखी बनाया जाता है । कितनी विचित्र और कितनी विडम्बना भरी यह बात है कि हमारे डाक्टर, इंजिनियर , शिक्षक आज बेकार फिर रहे हैं लेकिन गांवों में इन सब का अभाव है । यदि हम विकास योजनाओं को गांवों की ओर मोड़ते हैं तो उस स्थिति में दो प्रकार के लाभ हम को होंगे, पहला तो यह होगा कि गरीबी का कुछ निदान हम ढूंढ सकेंगे और दूसरा यह होगा कि हमारी जनसंख्या जो गांवों से नगरों की ओर आ रही है, उसको नगरों की ओर आने से रोका जा सकेगा । नगरीकरण की जो समस्या है यह आज हमारे सामने बहुत ही विकराल रूप में आकर खड़ी हो गई है । यदि हम अपनी योजनाओं को गांवों की ओर मोड़ते हैं तो संभव है कि इस समस्या का भी हम सही समाधान ढूंढ़ सकें ।

ग्रामिण विकास के लिए दूसरी महत्वपुर्ण आवश्यकता है इस बात की कि अधिक से अधिक सिंचाई के साधनों को जुटाया जाए । जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आती हूं वह एक रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाका है। वहां की भूमि सदियों से पानी की प्यासी है। वहां पर एक ओर तो तपता तथा बढ़ता हुआ रेगिस्तान है दूसरी ओर सूखे पहाड़, साथ ही हर दूसरे वर्ष अकाल पड़ जाता है । इस अकाल का अभी तक किसी प्रकार का स्थाई निदान नहीं खोजा गया है। 1958 में राजस्थान कैनाल बनाने का काम शुरू किया गया था । परन्तु यह काम राज्य सरकार के अधीन है और वही इसको कर रही है । इस कारण से इस काम की गति बहुत ही धीमी है । मेरा निवेदन है कि राजस्थान कैनाल को यदि एक राष्ट्रीय योजना में सामिल परिवर्तित कर दिया जाए और इसको पूरा कर दिया जाए तो सम्भव है कि आने वाली पीढ़ी को अकाल का सामना न करना पड़ । इस ओर आप का विशेष ध्यान जाना चाहिये ।

देश का यदि विकास करना है तो विद्युतीकरण की ओर भी आप को ध्यान देना पड़गा । आज विद्युत की जितनी विकट समस्या राजस्थान में है, शायद ही भारत के किसी अन्य प्रान्त में होगी । हमारे यहां रावतभाटा का जो प्लांट है वह खराब पड़ा हुआ है । इस वजह से किसान लोग जो लहलहाती फसल को देखकर खुश होते हैं आज सूखती हुई

फसलों को देखकर आंसू बहा रहे हैं । क्यों नहीं इस प्लांट को जल्दी से ठीक करदिया जाता है । क्या कारण है इस उपेक्षा का जिसकी वजह से किसानों को इतनी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।

रावत भाटा में थर्मल पावर प्लांट की योजना है । उसको भी यदि कार्य रूप में परिणत कर दिया जाए तो गांवों के विद्युतिकरण की समस्या का समाधान हो सकता है।

ग्रामीण विकास के लिए तीसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता सड़कों के विकास की है । यह काम भी तीव्र गति से होना चाहिये । आने वाले बजट में इस काम के वास्ते पर्याप्त प्रावधान होना चाहिये । क्योंकि सड़कों की तुलना शरीर के नाड़ी तंत्र से की जा सकती है । जिस प्रकार शरीर के लिए नाड़ी तंत्र आवश्यक है उसी प्रकार से राष्ट्र के विकास के लिए सड़कों का होना आवश्यक है । परन्तु जनता पार्टी के राज्यों में राजस्थान में जो सड़कें अकाल राहत से बनी वह केवल सड़क के नाम पर रास्ते में धूल डाल दी गई। एक ही वर्ष में सड़कों के अवशेष मात्र रह गये हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि अकाल राहत के जो भी काम किये जाते हैं उसके बारे में केन्द्र की ओर से यह निर्देश होना चाहिये कि ठोस कार्यक्रम लिये जाने चाहिये कि जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो ।

आज गांवों में गरीब व्यक्तियों का ,किसानों का शोषण तीन आदमियों के द्वारा होता है जिनको उच्चारण "प" शब्द से होता है -पटवारी, पुलिस ,और प्रपंची । यह लोग जिस प्रकर ग्रामिणों का शोषण कर रहे हैं हमारी सारी योजनाओं को विफल कर देते हैं । किसान को पटवारी लोग किसी न किसी तरह से परेशान करते रहते हैं । किसानों को सस्ता न्याय मिले इसकी व्यसवस्था केन्द्रीय सरकार की ओर से होनी चाहिये ।

आज देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत विकट है । 2 करोड़ 1 लाख व्यक्ति बेकार हैं । शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । हमारे विश्वविद्यालय ऐसा लगता है कि जैसे टकसाल सिक्के बनाती है उसी प्रकार से यह विश्व-विद्यालय भी बेरोजगारों को ढ़ाल रहें हैं । शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी अनिश्चता का भविष्य जी रहा है । शिक्षा में परिवर्तन की बात सभी करते हैं ,कई वर्षों में कई प्रकार के आयोग भी बैठाये गये कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन होना चाहिये । परन्तु क्या होना चाहिये, कौन सा परिवर्तन होना चाहिये, इसके बारे में किसी प्रकार का एक नियोजित तरीके से कार्य नहीं किया गया । यदि शिक्षा की व्यसवस्था सुधी कर दिया जाय, शिक्षा डिग्री प्राप्त करने के बाद की गारन्टी नहीं, बल्कि व्यवसाय प्राप्त करने की गारन्टी बन जाय तो सम्भव है कि हमारे युवको के सामने जो भविष्य के प्रति एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है उसको हम हटा सकते हैं । आज हमारी शिक्षा प्रणाली 32 साल पहले अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गयी शिक्षा प्रणाली जैसी ही है । इसके बारे में मेरा सुझाव है कि शिक्षा को राज्य सूची से निकाल कर केन्द्रीय सुची में रख दिया जाय तो एक महत्व र्ण कदम होगा। इससे दो लाभ होंगे । पहला तो यह कि सारे देश में एक युनिफार्म शिक्षा की पोलिसी तैयार कर सकगे ,एक राजस्थानी बच्चे और कर्नाटक के शिक्षित बच्चे में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पायेंगे । दूसरा लाभ यह होगा कि नेशनल इंटेगरेशन की ओर भी अधिक बढ़ाया जा सकेगा । यदि सभी प्रान्तों में एक सी शिक्षा होगी तो नेशनल इंटेगरेशन की प्रवृति बढ़ेगी ।

आज हम स्वास्थ्य योजनाओं पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं परन्तु उसका लाभ गांव के गरीब आदमियों को नहीं मिल पाता है। आज गरीब के लिये बड़े-बड़े अस्पताल उस इमारत की तरह से हैं जिस प्रकार से तीन या पांच स्टार होटल, जिनको वह देख तो सकता है लेकिन उनमें प्रवेश नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से बड़े-बड़े अस्पतालों में गरीब की कोई सुनवाही नहीं है। विनम्र शब्दों में निवेदन है कि यदि हम नेशनल हैल्थ स्कीम लागू करें तो यह एक बहुत अच्छा कदम होगा, जैसे इंगलैंड में भी है। यदि हम यहां लागू नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास इतनी अधिक गुंजाइश नहीं है तो कम से कम पार्टली नेशनल हैल्थ स्कीम लागू करनी चाहिए। इससे मेरा अभिप्राय यह है कि वह व्यक्ति जो नियोजित परिवार में विश्वास रखते हैं, उनको सरकारी तौर पर स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं मिलनी चाहिएं। जहां दवाएं बहुत मंहगी हैं। ग्रामीण व्यक्ति को प्राणोजिन्दगी की जरूरियात के निस्बत दवाएं बहुत मंहगी दिखाई देती हैं, इसलिए इस ओर ध्यान देना चाहिए और कम से कम इस प्रकार की अव्यवस्था को दूर करना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण समस्या हमारे सामने मुद्रास्फीति की है। आज देश में मुद्रास्फीति क्यों है? यह हमें जनता पार्टी से मिली है विरासत में, क्योंकि जनता पार्टी के राज्य में कई ऐसे गलत काम किये गये ... (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करती हूं कि 30 वर्ष तक इतनी अधिक मुद्रास्फीति नहीं हुई जितनी कि इन 34 महीनों में हुई। उसी का परिणाम है कि आज भी हमें मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है।

प्रश्न यह है कि मुद्रास्फीति जनता पार्टी के राज्य में क्यों हुई? मैं इसके मुख्य रूप से कारण बताना चाहूंगी। पहला कारण तो यह है कि आपका पिछला बजट दोषपूर्ण था। आपके द्वारा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी, इसके अलावा आपने स्वर्ण नीलाम कर के देश की अर्थव्यवस्था को इतना अधिक विकृत कर दिया कि आज हमारे सामने मुद्रास्फीति की समस्या बहुत की विकराल रूप से सामने पड़ी है।

मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगी कि इसके सम्बन्ध में हमें कुछ कदम उठाने चाहिएं। सबसे महत्वपूर्ण कदम तो यह होगा कि जमाखोरी और तस्करी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, ऊर्जा का अधिक-से-अधिक हल ढूंढना चाहिए। ...

उपाध्यक्ष महोदय : आप 20 मिनट समय ले चुके हैं अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : हमारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में सुधार होना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को सस्ता दर पर आवश्यक वस्तुएं मिल सकें। इसके लिए हमें गांव-गांव में लोकप्रिय दुकानें चलानी चाहिएं।

मैं यह उम्मीद करती हूं कि इस सरकार से आने वाला जो हमारा बजट होगा, उसमें सरकार मुद्रास्फीति के लिए विशेष प्रकार के कदम उठायेगी और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने एक व्यवस्थित बजट हमारे सामने रखा है।

श्री एन० सुन्दरराजन : (शिवकाशी) : मैं अखिल भारतीय अन्ना द्रुक दल की ओर से अंतरिम बजट के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

यह सच है कि कांग्रेस (ई) दल को सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश की जनता से आदेश प्राप्त हुआ है लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आदेश केवल 50 प्रतिशत से भी कम योग्य मतदाताओं ने दिया है। पुरानी और अवैज्ञानिक चुनाव प्रक्रियाएं ही इस विचारधारा का समर्थन करती हैं। कि यह एक व्यापक जनादेश है और कांग्रेस (ई) पार्टी समाज के बहुसंख्यक वर्ग का ध्यान न रख कर इच्छानुसार जो चाहे कर सकती हैं। चुनावों में सफलता इस बात का आमंत्रण होती है कि सत्तारूढ़ दल देश को प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करे ताकि अन्य दलों, जो कि उनके समान ही देश के प्रति निष्ठ हैं और देश की भलाई चाहते हैं, पर आन्धाधुन्ध अथवा जबर्दस्ती सवार हो जाए। चुनावों में सफलता सत्तारूढ़ दल के लिए अन्य दलों के साथ मित्रता बढ़ाने का सुनहरी मौका होता है और उन्हें अन्य दलों के साथ मिलकर एक ऐसी नीति तैयार करनी चाहिए। जिससे समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर किया जा सके। अपने दल की राजनैतिक प्रशंसा हेतु यह समय अब विधि विरोध का नहीं है। आखिर हम किसके लिए यह सब काम कर रहे हैं? अपने लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए और देश के सबसे साधारण दीनहीन नागरिक को बेहतर जीवन सुविधाएं दिलाने के लिए सब कर रहे हैं यदि ऐसा है तो क्या अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण इस प्रकार किया जाता है। एक बार से नौ राज्यों की विधान सभाएं भंग कर दी गईं और कहा गया कि उन्हें जनता का विश्वास प्राप्त नहीं था और तीन राज्य विधान सभाएं इसलिए भंग नहीं हुईं क्योंकि सभा के कुछ सदस्यों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु दल बदल लिया और इस प्रकार अपने मतदाताओं को धोखा दिया। यह किस प्रकार का लोकतंत्र है, क्या यह राजनीतिक प्रवंचना अधिक दिन तक चल सकती है?

अब, नतीजा क्या निकला है? वित्त मंत्री के पास नियमित बजट पेश करने का समय नहीं है इसलिए इस दौरान देश चाहे आर्थिक दलदल में फंसा रहे। मूल्य पहले की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी में अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अपने पूर्ववर्ती मंत्रियों पर आरोप लगाकर मंत्री महोदय अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं लेकिन यह सिलसिला अधिक देर तक नहीं चल सकता। समस्या केवल सच्चे व्यवहारिक और कुशल प्रबन्ध की नहीं है अपितु निर्णयों को निर्भीकता से क्रियान्वित करने की भी है ताकि देश को वर्तमान संकट से उबारा जा सके।

आंकड़े तो झूठ नहीं दर्शाते। जनता सरकार के शासन के प्रथम दो वर्ष इतने बुरे नहीं थे जितना कि कहा गया है। कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। आयात निर्यात के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाया गया। लोगों को स्वतंत्रता थी। महत्वपूर्ण राज्य नीति के मामलों में केन्द्र और राज्यों में आपसी आदर भाव से खुले दिल से परामर्श किया जाता था न कि उन्हें तानाशाही आदेश दिया जाता था।

राज्य सरकारों का आम जनता से सीधा संबद्ध होता है। हमारा संविधान संघीय संविधान है और राज्य सरकारों का महत्व अपने राज्यों में उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार केन्द्र सरकार का अपने क्षेत्र में। यह बहुत निन्दनीय बात है कि जनता द्वारा निर्वाचित राज्य सरकारों को संविधान के अत्याधिक विवादास्पद उपबन्ध के आधार पर अपदस्थ कर दिया गया है।

मेरे राज्य तमिलनाडु का क्या दोष था कि उस पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। वहां की सरकार का नेतृत्व भारत के एक यशस्वी पुत्र श्री एम० जी० रामचन्द्रन कर रहे थे, जिन्होंने न केवल स्वयं इमानदारी से काम किया अपितु अपने सहयोगियों और अपने सरकारी अधिकारियों को भी ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी और भ्रष्टाचार का विरोध करना सिखाया। हमारे राज्य को सुशासित कल्याणकारी राज्य की ख्याति प्राप्त हुई और हमारे नेता ने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की बात सुनी, उनकी स्थिति सुधारने के लिए प्रगतिशील उपाय किये। यह बहुत दुख की बात है कि चुनाव प्रक्रियाओं के छलावे के कारण अधिक वोट प्राप्त करने के बावजूद हमारे दल को लोक सभा में समुचित सीटें प्राप्त नहीं हुईं। सब जानते हैं कि सोने की कीमत केन्द्र के क्षेत्राधिकार में है। मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं, जिन्होंने चुनाव के दौरान ऐसा प्रचार किया था, कि आपने मंगलसूत्र के लिए सोने की कीमत कम करने के बारे में क्या किया है अब तो वह सत्तारुढ़ है इसलिए अपने सारे दायित्व, जैसे कि सोने की कीमत आम आदमी की पहुंच तक लाना, आसानी से भूल सकते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि राजनीतिक चालबाजी सत्तारुढ़ दल का हथियार होता है और अब सत्तारूढ़ दल एक ऐसे बदनाम दल से मिल गया है जिसके नेता को तत्कालीन प्रधान मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण बाहर निकाल दिया था। सरकारिया आयोग ने द्रमुक दल के नेता की भ्रष्ट गतिविधियों के बारे में बिल्कुल सही रिपोर्ट दी और शायद अब वही नेता जिसे एक निष्पक्ष आयोग ने भ्रष्ट ठहराया, तमिलनाडु राज्य सरकार का नेतृत्व करेगा। क्या राजनीतिक बेइमानी ज्यादा देर चल सकती है लेकिन तमिलनाडु राज्य के लोग बुद्धिमान और दूरदर्शी हैं। अगले कुछ महीनों के दौरान पता चल जायेगा कि भ्रष्टाचार कब तक चलता है। तमिलनाडु का देश के आर्थिक मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान है और वहां की राज्य-सभा भंग करके बहुत अवांछनीय कार्य किया गया है। वहां की सरकार अत्यंत प्रगतिशील सरकार थी।

वित्त मंत्री के भाषण में विगत सरकार पर आरोप लगाने के अतिरिक्त देश के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों का कोई विश्लेषण नहीं है। इस सन्दर्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि गत तीन दशकों में देश में काफी प्रगति हुई है, काफी सुधार हुआ है लेकिन विकास के इन लाभों से समाज के कमजोर वर्ग लाभान्वित नहीं हुए इसीलिए हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ है। प्रश्न किसी के द्वारा कुप्रबन्ध का नहीं है। आज आवश्यकता है दृढ़ निश्चय की ताकि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करके प्रगतिशील उपाय किये जा सकें और इस के लिए हमें योग्य व्यक्तियों का परामर्श लेकर निष्कपट तथा वैज्ञानिक रवैया अपनाया होगा चाहे इस काम में प्रतिपक्ष के नेता हठपूर्वक विरोध ही क्यों न करें। प्रधान मंत्री को देश में व्याप्त वास्तविक बुराइयों का पता लगाने और उनके लिए औपचारिक उपायों का निदान करने के लिए उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

मेरे से पहले कई वक्ताओं ने चीनी, मिट्टी के तेल, और डीजल इत्यादि के मूल्यों में तेजी से हो रही वृद्धि के बारे में उल्लेख किया है लेकिन हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब यह रुख पलटता है। आशा है सरकार स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगी ताकि पानी सिर से ऊपर न चला जाये।

यद्यपि यह अंतरिम बजट है मैं आशा करता हूं सरकार किसानों को दिये जाने वाले अलाभप्रद मूल्यों की ओर ध्यान देगी। धान की कीमत 125 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की जा रही है। उनकी यह मांग उचित है क्योंकि कृषि साधनों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। मैं मिर्च के दाम बढ़ाने का समर्थन करता हूं। मिर्च का दाम बढ़ाकर 700 रुपए प्रति क्विंटल किया जाये।

सरकार से अनुरोध है कि वह उर्वरकों, डीजल आयल और बीजों की ऊंची-कीमत की ओर ध्यान दे क्योंकि इन्हीं के कारण गरीब किसानों की उत्पादन लागत बढ़ती है। इन वस्तुओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना ही समय की सबसे बड़ी मांग है।

तमिलनाडु राज्य के औद्योगिक विकास की ओर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। केन्द्रीय पूंजी निवेश राज्य की जनसंख्या, आकार और महत्व को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री एन० सुन्दरराजन : क्लोरेट, जोकि माचिस बनाने के काम आता है, का काफी अभाव है। माचिस उद्योग कुटीर उद्योग के अन्तर्गत आता है।

मन्त्री महोदय की सूचनार्थ, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे चुनाव-क्षेत्र में लगभग सभी दियासलाई लघु उद्योग बन्द होने वाले हैं, जिसके परिणामस्वरूप अर्ध रोजगारी और बेरोजगारी बढ़ेगी। यदि देश में क्लोरेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो, मैं वित्त मन्त्री महोदय से, जिनके पास उद्योग मन्त्रालय भी है, निवेदन करूंगा कि वे शिवकासी क्षेत्र के सहस्त्रों मजदूरों को रोजगार देने के लिए क्लोरेट का आयात करे। शिवकासी क्षेत्र में उत्पादित पटाखों, दियासलाइयों और अश्मकार्यों के तैयार माल की ढुलाई के लिए रेल-डिब्बों की भी कमी है। मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि शिवकासी क्षेत्र में तैयार माल को ढोने में किसी प्रकार की रुकावट पैदा न होने पाये। शिवकासी को सीधे दूरभाष व्यवस्था से जोड़ने का भी मैं सरकार से अनुरोध करूंगा।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति बोलेंगे।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। चूंकि यहां बजट पर चर्चा हो रही है, स्वतन्त्र और छोटे दलों के सदस्यों में से भी कुछ को बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो हर किसी को अवसर दे रहा हूं और मैं पहले ही श्री सुन्दरराजन को बुला चुका हूं। आपको अपना नाम देना चाहिए था। यदि आपने अपना नाम दिया है तो आपको अवश्य बुलाया जायेगा। अब श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति बोलेंगे।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट से सरकार के इस पूर्ण विश्वास और दृढ़ निश्चय के रुख का स्पष्ट रूप से पता चलता है जिसमें केवल

पिछली सरकारों द्वारा विकृत किए गये सारे ही ढांचे का पुनरूद्धार करना है, अपितु समग्रतः हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति और विकास की गति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करना है ।

[श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए]

बजट में राष्ट्र की विषयनिष्ठता पर विशेष रूप से बल दिया गया है । विषय-निष्ठता राष्ट्र का आर्थिक विकासमात्र नहीं है, परन्तु सामाजिक विकास भी है, जो हमारे जैसे देश के लिए अत्यधिक अर्थपूर्ण है, जिसे लगातार कई सदियों तक सामाजिक व्याधियों से ग्रस्त रहना पड़ा है । इस बात की मुझे वास्तव में खुशी है कि प्रारम्भ में ही और अपने प्रथम वाक्य में ही मन्त्री महोदय ने हमारे देश के सामाजिक विकास पर पूरा बल दिया है जिस पर दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया ।

मैं 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन के प्रभाव का एक स्पष्ट दृष्टान्त देना चाहूंगा जो मेरी व्यक्तिगत राय में सही दिशा में एक कदम है ।

इस देश में बन्धुआ मजदूरी की प्रथा सदियों से चली आ रही है जिसमें हमारे देश के एक जन-वर्ग को अनेकानेक सामाजिक असमानताओं को झेलना पड़ा है और उन्हें निम्न-श्रेणी के मनुष्य करार दिया गया । इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय, हम इसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं, केवल कार्यक्रम ही नहीं, अपितु हमारे समाज के जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक लाभों के वितरण को भी हम स्पष्ट देख सकते हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस सरकार ने पहले भी कभी विधानों को अधिनियमित करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई और उसके साथ ही साथ सरकार ने उन विधानों को बड़े ही सुचारू ढंग और ईमानदारी से लागू भी किया जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके । जैसा कि डा० वी० के० आर० वी० राव ने ठीक ही कहा है जब तक हमारे देश में सामाजिक असमानताओं को पूर्णतया दूर नहीं कर दिया जाता और भिन्न भिन्न वर्गों से आने वाले विभिन्न लोगों में कार्यात्मक गतिशीलता पैदा नहीं कर दी जाती, तब तक सच्चे अर्थों में आर्थिक विकास की बात सोचना भी पूर्णतया निरर्थक है । जब तक हमारे समाज के भिन्न-भिन्न प्रकार के काम-धन्धों में कार्यगत गतिशीलता उत्पन्न नहीं हो जाती, जब तक श्रमिक-बल को उचित रूप से गति नहीं प्रदान की जाती, हम आर्थिक विकास नहीं कर सकते । और केवल इतना ही नहीं, आर्थिक विकास के द्वारा हमने जो कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन्हें जरूरतमन्द लोगों तक पहुंचना भी चाहिये । इसलिये हमारे राष्ट्रीय जीवन के वर्गीय पहलू पर प्रारम्भ में ही सही ढंग से बल दिया गया है । वर्तमान सरकार ने हमारे राष्ट्रीय जीवन के इस अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू को पहचान लिया है और राष्ट्रीय विषयनिष्ठता पर उचित बल देने के लिए मैं वित्त मन्त्री महोदय और सरकार को बधाई देता हूं ।

दूसरे, बजट पर चर्चा प्रारम्भ करते हुए श्री चरण सिंह ने वित्त मंत्री के इस कथन से असहमति प्रकट की कि गैर-कांग्रेसी शासन के दौरान देश की अर्थ-व्यवस्था अवरुद्ध हो गई थी । मैं श्री चरण सिंह जी की असहमति से सहमत हूं क्योंकि श्री चरण सिंह की यह बात तो ठीक थी कि देश की अर्थव्यवस्था गैर-कांग्रेसी शासन के दौरान अवरुद्ध ही नहीं हुई अपितु पूर्णरूप से नष्ट हो गई । गैर-कांग्रेसी शासन के 33 मास के बहुत ही

थोड़े से समय में, हमारी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के समग्र आधार को उसी तरह क्षत-विक्षत कर छितरा दिया गया है, जैसेकि उन्होंने स्वयं अपने राजनीतिक आधार को उस अवधि में क्रमवार तहस-नहस कर दिया है। हमारे वित्त मन्त्री महोदय का यह कहना बिल्कुल सही है, "हमें विरासत में मिली अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान का पता लगाने के लिए हमें कुछ और समय की आवश्यकता पड़ेगी और इसके स्वास्थ्य को संजीवन और पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए मध्य स्तर की कार्य कुशलता विकसित करनी पड़ेगी।" इसके अतिरिक्त श्री चरणसिंह ने यह भी कहा है कि गैर-कांग्रेसी शासन के दौरान कुल राष्ट्रीय उत्पादन 5 प्रतिशत की मिश्रित दर से कहीं अधिक था और उन्होंने यह भी दावा किया है कि गत दो दशकों में इसे कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सका। मैं एक सरल सा प्रश्न पूछता हूं : जब वे सत्ता में आए थे तो उन्हें किस प्रकार की अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी ? वर्तमान की कार्य-निष्पत्ति में सदैव वे परिस्थितियां परिलक्षित होती हैं जिनमें कार्य-निष्पादन हुआ और वे यह सीधी सी सच्चाई भूल कर यह दावा कर रहे हैं कि 5 प्रतिशत की वृद्धि समग्रतः उन्हीं की पैदा की हुई है। सच्चाई तो यह है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में चालू वर्ष में केवल 1 प्रतिशत के लगभग गिरावट आई है। इस 1 प्रतिशत की वृद्धि दर के परिणाम के बारे में फिर से मैं एक सरल सा प्रश्न पूछना चाहता हूं : यह किसकी बपौती है ? क्या यह पिछली गैर-कांग्रेसी सरकार की बपौती नहीं है ? कोई इसको नजरान्दाज कैसे कर सकता है ? जो संकट कोयले, विद्युत, इस्पात, सीमेंट और परिवहन अनुभागों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शिकंजे में कैसे हुए था, वह भयावह स्थिति में पहुंच गया है और निराशाजनक तस्वीर पेश करता है तथा परिणामस्वरूप हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण ताने-बाने के लिए खतरा बना हुआ है। मैं एक बार फिर से पूछता हूं कि इस देश में यह निराशाजनक स्थिति पैदा करने के लिए कौन उत्तरदायी है। इसके अलावा, यदि भूतपूर्व गैर-कांग्रेसी सरकारों ने आर्थिक स्थिति को सही ढंग से सम्भाला होता तो आज कीमतों पर पड़ा भारी बोझ कहीं कम होता। क्या बढ़ते हुए बजटीय घाटे और फैलता हुआ व्यापार-अन्तर उस अकुशल ढंग को नहीं दर्शाते, जिससे पिछली सरकार ने सारी अर्थव्यवस्था चलायी थी। जब सूखे के रूप में उन्हें प्रथम परीक्षा का सामना करना पड़ा तो पिछली सरकार ने अपनी नीति का वज्र दिवालियापन दिखाया और जन-साधारण को सुरक्षा प्रदान करने में बुरी तरह से असफल रही। उस समय वास्तव में जिस चीज ने उनकी और देश की गरीब जनता का संकट से उद्धार किया वह थी पिछली सरकार द्वारा पहले से ही तैयार किया हुआ विशाल-भण्डार, खरीद और जन-वितरण प्रणाली। उससे स्थिति संभल गई और वे इस सच्चाई को नकार नहीं सकते।

इसके अतिरिक्त, स्थिति के अनुरूप, लोगों को दिए गए अपने वचन के अनुसार हमारे किसानों की धन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने और कृषि, गांव तथा लघु उद्योगों जैसे अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों से दिये जाने वाले कुल उधार के एक-तिहाई के लक्ष्यों को फिर से प्राप्त करने के लिए शीर्ष-संस्थान के रूप में, वर्तमान सरकार एक कृषि विकास बैंक स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसके साथ-साथ, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने आगामी पांच वर्षों में, अपने कुल उधार के प्राथमिकता

वाले क्षेत्रों के अंश को बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक कर देने के दायित्व को स्वीकार कर लिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों और विशेषकर भूमिहीन मजदूरों, छोटे और मध्य स्तर के किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण भारत के उत्पादकता आधार को सुदृढ़ करने में बड़ी सहायता मिलेगी ।

इसके बाद, मैं एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के सामाजिक-आर्थिक हितों को बढ़ावा देने वाले सांविधिक निगमों को आयकर से विमुक्त करने की आवश्यकता की सही कल्पना करने के लिए मैं सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं । सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए यह सही दिशा में बहुत सही कदम हैं । जब तक हम उनके लिए आवश्यक अवसर पैदा करके और सभी बाधाओं तथा अड़चनों को दूर करके उन्हें राष्ट्रीय जीवनधारा में नहीं मिला लेते तब तक जो कुछ भी आर्थिक विकास हम प्राप्त करेंगे, वह इन सामाजिक आर्थिक असमानताओं से बेकार चला जायेगा । सामाजिक विकास के इस राष्ट्रीय लक्ष्य को पकड़ने के लिए यह बड़ा ही उपयुक्त कदम है ।

मुझे यह खुशी है कि श्री चरणसिंह ने कीमतों में तेजी से आई भारी वृद्धि के असली कारणों को स्वीकार करके यह कहा है कि उत्पाद-शुल्क लगाने की नीति की बजाय अभूतपूर्व सूखे के कारण ऐसा हुआ है । और स्वयं उनके भाषण से यह बात स्पष्ट है कि पिछली सरकार की असंगत असम्बद्ध वित्तीय, मोद्रिक और व्यापार नीतियों के अतिरिक्त नानाविध कारणों का यह सामूहिक प्रभाव है ।

अन्त में, मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को न्यायसंगत करार देने के लिए हमारी पिछली सरकार की असफलताओं की आड़ लेने का प्रयत्न नहीं कर रही हैं । हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं और वित्त मंत्री महोदय के बजटीय भाषण में इन और विभिन्न मार्ग निर्देशिक सिद्धांतों को स्पष्टतया उजागर कर दिया गया है । हम अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और आर्थिक लाभों को आमतौर से जनता के सभी वर्गों और विशेषकर हमारे लोगों के सर्वाधिक उपेक्षित वर्ग में उचित वितरण करने के साथ-साथ आर्थिक प्रगति के लिए सभी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं ।

श्री ठाकुर शिव कुमार सिंह : (खण्डवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो वोट आन एकाउन्ट प्रस्तुत किया गया, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी और लोक दल की विरासत के रूप में हमें एक बहुत ही पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था प्राप्त हुई है, जो उन्होंने हमारे लिए और देश के लिए छोड़ी है । इस देश का गरीब आदमी इस देश का मजदूर और किसान आज श्रीमती इन्दिरा गांधी की ओर आंखें लगाए हुए हैं और आशान्वित है कि उसे कुछ मिलेगा । जनता पार्टी और लोकदल के लोग अपने शासन काल में कहते थे कि हम दस साल राज करेंगे और हिन्दुस्तान में जनता पार्टी को दस साल तक कोई नहीं हटा सकता है। तब ऐसे कौन से कारण आ गए कि जनता पार्टी दस साल तो क्या ढाई साल तक नहीं टिक सकी ।

जनता पार्टी के शासनकाल में हिन्दुस्तान के लोग उनसे परेशान हो गए, हिन्दुस्तान का मजदूर उनसे परेशान हो गये, हिन्दुस्तान का किसान उनसे परेशान हो गये, हिन्दुस्तान के कर्मचारी उनसे परेशान हो गए और उसी के कारण उन्होंने हमारी पार्टी को अपना वोट दे कर हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी है, हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उनकी आकांक्षाओं को पूरा करें । अब काम करने की हमारी बारी है और हम अवश्य करेंगे । मुझे श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है, मुझे हमारे वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है, उन का नेतृत्व एक सक्षम नेतृत्व साबित होगा, भले ही आज उन्होंने पूरा बजट प्रस्तुत नहीं किया है, वोट-आन-एकाउन्ट ही प्रस्तुत किया है, लेकिन आने वाला समय बतलायेगा कि हम ने जो वायदे किये हैं, मजदूरों , किसानों और गरीबों के साथ , वे वायदे पूरा करने के लिए हम सक्षम होंगे । एक शायर ने कहा है —

दर्द करवट बदलने वाला है,

शोला शबनम में ढलने वाला है,

न सही आज ऐ ज़फ़र,

लेकिन कल ज़माना बदलनेवाला है ।

जनता पार्टी के राज में हमारे किसानों को उन के परिश्रम का पैसा नहीं मिला । मैं खण्डवा जिले से आता हूं । खण्डवा, खरगोन में कपास की बहुत अधिक उपज होती है। हमारे क्षेत्र में कांग्रेस के शासन में कपास के भाव 550 से 600 रुपये क्विंटल होते थे । लेकिन जनता पार्टी के राज में, जो अपने आप को किसानों की पार्टी कहती थी, नारे लगाती थी कि वह किसानों की पार्टी है, चौधरी चरण सिंह नारे लगाते थे, लेकिन जब जनता ने जनता पार्टी को काम करने का मौका दिया, किसानों ने उन को वोट दिया, तब किसान लुट गये । उन के राज में किसानों की सब से ज्यादा हत्यायें हुई । कांग्रेस के राज में किसानों को कपास के जो दाम मिला करते थे, जनता पार्टी के राज में कपास का भाव 200 रुपये से 250 रुपये क्विंटल हो गया। गन्ने का भाव कांग्रेस पार्टी के राज में 12 रुपये, 18रु० क्विंटल मिलता था, लेकिन जनता पार्टी के राज, में, जो अपने आप को किसानों की पार्टी कहते थे, गन्ने के 6 रुपये क्विंटल भी नहीं मिल सका । आज भी किसानों को गन्ने के मूल्य का काफी रुपया बकाया है । क्या फायदा किया है जनता पार्टी ने किसानों का ? उन को किसानों के वोट लेने का क्या हक है ? मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि किसानों को फसलों की सपोर्ट प्राइस ऊंची मिलती रहनी चाहिये । कपास का एक्सपोर्ट किया जाय, जिस से किसानों को उसका उचित भाव मिल सके ।

अब मैं आप का ध्यान अपने क्षेत्र बुरहानपुर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। बुरहानपुर में इस समय लगभग 15000 पावर-लूम्ज चलती हैं जिन में से अधिकांश अनधिकृत हैं । अधिकृत रूप से जिन पॉवर-लूम्ज की संख्या 7,000 के लगभग है । यह समस्या केवल बुरहानपुर की ही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र की भी है । चेअरमैन साहब, आप स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि बुरहानपुर इचल-करन्जी, भिवाण्डी, मालेगांव में बहुत ज्यादा संख्या में पावर-लूम्ज लगी हुई हैं । पिछली जनता सरकार ने एक पालिसी निर्धारित की थी कि जो अन-आथोराइज्ड पावर-लूम्ज हैं वे 112 रुपया प्रति

लूम क्वार्टरली लेवी दे कर अधिकृत हो सकती हैं । वे लोग उस नीति के अनुसार बराबर 112 रुपया क्वार्टरली लेवी दिये जा रहे हैं, तीसरा क्वार्टर निकल चुका है, अगले क्वार्टर का पेमेंट देने की फिर से उन के ऊपर जवाबदेही आ गई है । हमारे हिन्दुस्तान में पावर-लूम्ज के मालिक लोग एक या दो पावर लूम्ज बैंकों से कर्जा ले कर लगवाते हैं और बैंकों के ब्याज का मीटर लगातार चल रहा है, जिस का वे लोग भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वे अभी तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाये हैं । ऐसी स्थिति में उन के ऊपर 112 रुपये क्वार्टर की लेवी लगाना बहुत गलत बात है । मैं आप के माध्यम से कामर्स मिनिस्टर साहब और फाइनान्स मिनिस्टर साहब से अनुरोध करता हूं कि जनवरी से उन से लेवी न ली जाये और उन की अन-आथोराइज्ड पावरलूम्ज को आथोराइज्ड किया जाये ।

मेरा खण्डवा जिला वास्तव में इण्डस्ट्रीयली बैकवर्ड जिला घोषित किया जाना चाहिए । वहां पर एक नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल, नेपानगर में है, उस से जो आंकड़े शासन तैयार करता है, उन आंकड़ों को देखने से ऐसा लगता है कि खण्डवा जिला औद्योगिक रूप से ऊपर उठा हुआ जिला है, परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है । मेरी कांस्टीचूएन्सी में दो तहसीलें खण्डवा और हरसूद ऐसी तहसीलें हैं जहां उद्योगों की बहुत कमी है । वहां कृषि पर आधारित उद्योगों, वनों पर आधारित उद्योगों के खोलने की बहुत सम्भावनायें हैं । मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन सम्भावनाओं का पता लगायें । मेरे क्षेत्र में गन्ना बहुत पैदा होता है, कपास बहुत पैदा होती है, इसलिए शुगर मिलें डाली जा सकती हैं, स्पिनिंग और वीविंग मिलें डाली जा सकती हैं, पावर-लूम्ज की संख्या बढ़ाई जा सकती है । मैं चाहता हूं कि उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास करने के लिए जरुर प्रयत्न किया जाये और आने वाले बजट में इस के लिए हमारे केन्द्रीय शासन की ओर से जरुर कोई ठोस प्रस्ताव लाया जाए ।

मैंने सुना है कि एक पैट्रो-कैमिकल काम्पलैक्स मध्य प्रदेश को मिलने वाला है । खण्डवा जिला जो हिन्दुस्तान का दिल है, देश के मध्य में केन्द्रित है, मैं आप से निवेदन करता हूं कि एक पैट्रो-कैमिकल काम्पलेक्स खण्डवा जिले में खोला जाये ।

एक और महत्वपूर्ण समस्या की ओर मैं माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे जिले में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की एक समन्वित अपर ताप्ती प्रोजेक्ट है, जिससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सिंचाई होने वाली है। मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव जीतने के लिए और मेरा जनता पार्टी पर यह आरोप है कि केवल चुनाव जीतने के लिए 150 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना बना दी गई जबकि उस के लिए उतना रुपया प्लान में नहीं रखा गया। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री और ठाकरे जी को बुलाकर 150 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट के लिए भूमि-पूजन करवा दिया गया जबकि उस के लिए बजट में उतना पैसा नहीं रखा गया और केवल 4 करोड़ रुपए ही दिये गये । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह हिन्दुस्तान की जनता की पूंजी के साथ खिलवाड़ नहीं है और लोगों की मांगों के साथ खिलवाड़ नहीं है । मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त राशि बजट में रखें जिससे यह योजना चल सके और अधिक से अधिक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लोग इस से लाभांवित हो सकें ।

मेरा नगर वह है जहां पर मुमताज महल ने अन्तिम सांसें ली थीं और ताजमहल मेरे नगर में नहीं बन सका, फिर भी वह एक ऐतिहासिक स्थल है और वहां पर शाहजहां, हुमायूं और दूसरे मुगल साम्राज्य के शासक रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुरातत्व विभाग के जो अवशेष हैं, उन पर हमारे यहां के स्थानों के लिए केन्द्रीय शासक की नजर पूरी तरह से नहीं गई है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उस ओर विशेष ध्यान दिया जाये और एक पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में ओंकारेश्वर, जहां द्वादश ज्योतिर्लिंग है, का विकास किया जाये।

एक और महत्वपूर्ण समस्या की ओर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं यद्यपि वह रेल मंत्रालय से सम्बन्धित है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे यहां वैगन्स न मिलने के कारण केले का व्यवसाय करने वाले किसान बहुत परेशान हैं। जलगांव जिले में से भुसावल में वैगन न मिलने के कारण केला सड़ रहा है और वहां के किसानों को दिल्ली केला लाने के लिए वेगन नहीं मिल रहे हैं जब कि दूसरा व्यवसाय करने वाले लोगों को वैगन मिल जाते हैं और उन लोगों को वैगन मिल जाते हैं जो पैसे दे देते हैं। केला एक पैरिशबिल चीज है और दिल्ली लाने के लिए वहां के किसानों को वैगन्स मिलने चाहिएं। रेल मंत्रालय उन को वैगन उपलब्ध कराए।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी के बजट का स्वागत करता हूं और उसका हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : सभापति महोदय, कल से ही हम यहां धैर्यपूर्वक बैठ कर वर्तमान सत्ताधारी दल के सदस्यों और पिछली सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों के एक दूसरे के प्रति लगाये गये आरोपों को सुन रहे हैं। यह सच है कि हमारी पार्टी का न कभी जनता पार्टी के साथ लगाव था न आज है और यह बिल्कुल सत्य है कि जनता पार्टी के $2\frac{1}{2}$ वर्ष के शासन में उन्होंने बहुत से पतनोन्मुख कार्य किये हैं और बहुत से नुकसान देह बातें कीं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। परन्तु इसी से कोई यदि यह अर्थ निकाल ले कि जनता पार्टी के सत्ता में आने से पूर्व यहां एश्वर्य का कोई स्वर्णयुग था जो सब $2\frac{1}{2}$ वर्ष के शासन में नष्ट हो गया तो मैं सोचता हूं कि यहां कोई भी अर्थ शास्त्री मुझे दूसरी ओर कुछ अर्थशास्त्री मित्र बैठे दिख रहे हैं—इस सरल कहानी को घट में उतारने को तैयार न होगा। मामले की सच्चाई यह है कि ये दोनों ही पक्ष अपराध भावना में डूबे हुए हैं क्योंकि दोनों ही इधर-उधर अन्तर करके मूलतः एक समान आर्थिक नीतियों को अपनाते रहे हैं। जैसा कि श्री सतीस अग्रवाल ने सही रूप से संकेत किया था—यद्यपि वह किसी और इरादे से कर रहे हैं तथा कथित कृत्रिम बजट जो कि सभा के समक्ष रखा गया है —उसी विनाशक मार्ग पर है जो श्री मोरारजी तथा श्री चरण सिंह की सरकार ने अपनाया था। मुझे खेद है तथा विश्वास है कि वित्त मंत्री ने यह बजट किसी राजनैतिक दबाव में आकर बनाया है। यदि ऐसा न होता तो मुझे विश्वास है कि वह खुले रूप में अपनी नीतियों को स्पष्ट करते जिनका कि उनके भाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

उन्होंने अपने भाषण में उस दृढ़ आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया है जो 1977 में छोड़ी थी।" बहुत सी बातें उद्धृत करने का समय मेरे पास नहीं है। मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि जो मूल्य सूचकांक 1960 में 100 था वह 1977 तक 320 हो गया था। तब जनता शासन में वह और भी बढ़ा। ऐसी बात नहीं है कि उनके आने से पहले कोई और स्थिति थी जोकि बदल गई। रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 1965 में 26.22 लाख थी जो कि 1977 में 109 लाख हो गई। बाद में यह और भी बिगड़ गई। भूमि सुधार के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। गांवों के बारे में उनकी नीति क्या है, कृषि तथा किसानों के बारे में उनकी नीति क्या है। हमारी योजना के प्रारम्भ होने से 1978 के अन्त तक फालतू घोषित की गई भूमि 44.71 लाख एकड़ थी जिसमें से सरकार ने केवल 23.31 लाख एकड़ ही अधिकार में ली और उसमें से भी भूमिहीनों को वितरित की गई भूमि 15.76 लाख एकड़ थी।

यदि हम उपभोक्ता सूचकांक की तुलना अन्य बातों के साथ करते हैं तो हमें पता चलता है कि बड़े व्यावसायिक गृहों के लाभों तथा परिसम्पत्तियों में निरन्तर वृद्धि हुई है—चाहे कांग्रेस की सरकार हो अथवा जनता की—उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती...

(एक माननीय सदस्य : अथवा मार्क्सवादी सरकार) मार्क्सवादी सरकार अभी तक केन्द्र में सत्ता में नहीं आई। परिस्थिति की पराकाष्ठा यह है कि अवरुद्ध अर्थ-व्यवस्था में, जिसमें वृद्धि दर घट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और मूल्य बढ़ रहे हैं जब कि सभी शिखर व्यवसाय गृह, बिड़ला, टाटा, मफतलाल, सिंहानिया, थापर, आई०सी०, आई०, सिंधिया, बांगुर, श्रीराम, किर्लोस्कर, ए०सी०सी०; हिन्दुस्तान लीवर, खटाऊ, साराभाई, बालचन्द, महेन्द्रा और महेन्द्रा, मैकनेल और मेघोर—केवल प्रमुख नामों का उल्लेख किया गया है, यह लोग निरन्तर अपनी सम्पत्ति तथा लाभों में वृद्धि कर रहे हैं। उन्हें हमें बताना चाहिए था कि क्या इसका आर्थिक संकट पर कोई असर है **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : आपके मार्क्सवादी मित्रों ने बड़े उद्योग समूहों को खोतों को लीज पर लेने के लिए आमंत्रित किया...

सभापति महोदय : मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वक्ताओं के लिए बाधा न पैदा करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि कुछ व्यक्ति उत्तेजित हो जाते हैं तो मुझे चिन्ता नहीं। स्वतंत्रता के कुछ समय बाद 1948 में गैर-बैंकिंग निजी पूंजी निवेश 256 करोड़ रुपए था जो 1965 में 800 करोड़ रुपए तथा मार्च, 1970 में 1285 करोड़ रुपए हो गया। मार्च, 1974 में यह 1943 करोड़ रुपए हो गया और अब यह निश्चय ही बहुत अधिक है। यह सब बताने से मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि 1977 से पूर्व सब कुछ ठीक था। उसके बाद ये सज्जन सत्ता में आये जिनके बारे में मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। हम उनका शरू से विरोध करते रहे हैं तथा सहसा सब कुछ बदल गया। इस प्रकार वास्तविक खराबी यह है कि ये दो पार्टियां अथवा ग्रुपों की पार्टियां मूलतः पूंजीवादी नीतियों का पालन करती रही हैं, शब्दों द्वारा भले वे कुछ भी करें। मुझे आशा है कि श्री वेंकटरामन बतायेंगे कि उनकी भावी नीति क्या है। वह अब ब्यौरा नहीं देना चाहते क्योंकि वास्तविक बजट

बाद में आयेगा। जैसा कि श्री अग्रवाल ने बताया, क्योंकि कोई आर्थिक सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है इसलिए हमें पता नहीं है कि वे किस प्रकार की नीति अपनाना चाहते हैं तथा भविष्य में वे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। यह विचित्र बात है—मैं नहीं समझता कि यह इतनी विचित्र है—कि पहला व्यक्ति, जिसने बजट का स्वागत किया है वह भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों के संघ के चेयरमैन हैं, जोकि इस देश में पूंजी के एकाधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री हरी शंकर सिंहानिया ने बजट पेश किये जाने के बाद तुरन्त ही उसका स्वागत किया क्यों? जैसे ही श्रीमती गांधी की सरकार सत्ता में आई उक्त संघ ने आर्थिक कार्यवाही का न्यूनतम कार्यक्रम प्रकाशित किया। यह उसका शीर्षक है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इससे परिचित हैं। पिछले महीने उन्होंने कुछ मांगें की हैं। जिनमें से पहली मांग है—"सरकारी एकाधिकार (अर्थात् सरकारी क्षेत्र) और एकाधिकार और निर्बन्धकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के कारण होने वाली बाधाओं को दूर करना"।

दूसरी मांग यह थी कि निजी उद्योगों को कोयला, बिजली उत्पादन तथा इस्पात आदि उद्योगों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। कुछ ही दिन बाद मेरे मित्र श्री ए० बी० ए० घनी खां ने सभा के बाहर घोषणा की कि वह विद्युत उत्पादन में निजी उद्योगपतियों के प्रवेश का स्वागत करेंगे। यह मंत्री इस सभा में नये हो सकते हैं किन्तु उन्हें इस परिपाटी से अवगत होना चाहिए कि सरकार ने पुरानी नीति में, कोई परिवर्तन करना हो तो इसकी घोषणा, यदि सभा का सत्र चल रहा हो तो पहले सभा में की जानी चाहिए न कि सभा से बाहर। यह 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का उल्लंघन है। वास्तव में 1948 के बाद किसी भी नये बिजली उत्पादन एकक की निजी क्षेत्र को अनुमति नहीं दी गई। वर्तमान एककों को विस्तार की अनुमति दी गई है परन्तु नये एककों को अनुमति नहीं दी गई ...

एक माननीय सदस्य : पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने कलकत्ता विद्युत सप्लाई के पट्टे के नवीकरण की अनुमति क्यों दी है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे आशा है कि आप नहीं बोल रहे हैं। बाद में आपको मेरे लोगों से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुझे आशा है कि आप नहीं बोलेंगे।

मैं यह कह रहा हूं कि वर्तमान एककों द्वारा विस्तार करने की अनुमति सभी सरकारों अर्थात् कांग्रेस सरकार, वामपंथी मोर्चा सरकार तथा जनता सरकार ने दी है लेकिन 1948 के बाद नए एकक लगाने की अनुमति नहीं दी गई।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री ए० बी० ए० घनी खां चौधरी ने सभा से बाहर वक्तव्य दिया था।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इसका सम्बन्ध एफ० आई० सी० सी० आई० द्वारा पिछले महीने में की गई मांग से जोड़ रहा हूं । क्या यह संयोग की बात थी । मांग यह थी :—

"सरकार द्वारा स्वयं विदेशी अथवा घरेलू व्यापार न करना"

"कुछ सरकारी क्षेत्र के एककों का प्रबन्ध दीर्घकालीन ठेका आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया जाना चाहिए"

"अन्तिम प्राधिकार के साथ 'संयुक्त निदेशक' मंडल"

"विदेशी प्रोद्यौगिकी का आवाध आयात"

"निगमित कराधान में 50 प्रतिशत की कमी" और अंत में,

"मजदूर संघ आन्दोलन सख्ती से दबाये जाने चाहिएं ।"

एफ० आई० सी० सी० आई० ने ये मांगें रखी हैं । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बारे में कुछ संकेत देंगे । मैं जानता हूं कि एक महीने के बाद श्री सिंहानिया बहुत खुश है । शायद वह सोच रहे होंगे कि जनता सरकार का झुकाव सरकारी क्षेत्र से कुछ हट सा रहा था । मेरे विचार में ऐसा गैर-सरकारी क्षेत्र के हित को सामने रखते हुए किया गया । शायद श्रीमती गांधी की सरकार इस झुकाव में और परिवर्तन लायेगी । लेकिन उनके भाषण से झुकाव वाली किसी भी बात का पता नहीं लगता । इसीलिए श्री सिंहानिया कुछ चैन की सी सांस ले रहे हैं और उन्होंने इन सब बातों का स्वागत किया है ।

मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें कहूंगा । सबसे महत्वपूर्ण बात नियंत्रित न की जाने वाली मुद्रास्फीति तथा बढ़ते मूल्य हैं । अपना उत्तर देते हुए वह हमें बतायें कि वह इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं । हर वर्ष घाटे की अर्थ-व्यवस्था, प्रति वर्ष गैर-सरकारी तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों को बैंकों से ऋण देना और व्यय पर निगरानी न रखने का इसके प्रति क्या योगदान है । जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों द्वारा पैदा की गई कृत्रिम कमी का इस पर क्या प्रभाव पड़ा । बड़ी फर्मों की बढ़ी सम्पत्ति का क्या योगदान है ? अधिक मूल्य पर जो आयात हम कर रहे हैं, उसका क्या योगदान है ? हमारे तथा अन्य विकासशील देशों के इस प्रवृत्ति को रोकने के प्रयास अंकटाड तथा यू० एन० आई० डी० ओ० में विफल हुए हैं और विकसित देशों ने मिल कर यह निर्णय किया है कि वे हमें मंहगे भावों पर अपना माल बेचेंगे और जो कुछ हमसे खरीदेंगे कम भावों पर खरीदेंगे । खाद्य वस्तुओं सहित कम सप्लाई वाली वस्तुओं के निर्यात का क्या योगदान है ? इन सब बातों का नियंत्रित न होने वाले बढ़ते मूल्यों तथा बढ़ती मुद्रास्फिति पर क्या प्रभाव है ? इन्हें कैसे रोका जा रहा है ? जनता सरकार ने इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया । ये बातें यहां शुरू ही से रहीं हैं और इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में प्रायः होती ही हैं । यदि आप अर्थ-व्यवस्था के ढांचे को बदलने के लिये कदम नहीं उठायेंगे तो ये बातें जारी रहेंगी ।

वित्त मंत्री की उस पक्ष से बहुत सराहना हुई जब उन्होंने राष्ट्रीय ग्राम्य विकास बैंक स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्तावित कानून का जिक्र किया । यह बहुत अच्छा कदम है लेकिन मैं इसके बारे में कुछ और भी जानना चाहता हूं । जहां तक गरीब किसानों, छोटे

किसनों, भूमिहीन श्रमिकों और कृषि श्रमिकों का सम्बन्ध है, यह बैंक उनके किसी काम नहीं आयेगा । ये लोग किस प्रकार की प्रतिभूतियां दे सकते हैं। यह कोई ऋण बैंक नहीं होगा। इसका अर्थ यह होगा कि इस बैंक पर केवल बड़े और अमीर जमीदारों का एकाधिकार रहेगा । आंकड़ों से सिद्ध होता है कि भूमिहीन श्रमिकों की संख्या हर वर्ष बढ़ती ही जा रही है । 1978 में यह संख्या 5 करोड़ 30 लाख थी। भू-स्वामित्व पर भी केन्द्रीयकरण बढ़ता ही जा रहा है। मेरे पास आंकड़े हैं । श्री मुखर्जी पश्चिम बंगाल बामपंथी मोर्चा सरकार से काफी परेशान हैं । मैं इस बात से सहमत हूं कि वे कोई बड़े काम नहीं करते लेकिन उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि वे 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बूढ़े किसानों को पेशन देने सम्बन्धी कानून लाये हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के हर किसान को सरकार से पेशन मिलेगी । यह थोड़ी हो सकती है और इससे सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता लेकिन इसकी व्यवस्था तो है। जैसा कि मैं कह रहा था यह प्रस्तावित बैंक बढ़ती भूमिहीन किसानों की सेना को ऋण देने में कभी भी समर्थ नहीं होगा।

इन्होंने भूमि सुधार के बारे में कोई भी शब्द नहीं बोला । जनता सरकार से म भूमि सुधार की आशा नहीं रखता था। लेकिन यह कांग्रेस सरकार क्या कर रही है। क्या यह अपने पुराने वचन भूल बैठी है ?

सभापति महोदय : आपको अब अपना भाषाण समाप्त करना चाहिये । आपने अपनी बातें कह दी हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं कुछ और बातें भी कह सकता था। वित्त और राजकोष सम्बन्धी कुछ अन्य नीतियों को भी ये लागू करना चाहते हैं। विशेष कार्यवाही का जिक्र किये बिना भी वे कई बातें कह सकते थे। अतः हम जानना चाहते हैं ये भार को किस पर डालना चाहते हैं? एक बहुत बड़ा बोझ आ रहा है। राज्यों में चुनाव होने के बाद और कांग्रेस (आई) दल द्वारा इन राज्यों में बहुमत प्राप्त करने के बाद निश्चय ही वह कमर तोड़ बोझ लोगों पर आयेगा।

इन्होंने अपने भाषण के पैरा 20 में जनता सरकार की आलोचना की है। किस कारण? कुछ उत्पाद शुल्कों को कम करने के लिये उस आलोचना का क्या प्रभाव होगा ? वे इसके बारे में कुछ बतायें । क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि अगले बजट में आय बढ़ाने के लिये कमरतोड़ उत्पाद शुल्क लगेंगे जिसका सारा बोझ आम आदमी पर पड़ता है जिससे मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रास्फिति होती है तथा और ऐसा चक्कर घूमता रहता है। हमें बताया जाये कि कि वे क्या करने जा रहे हैं । श्री वेंकटरामन को कभी न कभी तो इन सब बातों का हिसाब किताब करना ही पड़ेगा जसे कि पहली सरकार को भी करना पड़ा था। मुझे विश्वास है कि वह समय आयेगा जब इस देश का साधारण काम करने वाला व्यक्ति, जो मंत्रिमंडल तथा सरकारें बदलने तथा दलबदल में रुचि नहीं लेता ; आकर कहेगा : हमें आपकी दोनों सभाओं से कुछ नहीं लेना देना है, हमें न जनता से कोई सरोकार है और न ही कांग्रेस से है। देश को आगे ले जाने का यह कोई तरीका नहीं है। हमें इस पूंजीवादी बुराई से दूर रहना चाहिये जिस में सारी अर्थ-व्यवस्था ग्रस्त हो गयी है।

इन्होंने इस बात का जिक्र भी नहीं किया है कि क्या सरकारी क्षेत्र को अपना पूरा सम्मान प्राप्त होगा और क्या बड़े एकाधिकरा गृह को सरकारी क्षेत्र को और अधिक क्षति पहुंचाने की अनुमति दी जायेगी। कृपया । इस बारे में हमें कुछ बतायें। अन्यथा इस बजट क समर्थन करने का प्रश्न ही उत्पन नही होता हम इसे पूर्णतया अस्वीकार करते हैं।

*श्री उत्तम भाई ह० पटेल (बलसार) : *अध्यक्ष महोदय, गरीबों में नयी दृष्टि लाने वाले तथा चेतना जगाने वाले इस नये बजट का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं।

देश की आबादी का आधा भाग आज गरीबी की रेखा से नीचे जी रहा है, इस प्रकार एक विकराल ज्वालामुखी पर्वत पर हम बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिये कि इस देश में आदिवासी हरिजन तथा गरीब भमिहीन खेत मजदूर, बड़ी नाहात में बसते हैं। आपको तथा सारे सदन को यह जानकर बड़ी ताज्जूबी होगी कि, अब भी इस देश में ऐसे गरीब लोग बसते हैं जो सारे दिन तन तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी उनको अपनी भूख मिटाने के लिये पर्याप्त भोजन भी प्राप्त नही होता । गुजरात में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी दो ढाई या तीन रुपया ही मजदूरी मिलती है। दूसरी ओर करोड़ पति लोग बसते हैं। इन दो वर्गों की खाई को हमें निपटनी होगी ।

अध्यक्ष महोदय , इस देश के गरीब लोगों की हालत पर हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की निगाह पड़ी। उन्होंने बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करके इस वर्ग के लोगों में नयी चेतना जगाई । किन्तु दुर्भाग्य से जनता पार्टी की सरकार बनी, और जली हुई ज्योति को उसने बुझा दी। फिर से भारत की जनता ने इंदिरा गांधी पर विश्वास लाकर इस ज्योति को फिर से चलाने की जिम्मेदारी सौंपी।

अध्यक्ष महोदय, मैं जहां से चुनाव जीत कर आया हूं वहां गुजरात में करीब तीस लाख आदिवासी रहते हैं। भारत में अन्यत्र भी इस प्रकार के गरीब लोग बसते हैं। इन लोगों को रहने के लिये झोंपड़ी भी नहीं है। इन लोगों को कम से कम मकान की सुविधा तो हमें देनी होगी ।

अध्यक्ष महोदय, एक "ट्रायबल सप्लान" नाम की योजना चल रही है। इस योजना में एक विचित्रता है । एक ओर आदिवासी, हलपति किसान की झोंपड़ी है । जिसमें बारिश का पानी गिरता है, दूसरी ओर पास ही मुर्गा पालन केन्द्र चल रहा है । जिसमें मुर्गे को रहने के लिए पक्के मकान बनाये हैं । शर्मनाक बात तो यह है कि आदमी को रहने के लिए अच्छी झोंपड़ी भी नहीं है जबकि मुर्गों के लिए पक्का मकान बनाया है ।

अध्यक्ष महोदय, समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरों को आजादी मिलने के तैंतीस वर्ष बीतने के बाद भी पीने के पानी की समस्या है । औरतों को तीन-तीन कि० मी० दूर पानी लेने जाना पड़ता है । आधा रात को लाइन लगानी पड़ती है । सभी-कभी तो सारी रात वहीं सोना पड़ता है ।

*गुजराती में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

इस कलंक को हमें दूर करना होगा ।

अध्यक्ष महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम द्वारा भूमिहीन आदिवासियों तथा हरिजनों को फालतू जमीन मिलने वाली थी । जनता शासन में इन कार्यक्रमों की उपेक्षा की गई । अब हमें फिर से इन कार्यक्रमों पर युद्ध के स्तर पर अमल करना होगा ।

अध्यक्ष महोदय, संत तुलसी ने कहा है :—

तुलसी "हाय" गरीब की,
कभी न खाली जाये ।
भुए ढारे के चाप से,
लोह भस्म हो जाये ।

इसलिए इस हाय से हमें बचना होगा । बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने से ही यह सम्भव होगा । वरना, इन गरीबों की "हाय" दिल्ली के सिंहासन को भी हिला देगी ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में छोटी-बड़ी अनेक सिंचाई परियोजनाएं हुई हैं । जिसमें चाहे वह भाखड़ा बांध हो या डकाई बांध, उसके पानी में केवल आदिवासियों और हरिजनों की भूमि ही डूबी है। हजारों की तादाद में इन लोगों को अपना मकान छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा है । उसके बाद वे जहां भी गए हैं, उनकी हालत खराब हो रही है, वे नयी जगह पर वर्षों के बाद भी स्थिरता प्राप्त नहीं कर सके हैं। इसलिए हमें इस पर पुनर्विचार करना होगा। नर्मदा एवार्ड के हिसाब से इन सबको सहायता मिलनी चाहिए ।

नर्मदा परियोजना होने वाली है । और भी कई बांध बांधे जायेंगे, वहां इन गरीबों को फायदा पहुंचाना होगा । मैं आशा करता है कि माननीय मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं, कि आज गरीबों के लिए यदि सबसे बड़ी कोई समस्या है तो, मंहगाई की है । रोज उपयोग में आने वाली आवश्यक चीजों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। गरीब तबके का आदमी इन चीजों को नहीं प्राप्त कर सकता है । इस प्रश्न को हल करने के लिए यद्ध स्तर पर कार्य करना होगा । आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंधक कानून को कड़ाई से लागू करना होगा । जहां सरकारी अधिकारियों का भी इसमें हाथ हो वहां उन कर्मचारियों से ही कड़ाई से पेश करना होगा ।

अयध्क्ष महोदय, गरीब आदिवासियों और हरिजनों ने अपने जीवन की परवाह किये बिना कांग्रेस पर विश्वास रखा है । मैं इस पर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं ।

चुनाव के समय, मतदान के दिन, एक चुनाव कार्यकर्त्ता एक घर पर एक बुढ़िया को मतदान के लिए बुलाने गया । दो-तीन बार जाने पर भी बुढ़िया घर से बाहर नहीं आई। "बाहर क्यों नहीं आती" यह पूछने पर बुढ़िया ने बताया, "हमारे घर में पहनने का कपड़ा

एक ही है, और औरतें तीन हैं । इसलिए बारी बारी से पहन कर सब मत डालने जाती हैं । अब घर की बहु गई है, उसके आने के बाद वही कपड़ा में पहनूंगी और तब में वोट डालने जा सकूंगी । "

अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को इन गरीब लोगों की जिम्मेदारी केवल राज्य सरकारों पर नहीं छोड़नी चाहिए । किन्तु अपने पर सीधी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि, बजट का चौथा हिस्सा इन गरीबों के विकास के लिए अलग रखना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, अंत में एक बात करके मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा । हमारे देश की प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम को लेकर देश को आगे बढाना चाहती है, उसे ठीक से लागू करने के लिए प्रशासन को जागृत व दूरदर्शी बनाना होगा । इस पर हमें सतत निगरानी रखनी होगी ।

प्रो० मधु दंडवते : (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी- अभी लोक सभा सचिवालय ने श्री राव वीरेन्द्र सिंह का वक्तव्य परिचालित किया है । कहा गया है कि वह 6 बजे अपना वक्तव्य देंगे और आज की कार्य सूची से पता चलता है कि इस समय नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होगी। अतः वह 6 बजे से पहले अपना वक्तव्य दें।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : लेकिन वक्तव्य तो केवल तीन मिनट का है ।

सभापति महोदय : इस बात को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी ।

प्रो० मधु दंडवते : दो मिनट काफी हैं ।

सभापति महोदय : अब श्री रामगोपाल रेडडी बोलें ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आज हमने दो अच्छे भाषण सुने हैं, एक भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री सतीश अग्रवाल और दूसरा श्री इन्द्रजीत गुप्त से । श्री अग्रवाल ने कहा कि जनता शासन के पहले दो वर्षों में उन्होंने देश के अन्दर कुछ परिवर्तन लाये हैं और तीसरे वर्ष वे आपसी झगड़ों के कारण असफल हुए । क्या ये आपसी झगड़े कांग्रेस दल अथवा कांग्रेस नेताओं के कारण थे । यह उनका दोष है कि वे आपस में लड़े जिसके फलस्वरुप कांग्रेस वापस सत्ता में आई ।

1971 में यद्ध के बाद, इस देश की अर्थव्यवस्था लगभग नष्ट हो गई और सौभाग्य-वश श्रीमती गांधी ने इस देश को समृद्ध बनाया (व्यवधान) । 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आयी ।उनके पास 2 करोड़ टन अनाज था । जैसे कि श्री अग्रवाल ने स्वीकार किया । उनके पास 3000 करोड़ विदेशी मुद्रा का भंडार भी था और यदि श्री अग्रवाल ने इसे स्वीकार किया है तो यह बात स्पष्ट है कि श्रीमती गांधी ने विदेशी मुद्रा भंडार के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया और यह भंडार बढ़ते-बढ़ते अब 6000 करोड़ हो गया है । उन्होंने उस धन को कई तारीकों से बर्बाद किया जो इस देश के विकास के हित में नहीं था ।

जनता पार्टी सरकार के हाथ में जादू की छड़ी थी जिससे उसने सभी फालतू धन और अन्न को बर्बाद किया। एक समय चीनी का उत्पादन 65 लाख टन था। मैंने एक समय संसद में कहा था कि यदि सारी चीनी को खाड़ी बंगाल तथा अरब खाड़ी में फैंका जाये तो सारा समुद्र मीठा हो जायेगा। इस वर्ष उत्पादन केवल 38 लाख टन है। उनके तीन वर्षीय शासनकाल में उत्पादन 55 प्रतिशत घट गया है। दुनिया भर में क्या कोई ऐसी सरकार है जिसका उत्पादन तीन वर्षों में शत प्रतिशत घटा हो।

दूसरी बात यह है कि देश में कोई अनुशासन नहीं है। विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे। श्रमिक काम नहीं कर रहे और कोई नहीं जानता कि हड़ताल कब हो। यह एक अनुशासनहीन राष्ट्र बन गया है। सफलता से युद्ध लड़ने वाला राष्ट्र अनुशासनहीन बन गया है। सौभाग्यवश, अब सरकार देश में अनुशासन लाने का प्रयत्न कर रही है।

राजस्थान नगर अनिवार्य है। यदि हम इसे जल्दी नहीं बनाते तो रेत के उपजाऊ जमीन तक फैलने का भय है। कांग्रेस तथा जनता दोनों सरकारों ने कहा है कि रेत नहीं फैल रहा है लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि बात ऐसी नहीं है। यदि रेत को फैलने से रोकना है तो एक नहर को बनाना बहुत जरुरी है और हमें इसे प्राथमिकता को आधार पर पूरा करना चाहिए। इसके लिए यदि हमें और परियोजनायें भी बन्द करनी पड़ें, तो कोई बात नहीं है। यह बहुत मंहगी परियोजना है और यदि रेत फैले तो जमीन का उपजाऊपन समाप्त हो जाएगा।

हमने कई बड़े-बड़े बांध बनाये हैं लेकिन दुर्भाग्यवश हम जल का उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सा पानी बर्बाद जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश में कमांड एरिया डैवेलपमेंट के अधीन पोचमपद परियोजाना में पानी का उपयोग पूरी तरह से किया जा रहा है। उस क्षेत्र के दौरे पर गई विश्व बैंक की टीम ने कहा है कि इस परियोजना के द्वारा आन्ध्र प्रदेश में उत्तर कार्य हो रहा है। मैं चाहता हूं कि समस्त भारत इसका अनुसरण करे। वास्तव में विश्व बैंक टीम ने हमारे विशेषज्ञों और हमारे सचिव को जल उपयोग सम्बन्धी मंत्रणा देने के लिए विदेशों के लिए आमंत्रित किया है।

दूसरी ओर, पिछले दो अथवा तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक वस्तुओं के दाम बढ़ते आये हैं और बढ़ रहे हैं और कृषि उत्पादों के दाम घटते आ रहे हैं। मैं अपना राज्य सम्बन्धी एक उदाहरण देता हूं। हल्दी का भाव 600 रुपए प्रति क्विंटल था, जो गिरकर 300 रुपए पहुंच गया है। दुर्भाग्यवश जनता सरकार ने 2,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से निर्यात शुल्क लगाया। मैंने वित्त मंत्री से इसे वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने उत्तर दिया है कि इस काम को वाणिज्य मंत्रालय कर रहा है। चाहे वह वाणिज्य मंत्रालय हो या वित्त मंत्रालय हो अथवा अन्य मंत्रालय, आखिर यह भारत सरकार है जो इस पर कार्यवाही कर रही है। मैं चाहता हूं कि यह शुल्क तत्काल वापस लिया जाये क्योंकि हल्दी की फस्ल अब खेतों से मंड़ियों में जा रही है और शीघ्र ही व्यापारियों के हाथ में आ जायेगी। यदि बाद में शुल्क हटा दिया गया तो इसका लाभ केवल व्यापारियों को ही मिलेगा न कि किसानों को। यदि वर्तमान स्थित कुछ और समय तक चलती रही तो अगले वर्ष हल्दी नहीं मिलेगी। गन्ने के साथ जो हुआ वही हल्दी के मामले में भी होगा।

चीनी की अधिकता थी किन्तु दो वर्षों में गलत नीतियों के कारण अब चीनी की कमी है। मैं चाहता हूं कि चीनी के बारे में दुहरी मूल्य नीति कुछ और समय तक चलनी चाहिए ताकि चीनी का उत्पादन बढ़ सके। मुझे विश्वास है कि यदि यह जारी रहा तो अगले वर्ष चीनी का हमारा उत्पादन 5 लाख टन से कम नहीं होगा जो हमारे देश के लिए पर्याप्त होगा।

कुछ जमाखोर और चोर बाजारी करने वाले हैं। वास्तव में उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए काफी कानून हैं। मेरा निवेदन है कि जो ऐसा काम करते हैं उन्हें बिना किसी झिझक के गिरफ्तार किया जाना चाहिए जैसा कि आपातकालीन स्थिति के दौरान किया गया था। आखिर आपातकालीन स्थिति में चोर-बाजारी करने वाले पकड़े गए थे। राजनीतिज्ञ भी कह सकते हैं कि वे भी जेल में थे किन्तु इसका कारण यह था कि उस समय तनाव इतना हो गया था कि श्रीमती गांधी को आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने पर बाध्य होना पड़ा और कुछ लोगों को जेल भी जाना पड़ा। किन्तु अब लोग आपातकालीन स्थिति के लिए नहीं कह रहे हैं किन्तु एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो काम करे।

रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन एयरलाइन्स, एअर इंडिया आदि के कर्मचारी जिनका वेतन 1000 रुपए से अधिक है, वे भी हड़ताल कर रहे हैं। इसे बन्द किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जिसका आय 1000 रुपये से अधिक है, हड़ताल पर जाता है तो उसे तत्काल सेवा से हटाया जाना चाहिए। हमें उसके लिए कोई सद्भावना नहीं होनी चाहिए। संसद सदस्य को भी एक हजार रुपया नहीं मिला रहा है। आप जानते हैं हमें कितना कष्ट सहना पड़ता है और कितना खर्च करना पड़ता है। यहां तक कि बिना चुनाव के दिनों में भी हमें जगह-जगह जाना पड़ता है। एक साधारण स्नातक को जब बैंक में नौकरी मिलती है तो उसे तत्काल लगभग 1000 रु० की बड़ी राशि मिलती है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि सरकार उन लोगों के प्रति कोई दया न दिखाए जिनको अच्छा वेतन मिलता है किन्तु फिर भी हड़ताल पर जाते हैं।

औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाया जाना है। जब तक इसमें 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि नहीं होती तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा और इस देश की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जिनमें हमने 15 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि का निवेश किया है, दुर्भाग्य से उनसे तीन से चार सौ करोड़ रुपए भी प्रतिवर्ष नहीं मिल रहा है। हमें उनसे 10 प्रतिशत अर्थात् 1500 करोड़ रुपए मिलने चाहिएं और इन उपक्रमों के सभी प्रबन्धकों को इस सम्बध में कड़ी हिदायतें दी जानी चाहिएं। मुझे आशा है कि वर्तमान वित्त मंत्री जिन्होंने तमिलनाडु की, जो अब आर्थिक दृष्टि से सुखी है, बड़ी भारी सेवा की है, अच्छा आधार बनायेंगे और इससे देश के लोगों की प्रशंसा के पात्र होंगे। धन्यवाद।

***श्री सी० पलानी अप्पन** (सेलम) : माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1980–81 के लिए पेश किये गये बजट का स्वागत करता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया है। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात रही है कि गत पचास महीनों से तमिलनाडु के 4.5 करोड़ लोगों को ऐसी सरकार मिली जो राज्य के आर्थिक विकास में तथा राज्य

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

के लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं के प्रति सक्रिय नहीं रही है । स्वभावतः इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसा वातावरण बना जिससे राज्य सरकार हट गई । मुझसे पूर्व वक्ता ने सकारिया आयोग आदि का उल्लेख किया है । मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि कांच के मकान में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए । मैं मानता हूं कि प्रशासन से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करना सम्भव नहीं है । किन्तु भ्रष्टाचार और कदाचार को स्वयं प्रशासन नहीं बनना चाहिए । चिकित्सा महाविद्यालय का घोटाला, भारी-बस परमिट घोटाला, जहाज की ख़रीद का घोटाला, परकोड स्टेट—मालिकों के उपहरण का मामला, तारामंगलम प्रतिमा की तश्करी का घोटाला राज्य में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति, कृषकों का आन्दोलन तथा मजदूरों का प्रदर्शन के लिए जो प्रशासन जिम्मेदार है उसे हटाया जाना चाहिए । अब वे दूसरों को दोषी कह रहे हैं । यह कहा जा रहा है कि द्र०मु०क० को अल्पसंख्यकों के मतों से अधिक स्थान मिले हैं । मैं कहना चाहूंगा कि 42 प्रतिशत मत मिलने के बाद अखिल भारतीय अन्ना द्र०मु०क० सरकार ने तमिलनाडु के 58 प्रतिशत लोगों के क्रोध को आमंत्रित किया है । गत 50 महीनों में तमिलनाडु की समस्याएं उच्चतम सीमा तक पहुंच गई हैं क्योंकि किसी ने भी उनका सामाधान करने के बारे में ध्यान नहीं दिया है । केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह अब राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत है ।

मेरे क्षेत्र कलरायान मलाई में एक बांध बनाया जाना चाहिए जिससे 15,000 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी । अर्काड-कलरायानमलाई कोतलीमलाई क्षेत्र में 5 से 70 वर्ष के लोग गम्भीर छूआछूत के रोगों, जैसे रतिरोग और कुष्ट रोग से पीड़ित हैं जो पास के तिरुचिरापल्ली और सेलम जिले में भी फैल सकता है । इससे भावी पीड़ियों को भी खतरा हो सकता है । केन्द्रीय सरकार द्वारा इस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं तत्काल दी जानी चाहिए । अर्काड- कलरायानमलाई—पेनाग्राम क्षेत्र में कृषक कई वर्षों से खेती कर रहे थे । हाल ही में वनविभाग ने इस सारी भूमि को ले लिया है और वहां पौधे लगा दिये हैं । मेरी मांग है कि इन कृषकों को पट्टे दिये जायें । सेलम कस्बे में एक ऊपरी पुल बहुत जरुरी हो गया है क्योंकि लोग सड़क के दूसरी ओर हस्पताल नहीं पहुंच सकते । काम के समय यातायात स्थिर हो जाता है । ऊपरी पुल की स्वीकृति तत्काल दी जानी चाहिए । मेगर एम०टी०सी० क्षेत्र की गन्दी बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों को आवास के प्रयोजन के लिए जमीन पट्टे पर दी जानी चाहिए । गांधी जी कहते थे कि नागरिक निकाय लोकतंत्र के पालने हैं किन्तु तमिलनाडु में यह झूठ साबित हुआ है । अखिल भारतीय अ०द्र०मु०क० द्वारा गठित सलाहकार समितियों में अखिल भारतीय अ०द्र०मु०क० के समर्थक तथा इस दल के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं और ये लोग अखिल भारतीय अ० द्र० मु० क० की सरकार और दल के प्रचार के माध्यम हैं । इन सलाहकार समितियों को तत्काल भंग किया जाना चाहिए । आवश्यक वस्तुओं के जमाखोरों का पता लगाया जाना चाहिए और गिरफ्तार किया जाना चाहिए । जो लोग पत्थर के चूरे को सीमेंट के रुप में बेचते हैं ऐसी मिलावट करने वालों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना चाहिए । हसर–कोट्टापट्टी पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले पानी को सिंचाई और पीने के प्रयोजन से प्रयोग किया जाना चाहिए । तमिलनाडु में उद्योग स्थापित करने में रुकावटें हैं । इन सभी रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए ताकि तमिलनाडु में उद्योग लगाये जा सकें जिससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना हूं और आपने मुझे जो अवसर दिया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं ।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारे वित्त मंत्री जी ने खास करके अपने भाषण में 20 सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख किया है, उससे हमारे पिछड़े हुए लोगों में, आदिवासी और हरिजनों में, कुछ आशाएं बंधी है । सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां 85 प्रतिशत आदिवासी क्षेत्र है । मेरे क्षेत्र के साथ राजस्थान लगा हुआ है, महाराष्ट्र लगा हुआ है, गुजरात लगा हुआ है--ये तमाम लोग आदिवासी हैं। पिछले चुनाव में श्रीमति इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में उन लोगों की आस्था बंधी है । ढ़ाई साल के अन्दर जो जनता पार्टी का शासन था उनमें इन गरीबों, मजदूरों और आदिवासियों के लिए क्या हुआ । यहां आंकड़े दिये जाते हैं और यहां पर शक्कर, तेल और उद्योग की बाते कही जाती है लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां के लोग सिर्फ तीन रुपये मजदूरी मांगते हैं अपना पेट भरने के लिए, रोजी रोटी के लिए रोजगार मांगते । वे भी उसको नहीं मिल रहा हैं । जनता पार्टी के शासन में ये गरीब इतने परेशान रहे कि उनको जो रहने के लिए मकान दिये गए थे उनको भी इन्होने छोड़ दिया, जो इनके पास जमीन थीं, वह भी छोड़ दी । इतने ज्यादा परेशान ये लोग उस समय हैं । अब कांग्रेस के शासन में आने के बाद और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख किया है, उससे उन लोगों में कुछ आशा का संचार हुआ है और इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि आने वाले बजट में वे ऐसे क्रान्तिकारी प्रोग्राम लाएं, जिनसे इन लोगों का भला हो सके । आज इस देश में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अन्तर है । आज एक गांव का आदमी जब दिल्ली में आता है और यहां की सड़कें देखता है और दिल्ली में बनी हुई बड़ी-बड़ी बिल्डिगों को देखता है, तो कितना बड़ा फर्क वह पाता है । आज गांव में और शहर में जमीन आसमान का फर्क है । अगर आप किसी गांव में जाएं, तो वहां जा कर आप को इस फर्क का अन्दाजा होगा। इस फर्क को मिटाना होगा। आज जो गरीब है, जो आदिवासी है, वही आप की रेल की पटरिय्यां बनाता है, रेलों के पुल को बनाता है, मगर उनमें सफर करने का जब उसको मौका आता है तो अगर वह सीट पर बैठा हुआ है, तो उसको सीट से उठा दिया जाता है । वह गरीब नीचे जा कर बैठ जाता है । मैं वित्त मंत्री जी से कहुंगा कि आने वाले बजट में वे क्रान्तिकारी परिवर्तन लाएं और वह ऐसा बजट हो, जिससे गरीब लोग ऊंचे उठ सकें।

मैं एक बात और यह कहना चाहता हूं कि श्री उत्तम भाई पटेल ने जो बात आदिवासी क्षेत्रों के लिए कही है, वह बिल्कुल सही बात है । ऐसे क्षेत्रों में जहां आदिवासी रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, ऐसी जगहों पर आप को ऐसे आदिवासी क्षेत्र में अच्छे से अच्छे अधिकारियों को भेजना चाहिए; जो उनको दी गई सहायता का पूरा पूरा उपयोग उनके लिए करें । जो सहायता उनके लिए दी जाती है, वह उन तक पहुंचनी चाहिए । यहां पर हमारे सामने आंकड़े जरूर इस बारे में आ जाते हैं कि उनको इतनी सहायता दी गई है लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं, तो पाते हैं कि उनका कोई भला नहीं हुआ है । आज 33 साल के बाद भी उनका कितना भला हुआ है ? 33 साल पहले वे जहां बैठे थे, वहीं आज

भी बैठे हुए हैं । सेन्टर की ओर से उनकी तरफ पूरा ध्यान देना होगा। 33 साल के बाद हमारे जैसे नौजवान कन्धे से कन्धा मिला कर इस देश में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने रेलवे का बजट देखा जैसे मेरे क्षेत्र में पिछड़े हुए जो क्षेत्र हैं, वहां पर रेल लाइनें बिछानी होंगीं और दोहद से इन्दौर और छोटा उदयपुर से अलिराजपुर तक जोड़ना होगा । रेलों की सुविधा देनी होगी और जो बड़े-बड़े उद्योग धन्धे हैं, वे वहां पर लगाने होंगे जहां पर पिछड़े हुए लोग रहते हैं । उन लोगों की तरफ हमें विशेष ध्यान देनां होगा ।

आज तो हम यह देखते हैं कि इरीगेशन की बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, तो उन से बड़े बड़े किसानों को ही लाभ मिलता है । आंकड़े दे दिये जाते हैं कि हमने इतना इरीगेशन का रकवा बढ़ा दिया है लेकिन आप को आदिवासी और दूसरी पिछड़ी जातियों के 2 परसेंट लोग भी नहीं मिलेंगे, जिनको ऐसी योजनाओं से लाभ हुआ हो । हमको सोचना होगा कि हम कैसे इन लोगों को ऊपर उठाएं । आज जब एक आदिवासी शहर आता है और वह यह देखता है कि एक बटन दबाते ही सारे शहर में रोशनी हो जाती है, तो वह यही सोचता है कि यह सब भगवान की माया है । कहां से यह बिजली आई, उसको नहीं मालूम । इतने पिछड़े हुए और गरीब ये लोग हैं और इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि इन लोगों के तरफ विशेष ध्यान दिया जाए । और पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्र में विद्युत लाईन बिछानी चाहिए ।

सभापति महोदय, जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां के दो तिहाई भाग में सूखा पड़ा हुआ है। वहां की जनता गवर्नमेंट ने वहां के क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया लेकिन वहां के मजदूरों को स्केअरसिटी मैनुअल के अधीन तीन रुपये मजदूरी दी, वही तीन रुपये 20 पैसे दी । सभापति महोदय आज के जमाने में तीन रुपये से क्या होता है ? इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि जो मजदूर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मजदूरी करता है उसको अपना पेट भरने के लिए कितना पैसा चाहिए । मजदूरों की मजदूरी बढ़ानी चाहिए ।

सभापति महोदय, मैं पिछड़े हुए क्षेत्र से आता हूं । जो हमारे आदिवासी होस्टल हैं जिनमें रहने के लिए आदिवासी गरीबों के बच्चे जाते हैं और वहां रह कर अपनी पढ़ाई करते हैं उनको 60 रुपये दिया जाता है । इस साठ रुपये में, इस महंगाई के जमाने में एक बच्चा कैसे अपनी स्टूडेन्ट लाइफ मेन्टेन कर सकता है ? उसे किताबें भी खरीदनी पड़ती है, पढ़ाई की और भी चीजें खरीदनी पड़ती हैं और उसे खाना भी चाहिए। इसलिए इस बारे में भी हमारे मंत्री जी को सोचना चाहिए और छात्र-वृति बढ़ाना चाहिए।

सभापति महोदय, मुझे कहना तो बहुत कुछ था लेकिन आप ने घंटी बजा दी है इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । मैं अपने वित्त मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने यह बजट पेश किया और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मैंने जो ये तमाम बातें कही हैं उन पर वे विशेष ध्यान दें । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और बजट का स्वागत करता हूं ।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : हमें इस बजट का जो मत प्राप्त करने का एक माध्यम है, समर्थन करने के लिये कहा गया है। सामान्यतया बजट में सरकार का राज-

नीतिक संकल्प और निदेश प्रतिविम्बित होता है किन्तु इस बजट में कुछ भी नहीं है। यही नहीं कि यह कुछ भी नहीं है किन्तु मैं तो कहूंगा कि यह रंगहीन ,स्वादहीन और मुखहीन बजट है जो एक भारहीन मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : गंधहीन भी।

श्री ए० के० राय : हां गंधहीन भी। महोदय, सारे बजट में यह दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी का स्थिरता का अर्थ केवल यथापूर्व स्थिति बनाये रखना है और कांग्रेस और जनता पार्टी एक ही किस्म के दल हैं। यही हम पहले भी कहते थे और अभी भी कहते हैं कि जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मूलभूत कोई अन्तर नहीं है। देश के सभी पूंजीवादी कुछ सांठ-गांठ से इस देश में पूंजीवादी तरीके से शासन करना चाहते हैं जिसमें दो दलीय व्यवस्था हो और देश के पूंजीवादियों के दो पक्षों का प्रतिनिधित्व हो।

आज इस बजट से तथा अन्य पुस्तकों से जो हमें मिली हैं हमारे सामने जो आर्थिक दशा प्रस्तुत की गई है वह निराशाजनक है। हमें बताया गया कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 1 से 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति व्यक्ति आय में 5 से 6 प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। हमारा औद्योगिक उत्पादन स्थिर हो गया है। कृषि उत्पादन में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारे गैर-योजना व्यय में वृद्धि हुई है और योजना-व्यय में कमी हुई है। सर्वत्र निराशा है तथा निर्देशन की कमी दिखाई देती है।

हमें आशा थी कि इस बजट में वे अपनी भारी विजय से, जिसके बारे में वे सर्वत्र बढ़ा-चढ़ा कर कह रहे हैं, एक दृढ़ निदेश प्रस्तुत करेंगे। मैं जानता हूं कि उनकी कोई नीति नहीं है और कोई विकल्प प्रस्तुत करने की कोई क्षमता नहीं है। किन्तु इस बजट में हम कुछ निदेश की आशा करते थे किन्तु इसमें कुछ भी नहीं है। इससे हमें केवल भ्रम और निराशा ही होगी।

अब अन्त में उनके पास एक ही बात है--20 सूत्रीय कार्यक्रम। वित्त मंत्री से लेकर नीचे तक हर एक व्यक्ति कहता है कि इस बजट से 20-सूत्रीय कार्यक्रम पूरा किया जायेगा। किन्तु मैं पूछता हूं 20-सूत्रीय कार्यक्रम क्या है। हमें 20-सूत्रीय कार्यक्रम का अनुभव है। यह बहुत ही दुखद अनुभव है। सभापति महोदय, 20-सूत्रीय कार्यक्रम तथा 20 महीनों का 20-सूत्रीय कार्यक्रम का हमारा अनुभव यही कहता है कि देश को धोखा देने के ये 20-सूत्र हैं। आपने क्या किया है ? 20-सूत्रीय कार्यक्रम में भूमि सुधारों की बात कही गई है। किन्तु आप इसमें थोड़ा भी शुरू नहीं कर सके। भारत में 4000 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि है। 1972 वर्ष की नीति के आधार पर उन्होंने कहा...

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : राजस्थान में विशाल शुष्क क्षेत्र है। आप उस पर खेती कर सकते हैं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं आपको बताता हूं कि भारत में 40 करोड़ एकड़ भूमि पर खेती होती है। एक बड़े सर्वेक्षण के पश्चात् उसमें से उन्होंने केवल 44 लाख

भूमि ही फालतू घोषित की है । किन्तु इसमें से एक प्रतिशत भूमि भी बहुत अच्छी किस्म की नहीं है । उसमें से 20 प्रतिशत भूमि का भी अधिग्रहण और वितरण नहीं किया जा सका है उन्होंने यह भूमि सुधार किया है ।

मुद्रास्फीति के बारे में क्या किया गया है ? महोदय, उन्होंने 307 मूल्य सूचकांक के साथ 20-सूत्री कार्यक्रम आरम्भ किया था और वह 370 के मूल्य सूचकांक के साथ समाप्त हुआ । यह 1962 के स्तर पर है । आपने 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत यही किया है । उनका 20-सूत्री कार्यक्रम जब आरम्भ किया गया तो बेरोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में दर्ज बेरोजगारों की संख्या 82.5 लाख थी और जब यह समाप्त हुआ तो यह संख्या बढ़ कर 93 लाख हो गयी । मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपने 20 सूत्री कार्यक्रम के साथ हमारी अर्थ-व्यवस्था को विदेशी पूंजीपतियों तथा बहु-राष्ट्रीय निगमों के पास धरोहर रखनी आरम्भ नहीं कर दी थी ? हम जनता पार्टी को दोष देते हैं । उन्होंने पूरी आस्था से अपने सिद्धांतों का पालन किया । असली बात तो कांग्रेस शासन के दौरान समाजवादी सिद्धांत के वेश में आरम्भ हो गई थी । उस समय विश्व बैंक का प्रभाव आरम्भ हुआ; अमरीका के पूंजीवादी आये और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम अप्रभावी बना दिया गया । विदेशी निवेशों के लिये सभी रास्ते खोल दिये गये थे और आप को जानकर आश्चर्य होगा कि यह 20 सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धि है । मैं कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं । वह आत्म-निर्भरता का राग अलाप रहे थे । उनके 20-सूत्री कार्यक्रम ने क्या किया ? उनके द्वारा अनेक, विदेशी समझौते किये गये । अब मैं "स्टेट्समैन" से कुछ अंश पढ़ता हूं । 20-सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से विदेशी तकनीकी ज्ञान से एक होटल की स्थापना की जाती है । विदेशी सहयोग से टमाटरों की चटनी बनाई जाती है । इस अवधि के दौरान विदेशी सहयोगियों की एक सूची स्वीकृत की गई, इसका अभिप्राय यह हुआ कि कुछ सामान्य और साधारण मदों का उत्पादन विदेशी सहयोग से किया जाने दिया जा रहा है । आपका यही 20-सूत्री कार्यक्रम है जिसे आप एक आदर्श कार्यक्रम के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

उस समय "टाईम्स आफ इंडिया" में भी 20-सूत्री कार्यक्रम पर टिप्पणी प्रकाशित हुई थी जिसमें उपलब्धियों का वर्णन किया गया था । वह उपलब्धियों क्या थीं ?

> "जूट उद्योग में मंदी । 10 जूट मिलें बन्द; 31,000 श्रमिक बेरोजगार हो गये ।"

कपडा उद्योग में नियन्त्रित कपड़े का उत्पादन 82.2 करोड़ वर्ग मीटर से घट कर 66.1 करोड़ वर्ग मीटर रह गया । 132 लघु इस्पात संयंत्रों में से 105 बन्द हो गये । प्रमुख क्षेत्र की स्थिति क्या थी ? आप अपने बजट में यह पायेंगे कि प्रमुख क्षेत्र के लिये काफी मगरमच्छी आंसू बहाये जा रहे हैं । किन्तु उस क्षेत्र में क्या किया गया है ? 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 12 लाख टन इस्पत उपलब्ध था । भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत बहुत ही कम है—यह खपत मात्र 13 से 14 किलो ही है । 12 लाख टन इस्पात का जो बेकार पड़ा था, उपयोग नहीं कर सके हैं । अब हम कोयले के संकट से गुजर रहे हैं । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 140 लाख टन कोयला मुहानों पर बेकार पड़ा रहा । यह है उनकी उपलब्धि उनके

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत । हमें यह बताया जा रहा है कि वह राष्ट्र को इस मंजिल तक ले जाना चाहते हैं यह बड़ी ही भयानक बात है । मैं इन महानुभावों से पूछना चाहता हूं कि जब वह 20-सूत्री कार्यक्रम पर चल रहे थे तो उनका अनुभव क्या था ? मेरा यह विचार है कि पहले वाले अधिकांश कांग्रेसियों को 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में बताने में मानसिक आघात पहुंचा होगा । इस कार्यक्रम का लाभ किसे पहुंचा ? मैं चाहता हूं कि वह इस बारे में कुछ रोशनी डालें । उन्हें भी इस कार्यक्रम के उपलब्धियों का लेखा-जोखा करते हुए मानसिक आघात का अनुभव करना होगा ।

सभापति महोदय : आप का समय समाप्त हो गया है ।

श्री ए० के० राय : चूंकि यह 20-सूत्री कार्यक्रम है, अतः इस पर विचार व्यक्त करने के लिये कुछ अधिक समय ही चाहिये । सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमें एक बात का स्पष्ट पता चल गया है कि कोई भी ताकत वर्तमान पूंजी व्यवस्था को बना नहीं रख सकती, विशेषकर इस सामाजिक ढांचे को बदलना ही होगा और इसके लिये शक्तियों में परिवर्तन अथवा गठबंधन करने से और किसी प्रकार की संभावनाओं के माध्यम से काम नहीं चलेगा । चाहे सरकार जनता पार्टी की हो या लोकदल अथवा कांग्रेस की या फिर सरकार पश्चिम बंगाल जैसी वामपंथी मोर्चे की ही क्यों न हो, वह जनता की मांगों को पूरा करने में सफल नहीं हो सकती । वामपंथी मोर्चे की सरकार की एक बात अच्छी है कि उन्होंने यह कभी नहीं किया कि वह जनता की सभी मांगों को ही पूरा कर देंगे । आप चाहे कुछ बेरोजगारी भत्ता दें अथवा वृद्धावस्था में कुछ पेंशन दें इससे समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकेगा और इसलिये मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं । या तो आप शासन करिये या फिर बाहर हो जाईये । जनता को इस प्रकार की किसी बात में रुचि नहीं है कि कौन वित्त मंत्री बनेगा और मंत्रियों को कैसे बदला जाना चाहिये और योजना अवकाश और अन्य इसी प्रकार की बातों में जनता की कोई रुचि नहीं है, किन्तु हम यह चाहते हैं कि हमारी आधारभूत समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिये, बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जाये, मंहगाई को रोका जाये, गरीबी हटायी जाये । भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाये । यदि इन सब के लिये आपके पास कोई ठोस योजना है तो उसे प्रस्तुत करें । आपको यह जानना चाहिये कि अर्थ-व्यवस्था को कैसे व्यापक रूप दिया जाये । यदि आपके पास ऐसी कोई योजना नहीं है तो आप सरकार छोड़ कर बाहर हो जाईये । यह बड़ी साधारण सी बात है । यदि आपके पास कोई ऐसी ठोस योजना है कि आप अमीरों और गरीबों में समानता लायें तो आप हमें यह बतायें कि आप समूची श्रमिक शक्ति और देश की वृद्धि का कैसे उपयोग करेंगे । आप हमें यह भी बतायें कि आप देश की व्यवस्था में कैसे परिवर्तन लायेंगे, आप अर्थ-व्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन लायेंगे, आपको इन सब के बारे में बताना चाहिय । जनता की विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों और गठबंधनों में रुचि नहीं है, कृपया चेतावनी को समझे और उसके अनुसार कार्य करें । मैं यही बातें कहना चाहता हूं । धन्यवाद ।

***श्री के० टी० कोसलराय** (तिरुवेंडूर) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय के बजट प्रस्तावों के लिये उन्हे बधाई देता हूं और उनके सामने अपने कुछ सुझाव रखता हूं ।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

विपक्ष के माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने मुझसे पहले अपने विचार व्यक्त किये है, बजट में कुछ कमियों का उल्लेख किया है। मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह एक अन्तरिम बजट है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि श्री वेंकटरामन तमिलनाडु में काफी लम्बे अरसे तक उद्योग मंत्री रहे हैं। और तमिल नाडु में वह प्रत्येक दिन एक उद्योग स्थापित करते थे। श्री फर्नान्डीस को यह तथ्य नहीं भूलना चाहिये, क्योंकि यह रिकार्ड पर है। मुझे विश्वास है कि श्री वेंकटरामन भारत सरकार के वित्तमंत्री के रूप में अच्छा कार्य कर सकेंगे।

मैं अब आवश्यक वस्तुओं की अत्यधिक मूल्य वृद्धि का उल्लेख करूंगा। अभी हाल के चुनावों में हमने जनता को आश्वासन दिया है कि यदि हमें सत्ता मिली तो चीनी, मिट्टी का तेल, सीमेंट आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी की जायेगी। यद्यपि मैं सत्ता दल से सम्बद्ध हूं किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि इन वस्तुओं के मूल्य अब भी वैसे ही हैं जैसे वह चुनावों से पहले थे। इसका प्रमुख कारण यह है कि हम दोहरी प्रमुख मूल्य नीति का अनुसरण कर रहे हैं। हमने चीनी मिल मालिकों को 4.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी को खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी है। यह याद रखने की बात है कि 65 प्रतिशत चीनी लेवी चीनी क्षेत्र में दी जाती है और 35 प्रतिशत खुले बाजार में जाती है। लेवी चीनी का मूल्य 2.95 प्रति किलो है। इसका वितरण कौन कर रहा है? इसे नागरिक पूर्ति निगम के माध्यम से वितरित किया जाता है। मैं यह बात वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि नागरिक पूर्ति निगम के विक्रेता ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण की चीनी को गोदामों से लेकर गोदामों के बाहर ही काले बाजार के मूल्यों पर बेच देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि व्यवसायी काला बजारी तथा जमाखोर यह कदाचार बरत रहे है। ये तो नागरिक पूर्ति निगम के विक्रेता है जो गोदाम से मिट्टी के तेल का भुगतान करवा कर उसके बाहर एक ड्रम पर 100 रुपये अधिक लेकर बेच देते है। क्या हम यह आशा करेंगे कि यह निगम अपने इन कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही करेगा? राज्य प्रशासन के उच्चाधिकारी यह कहते है कि यह समस्या इस निगम की है। मैंने पिछले 15 दिनों में यह बात तहसीलदार, उपतहसीलदार, बी०डी०ओं० तथा अन्य लोगों के ध्यान में लाई है कि निगम के विक्रेताओं द्वारा ये अनियमितातयें बरती जा रही हैं। उनके पास उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने की शक्तियां नहीं हैं। मैं यह मांग करता हूं कि इन अधिकारियों को इन विक्रेताओं को गिरफ्तार करने, हथकड़ी लगाने तथा जनता में घुमाने की शक्ति दी जाये ताकि यह दूसरों के लिये सबक बने। ऐसा करना आवश्यक है, क्योंकि नागरिक पूर्ति निगम अपने कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगा चाहे वह भ्रष्ट ही क्यों न हों।

मुझे यह बात श्री वेंकटरामन के ध्यान में लाते हुए खेद हो रहा है कि सीमेंट का परमिट खण्ड अधिकारियों द्वारा दिया जाता है। किन्तु ये अधिकारी इस बात का सत्यापन नहीं करते कि क्या सीमेंट के परमिट का उपयोग उसी उद्देश्य के लिये किया गया, जिसके लिये यह जारी किया गया था। सीमेंट 25 रुपये पर खरीदी जाती है और काले बाजार में 55 रुपये में बेची जाती है। आजकल यही खुले आम हो रहा है। आप कृपया अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेज कर यह पता लगायें कि क्या सीमेंट का प्रयोग उसी कार्य के लिये

किया जा रहा है जिसके लिये यह प्राप्त किया गया था। सरकारी कर्मचारी अनियमिततायें बरत रहे हैं। उनके विरुद्ध सबक सिखाने वाली कार्वाही आयवश्यक है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, दोहरी मूल्य नीति ही मूल्य-वृद्धि का प्रमुख कारण है। चीनी मिल मालिकों को 4.50 रुपये प्रति किलो का मूल्य दिया जाता है किन्तु खुले बाजार में मनचाहे मूल्य पर इसे बच सकते हैं जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है कि 2.95 रुपये प्रति किलो वाली लेवी चीनी काले बाजार में बिकती है और वह भी मनमाने मूल्यों पर। इस सामाजिक बुराई को दूर किया जा सकता है यदि सरकार चीनी का 3.50 रुपये प्रति किलों सांविधिक मूल्य निर्धारित कर दे और जो भी इस मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचेगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाये । आपके पास निवारक निरोध तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि हैं। जब तक इन विधायी उपबन्धों को जोरशोर और कड़ाई से लागू नहीं किया जायेगा, हम जनता को चुनावों के दौरान दिये गये आश्वासन पूरे नहीं कर पायेंगे— विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी नहीं कर पायेंगे।

हमारे भूतपूर्व वित्त-मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया था कि भारत सरकार 6 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय में से 50 प्रतिशत "चिन्तामुत्तम फिशिंग हार्बर परियोजना" के विकास के लिये निवेश करेंगे। इस परियोजना के चालू होने के पश्चात इससे प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी। मैं श्री वेंकटरामन से अनुरोध करता हूं कि वह इसके लिये 3 करोड़ रुपये आवंटित करें। श्री वेंकटरामन योजना आयोग के सदस्य थे । योजना आयोग ने पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल का उपयोग करने के बारे में एक स्थानीय अध्ययन दल बनाया था। अब तक उसका प्रतिवेदन आ गया होगा। यदि इस योजना का कार्यान्वियन किया जाता है तो हम 10 लाख एकड सूखाग्रस्त क्षेत्र पर खेती कर सकेंगे। माननीय वित्त मंत्री इस पर गौर करें और आवश्यक कार्यवाही करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जैनुल बशर (ग़ाज़ीपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे पहली बार इस माननीय सदन में कुछ कहने का मौका दिया है।

कल मैं माननीय चौधरी साहब का भाषण बड़े ग़ौर से सुन रहा था। उन्होंने गांवों की तरक्की के बारे में बातें कहीं, और उनका कहना ठीक भी था कि गांवों की जितनी तरक्की होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो सकी, आज़ादी के बाद जितनी खुशहाली गांवों में आनी चाहिए थी, उतनी नहीं आ सकी। मुझे महात्मा गांधी का वह वाक्य याद आता है कि अभी तक हम आज़ादी की रोशनी को शहरों के महलों तक ले आये हैं, लेकिन जब तक आज़ादी की रोशनी गांवों की झोंपड़ियों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक इस देश में आज़ादी नहीं आयेगी। इसमें दो राय नहीं कि पिछले तीस साल के शासन-काल में कांग्रेस ने गांवों की दशा सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। सब से पहले ज़मींदारी तोड़ी गई। ज़मींदारी प्रथा को तोड़ने से जो किसान खेत में हल चलाता था, वह खेत का मालिक बन गया। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे बैंकों की जो पूंजी बड़े उद्योग-धंधों और व्यापार में लगती थी, उसका कुछ हिस्सा गांवों के किसानों के पास भी पहुंचा और उन्होंने उसकी मदद से बीज, खाद आदि खरीदें। कुएं, ट्यूववैल सिंचाई आदि के दूसरे साधन हासिल किये ।

कांग्रेस ने दुनिया का सब से बड़ा लैंड रिफ़ार्म्ज़ का कानून बनाया, जिसके मुताबिक लाखों लाख एकड़ ज़मीन बड़े ज़मीन के मालिकों से ली गई और उसे भूमिहीन किसानों में आबादी और खेती के लिए बांटा गया। सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये गये। बड़ी बड़ी नहरें बनाई गईं। गांव गांव में टयूबवैल लगाये गये और बिजली, खाद वगैरह के साधन गांवों तक पहुंचाये गये।

नतीजा यह हुआ कि देश में अकाल पड़ने पर यूरोप के बाज़ार में भारत के लोगों के लिए जो भीख मांगी जाती थी, वह बन्द हुई और हमारा देश कम से कम इतना गल्ला पैदा करने लगा कि आसानी से पेट भर सके। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि गांवों के लिए जितना काम होना चाहिए था, उतना अभी तक नहीं हो सका है। माननीय चौधरी साहब ने ठीक कहा है कि आज भी हमारी मां-बहनों को गांवों में शौचालय के अभाव में मैदानों में जाना पड़ता है। दिन में वे जा नहीं सकतीं, रात का उन को इंतजार करना पड़ता है। चौधरी साहब तो यह बात बारह साल से कर रहे हैं और मैं 12 साल से उनकी यह बात सुनता आ रहा हूं। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब को दो बार उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनने का मौका मिला, इस देश का वित्त मंत्री बनने का मौका मिला, इस देश का प्रधान मंत्री बनने का मौका मिला लेकिन उन्होंने देश के किसी गांव में एक भी शौचालय नहीं बनाया। अपने गांव में भी उन्होंने शौचालय नहीं बनाया मुझे याद है जब 1971 में वह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो हम ने और हमारे कई साथियों ने उनसे कहा था कि चौधरी साहब, यह बात तो आप बराबर कहते आए हैं, अब आप को मौका मिला है, कृपा कर के कुछ शौचालय तो गांवों में बनवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि यह ज़िला परिषद का काम है, मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो कहना और बात है। करना और बात है। लेकिन अपनी कांग्रेस सरकार से और अपने वित्त मंत्री से मैं यह अनुरोध जरूर करूंगा कि वह ऐसे फंड की व्यवस्था करें, कोई ऐसा फंड निकालें, कहीं से पैसे की व्यवस्था करें जिससे गांवों में कम से कम महिलाओं के लिए शौचालय बनाए जा सकें। हमारे देश की महिलाओं के लिए, हमारे देश की इज्जत के लिए यह एक बहुत बड़ी बात होगी और इस के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी तो वह वोट आन एकाउंट का बजट लाए हैं, मैं आशा करता हूं कि आगे के बजट में वह इसका प्रावधान करेंगे।

इसी तरह मैं माननीय वित्त मंत्री से यह भी प्रार्थना करूंगा कि हमारी पार्टी और हमारी सरकार इस देश में कमजोर लोगों के लिए, इस देश के पिछड़े लोगों के लिए, गरीब और कुचले हुए लोगों के लिए बहुत दिनों से काम करती आई है, अब की बार मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस देश के पिछड़े इलाकों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इस देश में कितने ही ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां आज भी आधुनिक सुविधाओं की बात छोड़ दीजिए, मध्य युग की सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, गाजीपुर का वह जिला आजादी की लड़ाई में हमेशा आगे रहा है, आजादी के लिए कुर्बानियां देने में वह जिला पूरे देश में अगली पंक्ति में खड़ा था, लेकिन आजादी के बाद जब विकास की योजनाएं शुरू हुई तो वह जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सब से पीछे चला गया। वहां एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है। बीस बीस और पच्चीस पच्चीस मील के ऐसे रेडियस हैं जहां कि कोई अस्पताल नहीं है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस जिले के हजारों लोग साल में गांवों से अस्पताल ले जाते हुए सड़क के अभाव के कारण रास्ते में मर जाते हैं, अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। वहां दो दो हजार, तीन तीन हजार के ऐसे गांव हैं जहां आज भी एक प्राइमरी स्कूल नहीं खोला जा सका है। वहां की 75 प्रतिशत आबादी आज भी गरीबी की रेखा के नीचे गुजर कर रही है और उसमें अधिक

संख्या भूमिहीन किसानों की, मार्जिनल फार्मर्स और स्माल फार्मर्स की है । यह जिला अपनी गरीबी के कारण सिसक रहा है उस के दो हिस्से ऐसे हैं कि जिन को अभी तक गंगा नदी पर पुल बना कर जोड़ा नहीं जा सका और गाजीपुर मुख्यालय तक जाने के लिए उन को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है । नाव से और स्टीमर से वे लोग जाते हैं और प्रत्येक वर्ष चार-चार, पांच पांच आदमी गंगा में डूब कर मर जाते हैं । ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण जिले से हम आए हैं और माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि वह कोई ऐसी योजना बनाएं जिस से कि प्रत्येक वर्ष कुछ सूत्रों के कुछ बहुत पिछड़े जिलों को ऊपर उठाने की कोशिश की जाय । चालीस चालीस और पचास पचास हजार की आबादी के हमारे जहां ऐसे गांव हैं, जिन की गलियों में चले जाइए, गलियां तो 8 फुट चौड़ी हैं, लेकिन एक फुट का रास्ता शायद ही हो। बाकी सारा पानी से भरा रहता है । गन्दगी के निकास की या पानी के निकास की उन गांवों में कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए गांवों में ऐसे छोटे मोटे उद्योग धंधे खोले जाएं ? कैसे पढ़े लिखे लोग उन गांवों में रह सकें? कैसे वे अपना छोटा मोटा कारोबार वहां कर सकें? जब तक गांवों में हर प्रकार की सुविधाएं नहीं पहुंचाई जायेंगी. जब तक वहां अच्छी तरह रहने के लिए सुविधाएं नहीं होंगी तब तक लोग गांवों में उद्योग धन्धे नहीं चला सकते चाहे छोटे उद्योग हों, चाहे मामूली उद्योग हों, इसके लिए गांवों को उन्नत करना पड़ेगा । हमारा क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश ही गरीब है । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सन् 1962 में हमारे जिले के एक सदस्य श्री विश्वनाथ गहमरी जो तीसरी लोक सभा में चुनकर आये थे, उन्होंने गाजीपुर जिले के लिए, वहां की गरीबी का एक बहुत ही दर्दनाक नकशा खींचा था जिस से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन से एक स्टडी टीम बनवाई थी जिसे पटेल कमीशन कहा जाता है । उस कमीशन ने गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया और जौनपुर का सर्वे किया था । उस कमीशन ने 1961 की फीगर्स देते हुए बताया था कि गाजीपुर की पर-कैपिटा इनकम 171 रुपए थी जबकि उत्तर प्रदेश की पर-कैपिटा इनकम 261 रुपए थी और पूरे देश की पर-कैपिटा इनकम 330 रुपए थी। अभी भी अगर सर्वे किया जाए तो गाजीपुर शायद 1961 में 171 रुपए पर-कैपिटा इनकम से बढ़कर 261 रुपए तक पहुंच गया हो लेकिन इससे ऊपर जाने का कोई सवाल ही नहीं है । पटेल कमीशन ने उस समय छोटे-मोटे उद्योग-धंधों की स्थापना की बात भी कही थी । कमीशन ने शूगर इण्डस्ट्री कायम करने के लिए, डिस्टिलरी कायम करने के लिए, पेपर मिल कायम करने के लिए, केमिकल इण्डस्ट्री कायम करने के लिए सबसे बड़ी काटन तथा हेवी मिल कायम करने की, इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री कायम करने की सिफारिश की थी । पटेल कमीशन ने सन् 1964 में अपनी रिपोर्ट दी थी ।

श्री झारखंडे राय (घोसी) : वह सारी सिफारिशें कोल्ड स्टोरेज में चली गई हैं ।

श्री जैनुल बशर : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि पटेल कमीशन की रिपोर्ट को वे एक बार पढ़ें और जिन इण्डस्ट्रीज को कायम करने की बात उसमें कही गई है उनको कायम करें । अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि श्री वेंकटरमण जब तमिलनाडु में इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक रोज में एक इण्डस्ट्री कायम की थी लेकिन मेरे जिले में में वे दो तीन इण्डस्ट्रीज भी कायम कर दें तो मैं और मेरा जिला जीवन भर के लिए उनके आभारी रहेंगे ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ सूबा है । इससे ज्यादा गरीब शायद बिहार सूबा ही होगा । बिहार के ऊपर ही उत्तर प्रदेश का नाम होगा । इसलिए उत्तर प्रदेश को अधिक से अधिक फंड दिए जाने की आवश्यकता है । एक तो हमारा सूबा बहुत बड़ा है और दूसरे आबादी बहुत ज्यादा है लेकिन उसके हिसाब से फंड नहीं मिलता है । मिसाल के तौर

पर अगर हरियाणा को चार लाख मिलते हैं और उत्तर प्रदेश को 8 या 12 लाख भी मिल गए तो भी वह काफी नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक बनारस डिवीजन से ही पूरा हरियाणा छोटा है। इसलिए जब उत्तर प्रदेश को फंड दिए जायें तो इस बात का खयाल रखा जाए कि उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कितना है और उत्तर प्रदेश में पिछड़ापन कितना है। जब इन बातों को देख कर ही उत्तर प्रदेश को फंड दिया जायेगा तभी उत्तर प्रदेश में कुछ विकास हो सकता है। हम उत्तर प्रदेश के लोग हमेशा दिल्ली में आकर चुप रहते हैं कि कहीं असम के लोग नाराज न हो जायें, कहीं तमिलनाडु के लोग नाराज न हो जायें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग लखनऊ में आकर भी चुप रहते हैं कि कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाई अलग होने की बात न कह दें। लेकिन अब हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत इन्तजार कर चुका, अब हम भी तरक्की करना चाहते हैं, देश की आजादी में हम भी हिस्सा बटाना चाहते हैं। अब वित्त मंत्री जी तमिलनाडु के हैं और प्रधान मंत्री जी उत्तर प्रदेश की थीं ...

सभापति महोदय : अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री जैनुल बशर : मैं बहुत पिछड़े इलाके से आया हूं, कृपा करके एक मिनट और दे दें।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी तक हम लोक सभा में केवल अपनी संख्या पर ही गर्व कर सकते थे या प्रधान मंत्री पर गर्व कर सकते थे लेकिन अब तो प्रधान मंत्री भी आंध्र प्रदेश की हो गई हैं। इसलिए अब हम कहना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा उसे मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश इस देश का बहुत बड़ा राज्य है, फंड के एलोकेशन में उत्तर प्रदेश की जरूरत को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उसी के हिसाब से फंड मिलना चाहिए।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ अधिक समय दिया। धन्यवाद।

श्री रामनगीना मिश्र (सलेमपुर) : सभापति जी, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि, इसके पहले हमारे भाई, श्री जैनुल बशर, ने जिस तरह से कहा उसी तरह से मैं भी पहली बार लोक सभा में आया हूं, आपने हमें बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, बहुत सी बातें इसके पूर्व आ चुकी हैं। मैं शुद्ध देहात का रहने वाला हूं। जब घर से चला और लोक सभा का सदस्य हुआ तो सोचा कि मैं गांव की बातें करूंगा। यहां आने पर बड़े-बड़े नेताओं के लैक्चर सुने, चौधरी साहब का बयान सुना और अपोजीशन के बड़े-बड़े क्रान्तिकारी नेताओं के बयान भी सुने और मुझे आश्चर्य होता है कि जितने हमारे देश के विरोधी दल के नेता हैं, वे सब ग़रीबों का नाम बहुत लेते हैं, गांव का नाम जरूर लेते हैं। समाजवाद एक शब्द है, जो कि हर पक्ष द्वारा लिया जाता है और जब पावर में आ जाते हैं तो समाजवाद का मतलब पता नहीं किस तरह से लगाते हैं।

अभी-अभी हमने चौधरी साहब का ब्यान सुना, उसस हमें ऐसा लगा कि वे अपने आपको बहुत डैमोक्रेटिक कहते हैं ; अपने आप को समाज सुधारक कहते हैं, और कृषकों के रहनुमा कहलाते हैं। मान्यवर, वह कितने बड़े डैमोक्रेट हैं, यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ और मैं समझता हूं कि देश में अगर कोई सबसे बड़ा तानाशाह है तो माननीय चौधरी साहब। हमने उनके क्षेत्रों में जाकर देखा है वे हरिजनों के नाम पर जिन्दा रहना चाहते हैं लेकिन उनके क्षेत्र में हरिजनों को वोट देने तक का अधिकार नहीं है। इस हाउस के लोग कमीशन के रूप में उनके क्षेत्र में जाकर देखें, अगर मेरी बातें गलत

सिद्ध होंगी तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। उन क्षेत्रों में किसी भी गरीब को वोट नहीं देने दिया गया, क्या यह प्रजातन्त्र है और इस तरह से वे रहनुमाई करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, मान्यवर, जिन हरिजनों के नाम पर वे बहुत दुखी हैं, आंसू बहाते हैं और गांव के विकास के लिए आंसू बहाते हैं, मैं किसी बदले की भावना से नहीं कहता, यहां आने पर यहां की चकाचौध को देखकर वे देहात को भूल जाते हैं जब कि देहात के किसानों की गाढ़ी कमाई का हम सब उपभोग कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जितने हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, छोटे हों या बड़े हों, उन सबकी तनख्वाहें ज़रूर बढ़नी चाहिए, उनको सारी सुविधायें मिलनी चाहिए और शहर में रहने वालों को हर तरह की सुविधा होनी चाहिए। यही नहीं पानी के फव्वारे मनोरंजन के लिए लगने चाहिए, खेलने के लिए मैदान भी अच्छे होने चाहिए लेकिन देहातों की हालत तो देखिए।

जैसा कि अभी अभी हमारे मित्र ने जो बात कही है, उस बात को पहले से मैंने भी नोट किया हुआ था। सचमुच में मैं समझता हूं कि जिस वक्त जनता पार्टी का राज हुआ, वे चुनाव के समय गांवों में गए, मैं भी देहात का रहने वाला हूं, वहां पर उन्होंने कितने सर सब्ज़ बाग़ दिखाए कि हमें राजा बना दो, फिर जिसको नौकरी नहीं मिलेगी हम उसको 150 रु० बेरोज़गारी भत्ता देंगे और देहात के रहने वाले किसान भाइयों की झोंपड़ियों को महलों का रूप दे देंगे और दूध की नदियां वहा देंगे। ठीक उसके बाद वे जब कुर्सी पर आए तो इनके सबसे बड़े नेता ने कहा कि नहीं-नहीं चुनाव के समय में जो वायदे किए जाते हैं, वे ज़रूरी नहीं है कि पूरे किए जायें। मुझे तो कुछ कहते हुए संकोच लगता है, क्योंकि वे बड़े लोग हैं, मैं कैसे कुछ कहूं। लेकिन एक चीज़ पर मुझे गर्व है—मुझे अपने कांग्रेस दल पर गर्व है, अपनी नेता पर गर्व है। आज समाजवाद का नाम सब दलों के लोग लेते हैं, लेकिन समाजवाद को चरितार्थ करने की शक्ति अगर किसी में है, तो केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी में है। आप पूर्व का इतिहास देखिये—मैं चेलेन्ज करता हूं, अगर झूठ हो तो विरोधी दल के नेता बतला दें। जिस वक्त श्रीमती इन्दिरा गांधी वज़ारत की कुर्सी पर आई उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजा-महाराजाओं के प्रीवी पर्सों को समाप्त किया। हमारे चौधरी साहब का कल यह बयान था कि वह बिरला और डालमिया को अधिक सुविधायें देती हैं, लेकिन हमें वह दिन याद आता है जब करोड़ों रुपया प्रीवी पर्स के रूप में, जो गरीबों के खून-पसीने की कमाई थी, दिया जा रहा था। चौधरी साहब की पार्टी ने व्हिप जारी करके अपनी पार्टी के सदस्यों को आदेश दिया था कि इसका विरोध करो और उस का नतीजा यह हुआ कि दोबारा चुनाव हुए। एक तरफ तो वह यह कहते हैं कि मैं पूंजीवाद का विरोध करता हूं, लेकिन दूसरी तरफ़ जब वोट देना होता है तो राजा-महाराजाओं के पक्ष में वोट देते हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह साबित कर दिया कि मैं गरीबों की हिफ़ाज़त करूंगी, पूंजीपतियों और राजामहाराजाओं का समर्थन नहीं करूंगी और उसके फलस्वरूप उन्होंने प्रीवी पर्स को समाप्त किया।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? इसलिये कि ये बैंक कैपिटलिस्टों की मदद करते थे, किसानों की मदद नहीं करते थे। उन्होंने नियम बना दिया कि अब किसानों की मदद की जायगी, उनको भी कर्जा दिया जायगा। इतना ही नहीं जो बड़े-बड़े ताल्लुकेदार थे, जो हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा किये बैठे थे, उन पर सीलिंग लागू की। जो गरीब गांवों में बसता था, जिसके पास रहने के लिये ज़मीन नहीं थी, उसको झोंपड़ी बनाने के लिए जगह दी—ये कदम वास्तव में समाजवादी कदम थे। अब मैं अपने विरोधी दल के नेता से पूछना चाहता हूं कि आपकी वज़ारत के समय में, जब से चौधरी साहब प्रधान मंत्री बने, उत्तर प्रदेश में आप ने कौन सा काम किया—एक भी ऐसा काम गिना दें, जिस का लाभ गरीबों के घर में पहुंचा हो। आप ने ऐसा एक भी काम नहीं किया।

हां, एक काम ज़रूर किया । मैं भी कभी विद्यार्थी था । झारखण्डे राय जी यहां मौजूद हैं, उनको मालूम होगा, उस समय भौतिक समाजवाद पढ़ाया जाता था, उसमें एक विषय था—वर्ग-संघर्ष, गरीब-अमीर का झगड़ा । कुछ दिन तो हमने भी पढ़ा, लेकिन बाद में देखा कि जो अपने को पक्के समाजवादी कहलाते थे, उन्होंने सोचा कि इससे तो गड़बड़ हो जायेगी, यह देश तो धार्मिक है, इसलिये इसका क्या उपाय किया जाये । उन्होंने सोचा कि वर्ग-संघर्ष के स्थान पर वर्ण-संघर्ष कर दिया जाय, यानी जाति का संघर्ष कर दिया जाये । जाति-संघर्ष शुरू होगा तो उसके सेन्टीमेन्ट में जब गरीब लड़ेगा तो पूंजीपति की तरफ़ उस की नज़र नहीं जायेगी । आज इस स्थिति को सम्भालने में यदि कोई सक्षम है, तो वह केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं—उन्होंने साबित कर दिया है कि हम इस देश को जाति और मज़हब के नाम पर लेकर नहीं चलेंगे ।

लेकिन इस अवसर पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं—जिसकी मुझे हार्दिक तकलीफ है । आज हमारे देहात के गरीबों को यदि पीने के लिये शुद्ध पानी मिल जाय और स्त्रियों के तथा बच्चों के स्वास्थ्य लाभ के लिये गांवों में शौचालयों की व्यवस्था कर दें तो आधा समाजवाद आ जायेगा ये दो काम बुनियादी काम हैं जिनकी तरफ़ हमें तुरन्त ध्यान देना चाहिये । शहरों के फव्वारे बन्द हो जायं तो उन से कोई विशेष तकलीफ़ नहीं होगी, अगर शहरों में खेलने के लिये अच्छे मैदान न बनें; उनमें सजावट न हो, तो उससे देश को कोई नुकसान नहीं होगा । लेकिन उस पैसे को बचा कर यदि हम इन कामों पर गांवों में खर्च कर दें तो वह बहुत बड़ी देन होगी ।

अब मैं अपने वित्त मंत्री जी का ध्यान अपने आंचल की तरफ़ ले जाना चाहता हूं जिसका मेरे पूर्व-वक्ता ने भी ज़िक्र किया है । भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश सब से गरीब प्रदेश है । भारत वर्ष की आबादी का 1/5 भाग उत्तर प्रदेश में है यानी हमारे उत्तर प्रदेश की 10 करोड़ से ऊपर आबादी है । अगर सचमुच में देखा जाए, तो सरकार की तरफ़ से क्या मिलता है क्योंकि हमारे यहां की आबादी 10 करोड़ की है । जितना कम से कम अनुदान है, आर्थिक सहायता है, उतनी दी जाती है जोकि अन्य प्रदेशों के मुकाबले में नहीं के बराबर है । इस सम्बन्ध में मुझे यह पंक्ति याद आ जाती है, 'घर घर में उजाला है', मेरे घर में अंधेरा ।' जिस प्रदेश में उजाला न हो, वहां बसने का क्या फ़ायदा । इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए हमको सहायता अवश्य मिलनी चाहिए । आज जब समाजवाद का नाम लिया जा रहा है, तो उसमें हम भी हिस्सेदार हैं और हमको भी जीने का हक है । जो अन्य प्रदेशों के लोगों को हक मिल रहा है, वह हमें भी मिलना चाहिए । मैं खास तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । पूर्वी जिलों में खास तौर से बलिया और देवरिया की स्थिति आप जा कर देखिये । विश्व में ऐसा ग़रीब इलाका शायद ही कोई और हो । वैसे तो भारत ही विश्व में गरीब देश है लेकिन मैं विश्व की बात करता हूं । आज इस देश में सब से ज्यादा गरीब देवरिया और बलिया जिले में हैं जबकि देश के निर्माण में और देश की आजादी में मंगल पांडे तथा चित्तु पांडेय का नाम सदा अमर रहेगा । कुर्बानी देने में यह जिला सब से आगे रहा है । अभी पटेल आयोग की रिपोर्ट को अगर आप देखें, तो आप पाएंगे कि सलेमपुर में चले जाएं, तो पक्की सड़कों का नाम नहीं है । इतना ही नहीं समूचे जिले में कोई नया उद्योग नहीं खोला गया है । वहां चीनी की मिल है और धान की खेती होती है और वहां पर पेपर मिल अच्छा चल सकता है ।

एक बात और इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर गन्ना होता है लेकिन उसके मालिक को यानी किसान को इस अधिकार से वंचित किया हुआ है कि वह अपना गन्ना बिजली

द्वारा कोल्हू से नहीं पेर सकता है अगर उस के पास बिजली है या ट्यूबवेल है। हर जगह स्वतन्त्रता तथा मौलिक अधिकारों की लड़ाई है लेकिन वहां पर किसानों को अपना गन्ना पेरने की स्वतन्त्रता नहीं है। छोटे-छोटे उद्योगों की बात हो रही है। तो मैं वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर किसानों को अपना गन्ना अपने कोल्हू में बिजली द्वारा पेरने की आजादी होनी चाहिए। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक फैक्टरी छितौनी में है। उस पर 2 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। अगर उसको बेच भी दिया जाए, तो 50 लाख रुपया भी नहीं मिलेगा। 52 लाख रुपया मज़दूरों का बकाया है। इस तरफ़ शासन को ध्यान देना चाहिए। इसका नतीजा क्या होगा। अगर ऐसी ही स्थिति रहती है, तो 10 साल के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की कमर टूट जाएगी।

अभी एक कमेटी बनी थी, गुन्डू राव कमेटी बनी थी। उसकी रिपोर्ट मौजूद है और वित्त मंत्री जी को सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के लिए चीनी का जो उद्योग है, वह सब से बड़ा उद्योग है, उस कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रख कर कुछ इस उद्योग के सम्बन्ध में करना चाहिए। अगर इस उद्योग की तरफ़ नज़र नहीं रखी जाएगी, तो यह उद्योग समाप्त हो जाएगा और इसका नतीजा यह होगा कि करोड़ों किसानों पर इसका असर पड़ेगा। आज गन्ना मिलों पर लाखों मज़दूर निर्भर हैं, वे असहाय हो जाएंगे और उनके जीवन-यापन की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी।

बिहार से बलिया जाने के लिए सरयू नदी पर एक रोड पुल मंजूर हुआ था। पीपे वाला पुल हो गया है। पहले से उसके लिए पुल सैंक्शन्ड है लेकिन वह अभी बना नहीं है। हमारे ऊपर यह एक रियायत होगी अगर वह पुल बन जाए।

इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। कहने के लिए तो सब कहते हैं कि हम गांवों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आज गांवों में वहां के बच्चों की पढ़ाई के लिए ठीक इन्तज़ाम नहीं है। शहरों में तो बड़े-बड़े कालेज हैं लेकिन देहातों में आप चले जाइए, तो वहां पर प्राइमरी स्कूलों में जो लड़के पढ़ते हैं, वे पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं। अगर छप्पर है, तो सीधा आसमान दिखाई देता है। इसलिए एजूकेशन के मामले में भी वित्त मंत्री जी थोड़ी सी नजर रखें और गांवों के अन्दर जो प्राइमरी स्कूल हैं, उन में कम से कम छप्पर तो ऐसे हो जाएं, जहां गरीबों के बच्चे बैठ कर अच्छी तरह से पढ़ सके।

मान्यवर, इतना ही नहीं, शहरों में जो लोग महल बनाते हैं उनको कर्जे मिलते हैं, नाना प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, सीमेंट मिलता है। लेकिन गांवों में जो झोपड़ियां बनाते हैं, कच्ची दीवार बनाते हैं जिनके पास इन्हें बनाने के लिए पैसे नहीं होते उन्हें सुविधा नहीं मिलती। मान्यवर मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वे गांवों के निराश्रित लोगों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के बारे में इसमें राशि का समावेश करें।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री का जो उन्होंने बजट पेश किया है, उसके लिए बड़ा आभारी हूं। सचमुच में इस बजट से एक रोशनी मिल रही है और इससे हम गरीबों को भी कुछ राहत मिलेगी और अगला जो बजट आयेगा उसमें गावों की तरफ पूर्णरूपेण ध्यान दिया जाएगा। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश हो सका मैं समर्थन करता हूं।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट अनुमान पेश किये हैं, मैं उनका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने अनेक कटौती प्रस्ताव दिये हैं परन्तु समय की कमी के कारण मैं उनमें से कुछेक को ही ले रहा हूं।

पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बेरोजगारी के बारे में है। यह चिन्ता का विषय है कि शिक्षितों और अशिक्षितों—दोनों में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। यह बड़े खेद की बात है कि इंजीनियर और डाक्टर जैसे तकनीकी व्यक्ति भी बेरोजगार हैं। कर्नाटक में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6 से 7 वर्ष पहले बेरोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज कराये थे परन्तु उन्हें एक बार भी साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। रोजगार प्रदान करने के बारे में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के आश्वासन कागजों पर ही हैं। हमें हर जगह बेरोजगार व्यक्ति दिखाई देते हैं और स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। इस समस्या के हल के लिए गंभीर रूप से विचार नहीं किया जाता है।

ऐसे अनेक मामले हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है अधिक आबादी, कम उत्पादन, उद्देश्यपूर्ण रोजगार उन्मुख शिक्षा और प्रशिक्षण तथा रोजगार प्रदान करने की इच्छा में कमी। इसे एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में माना जाना चाहिए और युद्धस्तर पर इसे निपटाया जाना चाहिए।

बेरोजगारी का एक कारण महिलाओं द्वारा रोजगार पाने के लिए प्रतियोगिताओं में भाग लेना है। एक समय वह था जब कि किसी रोजगार प्राप्त महिला को विवाह के अयोग्य ठहरा दिया जाता था। अब हम देखते हैं कि अनेक युवक अच्छा वेतन पाने वाली रोजगार प्राप्त लड़कियों को अधिक पसंद कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कार्यालयों में अनेक महिलायें कार्य कर रही हैं। यह आर्थिक स्थिति के कारण ही सकता है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि कर्नाटक में यह भावना जोर पकड़ रही है कि कर्नाटक में केन्द्रीय सरकार के उद्योग और अन्य संस्थाएं यहां के लोगों के रोजगार पाने के दावे की उपेक्षा करती हैं। रोजगार के मामले में कर्नाटक के युवकों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

मुझे भय है कि यदि इस तरह की प्रक्रिया अपनायी जाएगी तो किसी न किसी दिन कर्नाटक में भी आसाम जैसी स्थिति भड़क सकती है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करे कि रोजगार अवसरों के मामले में कर्नाटक के लोगों को वरीयता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय उद्योगों और संस्थाओं को निदेश जारी किये जायेंगे। सरकार को इस महत्वपूर्ण समस्या का हल करने के लिए शीघ्र कारगर कदम उठाने चाहिएं।

जहां तक शिक्षा की बात है, मुझे यह कहने में खेद होता है कि स्वतंत्रता के बाद हमने महंगे परीक्षण करने का ही एक कदम उठाया है। हमारे युवकों के लिए रोजगार प्राप्त करने सम्बन्धी कोई उद्देश्यपूर्ण रोजगार उन्मुख प्रस्ताव नहीं है। एक ओर जहां शिक्षा का प्रसार हो रहा है वहां दूसरी ओर शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। अनेक संख्या में स्कूल खोले गए हैं, अनेक संख्या में धाम प्रशिक्षण ले रहे हैं परन्तु तथ्य यह है कि उन्हें सही अपेक्षित शिक्षा नहीं मिल रही है।

इस देश से प्रतिभा पलायन रोकने सम्बन्धी प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जाता है। हमारे युवक, जो उच्च या विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाते हैं, भारत में वापस लौटने की बजाय उन देशों में ही रहना अधिक पसंद करते हैं। सरकार को इस मामले पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए कि प्रतिभाशाली लोगों को जो पर्याप्त योग्यता रखते हैं, यहां ही रोका जाए और उन्हें उपयुक्त रोजगार प्रदान किया जाये।

इसके बाद मैं कीमतों के बारे में कहता हूं। प्रत्येक सत्र में हम मूल्यों के प्रश्न पर चर्चा करते रहे हैं। मुझे यह कहने में खेद होता है कि हर बात में बिना किसी कारण जनता पार्टी को लक्ष्य बनाया जाता है। मैं सत्तारूढ़ दल के मित्रों को यह बता दूं कि वे कुछ लोगों को थोड़े समय तक बेवकूफ बना सकते हैं। परन्तु वे सभी लोगों को हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते। अतः अन्य लोगों की आलोचना करने की बजाय मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें और यह देखें कि उनके द्वारा लोगों को दिए गए वायदे किस तरह से पूरे किये जायें।

निःसन्देह चीनी के मूल्य बढ़ रहे हैं। परन्तु जहां तक चावल का सम्बन्ध है, इसके मूल्य काफी समय तक स्थिर रहे। फिर भी गत दो या तीन महीनों में इसका मूल्य 30 से 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गया है। कपड़े के दाम भी बढ़ रहे हैं। इसी तरह लकड़ी इस्पात और ईंटों जैसी भवन निर्माण सामग्री भी काफी महंगी हो गयी है। इस तरह से भोजन, कपड़ा और मकान जैसी आम आदमी की आवश्यकतायें काफी महंगी हो गयी हैं। अतः केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए कि इस देश में लोगों को सुखी बनाया जाये।

निःसन्देह, यह एक अस्थायी बजट है जिसमें बड़ा घाटा दिखाया गया है। मुझे विश्वास है कि आपको काफी कर लगाने होंगे। कर्नाटक में पहले ही कर काफी लगे हुए हैं। फिर भी इस वर्ष इसने 50 से 60 करोड़ रुपए के करों का प्रस्ताव किया है। केन्द्रीय बजट में बड़े घाटे के कारण मुझे यह पक्का विश्वास है कि आप आने वाले बजट में भारी कर लगायेंगे। अतः मेरा लोगों से अनुरोध है कि वे इस भुलावें में न रहें कि वे शीघ्र ही सुख में रहने लगेंगे, क्योंकि इन्दिरा गांधी की सरकार आ गई है। लोगों को इस बारे में चौकस रहना चाहिए कि इस देश में क्या हो रहा है।

मुझे बड़ी खुशी है कि श्री वीरेन्द्र पाटिल को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया गया है। यद्यपि मैं विपक्ष में हूं, फिर भी मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे राज्य के मुख्य मंत्री के रूप में बहुत अच्छी सेवा की है। मुझे इसमें कतई सन्देह नहीं है कि वह केन्द्र में भी एक योग्य मंत्री साबित होंगे।

चीनी की कीमतें कम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। बंगलौर में एक समय चीनी 7 या 8 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। अब इसका मूल्य कुछ कम हो गया है परन्तु अभी भी लोग इतना अधिक मूल्य नहीं दे सकेंगे। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठाए जाने चाहिए कि अत्यावश्यक वस्तुएं पूरी मात्रा में और उचित मूल्य पर उपलब्ध करायी जायेंगी।

सरकार को बिजली में कटौती के बारे में भी तत्काल कदम उठाने होंगे। जब 50 या 60 या 80 प्रतिशत तक बिजली में कटौती की जाएगी तो मुझे भय है कि कोई औद्योगिक विकास नहीं हो सकेगा और देश का आर्थिक विकास नहीं होगा और इसलिए बिजली के सम्बन्ध में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि नयी सरकार इस बात को ध्यान में रखकर सभी कदम उठायेगी कि देश में बिजली का उत्पादन काफी बढ़े।

जिस एक और बात की ओर वित्त मंत्री को ध्यान देना है वह इस देश में जारी मुद्रास्फीति के बारे में है। भारी मुद्रास्फीति और अत्यधिक कर बोझ से मुझे पक्का विश्वास है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में आराम से रहना बहुत ही कठिन हो जायेगा और इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि सरकार बेरोजगारी बीमा योजना को शुरु करने के लिये शीघ्र कदम उठाये जिससे अनेक संख्या में बेरोजगार लोगों को कुछ लाभ हो सके।

इसके अतिरिक्त तैयार की जा रही मतदाता सूची अस्तव्यस्त स्थिति में है। पिछली बार यह बहुत ही खराब थी। इस समय अपनायी जाने वाली प्रक्रिया कि हरेक व्यक्ति से मतदान केन्द्रों में अपना नाम पंजीकृत कराने के लिए कहा जाये, संतोषजनक नहीं है और इसलिए मतदाता सूची में पूर्णरूपेण संशोधन किया जाना चाहिए और यदि इसमें थोड़ा विलम्ब भी हो तो कोई बात नहीं, परन्तु यदि सही मतदाता सूची नहीं है तो चुनाव निष्पक्ष और सही ढंग से नहीं होंगे। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह निर्वाचन आयोग को निदेश दे कि मतदता सूची में पूर्णरूप से संशोधन करके इसे अद्यतन बनाया जाये।

न्यायालयों में अनेक मामले लम्बित हैं। सरकार न्यायिक विभाग को अनुदेश जारी कर अपेक्षित सहायता प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि लम्बित मामले बिना किसी कठिनाई के निपटाये जायें।

अन्त में मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि दहेज पर प्रतिबन्ध लगाने और विवाहों पर होने वाले खर्च में कमी करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जायेगी। श्री संजय गांधी को खुश करने के लिए हमारे कर्नाटक राज्य में एक रात में ही एक विवाह विधेयक पास किया गया था। यद्यपि यह 5 वर्ष पहले पास हुआ था, फिर भी यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह गरीब लोगों की यह सुनिश्चित करने के लिए मदद करे कि विवाहों पर खर्च कम से कम हो। विशेष रूप से दहेज लेना एक गम्भीर अपराध माना जाना चाहिए।

चूंकि हमें बजट पर सविस्तार विचार करना है, इसलिए मैं अधिक समय तक अपना भाषण जारी नहीं रखूंगा और आपने मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : माननीय सभापति महोदय, पहले मुझे वित्त मंत्री को बधाई देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश को एक स्वच्छ आर्थिक स्थिति प्रदान की है। परन्तु निराशा की बात यह है कि कल मैं यहां विपक्ष और विशेष रूप से श्री चरण सिंह, जो 2½ वर्ष तक वित्त मंत्री रहे और इसके साथ ही जो प्रधान मंत्री रहे और जिन्हें अपने शासनकाल में देश में खाद्यान्न के रिकार्ड उत्पादन पर गर्व था, के भाषण सुनने के लिए उपस्थित था। यह रिकार्ड उत्पादन 1260 लाख टन था। परन्तु उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि यह मुख्य रूप से अच्छी वर्षा और अच्छी बुनियादी सुविधाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास तथा सिंचाई साधन क्षमता, जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में पैदा की गई थी, के कारण हुआ है। 1260 लाख टन का उत्पादन देश के लिए पर्याप्त है, परन्तु इसके साथ ही सुदूर गांवों में गरीब लोगों को सूखा पड़ने पर नुकसान पहुंचा है। उन्हें चीनी नहीं मिली और मिट्टी के तेल की कमी थी। इसमें दोष किसका था ? इस स्थिति से केवल चोर बाजारियों और जमाखोरों तथा समाज के कतिपय वर्गों को लाभ हुआ। परन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी, जिन्होंने 1½ महीने पहले ही प्रधान मंत्री के रूप में सत्ता संभाली है, के नेतृत्व वाली सरकार ने एक समुचित वितरणप्रणाली शुरू की है, जिससे सभी आवश्यक वस्तुएं सुदूर गांवों और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे।

1979 में प्रकाशित रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन में विश्लेषण की गई देश की आर्थिक बुराइयों को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है । इसमें यह कहा गया है :

> "वर्तमान स्थिति की सब से अजीब बात यह है...हाल के महीनों में मूल्यों में वृद्धि देखी गयी है । यह भी एक चिन्ता का विषय है कि आम उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि प्रतिकूल मूल्य वृद्धि, प्रतिपूरक आय वृद्धि की मांग, स्टाक की जमाखोरी और वस्तुओं की कमी पैदा करने और बढ़ाने से इसका काफी भयंकर प्रभाव पड़ता है ।"

देश की गम्भीर आर्थिक स्थिति के दो कारण हैं—मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि । से यह प्रतिवेदन जनता पार्टी शासन के दौरान उनके अर्थशास्त्रियों ने प्रकाशित की थी और कांग्रेसी लोगों ने नहीं । और इसमें पिछले $2\frac{1}{3}$ वर्षों के उनके कार्य का विवरण है जिससे उन्होंने देश की अर्थ-व्यवस्था को संकट की स्थिति में ला दिया था ।

आन्तरिक संसाधन स्थिति, जो 1976 में सुधरी थी, बिगड़ी है । विदेशी मुद्रा भंडार, जो 1975 में 500 करोड़ रुपये से बढ़कर दिसम्बर, 1976 में लगभग 3,000 करोड़ रुपये हो गया था, आने वाली सरकार के अधीन 5,000 करोड़ रुपया बढ़ गया । यह अच्छी बात है । परन्तु बुनियाद तो श्रीमती गांधी सरकार ने डाली थी । इसके अतिरिक्त आयात अंधाधुंध हुआ और निर्यात में कमी आई । जिसका परिणाम यह हुआ कि व्यापार घाटा जो 1977–78 में 621 करोड़ रुपए था वह 1978–79 में बढ़कर 1,060 करोड़ रुपए हो गया । यदि यह प्रवृत्ति अनिश्चित काल तक जारी रहेगी, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार काफी घट जाएगा । मेरे अनेक मित्रों ने सोने की नीलामी के बारे में पहले ही उल्लेख किया है । यदि पिछली सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अव्यवस्था पैदा न की होती तो आज हमें इस स्थिति का सामना न करना पड़ता ।

पिछली सरकार ने दो घाटे के बजट पेश किए थे और इस बजट में 2,700 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है । उसने पर्याप्त माल और सेवाओं के बिना अर्थ व्यवस्था में बड़ी मुद्रा सप्लाई की जिससे यह मुद्रास्फीति हुई है । इन सभी बातों का उल्लेख मेरे माननीय मित्रों ने किया है । अतः अब मैं कुछेक सुझाव दूंगा जैसे कि कुछ वामपंथी मित्रों ने दिये थे ।

यह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में है । कई लोगों का विचार है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम देश के लिए कण्टक हैं । लेकिन ऐसा नहीं है । मैंने स्वयं देखा है कि उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के छः सात उपक्रमों को पहले निरन्तर हानि हो रही थी लेकिन 1973 से 1976 तक बेहतर प्रबन्ध से और तकनीकी विशेषज्ञों को सारा कार्यभार सौंपने के परिणामस्वरूप राजस्व में काफ़ी वृद्धि हुई और साथ ही 24 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ । अतः यह कहना सही नहीं है कि हमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और निजी क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए । जनता शासन के दौरान दो हजार से अधिक मध्यम और लघु पैमाने के एकक रुग्ण हुए और उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया । बैंकों ने भी ऋण देना कम कर दिया, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को । मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक प्रोत्साहन दें और देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जाएं । अनेक कारणों से जिनके बारे में सब जानते हैं, गत $2\frac{1}{3}$ वर्षों में कोयला, ऊर्जा, सीमेंट और इस्पात का उत्पादन गिरा है । कोल इंडिया लिमिटेड, रेलवे तथा अन्य विभागों में काम करने वालों ने उत्पादन कम होने की जिम्मेदारी 1979 में दूसरों

पर डाली । इस स्थिति के कारण देश को 180 करोड़ रुपये का नुकसान कोल इंडिया लिमिटेड के कारण हुआ । कुछ दिन पहले ऊर्जा मंत्री ने विशिष्ट रूप से उन उपायों के बारे में उल्लेख किया जो उन्होंने कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए हैं । हम केवल 10 करोड़ टन कोयले का उत्पादन कर रहे हैं और गत तीन वर्षों से उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई हैं । कोयले का उत्पादन पुरानी प्रक्रिया को अपनाने से बढ़ सकता है, क्योंकि खुला खदान कोयला खदान के लिए बहुत आवश्यक है । इससे अधिक कोयला निकलेगा, देश की आन्तरिक खपत के लिए भी कोयला उपलब्ध होगा और हम अधिक कोयले का निर्यात कर सकेंगे । मेरे कुछ माननीय मित्र बता रहे थे कि एक मुहाने पर 15 लाख टन से अधिक कोयला है लेकिन यह कोयला निर्यात के लिए है । जब तक हम विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि नहीं करेंगे तब तक हमारी आन्तरिक संसाधन अर्थ व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं होगा । हमें अशोधित तेल और तेल के उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए । यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन वस्तुओं के आयात के लिए हमें अन्य देशों को बहुत अधिक विदेशी मुद्रा चुकानी पड़ती है । अतः मेरा सुझाव हैं कि हमें एक राष्ट्रीय खनिज नीति बनानी चाहिए और इसी के द्वारा हम देश की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं । अब तक खनिज संसाधनों के उपयोग और संरक्षण के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है । जापान, कनाडा और सोवियत संघ जैसे अन्य देशों में इस संबंध में एक सुदृढ़ नीति अपना रहे हैं और इससे उनकी अर्थ-व्यवस्था सुदृढ और विकसित हुयी है । हमें तेल की खोज के लिए दीर्घकालिक उपाय, अन्वेषी उपाय करने चाहिए । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस दिशा में वह एक समयबद्ध कार्यक्रम अपनाए कि भारत कितने वर्षों में आत्मनिर्भर हो सकता है, क्योंकि सोवियत संघ ने सम्पूर्ण भारत में एक भूकम्पीय सर्वेक्षण कराया था । यह सर्वेक्षण तट पर और तट दूर दोनों स्थानों पर कराया गया था और उन्हें बताया कि उड़ीसा तट पर और बंगाल की खाड़ी में काफी तेल है । इसलिए बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा तट पर तेल की खुदाई का काम एक फर्म को दिया गया । कुछ कुओं की खुदाई के बाद उन्होंने बताया कि वहां तेल काफी मात्रा में उपलब्ध है । देश के रिग 300 पौंड से अधिक भार का वहन नहीं कर सकते । अतः सरकार से अनुरोध है कि वह एक देशी यंत्र बनाए और विभिन्न विभागों के तकनीकी विशेषज्ञों के काम को महत्ता दे ताकि देश में बहुमूल्य खनिज पदार्थों और तेल का पता लगाकर उपयोग किया जा सके । हमें अब तक देश के खनिज निक्षेपों का पता नहीं है । श्रीमती गांधी ने 1976 में स्पष्ट कहा था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए और शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि जिससे लोगों को परिस्थि की (इकोलोजी) का कुछ ज्ञान हो और अपने खनिज संसाधनों का पता चले ताकि हम विश्व के विकासशील देशों से प्रतिस्पर्द्धा कर सकें ।

मेरा सुझाव है कि इस संबंध में एक नीति बनाई जानी चाहिए और खनिज पदार्थों की खोज उनके उपयोग और उनके संरक्षण के लिए अधिक धन दिया जाना चाहिए, ताकि हम विश्व के विभिन्न विकासशील देश से प्रतिस्पर्द्धा कर सकें ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उड़ीसा राज्य का रहने वाला हूं और आर्थिक दृष्टि से यह एक पिछड़ा राज्य है । इसकी प्रति व्यक्ति आय सब से कम है । यह 800 रुपए प्रति वर्ष है, जो कि हरियाणा और पंजाब की तुलना में 1000 रुपये कम है । मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जब वह नियमित बजट लाएं तो वह यह सुनिश्चित करें कि बजट द्वारा इस प्रकार की प्रादेशिक असंतुलनता कम हो और उड़ीसा, जिसे विश्व की तुलना में भारत का 'हृहर' माना जाता है, के खनिज आधारित उद्योगों के लिए अधिक पूंजी निवेश किया जाए ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उससे साफ जाहिर है कि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था बहुत ही कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नये वित्त मंत्री इस अर्थ व्यवस्था को एक गतिशील दिशा प्रदान करेंगे।

मैं आज की परिस्थितियों के लिए किसी की तारीफ या निन्दा नहीं करना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कल चौधरी साहब ने जिस ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के बिगड़ जाने की बात की थी उसको बिगाड़ने में उन का भी कम योगदान नहीं है। सिर्फ एक उदाहरण मैं यह रखना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जब चौधरी साहब भाषण कर रहे थे उस समय उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिससे हमारे देश के कुछ मित्र देशों को धक्का लगा। उस समय जब किसानों को डीजल की आवश्यकता थी, डीज़ल उन्हें नहीं मिल रहा था ..... (**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : आज बहुत मिल रहा है ?

श्री हरिकेश बहादुर : डीज़ल न मिलने का क्या कारण है उस को सुन लीजिए।

15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह ने इस्रायल की गायों की तारीफ करने की बात सोची। नतीजा यह हुआ, इस्रायल का नाम लेने से हमारे तमाम मित्र देशों को ठेस लगी और वह जो हमें क्रूड पेट्रोलियम देते थे उसमें उन्होंने कटौती की। जरूरत क्या थी कि भारत के प्रधान मंत्री इस्रायल की गायों की बात करते? क्या हिन्दुस्तान में उस समय इस्रायल की गायों की तारीफ करने की कोई बात थी ? लेकिन उन्होंने बात की और जब रूखा पड़ा, डीज़ल नहीं मिला उस समय किसानों को कितने संकट का सामना करना पड़ा जिसके लिए आप रोज़ चिल्ला रहे हैं। आप उसको सोचिए कि इस स्थिति को लाने में आपको कितना बड़ा योगदान है और आपके नेताओं का कितना बड़ा योगदान है ? आज जो यह स्थिति आई है इसको सुधारने में कितनी कठिनाइयों का सामना हमारे देश की सरकार को करना पड़ रहा है इसका अन्दाजा हम सभी को है।

देश की अर्थ-व्यवस्था और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिए पिछले अनेक वर्षों में तमाम प्रयास किए गए हैं लेकिन आज भी हमारे देश के किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यह हम सभी लोग जानते हैं। फिर भी तमाम ऐसे उद्योगों के विकास का भी चौधरी साहब विरोध करते रहे जिनके विकास से हमारे देश के किसानों के जीवन में खुशहाली आ सकती है। हमेशा उन्होंने बड़े उद्योगों के विकास का विरोध किया। मैं जानना चाहता हूं क्या खाद के कारखाने अगर बनाए जाएंगे तो उसके किसानों का नुकसान होगा ? खाद के कारखाने, जो कि पेट्रोलियम बेस्ड हैं, नाफ्था बेस्ड हैं, उनके लिए अगर पेट्रोलियम रिफाइनरीज नहीं बनाते हैं तो क्या आप खाद के कारखानों को चला सकते हैं ? उन्होंने इस प्रकार के तमाम उद्योगों का कुछ समय तक लगातार विरोध किया और कहा कि बड़े उद्योगों को विकसित नहीं किया जाना चाहिए। बाद में जब उनको यह बातें समझाई गईं तो उन्होंने कुछ सुधार किया लेकिन आज भी वे मानसिक तौर पर इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्रीमन्, आज हमारे देश में रोज़गारी का एक बहुत बड़ा संकट है। बेरोज़गारी का यह संकट दिन प्र तिदिन गहरा होता जा रहा है। इसकी वजह से हमारे देश की पूरी व्यवस्था, चाहे वह सामाजिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो या आर्थिक व्यवस्था हो, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है। अगर बेरोज़गारी की समस्या को समाप्त नहीं किया गया तो हमारे देश के नौजवानों में एक बहुत बड़ी निराशा फैलेगी और वह निराशा आगे चल कर इस देश की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए एक खतरा बन सकती है। बेरोज़गारी के कारण हमारे देश के नौजवान हिंसा के कार्यों में उद्यत होते जा रहे हैं। इसलिए अगर बेरोज़गारी को रोका नहीं गया तो एक प्रकार से इस देश में हिंसा के बढ़ने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में इस समय हमारे देश में जो प्रगति हो रही है उसको बहुत ठेस पहुंचेगी और विकास में रुकावट आयेगी जिससे कि देश की मौजूदा व्यवस्था को क्षति पहुंच सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस देश की अर्थव्यवस्था में जो गति दी जाए, जो दिशा दी जाए उसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि बेरोज़गारी को अधिक से अधिक सीमा तक समाप्त किया जाए। इस कार्य को करने के लिए आज कुटीर उद्योगों के विकास की आवश्यकता है। लेकिन आज यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे देश में बहुत से लोग स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज़, कुटीर और छोटे उद्योगों के विकास में काम नहीं करना चाहते, इन उद्योगों को सहारा नहीं देना चाहते हैं। लेकिन यह ऐसी चीज़ है जिसे आज करने की बड़ी आवश्यकता है। आज इसकी ट्रेनिंग को शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ना चाहिए। शिक्षा के साथ ही इसको जोडना चाहिए। शिक्षा के समय में ही नौजवान छात्रों को यह बात बताई जानी चाहिए कि जब तक वे स्वयं किसी उद्योग का विकास करके काम नहीं करते तब तक इस देश से बेरोज़गारी दूर नहीं हो सकती है। इसलिए आज शिक्षा के साथ ही इसको जोड़ना नितान्त आवश्यक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी।

श्रीमन्, हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र में 12 हजार करोड़ से भी अधिक धन लगा हुआ है लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत से उद्योगों में प्रति वर्ष घाटा होता है। यदि यही प्रक्रिया चलती रही तो हमारी अर्थ व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज़ के मैनेजमेन्ट को वहां पर होने वाले घाटे के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। प्राय: मैनेजमेंट तरह तरह के वहाने बना देता है, खास तौर पर लेबर प्राब्लम की बात उठा कर कह देता है कि श्रमिकों की वजह से गड़बड़ी हो रही है लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। वहां पर काम करने वाले बहुत से प्रबंधक ऐसे होते हैं जो इस बात की परवाह नहीं करते कि वहां पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है इसलिए जब तक उनको इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा तब तक सार्वजनिक क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इसकी तरफ भी ध्यान देंगे।

आज देश में बढ़ती हुई कीमतें देश की जनता के लिये संकट बन रही हैं। हालांकि यह बात बहुत दिनों से तरह तरह की गड़बड़ियों की वजह से हो रही है और पुरानी सरकार ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार से कीमतें बढ़ती रहीं। न केवल इसपर कोई रोक नहीं लगाई गई बल्कि ब्लैकमार्केटीयर्स एवं प्राफिटीयर्स को बढ़ावा मिला। लेकिन अब समय आ गया है जबकि इसके ऊपर कड़ाई के साथ अंकुश लगाया जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि इस प्रकार के लोग जो समाज में गरीबों का शोषण करना चाहते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें पूरी तरह से नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। जो नया कानून बनाया गया है उसका सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, अब मैं बुनकरों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उसके लिए मैं आपसे सिर्फ एक मिनट की और इजाजत चाहता हूं।

मान्यवर, हमारे देश के बहुत से गरीब लोग हैण्डलूम सैक्टर में लगे हुए हैं और उन्होंने बैंकों से कर्जा लिया हुआ है । मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से विशेष अनुरोध है कि जिन बुनकरों ने 500 या 1000 रु० कर्ज के रूप में लिया हुआ है अगर उसको माफ कर दिया जाए, तो वे जिनकी अर्थ व्यवस्था खराब हो रही है, जो अपना जीवन परेशानी से बसर कर रहे हैं, उन्हें राहत मिल सकेगी और यह पूरा अमाउन्ट सिर्फ 10 या 12 करोड़ से ज्यादा का नहीं है इससे ज्यादा पैसा आप दूसरी मदों में राइट आफ करते हैं । इसलिए बुनकरों की जो स्थिति है, उसको सुधारने के लिए उन्हें जो कर्जा दिया गया है उसको माफ किया जाए, इससे उनकी बेहतरी हो सकती है ।

साथ-ही-साथ आज जो हैण्डलूम उद्योग में यार्न इस्तेमाल हो रहा है, उसकी कीमतें दिन-प्रतिदिन तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं, उसमें कमी लाने की भी कोशिश करने की आवश्यकता है, नहीं तो तमाम ऐसे गरीब लोगों को जो कि इस उद्योग में लगे हुए हैं, उनके जीवनयापन में बड़ी कठिनाई होगी और उनकी गरीबी बढ़ती जाएगी ।

अन्त में , मैं अपने उत्तर प्रदेश के बारे में और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को अधिक से अधिक धन दिया जाए, कि वह पिछड़ा प्रदेश विकास कर सके और हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, उसका विकास हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आखिर आपने मुझे बोलने का टाइम दे ही दिया । मेरी कांस्टीचूएन्सी पंजाब में है , मैं शेड्यूल्ड कास्ट का मेम्बर हूं। मेरी कांस्टीचूएन्सी चार जिलों पर मुश्तमिल है, जिन में जालंधर, कपूरथला होशियारपुर और गुरुदासपुर शामिल हैं । वहां पर एक पुल है जिसको "श्री हरगोविन्दपुर" पुल कहते हैं । अगर इस पुल का सर्वे करके इसको पक्का बना दिया जाय तो इससे मेरे तमाम जिलों का लिंक हो सकता है और मैं चारों जिलों में आसानी से आ जा सकता हूं ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि लुधियाना से चण्डीगढ़ के लिये रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और रेलवे बजट में भी मुझे इस लाइन के लिए कोई प्रावीजन नहीं दिखाई दिया । मैं चाहता हूं कि इस लाइन को जरूर बनाया जाय ।

हमारे चौधरी साहब ने कल अपनी तकरीर में कहा था कि विलेजर्स को इस बजट में कुछ नहीं मिला है । मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि वे विलेजर्स जो जमींदारी से ताल्लुक रखते हैं अब गांवों में नहीं रहते हैं । जो लड़का पढ़-लिख लेता है, वह तो शहरों में चला जाता है, वहां जाकर बड़े-बड़े कारखाने, व्यापार खोल लेता है । शहर के लोगों में मिल जाता है और ज्यादा से ज्यादा धन पैदा करता है । गांव की तरफ उसकी कोई तवज्जह नहीं रहती ।

जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानता के अन्धकार में रहेंगे मैं उस हर व्यक्ति को देश-द्रोही मानूंगा जिसने उनके बल पर शिक्षा प्राप्त की है और उनकी ओर कुछ ध्यान नहीं दिया है ।

मैं चौधरी साहब से पूछता हूं—आपके पिता के पास पहले कितना धन था और अब आप के पास कितना धन है, जरा इसका अन्दाजा लगाइये । हरियाणा प्रान्त के चौधरी देवीलाल हैं, पहले उनकी जमीन में पानी नहीं लगता था, लेकिन अब पानी लगता है, जिसका नतीजा यह है कि

आज वह बादशाह बने हुए हैं, यह किसका काम है ? एक और बात बतलाता हूं हमारे गरीब हरिजन जो गांवों में रहते हैं और जिस ज़मीन पर रहते हैं, वे उस तहे ज़मीन के मालिक भी नहीं हैं, जब कि ये ज़मींदार गांव की हर चीज़ के मालिक बने हुए हैं। जब ये उस ज़मीन पर खुद काम नहीं करते तो उनको कैसे उसका मालिक बने रहने का हक़ है ? वे जब चाहते हैं उस हरिजन को निकाल बाहर करते हैं।

हमारे चौधरी साहब हरिजनों के बड़े खैरख्वाह बनते हैं। अगर कोई खैरख्वाह था तो वह छोटूराम था। जो हरिजनों को रहने के लिए मुरब्बा ज़मीन भी देता था और उनके बच्चों को वज़ीफ़े देता था। लेकिन ये क्या कर रहे हैं—उनको मार-मार कर उनको वहां से निकाल रहे हैं और साथ ही उनको वोट भी नहीं देने देते। मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक कमीशन मुकर्रर किया जाय जो इस बात की जांच करे। मैं अपने हरिजन भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि जब तक हम में बदले की भावना नहीं होगी, तब तक दुनिया में हमको जगह नहीं मिल सकती। हरिजन आज हर चीज़ की मांग करते हैं, यह भी दो, वह भी दे दो, लेकिन इस तरह से कौन देता है, वह तो आपको अपने आप लेना पड़ेगा।

मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से कोई नहीं देगा। जो खुद भूखा है वह हमको क्या देगा। आज हरिजन को उम्मीद की अगर कोई शुआ नज़र आती है तो वह इन्दिरा गांधी में नज़र आती है, क्योंकि वह उन गरीबों का नाम लेती है। ये सी०पी०एम० के भाई भी बहुत चिल्लाते हैं, लैंड रिफार्म की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने भी जनता पार्टी और लोक दल के साथ मिलकर हमको ही मारा, तब फिर आपको इस तरह की बात करने का क्या हक़ है, आप कैसे इसको जस्टीफाई कर सकते हैं।

चौधरी चरण सिंह भी जाटों का यार नहीं है। भिण्डर जाट था, लेकिन वह उसके बरखिलाफ़ हो गया, उस को कैद कर दिया, जब कि उसका कोई कुसूर नहीं था। हमारे लिए तो सारे ही दुश्मन हो रहे हैं—मुझे एक बात याद आ रही है—

जाट महासिल, ब्राह्मण शाह
बनिया हाकिम, कहर खुदा।

सब हमारे खिलाफ़ हैं। इसलिए मैं हरिजनों से कहूंगा कि आप इकट्ठे हो जायें, हमें आज किसी पर ऐतबार नहीं है, अगर किसी में कोई ऐतबार है तो श्रीमती गांधी में है, जिस के अन्दर हमें उम्मीद की शुआ नज़र आती है

श्री कृष्ण दत्त (शिमला) : माननीय सभापति महोदय, आज हमारे माननीय वित्त मंत्री साहब ने इस माननीय सदन के अन्दर जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां सारे देश के अन्दर इस बजट के बारे में यह चर्चा चल रही है कि यह बहुत अच्छा बजट है, वहां हमारे अपोज़ीशन के लोग यह कहते हैं कि इस बजट के अन्दर कुछ इस तरह की बू है कि इससे समाज का कोई भला नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। उन्होंने इस बजट को पेश करते वक्त साफ़ तौर से इस बात को कह दिया है कि यह बजट थोड़े अर्से के लिए है, जो असली बजट है, वह बाद में आयेगा।

जहां तक हमारे हिमाचल प्रदेश का ताल्लुक है—हमारे यहां बहुत बड़े नदी और नाले हैं जहां यदि बिजली के बांध बनाये जायें तो आज जो मुल्क का कोयला खर्च होता है, हम उस दौलत को बचा सकते हैं और साथ ही उन बांधों से जो बिजली पैदा होगी, उससे देश आगे बढ़ सकता है। बिजली के बारे में मैं यह बतला देना चाहता हूं कि हमारे यहां इस वक्त जो प्राजेक्ट्स चल रहे हैं—जैसे, नाथपा–झाकड़ी, आन्ध्रा, गिरीवाटा, जब ये पूरे हो जायेंगे तो इन से जो बिजली पैदा होगी उनसे हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी उद्योग लगा सकते हैं जिससे सारे देश को लाभ हो सकता है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं—हिमाचल प्रदेश के अन्दर पानी का जो विशाल भण्डार है, इसका सही प्रयोग किया जाय और देश की सम्पत्ति को इस काम में ज्यादा से ज्यादा लगाया जाय, तोकि देश के लोगों का लाभ हो सके।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां चूने का पत्थर बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है। वहां सीमेंट के छोटे छोटे कारखाने बनाए जा सकते हैं। कल भी यहां यह बात चली थी कि देश के अन्दर सीमेंट की कमी है। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में चूने के भंडार हैं और वहां पर छोटे-छोटे उद्योग लग सकते हैं और उसकी तरफ़ सरकार तवज्जह दे ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सकें और बेरोज़गारी को आप कम कर सकें। इसमें देश का भी भला हो सकता है।

एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूं। आज देश की दौलत को बर्बाद किया जा रहा है। हमारे राज्य में दरख्त काटे गये हैं। जब हिमाचल प्रदेश में शान्ता कुमार सरकार थी, तो तमाम दरख्तों को काटने की आज्ञा जमींदारों को दे दी। पांच पांच दरख्त एक एक जमींदार को दे दिये गये और वे जनता पार्टी के नाम से लूटते रहे, अधिकारीगण ठेकेदारों के नाम परमिट लेते रहे और उन तमाम दरख्तों को जगाधरी और जमुनानगर को सप्लाई करते रहे हरियाणा के अन्दर। दरख्तों के काटने का नतीजा यह हुआ कि मिट्टी का कटाव हो रहा है और भाखड़ा डैम के बर्बाद होने का खतरा हो रहा है। इसी तरह से गिरीवाटा के बर्बाद होने का खतरा हो रहा है। बारिश ज्यादा हो रही है और इससे मिट्टी नीचे बह रही है। इसलिए मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि देश की जो दौलत बर्बाद हो रही है, उसको बचाने के लिए मंत्री जी विचार करें। यह देश की प्रोपर्टी है और इसको कैसे बचाया जा सकता है, यह सोचने की आवश्यकता है। अब ठाकुर रामलाल जी वहां के मुख्य मंत्री बन गये हैं। पहले जनता पार्टी के जमाने में हजारों क्विंटल गेहूं उन्होंने अपने चहेतों को बांट दिया, रिश्तेदारों को बांट दिया। अगर थोड़ा सा गरीबों का भी ख्याल रखते, तो अच्छा होता। मैं आपको यह भी बताऊं कि उनके जमाने में रोड़ में देवता की चोरी हो गई और जब इसके बारे में कहा गया, तो वह सरकार बहरी बन कर रह गई और गरीबों की आवाज नहीं सुनी।

एक बात और यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त सिर्फ आर०एस०एस० के लोगों को छोड़ कर, सारे के सारे एसेम्बली के मेम्बर कांग्रेस (आई) में शामिल हो गये हैं और वहां पर जनता पार्टी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। इसलिये वह सरकार उलट गई। वहां से कांग्रेस (यू) भी खत्म हो गई है और आज श्रीमती इन्दिरा गांधी, जो हमारी रहनुमान हैं, से इस देश को मार्गदर्शन मिल रहा है और वे ही इस देश को ऐसी परिस्थितियों से बचा सकती हैं। आज ये लोग कहते हैं कि लोहा, चीनी और तेल की कमी है और डीजल की कमी है। ये सारी की सारी चीजों की जो कमी है, ये सब जनता पार्टी और लोकदल सरकार की देन हैं। मंत्री महोदय से मैं यहनिवेदन करना चाहता हूं कि आपको यह देखना होगा कि जनता पार्टी के जमाने में जिन जिन को डिपो अलाट किये गये,

जिन जिन को कोटा और परमिट दिये गये, पिछले 30, 32 महीनों में जिन लोगों को नौकरियों में भर्ती किया गया, रेडियो स्टेशनों पर रखे गये, वे मुलाजमीन कौन थे ? मैं तो यह कहूंगा कि उन्होंने आर०एस०एस० के केडर को फीड किया है और इस तरह से सारे देश का बेड़ा गर्क किया है। जनता पार्टी के राज में किसानों को आलू और सेब के दाम भी सही नहीं मिले।

अन्त में मैं वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : कल वित्त मंत्री उत्तर देंगें और अन्य कोई सदस्य बजट पर नहीं बोलेगा। कृषि मंत्री श्री राव वीरेन्द्र सिंह विवरण दें।

एक माननीय सदस्य : मंत्री सभा में नहीं हैं... (व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : सभापति महोदय, जब मंत्री जी टाइम पर नहीं आ सकते, तो देश का शासन कैसे चलाएंगे। इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कल उद्योग मंत्री नहीं थे और आज कृषि मंत्री जी नहीं हैं। ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अभी 6 नहीं बजे हैं। अभी टाइम नहीं हुआ है।... (व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल शैलानी : यह 70 करोड़ लोगों का देश है। यह देश की हुकूमत कैसे चलेगी, इस पर विचार करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : इन्होंने नोटिस दिया था स्टेटमेंट देने के लिए और स्वयं उपस्थित नहीं हैं। यही हालत रहेगी, तो देश कैसे चलेगा।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : यह हाऊस का अपमान है और हाऊस इस को बर्दाश्त नहीं करेगा। कल भी ऐसा ही हुआ था। ... (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : कल उद्योग मंत्री नहीं थे और आज कृषि मंत्री नहीं हैं। न उद्योग चलेगा और न कृषि चलेगी, इस तरह से।

सभापति महोदय : आप बैठियेगा। मंत्री महोदय को 6 बजे का टाइम दिया गया था लेकिन हमारे सदन का काम दो मिनट पहले ही खत्म हो गया। ... (व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल शैलानी : (हाथरस) : अपने पापों के लिए सारा का सारा दोष ये जनता पार्टी पर थोप रहे हैं। यह उनकी एफीशियेंसी का सबूत है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये। ... (व्यवधान)

श्री मनोराम बागड़ी : : आप हमें संरक्षण दीजिए। आप लोग सभा के अधिकारों की रक्षा कीजिए। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपकी बात सुन रहा हूं। आप कृपया बैठ जाइए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : सभापति महोदय, 6 वजे नियम 193 के अंतर्गत एक विषय पर चर्चा होनी पहले से नियत है अतः मेरा अनुरोध है कि आप तदनुरूप कार्यवाही करें ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : यह उन्होंने सदन का मजाक बना रखा है ।...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : यह सदन का अपमान है कि इस समय मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह जो मंत्री जी को स्टेटमेंट देना था यह एजेण्डे पर नहीं है । वाद में उनका पत्र आया, उनका पत्र आने के वाद उनको कभी भी स्टेटमेंट के लिए टाइम दिया जा सकता है, इसलिए उन्हें 6 वजे का समय दिया गया । 6 वजे एजेण्डे पर ही दण्डवते जी का भी मोशन है । अगर किसी मंत्री का कोई लेटर आता है तो उन्हें बीच में टाइम दिया जा सकता है । मेहरबानी करके आप बैठ जाइए । (व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल शैलानी : यह मजाक वर्दाश्त नहीं किया जा सकता । (व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन सभा में पेश किया जाए ।

कार्य मंत्रणा समिति

दूसरा प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय तथा संसदीय विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मरीराम बागड़ी : आप कैसे मंत्री हो ? ये नये नये आ गये हैं, इन को पता नहीं है कैसे काम होता है । (व्यवधान)

सभापति महोदय : हम अव एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसने हम सवका ध्यान आकर्षित किया है । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह चर्चा में भाग लें और अन्य प्रश्न न उठाएं ।

हरिजनों और आदिवासियों पर किये जा रहे अत्याचारों के बारे में चर्चा

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) : सभापति महोदय मैं नियम 193 के अंतर्गत एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाने के लिए खड़ा होता हूं । यह एक ऐसा विषय है जिसने देश के विभिन्न भागों को प्रभावित किया है और यह विषय है देश में हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार । इस विषय पर हमें दलगत नीति से हटकर विचार करना चाहिए और सभा के सभी वर्गों, जिनकी न्याय में आस्था है, को देश के विभिन्न भागों में हो रही इस प्रकार की घटनाओं के प्रति चिन्तित होना चाहिए और क्षोभ प्रकट करना चाहिए ।

जहां तक हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार का संबंध है इसका संबंध जाति और वर्ग दोनों पहलुओं से है । दुर्भाग्यवश, हमारे सामाजिक जीवन में जाति-पांति का बहुत

भेदभाव है और ऊंची जाति के लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाकर इस भेदभाव को और बढ़ाया है और जब तक हम इस ओर ध्यान नहीं देते तब तक देश के विभिन्न भागों और विभिन्न ग्रामों में हो रही अत्याचार की वारदातों का समाधान करने में हम समर्थ नहीं हो सकते ।

हाल ही में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बाद भी पिपरा में अत्याचार की एक भीषण घटना हुई है जिसमें 14 हरिजनों को मार दिया गया और अत्याचारियों को फिर भी तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने उन हरिजनों को आग की लपटों के हवाले करने की कोशिश की । अत्याचार की ऐसी घटनाएं हुई हैं । ये घटनायें किसी भी दल के शासन के अंतर्गत हो, चाहे इन घटनाओं की जिम्मेदार जनता सरकार हो या कांग्रेस सरकार या राष्ट्रपति का शासन वह सभी व्यक्ति जो न्यायप्रिय हैं तथा जिनकी मानवता में आस्था है इन घटनाओं से उद्विग्न होंगे । देश का राजनीतिक ढांचा चाहे जो भी हो जो लोग हरिजनों और आदिवासियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के हितैषी हैं उन्हें अवश्य ही इन घटनाओं के संबंध में गहरी चिन्ता होगी ।

हाल ही में, मैं और मेरे एक मित्र पिपरा गांव गए जहां 25 फरवरी, 1980 को यह नृशंस घटना हुई । मैं सभा का ध्यान केवल एक विशिष्ट अत्याचार की घटना पर केन्द्रित नहीं करना चाहता लेकिन मैं इस घटना संबंधी कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं । चूंकि इन तथ्यों का संबंध केवल पिपरा में हुई घटनाओं से नहीं है इनका संबंध देश के विभिन्न भागों में हुई ऐसी सभी अत्याचार की घटनाओं से है । 25 फरवरी, 1980 को रात के 10.30 बजे के लगभग 500 व्यक्ति हथियारों, राइफलों तथा अन्य हथियारों, जो कि लूटमार के काम आते हैं, से लैस होकर पिपरा गांव आए । यह गांव बिहार की राजधानी के निकट है । रात के 10.30 बजे से 3.30 बजे तक ये 500 गुण्डे हरिजनों पर तरह तरह के अत्याचार ढाते रहे । आप को यह सुनकर बहुत दुःख होगा कि 10.30 बजे से लेकर 3.30 बजे तक जब तक गुण्डे इस नृशंस कार्यवाही में रत थे पुलिस का कोई भी दस्ता घटनास्थल पर नहीं पहुंचा । परिणामस्वरूप अत्याचार निर्मम रूप से जारी रहे । पुलिस अधिकारियों की पूर्ण उपेक्षा ही इन अत्याचारों के लिए जिम्मेदार है ।

नक्सलवादियों को बेकार ही इस मामले में घसीटा जा रहा है । मैं अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर गया था और मैंने मृत व्यक्तियों के परिवारों से बातचीत की । गांव वालों से बात की तथा हरिजनों से भी बातचीत की और उन्होंने हमें बताया कि इसमें नक्सलवादियों का कुछ हाथ नहीं है । यहां तक कि पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने भी हमें बताया कि गत दो वर्षों से नक्सलवादियों के उस क्षेत्र में कुछ गड़बड़ नहीं की है । जिम्मेदारी उन पर डालने के लिए अनावश्यक ही उनका नाम बीच में लाया जा रहा है । ये अत्याचार जातिवाद और वर्ग शोषण के परिणाम हैं ।

हमने हरिजनों से बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या इन घटनाओं का चनावों से कुछ संबंध है । क्या इसके पीछे कुछ राजनीति है और जो उत्तर हरिजनों ने दिया वह बहुत ही विस्मयकारी था और सभा के सभी सदस्यों को चाहे वह किसी दल के हों सुनकर दुःख होगा । सभी हरिजनों ने कहा कि 'इनका चनावों से कोई संबंध नहीं । हम हरिजनों ने केवल 1952 के चुनावों में वोट दिया था उसके बाद हम मतदान केन्द्र कभी

गए ही नहीं । मैंने पूछा कि "1957, 1962, 1971, 1977 और 1980 के चुनावों में क्या हुआ' "तो उन्होंने उत्तर दिया "कि हम मतदान केन्द्र पर कभी नहीं गए, पर हमारा वोट डाला गया।" उन्होंने किसी राजनीतिक दल का विशेष रूप से नाम नहीं लिया । पार्टी चाहे जो भी हो लेकिन यह हमारे देश के समग्र राजनीतिक जीवन के लिए और इस सार्वभौम संसद के जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत शर्म की बात है । यह हरिजन 1952 के बाद स्वयं कभी वोट नहीं देने गए पर उनके नाम के वोट डाले जाते रहे । मैंने उनसे पूछा कि आपकी सुरक्षा किस प्रकार हो सकती है । इस बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं ? यदि आपको हथियार दे दिए जांएं तो क्या आप सुरक्षित रहेंगे । उनमें से एक ने उत्तर दिया "महोदय, आप हमें हथियार मत दीजिए । केवल हथियार देने से हमारी सुरक्षा नहीं हो जाएगी, क्योंकि जमीदारों और उनके एजेंटों का पुलिस अधिकारियों से गठजोड़ है उनके पास सारी शक्तियां हैं, धन है और वे अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं । आप तो हमें कोई छोटा-मोटा हथियार ही देंगे परन्तु उनके एजेंट तो इनसे भी शक्तिशाली हथियार जुटा सकते हैं । और उसी के आधार पर वे हमारा शोषण कर सकते हैं ।" उन्होंने आगे कहा "हमें हथियारबन्द करने की बजाए जमींदारों और उनके एजेंटों से हथियार वापस लेना अधिक उपयुक्त रहेगा और अधिक रचनात्मक हल तो यह है कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ।" उनके दूसरे उत्तर ने तो मुझे सबसे अधिक चोट पहुंचाई । उन्होंने कहा, "आप हमारे कष्टों को जानने के लिए आए हैं, हम एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं । देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर किए जा रहे अत्याचारों को देखते हुए यदि आप देश के सभी हरिजनों को देश के एक कोने में ले जाकर किसी शहरी इलाके में बसा दें और उन्हें सैनिक सुरक्षा दिलवा दें तो ठीक रहेगा।" अप्रत्यक्ष रूप से वे एक पृथक राज्य की मांग कर रहे थे । यह हम सबके प्रति अविश्वास का मत था । मैं किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करना चाहता, परन्तु यदि देश के हरिजन यह अनुभव करने लगें कि वे सुरक्षित नहीं हैं और यह अनुभव करें कि उन्हें देश के एक कोने में स्थानान्तरित कर दिया जाये और सैनिक सुरक्षा सुलभ कराई जाए, तो यह हम सबकी भर्त्सना होगी । यह बड़े दुख की बात है । हमने उनसे प्रश्न पूछे । उन्होंने कहा "हम से प्रश्न तो बहुत से पूछे जा रहे हैं, परन्तु उनके उत्तर कोई नहीं दे रहा ।" वे न केवल गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं । बल्कि यदि गरीबी की रेखा से नीचे भी कोई रेखा है तो वे उसके नीचे रह रहे हैं । जमीदार और उनके एजेंट निरन्तर उन पर आक्रमण कर रहे हैं । जब तक हम उनकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक कोई भी उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा । मैं उनमें से नहीं हूं जो यह अनुभव करते हैं कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा । हमारे देश की विशिष्ट स्थिति है जहां समाज जाति और वर्ग के बीच झूलता रहता है । जातिवाद की बराई के विषय में यह स्पष्ट करने के लिए कि ये सारी समस्याएं केवल उन लोगों की आर्थिक स्थिति के कारण नहीं है जिनका अपमान किया जा रहा है, एक उदाहरण देना चाहता हूं ।

मैं स्वर्गीय डा० अम्बेदकर की जीवन की एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा जिनकी संस्था से मैं 25 वर्ष तक सम्बद्ध रहा । सभा को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब डा० अम्बेदकर वाइसराय की कार्यकारी परिषद में थे तब वाइसराय और उनकी पत्नी ने डा० अम्बेदकर से अनुरोध किया । आप हमारे साथ आइये : हम इस प्रसिद्ध मन्दिर की वस्तुकला

का अध्ययन करना चाहते हैं । डा० अम्बेदकर ने उन्हें जवाब दिया : "आप मुझे अपने साथ न ले जाएं । आप को उस रूढ़िवादी समाज का ज्ञान नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं।" पर वाइसराय और उनकी पत्नी के आग्रह करने पर डा० अम्बेदकर उनके साथ गए । जब ये लोग मन्दिर के अन्दर जाने लगे तो वाइसराय और उनकी पत्नी को तो जाने दिया पर डा० अम्बेदकर को कहा गया "आप हरिजन हैं । आप अनुसूचित जाति के हैं । आप मन्दिर में नहीं जा सकते ।" अतः इस प्रकार का सामाजिक कलंक विद्यमान है। केवल आर्थिक समस्या हल हो जाने से ही सभी समस्याएं हल नहीं हो जाएगी । निस्सन्देह जातिवाद की भावना को कम किया जा सकता है । पर इस समस्या का समाधान वर्ग-शोषण समाप्त करके ही किया जा सकता है ।

यदि राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनः गठन किया जाए तो शायद समस्या हल हो सके । जिस प्रकार यह परिषद साम्प्रदायिकता की समस्याओं की ओर ध्यान देती है उसी प्रकार वह इस समस्या का भी हल ढूंढने का प्रयास कर सकती है।

(2) हरिजनों और आदिवासियों पर जो अत्याचार ढाते हैं यदि उनके खिलाफ सामान्य प्रक्रिया से जांच की जाएगी और कानूनी कार्यवाही की जाएगी तो इन जातियों के लोगों को न्याय शीघ्र नहीं मिल पायेगा । अतः हरिजनों के खिलाफ अत्याचार के मामले स्थापित किए गए विशेष न्यायालयों को सौंपे जाएं । (3) जो लोग हरिजनों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार करने के दोषी पाए जाएंगे उन्हें न केवल जेल भेजा जाना चाहिए, अपितु मैं चाहता हूं कि सरकार उनकी सम्पत्ति को भी जब्त करने के लिए कार्यवाही करे। यह लोगों में भय पैदा करने का काम करेगा । (4) जिन्हें उत्पीड़ित किया जाये और जो अत्याचारों के शिकार बनें उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाए (5) प्रभावित क्षेत्र के जमींदारों और उनके एजेंटों से सभी हथियार छीन लिए जाएं । (6) मेरा अन्तिम सुझाव है कि जैसी कि अनुसूचित जाति के आयोग ने यह सिफारिश की है, हरिजनों और आदिवासियों की उनकी भूमि से बेदखली को दण्डनीय अपराध माना जाए । आशा है इस सिफारिश को मान लिया जाएगा और आयोग को कानूनी दर्जा दिया जाएगा । मैं यह भी आशा करता हूं कि सामाजिक सुधार आन्दोलनों और गरीब जनसमूह के वर्ग संगठनों को सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए जाएंगे । आशा है कि इस देश के हरिजन और आदिवासी संगठित होंगे और देश के उन रूढ़िवादियों को एक महान नेता के शब्दों में बता देंगे कि आपका हमारा अन्नदाता होना आपके हित में हो सकता है पर हमारा आपका गुलाम होना हमारे हित में कैसे हो सकता है । मैं आशा करता हुं कि अब्राहम लिंकन के इस सन्देश पर इस देश में अमल किया जाएगा ताकि हरिजन और आदिवासी शान्ति से रह सकें ।

श्री बालेश्वर राम (रोसेड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, अभी एक दुखद घटना के बारे में जो इस सदन में हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे प्रो० मधु दंडवते जी को आज यह अहसास जरूर हो रहा है, इस घटना को लेकर, कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका समाधान होना चाहिए । लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि पिपरा की घटना जब हुई तो हमारे प्रो० मधु दंडवते जी वहां गये थे, लेकिन 1977 में जब सेंटर में जनता पार्टी की सरकार थी, श्री चरण सिंह जी गृह मंत्री थे; उस वक्त, अफसोस के साथ कहना पड़ता हैं कि आप में से किसी ने... (व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय पिपरा की यह घटना हुई, हमारी प्रधान मंत्री जी ने तुरन्त गृह-मंत्री श्री जैल सिंह जी को वहां जाने के लिये कहा । हम लोग भी चन्द साथी, जो इस सदन में बैठे हैं, वहां गये थे और हमने इस घटना को विस्तारपूर्वक जानने की कोशिश की । दोबारा भी मैं वहां गया था और सारी घटना को जानता हूं, इसीलिये कहता हूं कि आपने जिन भावनाओं को व्यक्त किया है, यह ठीक है कि आज आपको यह अहसास है, मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं, कि आप समझते हैं कि इस समस्या का समाधान होना चाहिये । बेलची से भोजपुर तक हरिजनों पर अत्याचार की जो घटनायें हुई हैं, उनकी शुरुआत बेलची से हुई—आपके रेजीम में उनकी शुरुआत हुई । अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि श्रीमती गांधी के शासन-काल में जो 20–पायंट प्रोग्राम लागू किया गया था, सब सूबों में जनता पार्टी की सरकारें कायम होने के बाद उसको खत्म कर दिया गया । एग्रीकल्चरल लेबरर्ज को जो मिनिमम बेज़िज़ मिलते थे, वे भी समाप्त कर दिये गये । वह सिलसिला आज भी जारी हैं । उस इलाके में उन लोगों को मुश्किल से एक किलोग्राम कोस ग्रेन की मजदूरी मिलती है । आपने उस वक्त उनकी मजदूरी बढ़ाने की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया ? वास्तव में 20–पायंट प्रोग्राम आप लोगों के लिए एक हौआ बन गया था और इस लिए आपने उसको खत्म कर दिया ।

श्रीमती गांधी के शासन-काल में बिहार में हज़ारों एकड़ ज़मीन बड़े जमीदारों, भूमिपतियों और कुलाक्स से ली गई थी और होमस्टेड के रूप में लैंडलेस में लेबरर्ज बांटी गई थी, जो मुख्यतः हरिजन थे । मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जनता पार्टी और लोक दल के समैर्थकों ने उन लोगों की सारी ज़मीन छीन ली । (व्यवधान) मुझे यह कहते हुए फ़ख्र हासिल हैं और खुशी हो रही है कि आज जबकि देश ने फिर श्रीमती गांधी को शासन-सूत्र दे दिया हैं, उन्होंने 20–पायंट प्रोग्राम को लागू करने की घोषणा की है । अगर कोई भी माननीय सदस्य छाती पर हाथ रख कर सोचें, तो उन्हें मालूम होगा कि उस प्रोग्राम से सब से ज्यादा वीकर सैक्शन, कमजोर वर्ग के लोग–हरिजन-लाभान्वित हुए थे।

मेरा चार्ज है कि आपके शासन में बेलची घटना उन लोगों ने की, जो लोक दल के समर्थक थे । जिन लोगों के आप वोट लिया करते थे, उन्हीं बैकवर्ड क्लासिज के लोगों ने, उन्हीं कुर्मी जाति के लोगों ने ही बेलची की सारी घटना की और उन्हें चौ० चरणसिंह और कर्पूरी ठाकुर ने भड़काया था । इस घटना के लिए भी लोक दल, कांग्रेस (अर्स) और जनता पार्टी के समर्थक जिम्मेदार हैं । इसका सुबूत यह है कि पिछले इलेक्शन में उन लोगों ने इनके पक्ष में वोट दिये थे । मेरे पास उन पोलिंग स्टेशन्ज और पोलिंग बूथ्स के सारे किरार्ड मौजूद हैं

1977 में देश की जनता ने जो फैसला दिया, हमने उसको माना था, लेकिन बिहार में जिस तरह से रिगिंग की गई और जिस तरह से हरिजनों को वोट देने से रोका गया था, हम सब उसको जानते हैं । 1977 में आपका ही रेजीम था, नीचे से ले कर ऊपर तक आपकी ही सरकारें थीं । आपने हमारे लोगों को वोट देने से प्रिवेंट किया, उनको वोट नहीं देने दिया । आपके शासन के समय में ही आगरा में कितने ही लोग मारे गये ।

आपने डा० अम्बेडकर का नाम लिया । मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के साथ उनका नाम जोड़ने के बारे में लैजिस्लेटिव एसेम्बली और कौंसिल दोनों ने प्रस्ताव पास किये, लेकिन

अफसोस की बात है कि उस नामकरण को रोकने की कोशिश की गई । जब उसके विरोध में हरिजन भाइयों ने आवाज उठाई, तो उनके हजारों घर जला दिये गये । श्री मधु दंडवते उसी प्रान्त से आते हैं । उस वक्त वह कहां थे । उस वक्त उनकी आवाज क्यों नहीं उठी थी ? उस वक्त उनको बोलना चाहिए था । आज वह क्राकोडाइल टियर्ज, घड़ियाली आंसू, बहा कर पोलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं । अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं । अभी हमारी सरकार ने शासन-सूत्र नहीं संभाला है । लाजिडेंट्स रूल में यह घटना हुई है।

मैं बताना चाहता हूं कि राधिका सिंह, जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, अपराधी हैं, वह लोक दल और कांग्रेस (अर्स) का समर्थक है । (व्यवधान) वहां से कांग्रेस (अर्स) और लोक दल काम्बिनेशन का सदस्य जीत कर आया है, लेकिन आज वहां के लोग उस पार्टी के किसी आदमी को देखने के लिए भी तैयार नहीं हैं । चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर समूचे बिहार में, और सारे हिन्दुस्तान में, जो क्लास हैटिड और जातीयता की भावनायें भड़का रहे हैं, उसी का परिणाम होता हैं बेलची, दोहिया और पारसबीघा, विश्रामपुर, कैला आदि की घटनायें । आपके शासन-काल में जितनी घटनायें हुई हैं, मेरे पास उनकी लिस्ट है । मैं दे सकता हूं । मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं और पहले भी प्रधान मंत्री जी ने उस दिन जवाब देते हुये बताया था आप को कि जो हरिजनों के ऊपर एट्रासिटीज हुईं, 1974 में वह केसेज थे 8860, 1975 में 7781 हुए, 1976 में आ कर उस की संख्या 5960 थी लेकिन फिर वह संख्या इन्क्रीज हो गई, 1977 में 10879 हो गई, 1978 में 15059 हो गयी और 1979 में 17 हजार तक हरिजनों पर एट्रसिटीज की घटनाएं हुई हैं । उन की संख्या 1979 में 17 हजार तक पहुंच गई । वह मेरी फिगर्स नहीं हैं आप ने जो कुछ एजेंसीज बनाई हैं और पहले से कांस्टीच्यूशन मैकर्स ने जो एजेंसी बनाई थी शेड्यूल कास्ट एन्ड शेड्यूल ट्राइब्ज कमिश्नर की उस ने यह रिपोर्ट दी है जिस को आप लोगों ने और आप की सरकार ने कैंसील किया । यह रिपोर्ट भी आज आप के सामने हैं । आप देखेंगे कि 1974 में हरिजनों पर एट्रासिटीज के जो केसेज हुए थे उस में कितनी वढोत्तरी हुई है । इस बात को आप को ध्यान में रखना चाहिए और आप को सोचना चाहिए कि जिस तरह से आप इस का राजनैतिक फायदा उठाना चाहते हैं वह ठीक नहीं है । आप ने कमीशन एप्वाइंट किया । शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्ज एक इंस्ट्रीच्यूशन है जो फ्रेमर्स आप दि कास्टीच्यूशन ने बनाया था, उस का राजनैतिक फायदा उठाने के लिए आप ने इस्तेमाल किया । मैं जाना चाहता हूं कि जब कांस्टीच्यूशन का अमेंडमेंट नहीं हुआ तो एक पैरेलल कमीशन बहाल कर दिया और वह अपनी एग्जीक्यूटिव पावर से बहाल किया, उस में सिर्फ जनता पार्टी के तीन आदमियों को रखा । आज वह चेयरमैन और सारे लोग राजनैतिक फायदे के लिए सारी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं और जाते हैं.....(व्यवधान).....मैं सिर्फ दो चार सुझाव आपके सामने देना चाहूंगा । मेरा यह कहना है कि उस का राजनैतिक फायदा न उठाएं । अगर आप को कमीशन बनाना था तो आप सर्वदलीय कमीशन बनाते । आप उसके चेयरमैन जो बने हुए हैं वह किसी पार्टी विशेष के सदस्य हैं और राजनैतिक फायदा उन के माध्यम से लिया जाता है । उसी को आप कोट करते हैं । आप को इतनी फिक्र थी तो आप उस को टेटस दिए होते, कांस्टीच्यूशन में प्राविजन किए होते है लेकिन वह आप ने किया नहीं ।

अगर वह पहला इंस्टीच्यूशन है तो उस को मजबूत करना चाहिए। जो हमारे फ्रेमस आफ दि कांस्टीच्यूशन थे उन्होंने उस इंस्टीच्यूशन को बनाया हैं तो उस के माध्यम से हमें काम करना चाहिए। यह ठीक है कि अगर उन के कुछ सुझव आए हैं तो उस को मनाना चाहिए।

मैं पिपरा के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि 25 की घटना हुई है और 9 तारीख तक सभी जितने उसके अभियुक्त थे उनके ऊपर चार्जशीट सबमिट कर दी गई। इतनी जल्दी किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक ऐक्शन नहीं लिया है कि सभी के सभी अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए जायं। चार लाख रुपया अभी तक उन को सहायता मंजूर की गई है। मेरा यह कहना हैं कि एक इंडस्ट्री वहां बैठायी जाय या चाहे जमीन खरीद कर उनको दी जाय जिससे कि वे अपनी जीविका-उपार्जन कर सकें। यही सुझाव में देना चाहता हूं। साथ ही मैं यह जरूर चाहता हूं कि इस तरह के जो केसेज हों उनकी जांच करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स और मोबाइल कोर्ट्स बनाई जायं। मैं प्रधान मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी जल्दी ऐक्शन लिया और जल्दी से सारी सिचुएशन कंट्रोल हो गई। जिन लोगों ने बन्दूकें जमा कर के रखीं थीं उनके घरों की तलाशी लेकर वह सारी बन्दूकें ले ली गईं और अभियुक्तों को पकड़ कर उनके ऊपर चार्जशीट करके उनको जेलों में रख दिया गया।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं संविधान की 46 वीं धारा की ओर सर्व प्रथम आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है :

अनुच्छेद 46

> 46. राज्य जनता के दुर्बलतम विभागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा :

अभी बिहार से आए हुए साथी श्री बालेश्वर राम जी का भाषण सुन रहा था। सब से पहले मैं एक बात सभी सम्मानित सदस्यों से कहूंगा कि जब हरिजनों के ऊपर कोई घटना घटे और कमजोर वर्गों के ऊपर कोई घटना घटे तो कभी भी उसको पार्टी इंटरेस्ट के दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए : मुझे ख्याल है, साठे साहब यह बैठे हुए हैं, स्टीफन साहब भी बैठे हुए हैं, जब बेलची की घटना घटी थी, उन्हें याद होगा उस समय विरोध पक्ष के लोगों ने कम और ट्रेजरी बेंचेज जिस में हम लोग थे, हम लोगों ने ज्यादा हंगामा किया था। बेलची से हम लोग हड्डियां लाए थे, होम मिनिस्टर के माथे पर हमने हड्डी फेंकी थी और उसे सदन के पटल पर रखने की कोशिश की थी। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हरिजनों पर अत्याचार की बात चले तो कभी भी उसको पार्टी-स्पिरिट से नहीं लेना चाहिए। जब पार्टी के दृष्टिकोण से आप लेंगे तो कभी इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आपने कह दिया कि दण्डवते साहब नहीं गए तो मैं भी कह सकता हूं कि हमारी प्रधान मंत्री जी यहां पर बैठी हुई हैं, वे उस समय बेलची में हाथी पर चढ़कर गई थीं लेकिन अब क्यों नहीं गईं ? (**व्यवधान**) इसलिए मैंने कहा कि इसको कभी पार्टी स्पिरिट से नहीं देखना चाहिए। हमारे साथी ने कहा कि शुरुआत बेलची से हुई है लेकिन

मैं कहता हूं कि इसकी शुरूआत बेलची से नहीं, उसके पहले से—आप विहार सरकार से रिपोर्ट मंगाकर देख लीजिये—भोजपुर में, जिस समय इमर्जेन्सी पीरियड था, उस समय डेढ़ सौ हरिजनों को नक्सलाइट के नाम पर मारा गया था । विहार सरकार की रिपोर्ट है, उसको आप मंगाकर देख लें हालांकि शुरूआत उससे भी पहले हुई होगी । आपने कह दिया कि वे हमारे समर्थक हैं, लोकदल के समर्थक हैं लेकिन मैं कहता हूं हत्यारा किसी का भी समर्थक नहीं होता । अगर समर्थक हैं तो आप पता लगा लीजिए, लड्डू सिंह, गोड़न सिंह और ललन सिंह—ये जो तीनों आदमी हैं जो जब श्रीमती इन्दिरा गांधी गिरफ्तार हुई थीं तब उनके समर्थन में जेल गए थे । आप कहते हैं कि कुर्मी लोगों ने वोट नहीं डालने दिया । आप कहते हैं कि पिछड़े लोगों पर अधिकार लोकदल को है और श्री धर्मवीर सिंह वहां से जीतकर आए हैं वे कुर्मी हैं । आपने राजाराम सिंह को क्यों कैंडीडेट बनाया था? आपका भी कैंडीडेट कुर्मी ही था । जब कुर्मी कैंडीडेट होगा, आपके कैंडीडेट को भी वोट मिले होंगे और दूसरे उम्मीदवार को भी वोट मिले होंगे । मैंने पता लगाया है कि जिन लोगों ने बन्दूक के लाइसेंस लिए हैं, राइफल के लाइसेन्स लिए हैं उनमें 90 परसेंट लोगों की रिकमेंडेशन रामराज सिंह के नाम पर हुई है । वह आपका उम्मीदवार था जिसने बन्दूक और राइफल दिलवाई थीं । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की घटना घटे तो उसको राजनीतिक कलर नहीं देना चाहिए । किस तरह से इस समस्या का समाधान हो सकता है, किस तरह से हरिजन आदिवासियों के हितों की रक्षा की जा सकती है उस बात को हमें देखना चाहिए ।

अध्यक्ष जी, जिस समय मैं ट्रेजरी बेंचेज में था उस समय मैंने कहा था कि रोडेशिया में जब जुल्म होता है या दक्षिण अफ्रीका में जब काले लोगों पर जुल्म होता है या अन्य मुल्कों में जब मानवता की हत्या होती है तब हम बहुत घड़ियाली आंसू बहाते हैं । लेकिन आजादी के 32 वर्षों के बाद भी इस देश में हरजिनों को आजादी नहीं है । आदिवासियों को कोई सम्मान नहीं है, यहां पर जब इस तरह की घटनायें होती हैं तो उनको पार्टी का कलर दे दिया जाता है । आप विहार की बात छोड़ दीजिए, बम्बई में एक कमेटी है—कमेटी फार प्रोटेक्शन आफ डिमोक्रेटिक राइटेस—उसका डेलिगेशन साउथ गया हुआ था और अभी फर्स्ट मार्च को उसने रिपोर्ट दी है जिसमें उसने कहा है कि नालगोंडा, आदिलाबाद और करीमनगर, इन तीनों जिनों में हरिजनों की हत्यायें हुई हैं जिसमें हरिजन मुसलमान भी थे और हरिजन महिलायें भी थीं जिनके साथ बलात्कार हुआ है । उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है (व्यवधान) सही हो या गलत, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है । वह कमेटी न आपकी है न मेरी है । उसने कहा है कि इसमें सरकार और पुलिस दोनों की मिलीभगत है । इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हरिजन आदिवासियों की बात चले तो उसको गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए । मैंने सरकार के सामने कंक्रीट सुझाव दिए हैं और मैं प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें ।

मेरा सुझाव है कि सर्वप्रथम जो हरिजन एट्रोसिटीज का मामला है या जो शेडयूल्ड ट्राइब्ज और वीकर सेक्शन्स हैं उनके मामले को आप संविधान के कानकरेन्ट लिस्ट में शामिल करें । इसको आप स्टेट लिस्ट में न रखें । दूसरे भूमि सुधार और हदबन्दी के जो कानून हैं उनको आप संविधान में संशोधन करके संविधान के नवें अनुच्छेद में जोड़ें । जब तक इस देश में जमीन का मामला साल्व नहीं होगा तब तक हरिजन, आदिवासी और कमजोर वर्गों

पर अत्याचार बन्द नहीं होंगे । हरिजन और कमजोर वर्ग के लोग जहां-जहां बसते हों वहां आप उनको हथियार से लैस करें लेकिन दण्डवते साहब ने ठीक कहा है कि जब तक पेट में अन्न नहीं होगा तब तक हथियार भी कुछ नहीं कर पायेंगे । मैं आपको सरकारी नौकरी के कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि अभी तक प्रथम और द्वितीय श्रेणी में दो चार परसेन्ट हरिजन भी नहीं आ पाए हैं । डा० अम्बेडकर ने कहा था कि दस वर्ष तक आप आरक्षण दीजिए और दस वर्ष के बाद आरक्षण की आवश्यकता न रहे । क्योंकि उन्होंने सोचा था कि दस साल में शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स सोशियली, इकोनोमिकली, एजूकेशनली सभी स्तरों पर बराबर आ जायेंगे, लेकिन 32 साल के बाद भी वे जहां के तहां हैं । आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आरक्षण दीजिए, चाहे सरकारी नौकरी में हो या गैर-सरकारी नौकरी में हो, चाहे कोटा हो, लाइसेंस हो, परमिट हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनको आरक्षण दीजिए। आप पंचवर्षीय योजना बनाइए और उस पंचवर्षीय के तहत ऐसे कार्यक्रम आप चलाइए कि पांच साल के बाद कोई हरिजन ऐसा नहीं रहेगा जिस हरिजन परिवार के एक व्यक्ति को या तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा । आप अपनी सरकार को कहिए कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक सेल खोले और वह सेल पता लगाएगा कि हरिजनों और आदिवासियों की बहाली हो रही है या नहीं । कहां से योग्य उम्मीदवार आयेगा जब कि उसके लिए लिख दिया जाता है कि यदि अनसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए तो सीटे अनारक्षित मानी जाएंगी ।

यह बात लिखकर सारी चीजों को खत्म कर दिया जाता है । मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि आप प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक सेल बनाइए ।

आज का मन्दिर का पुजारी कौन होता है ? वही मन्दिर का पुजारी होता है, जो ब्राह्मण होता है । आप क्यों नहीं एक रिलीजियस इन्स्टीचूशन चलाते हैं कि जो लड़का पढ़ेगा, चाहे वह हरिजन हो या ब्राहमण हो, जो उसकी डिग्री ले लेगा, वही मन्दिर का पुजारी बनेगा । चारों पुरी में चारों शंकराचार्य बैठे हुए हैं । ये लोग वहां से एक फरमान जारी करते हैं कि वह अछूत है । ये चारों शंकराचार्य देश में जातपात को फैला करके देश को तोड़ना चाहते हैं । आप उन चारों शंकराचार्यों को गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दीजिए ।

आपने एक शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स कमीशन बना दिया है, उसकी रिपोर्ट इस सदन के सामने पांच साल के बाद आती है और तब उसके बाद हाऊस में उस पर बहस चलती है । मैं आपसे मांग करता हूं कि आयोग जब अपनी रिपोर्ट पेश करे तो उसके साथ ऐक्शन-टेकन रिपोर्ट भी सबमिट करे । हरिजनों के अत्याचारों के प्रति कमीशन जो सिफारिशें करता है, उसके बारे में क्या कार्यवाही की जाती है, इसकी सूचना हमें मिलनी चाहिए । जहां कहीं भी शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स के प्रति घटना घटे आप उसके लिए एक स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाइए, दो-चार-पांच अलग से पुलिस स्टेशन बनाइए, जो उस केस के बारे में तुरन्त तहकीकात करे, उस केस को दर्ज कराए और उस पर कार्यवाही करे । इसलिए मैं कहता हूं कि नीति बना देने से काम नहीं होता है, नीति के साथ-साथ नीयत भी चाहिए, इरादा भी चाहिए और मैं समझता हूं यदि आप इन इरादों के साथ काम करेंगे तो निकट भविष्य में हरिजनों, आदिवासियों, कमजोर वर्गों के साथ जो आज अत्याचार हो

रहे हैं, वे कम हो सकेंगे । यदि इसको आप पार्टी-स्पिरिट से लेते रहेंगे तो इस समस्या का निदान नहीं कर सकेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से इस प्रश्न पर कोई विवाद नहीं है कि हमारे देश में आदमी-आदमी के बीच भेदभाव है। यह सभी जानते हैं कि इसका कारण जातिवाद है। दुर्भाग्य से जातिप्रथा का दर्शन अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा मानना है। यह धारणा स्वतंत्रता के 30 वर्ष बाद आज भी विद्यमान है क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार नहीं करता, आदमी को आदमी नही समझता। जाति भेद के कारण ही निम्नजाति के लोगों को गुलाम समझा जाता है। अतः सभी ज्यादतियां एक भाई दूसरे भाई पर करता है। में कुछ आंकड़े दूंगा। बिहार में 1977 में इस किस्म के 560 अपराध हुए। 1978 में 1911 और 1979 में 1824, ये अक्टूबर तक के आंकड़े हैं। मध्यप्रदेश में 1977 में हरिजनों के प्रति अत्याचारों के 2,736 मामले दर्ज किये गये। 1978 में 3,240 और 1979 मे 3,866 मामले दर्ज किये गये। उत्तर प्रदेश में 1977 में 4,019, 1978 में 5,660 और 1979 में 4,102 मामले हुए। समयाभाव के कारण मैं अन्य राज्यों के आंकड़े नहीं देना चाहता। पर जो आंकड़े मैंने दिये हैं उनसे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी है। फिर बिहार और फिर मध्य प्रदेश का नम्बर है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा अन्य राज्य भी इनके कदमों पर चलने लगे हैं पर उस सीमा तक नहीं।

मैं सभा के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि रूढ़िवादिता तथा हरिजनों और कमजोर वर्गों पर अत्याचार के मामले दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत में अधिक होते है। कारण स्पष्ट है। दक्षिण में महात्मा फूले, डा० अम्बेडकर, छत्रपति साहू महाराज, रामास्वामी नाइकर तथा अन्य समाज सुधारकों के नेतृत्व में जाति प्रथा के खिलाफ कमजोर वर्गों ने आन्दोलन किये, विद्रोह किये। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में यह आन्दोलन नहीं चला। किसी नेता ने पहल नहीं की। शायद इस आन्दोलन को पनपने ही नहीं दिया गया। यही कारण है कि उत्तर भारत में रूढ़िवादिता अधिक है, सामाजिक रूढ़िवादिता और कट्टरपना अधिक है। जब मैंने बिहार, हरियाणा और कुछ अन्य उत्तरी राज्यों का दौरा किया तो मैंने कुछ राज्यों में वस्तुतः गुलामी पायी।

जमींदार लोग खेतीहर मजदूरों तथा कुछ अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गो के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वे उनके दास हों और यदि वे उनके सामने अपना सिर उठाते हैं तथा अपने अधिकारों का दावा करते हैं तो उनके सिर तोड़ दिये जाते हैं। आज भी गरीब खेतीहर मजदूरों की यही हालत है और अनुसूचित जातियों की उनसे भी बदतर हालत है।

यद्यपि मैं अधिक समय नहीं लूंगा, परन्तु कुछ ऐसे सुझाव मैं निश्चय ही देना चाहूंगा जिन पर सरकार विचार कर सकती है। ये ज्यादती भरे अपराध अधिकांशतः दूर-दराज के गांवों में ही किये जाते हैं, अतः यथासम्भव शीघ्रता से इन गांवों को संचार साधनों और सड़कों द्वारा जोड़ दिया जाए। इन गांवों के मुखिया और पटेलों पर सामूहिक अर्थदण्ड लगाया जाना

चाहिये, जोकि कई वार निर्धन और असहाय वर्गों के विरुद्ध ऐसे अपराध करने के लिऐ दूसरों को भड़काने के लिये जिम्मेवार हैं। इन लोगों को वड़े समूहों में बसाया जाना चाहिये जिससे कि वे अपनी रक्षा स्वयं कर सके। यह सत्य है कि सबसे प्रथम और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसूचित जातियों और निर्धन-वर्गों का आर्थिक और शैक्षिक विकास होना चाहिय तथा इसे यथाशीघ्र तीव्र गति से किया जाना चाहिए यह ठीक है कि अपने कार्यक्रमों के कारण हम इस पथ पर प्रशस्त है, परन्तु फिर भी जव तक इन निर्धन वर्गों का स्तर ऊंचा नहीं उठाया जाता, तव तक देश के स्तर को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार 20-सूत्री कार्यक्रम के द्वारा इस बुराई को दूर करने का प्रयास करेगी; जो सहस्त्रों वर्षो से चली आ रही है और हमारे महान देश को विघटित करती रही है।

श्री मुकन्द मण्डल (मथुरापुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े ही शर्म की बात है कि आजादी के 32 वर्ष पश्चात् भी इस प्रकार के अपराध किये जा रहे हैं। विहार के अपराधी कुलको द्वारा संगठित रूप में किये गये उस निर्मम हत्याकांड के बाद तो सारे ही देश का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए।

महोदय, पिपरा गांव में भूमिधर और जमींदार हैं। देश पिपरा कांड से शर्मिन्दा है।

जब जनता पार्टी सत्ता में थी तो मई, 1977 के महीने में बेलची में भी एक दुर्घटना घटी थी, जिसमें हरिजन मारे गये थे। उसमें एक शक्तिशाली समुदाय ने समाज के कमजोर वर्गों पर संगठित रूप में आक्रमण किया था। ग्रामीण क्षेत्रों के शक्तिशाली समुदायों ने धर्मपुरा, जावड्डा, वेगूसराय, विहारशरीफ, विश्रामपुर, बाजीतपुर, पारसबीघा और उसके बाद पिपरा में भी समाज के कमजोर वर्गों को मारने के लिये अपनी शक्तियों को संगठित किया है।

महोदय, सच्चाई तो यह है कि अब इन घटनाओं के लिये जनता पार्टी कांग्रेस (इ) को दोषी ठहरा रही है और 1977 की घटनाओं के लिये कांग्रेस (इ) जनता पार्टी को दोष दे रही है। परन्तु मेरा यह कहना है कि जब वर्ष 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में थीं तो तमिलनाडु के कीलवेनमणि गांव में 43 हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया था। ऐसी तो स्थिति उस समय थी और अब पिपरा गांव में भी उसी घटना की पुनरावृत्ति हुई है। (व्यवधान)। इन घटनाओं पर राजनैतिक दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाना चाहिये। असली मुद्दा तो यह है कि हरिजनों और समाज के कमजोर वर्गो पर संगठित रूप में अत्याचार करने के लिये जिम्मेदार जमींदार और कुलक सत्ताधारी दल से पनाह पाते रहते हैं। हरिजन लोग हैं कौन ? अनुसूचित जातियां कौन हैं ? अधिकांशत वे खेतीहर मजदूर हैं। गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों के साथ जमींदार, जोतदार और सत्ताधारी दल बुरा व्यवहार करते हैं फिर चाहे यह कांग्रेस (इ) हो या हो जनता पार्टी.....(व्यवधान) पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं नहीं घट सकती। (व्यवधान)। पश्चिम बंगाल के लोग जातिवाद से ऊपर उठे हुए हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : मारिचझापी की घटना के बारे में क्या विचार हैं ? (व्यवधान) सत्ताधारी दल में जमींदार भी शामिल हैं, क्योंकि गांवों के वे ही आधार-स्तम्भ होते हैं और सत्ताधारी दल को चुनावों के लिये उनसे धन लेना पड़ता है।

खेतीहर मजदूर खाद्यान्न पैदा करते हैं, परन्तु उन्हें दो वक्त का भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। वे उद्योगों के लिये आवश्यक कच्चे माल का उपादन करते हैं, परन्तु उससे तैयार माल का वे उपभोग नहीं कर सकते।

पिपरा गांव के खेतीहर मजदूरों को मजदूरी के रूप में एक हिस्सा सत्तू और एक हिस्सा केसरी दाल का मिल रहा था। अधिनियमाधीन न्यूनतम मजदूरी 5 रुपये निश्चित की गई है, परन्तु वह तो गांव के भूमिधरों द्वारा दी ही नहीं जाती।

केवल बिहार में ही ऐसे अत्याचार नहीं हो रहे हैं। देश के अधिकांश भाग इसके शिकार हैं। मेरा यह सुझाव है कि भूमि अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को लागू किया जाये और सीमा से अधिक भूमि को खेतीहर मजदूरों और गरीब किसानों में वितरित कर दिया जाना चाहिये।

काम करने के अधिकार को मूलभूत अधिकार स्वीकार किया जाना चाहिये। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो खेतीहर मजदूर ग्राम साहूकारों, जोतदारों और कुलकों पर निर्भर नहीं रहेंगे। अत्याचारों के लिये जिम्मेदार लोगों के नाम प्रकाशित किये जाने चाहियें और सरकार द्वारा किये गये उपायों से लोगों को अवगत कराया जाना चाहिये।

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : अध्यक्ष महोदय, आज हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार की घटना होने की इस सदन में चर्चा हुई, यह मसला बहुत ही गंभीर है और महत्वपूर्ण मसला है। इसमें अनेकों किसानों की जानें गयीं और उनके घर जलाये गये। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो आजकल के जमाने में बहुत ही असभ्य है और इस पर जितना भी दुःख व्यक्त किया जाये थोड़ा है।

मिस्टर दण्डवते ने कुछ तथ्य दिये और यह कह कर दिये कि पार्टी-बाजी से ऊपर उठ कर इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। परन्तु उसके तुरन्त बाद ही लोक सभा के कुछ सदस्यों ने ऐसी-ऐसी बातें पेश की कि बड़े दुख से कहना पड़ता है कि इस मसले को राजनीतिक रंग देने की चेष्टा की गयी। (व्यवधान) कहा गया कि राष्ट्रपति शासन के लागू होते ही लोगों के ऊपर, हरिजनों के ऊपर अत्याचार बढ़ने शुरु हो गये। जैसे जस्टिस भोले ने अभी कहा बिहार में इन अत्याचारों का बढ़ना तब शुरू हुआ जब कांग्रेस की हकूमत खत्म हुई और जनता पार्टी की हकूमत आई। इनकी हकूमत आने के बाद यह संख्या दुगुनी नहीं बल्कि चार गुना बढ़ी। बिहार का ही मैं उदाहरण पेश करना चाहता हूं। 1977 के पहले इन अत्याचारों की संख्या 560 थी लेकिन जनता पार्टी की हकूमत आते ही यह संख्या बढ़ कर 1911 हो गई यानी दो हजार के करीब हो गई। 1979 में यह और भी बढ़ गई। मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि जनता पार्टी के साथ-साथ इस प्रकार के और इस मनोवृत्ति के राजनीतिज्ञ सत्ता में आगे आये जिन्होंने गांव का जो हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा समाज का ढांचा है उसको जातीयता की भावना से और फिरकापरस्ती की भावना से भर दिया। फिर ये अत्याचार शुरू हुए। पिपरा कांड को ही आप लें। इसमें भी यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक ऐसा ग्रुप काम करता हुआ आपको नजर आयेगा जो एक राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखता है, जिसका उल्लेख हमारे देश के बड़े-बड़े अखबारों में भी हुआ है। टाइम्ज आफ इंडिया ने इस दुखभरी घटना का जिक्र करते हुए स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी किसान संरक्षण सदस्यों के ऊपर जाती है।

मैं पूछना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि यह जो किसान संरक्षण संघ है यह किस पार्टी के साथ सम्बन्ध रखता है, क्या यह लोक दल का दूसरा नाम नहीं है? (इंटरप्शंज)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए।

श्री बूटा सिंह : इससे भी अधिक बातें बिहार असैम्बली में उस वक्त के मुख्य मंत्री के सामने लोक दल के सदस्यों ने कही थीं। बिहार के इस क्षेत्र में भोजपुर, पटना, नालंदा, गया, रोहतास आते हैं और इस बैल्ट में बाकायदा और विधिवत ढंग से डाकुओं और असामाजिक तत्वों को पैसा दे कर रखा जाता है ताकि वे गरीब वर्गों और खास कर हरिजनों और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करते रहें। वहां के बड़े-बड़े जमींदार और कुलक लोग ऐसे हत्यारों को पालते हैं, उनको हथियार देते हैं और उनसे इस प्रकार के अत्याचार करवाते हैं। इसके पीछे किस राजनीतिक दल का हाथ है यह तो अब जो जांच होगी और जब वह बाहर आयेगी उससे ही पता चलेगा परन्तु आप देखें कि इस घटना के बाद हमारे देश के गृह मंत्री वहां पहुंचे और तुरन्त घटना स्थल पर जा कर वहां जो राज्य अधिकारी थे उनको इकट्ठा किया और वह पहले गृह मंत्री हैं जिन्होंने उनको स्पष्ट शब्दों में यह कहा "यदि आप अपना कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते तो आप अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर जा सकते हैं।" ज्ञानी जी के जाने के तुरन्त बाद वहां के शासन ने, वहां के राज्यपाल ने आदेश जारी किये और जिन कदमों को उठाने की जरूरत थी उठाये। मैं मानता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी और खास कर प्रधान मंत्री महोदया ऐसे जितने भी अत्याचारों के मामले होते हैं उनमें स्वयं दिलचस्पी ले कर इनका खुद समाधान करती है। अभी बिहार सरकार की तरफ से जो कदम उठाये गये हैं ऐसे कदम पहले किसी भी सरकार ने नहीं उठाये। मैं जानना चाहता हूं कि नारायणपुर में क्या हुआ, वहां की सरकार ने क्या किया? इसी तरह बेलची में क्या हुआ? उस वक्त की बिहार सरकार ने क्या किया? ... (व्यवधान)

श्री मनो राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। वह कृपा कर के यह बता दें कि क्या किसी सरकार ने, पहली सरकार ने अगर हरिजनों पर जुल्म किया हो तो क्या आप जस्टीफाई करेंगे आज के जुल्म को।... (व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, मैं बता रहा था कि बिहार सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं। बिहार सरकार ने तुरन्त गृह मंत्री जी की यात्रा के बाद यह कदम उठाये :

मजिस्ट्रेट के साथ ही सशस्त्र बल भी पिपरा गांव में तैनात किया गया था।

कल्याणचक, परथू, सहबाजपुर, उपरौल भभौल और अल्लाऊ दीनचक इन गांवों में स्थायीरूप से पुलिस चौकियां स्थापित की गई थीं।

शेष क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों के साथ चल पुलिस दलों को भेजा गया था।

इस क्षेत्र में भारी संख्या में हथियारों के लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन के विचाराधीन है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपर्युक्त उपायों के अलावा, बिहार सरकार ने राज्य में विधि और व्यवस्था को आम-तौर से दृढ करने के लिए, निम्नांकित उपायों पर विचार करना तुरन्त आरम्भ कर दिया है :—

गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल बिठाने और पुलिस अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्रभावित परिवारों को उस क्षेत्र के निवासियों से, जहां कहीं भी आवश्यक हो, क्षतिपूर्ति पूरी करना।

गांव को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये विशेषकर हरिजनों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के मामले में, सामूहिक जुर्माने या सामूहिक कर के साथ-साथ मुखिया और अन्य लोगों को जिम्मेवार ठहराने के लिये एक अध्यादेश जारी करना।

विशेष अदालतों की अलग से स्थापना के सम्बन्ध में मैं इस बात पर विशेष जोर देना चाहता हूं कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण से सलाह करके इस प्रकार के आपराधिक मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए अलग से विशेष अदालतों की स्थापना करने के लिए भारत सरकार ने बहुत ही साहसिक कदम उठाया है।

ये ही वे तात्कालिक कदम हैं जो भारत सरकार ने उठाये हैं। यह पहली बार है कि इस प्रकार के घटनास्थल पर देश के गृह मंत्री महोदय स्वयं गये प्रधान मंत्री के आदेशानुसार, और उन्होंने जाकर कोशिश की है कि अधिक से अधिक लोगों को सहूलियत दी जाये।

मैं एक बात में माननीय राम विलास पासवान का समर्थन करता हूं कि मसला इतना गंभीर है और में बड़ी नम्रता के साथ प्रधान मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि अब यह यह मसला हरिजनों के ऊपर अत्याचारों का इतना गम्भीर हो चुका है कि अब इसको राज्यों के ऊपर छोड़ना बहुत मुश्किल है। अब तो हरिजनों को संरक्षण देने के लिये, इनको प्रोटेक्शन देने के लिये, केन्द्रीय सरकार स्वयं इस महकमे को अपने हाथ में लें और कोई इस प्रकार की मशीनरी या फोर्स इवाल्व करे और खास करके जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को पर्सनली रेस्पांसिबिल ठहराया जाये और उनके कैरक्टर रोल में लिखा जाये। यदि किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इलाके में ऐसी घटना बार-बार होती है, तो उसको तुरन्त सेवा से मुक्त किया जाये, नौकरी से बर्खास्त किया जाये। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक इसका असर समूचे देश पर होने वाला नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं फिर अपने माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि यह मानवता और गरीबी के ऊपर अत्याचार हुए हैं, इससे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिये और इस समस्या को मानवता के नाम पर ही ज्यादा से ज्यादा हल करने की कोशिश कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : सदन की अनुमति से चर्चा का समय आधा घन्टे के लिये और बढ़ाया जाता है। श्री नागरत्नम।

श्री मनीराम बागड़ी : जनता सरकार में 4 घंटे इस पर बहस हुई थी।

श्री टी० नागरत्तम (श्रीपेरम्बदूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने स्वतन्त्रता के 32 वर्ष पश्चात् भी हमारे देश में हो रही ज्यादतियों पर होने वाले वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर मुझे प्रदान किया ।

आरम्भ में ही मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि अपराधियों के विरुद्ध न्यायालयों में चाहे अभियोग भी चला दिये जाएं, परन्तु इससे अन्ततः उत्पीड़ित हरिजनों को न्याय नहीं मिलता। इतना तो हमारे देश में सभी को ज्ञात है । मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा है कि हरिजनों पर निरन्तर हो रहे अत्याचारों के लिए मुख्य रूप से जमींदार ही उत्तरदायी हैं; परन्तु मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि निम्न वर्गों से आने वाले खेतीहर मजदूर के विरुद्ध ऐसे अमानवीय कर्मों में ऊंची जातियों के समृद्ध किसान भाग क्यों नहीं लेते ।

जब केन्द्र में जनता सरकार थी तो विल्लूपूरम के 13 हरिजनों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई । अपने भाषण में श्री मधु दण्डवते ने अपराधियों पर अभियोग चलाने के लिये विशेष अदालतों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया । मैं यह जानना चाहता हूं कि जबकि वे उस समय सरकार के एक जिम्मेदार केबिनट मंत्री थे तो विल्लूपूरम के अत्याचारों के समय उन्होंने ऐसा कदम उठाने की वकालत क्यों नहीं की थी । वन्नू अरुमुघम नाम के एक हरिजन के मृत शरीर को जब शमशान भूमि ले जाया जा रहा था और जब यह अन्ना सलाई पहुंचा तो अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम के मुख्य मंत्री श्री एम० जी० आर० की अगवानी में एक जलूस वहां से गुजरने ही वाला था तो अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के उदण्ड कार्यकर्त्ताओं ने अन्नासलाई से हरिजन के मृत शरीर को लेकर जाने से रोका । इन कार्यकर्त्ताओं ने लाश को सड़क पर घसीटा । हरिजनों के तो मुर्दों की भी ऐसी दुर्दशा की जाती है ।

यहां तक कि हरिजनों को भूमि के पट्टे देकर भी, उन्हें उस भूमि को जोतने तक नहीं दिया जाता । जिन लोगों का उस भूमि से स्वार्थ होता है वे अदालत में जाकर निलम्बन-आदेश ले आते हैं । मैं केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे विधायी उपाय तैयार करे, जिससे हरिजनों को दिए गये पट्टों के ऐसे मामलों के विरुद्ध लोगों को अदालतों में जाने से रोका जा सके । जब तक इस प्रकार कानून से स्वीकृति नहीं मिल जाती, हरिजन उनको दी गई भूमि को कभी जोत न सकेंगे । महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ऐसे ही अन्य राष्ट्रीय नेता केवल राष्ट्र की आजादी के लिए ही नहीं लड़े अपितु देश के दलित वर्गों के कल्याण के लिए भी लड़े थे । तमिलनाडु में पेरियार और अरिगनार अन्ना के कदमों पर चलने वाले डा० कलैग्नार करुणा निधि हरिजनों और दलित वर्गों के उद्धार के लिए वचन-बद्ध हैं । एक हरिजन भारतीय प्रशासनिक सेवा का कलक्टर बन सकता है, एक उच्च पुलिस अधिकारी बन सकता है और संसद् सदस्य तक बन सकता है परन्तु 32 वर्षों की आजादी के बाद भी किसी मन्दिर का पुजारी नहीं बन सकता । डा० कलैग्नार करुणानिधि ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एक ऐसा कानून पास कराया जिससे हरिजन भी मन्दिर के पुजारी बन सकते थे, परन्तु उच्चतम न्यायालय ने इस कानून को खत्म कर दिया । हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिये कानून का होना ही पर्याप्त नहीं है । ऐसे कानून को दैनिक जीवन का एक व्यावहारिक हथियार भी होना चाहिये । मैं मांग करता हूं कि हरिजनों पर अत्याचारों से सम्बद्ध मामलों के शीघ्र निपटान के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अदालतें स्थापित की जानी चाहियें ।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के अपराध राष्ट्र के लिए कलंक हैं, और यह कलंक तभी मिट सकता है, जब हम यहां शोषण-विहीन समाज की स्थापना करें। अगर वर्तमान आर्थिक विषमता कायम रहेगी, तो मैं समझता हूं कि भविष्य में ऐसी और भी घटनायें हो सकती हैं।

आज सारा समाज शोषण और दमन पर टिका हुआ है। कहा जाता है कि लोगों को ज़िन्दा जला दिया गया। लेकिन आज हमारे देश में करोड़ों लोग ज़िन्दा होते हुए भी गौरव से जीना नहीं जानते हैं। हम उनको ज़िन्दा मानते है, यह हमारे लिए कलंक की बात है। वे ज़िन्दा नहीं है, वे किसी तरह ज़िन्दगी के दिन काट रहे हैं। उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। आज गांवों में जो भयंकर ग़रीबी है, उसका ज़िम्मेदार सारा राष्ट्र है, शासन चाहे कोई भी हो। जब तक शोषण विहीन और जाति-विहीन समाज कायम नही होगा, भूमि सुधार कानून और सीलिंग एक्ट को मज़बूती के साथ लागू नहीं किया जायेगा, कुतुब मीनार पर बैठने वाले लोगों को ज़मीन पर नहीं लाया जायेगा और निचले लोगों को ऊपर नहीं उठाया जायेगा, तब तक ये सारी घटनायें होती रहेंगी और सारे राष्ट्र को शर्म से अपना सिर झुकाना पड़ेगा।

पिपरा की घटना के बारे में मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से कहा गया है:

> "बिहार सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार फ़रवरी, 1980 में पिपरा में हुई भयानक घटना के पीछे कारणों के बारे में एक निश्चित परिणाम पर अभी पहुंचना है।"

सरकार की इनवेस्टीगेटिंग मशीनरी अभी तक इस घटना के कारणों का पता नहीं लगा सकी है। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि उन लोगों का चालान किन सैक्शन्ज़ के मातहत किया गया, उन्होंने क्या एट्रासिटीज़ की थीं, कितने लोग एव्सकांड कर गये हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये है, सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि इस पर विचार हो रहा है। ऐसे घिसे-पिटे जवाबों से न भारत के प्रधान मंत्री को संतोष मिलेगा और न हम लोगों को। देश को संतोष तब मिलेगा, जब इस देश में ग़रीब गौरव से ज़िन्दा रह सकेगा। अगर 25 फ़रवरी को घटना होती है और 12 मार्च, को यह जवाब दिया जाता है कि फ़लां फलां मेज़र्ज़ अंडर कनसिडरेशन हैं, तो यह बहुत खेद की बात है। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

इन घटनाओं को राजनैतिक या पार्टी की दृष्टि से नही देखना चाहिए। ऐसी घटनाओं पर राष्ट्र को शर्म से सिर झुकाना पड़ता है। इसलिए हमें ग़रीबी को मिटाना चाहिए, सीलिंग एक्ट और 20-पायंट प्रोग्राम को सख्ती से लागू करना चाहिए और ऊपर के लोगों को नीचे और निचले लोगों को ऊपर लाना चाहिए, वर्ना देश में और ख़तरनाक स्थिति पैदा हो जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : भारत दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेद नीति के विरुद्ध संघर्ष में विश्व में सबसे आगे रहा है।

यह गांधी जी ही थे जिन्होंने अपने वहां बिताए वर्षों में पहले अहिंसापूर्ण सत्याग्रह के विचार की स्थापना की और दक्षिणी अफ्रीका के काले लोगों को जातिगत अन्याय के विरुद्ध जो कि उनके साथ किया जा रहा था और जो दुर्भाग्य से अब भी किया जा रहा है, लड़ने के लिए इसके प्रयोग की सिफारिश की। मैं समझता हूं कि यह हम सबके लिए शर्म की बात है कि एक तरफ तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ में रंगभेद नीति के विरोध का झंडा सबसे ऊंचा उठाते हैं और इसके लिए हमारा सम्मान भी किया जाता

है, दूसरी ओर यहां अपने देश में ही हमें प्रतिदिन रंगभेद नीति को सहना पड़ रहा है। महोदय, मुझे अत्यन्त दु ख है कि इस मामले में दलीय हितों को आगे रखा जाता है। थोड़ी देर पहले ही बजट पर बोलते हुए हमने पार्टियों को एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए देखा है। यहां लोगों को जान से मारा जा रहा है; उनके घरों को जलाया जा रहा है; उनकी औरतों को अपमानित किया जा रहा है, पिपरा में बच्चों को उनकी माताओं के हाथों से छीन कर आग में डाल दिया गया। हम यहां यह तर्क-वितर्क कर रहे हैं कि किसके शासन में यह अधिक हुआ किसके शासन में कम।

मुझे अत्यन्त दुःख है, क्योंकि मैं यह सोचता हूं कि जिन लोगों का इस समस्या के संबंध में दृष्टिकोण ही ऐसा है वे इसे कभी भी गम्भीरता से नहीं ले सकते।

अभी यहां आने से कुछ समय पहले और वाद-विवाद आरम्भ होने से पूर्व, मुझे सभा के वर्तमान सदस्य श्री विजय कुमार यादव से, जो कि नालान्दा, विहार से निर्वाचित होकर आए है; एक संदेश मिला है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के गांव मदनपुर, थाना इकन्दर सराय में एक हरिजन मजदूर के मकान को, जिसने उनके चुनाव में भी काम किया था, आग लगा दी गई है। मेरे पास यहां बहुत से नाम हैं परन्तु उन अपराधियों या सिद्ध दोष अपराधियों के नाम मैं पढ़ना नहीं चाहता जिन्होंने ऐसा किया है। यह कहा जाता है कि उन्होंने बदला लिया है क्योंकि इस व्यक्ति ने हमारे साथी के लिए काम किया था। उन्होंने उसे कुएं से पानी लेने से रोक दिया। इस प्रकार की बात सदा होती रहती है। मैं पिपरा गया। मेरी पार्टी ने मुझे वहां जाने का केवल इसीलिए निदेश दिया था कि वहां जाकर उस एक घर के बारे में सूचना प्राप्त करू जिसमें एक परिवार के नौ सदस्यों को जान से मार दिया गया था। वहां दो भाई इकट्ठे रहते थे। उनमें से एक का नाम कृष्ण था। वहां दो परिवार थे। वे सब चमार और मोची थे। वह हमारी पार्टी का सदस्य था। दूसरा भाई, उस रात संयोगवश पिपरा गांव से बाहर था। अतः मैं उससे मिलने वहां गया। मैं उन सभी बातों को नहीं दोहराना चाहता जो मेरे मित्रों ने कही है। परन्तु मैं दो बाते कहूंगा। कुछ देर पहले किसी ने कहा कि उन्होंने निश्चय किया है कि वे मतदान में भाग नहीं लेंगे क्योंकि जिस मतदान केन्द्र पर उन्हें जाना पड़ेगा, वह पिपरा से एक किलोमीटर दूर है, उन्हें उन्हीं जमींदारों की भूमि और खेतों पर से होकर जाना पड़ेगा। मतदान केन्द्र जमीदारों के गांव में ही स्थित है। उन्होंने हमें बताया :

> "हम क्या पागल हैं, हम पागल हुए है कि हम वहां वोट देने जाएंगे ? इससे बेहतर हमने ठीक किया कि हममें से कोई नहीं जायेगा वोट देने"

मैंने उनसे कहा था : 'शायद आप नहीं जानते हैं कि इस घटना के विषय में बाहर समाचार पत्रों में क्या कहा जा रहा है, इसका उन्हें पता नहीं है।' उनमें से एक बात मैंने यह भी कही--उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए--कि समाचार-पत्रों में यह छापा जा रहा है कि इस क्षेत्र में नक्सलवादियों की गतिविधियां बहुत हैं और यहां नक्सलवादियों के अड्डे हैं ? क्या आपकी जानकारी के अनुसार यह बात ठीक है ? उन्होंने केवल यही कहा, "क्या ऐसी बात है।" यह सब झूठ है।....

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा पहले उठाया जा चुका है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि नक्सलवादी वहां होते तो यह घटना न होती। इस अभ्युक्ति से क्या प्रभाव पड़ता है ? यहां ऐसे लोग है, जिनके पास भूमि नहीं है, जो जमींदारों द्वारा सताये जाते हैं, जिन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती, जिनकी सुरक्षा पुलिस नहीं करती, जो इस योग्य

नहीं है कि वे जाकर मतदान कर सके । यह साधारण-सा तर्क उन्हें कहां ले जायेगा। क्या आप उन पर दोष लगा सकते है ? क्या आप उन्हे अपराधी कह सकते है ? उनका भविष्य क्या है ? वे किस बात की आशा रखे ? अतः मैं केवल यही कहूंगा कि हम इस सभा में कुछ भाषण देकर ही जातिवाद से ग्रस्त हिन्दू समाज को नहीं बदल सकते। यह हमें कई हजार वर्षों से मनु के समय से, विरासत में मिला है। देश में बिना सामाजिक क्रांति लायें इसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। मैं नहीं जानता कि इसमें कितने वर्ष लगेंगे। परन्तु अभी तो संसद् को कुछ करना चाहिये, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि लाखों हरिजन भाईयों और बहनों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मिले। प्रमुख प्रश्न तो भूमि का है। आप इस मामले में ढुलभुल नीति नहीं अपना सकते। मूल प्रश्न तो भूमि का ही है। इस मामले को लेकर संघर्ष हो रहे हैं और आज तक की सभी सरकारें, कागज पर बहुत अच्छे कानून बनाने के बावजूद, यह सुनिश्चित करने में असफल रही है कि जमींदारों से उनकी फालतू भूमि लेकर इन गरीब हरिजनों और भूमिहीनों को कैसे दी जाये। यह नहीं किया जा रहा है, आंकड़े मौजूद हैं, इन्हे प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता यह समस्या आगामी कई वर्षों तक बनी रहेगी।

महोदय, मैं अपने भाषण को, डाक्टर अम्बेडकर के शब्दों को उद्धृत करके, समाप्त करता हूं यद्यपि मैं इनसे सहमत नहीं हूं उन्होंने कहा :

> "रोमन अपने पास गुलाम रखते थे ; स्पार्टन्स दास रखते थे, अंग्रेज कृषिदास, अमेरिकी निग्रों और जर्मन यहूदी रखते थे। इसी प्रकार हिन्दू अछूत रखते हैं।"

मुझे विश्वास है कि यह वह व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत हम इस समस्या को देखें। क्योंकि उस स्थिति में हमारे लिये सम्पुर्ण विश्व और सभ्य मानवता के समक्ष सिर उठाना कठिन हो जायेगा। परन्तु, महोदय, हमें एक बात तो समझा लेनी चाहिये कि जो कुछ हम इस सभा में कहते हैं, और जो कुछ हम इसके बाद करते है, वह ऐसा नहीं होना चाहिये जो हरिजनों को भड़काने वाला हो और वे यह महसूस करें कि हम तो उनके लिये केवल मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं और भाषण दें रहे है जबकि उनके प्रति वही बर्बर व्यवहार बढ़ता जा रहा है। अतः हमें कम से कम इस मामले में पार्टी का मोह छोड़ देना चाहिये और उस धब्बे को देश से समाप्त करने के लिये दृढ संकल्प होना चाहिये। यदि कोई कृष्ण मोची झुग्गी जलने से मरता है (व्यवधान) उसके परिवार को कत्ल किया जाता है तो मैं कहता हूं कि यदि यह बात देश में प्रकाश में आती है और इस पर संसद् में बहस होती है तो उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई।

धन्यवाद।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन साथियों से पूर्णतया सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि इस मामले पर पार्टी से ऊपर उठ-कर चर्चा की जानी चाहिये और इसमें राजनीति को नहीं लाना चाहिये। माननीय सदस्य श्री मधु दंडवते जिन्होंने बहस आरम्भ की, कुछ सुझाव दिये है मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कुछ अच्छे और रचनात्मक सुझाव भी रखे और इस मामले पर पूर्ण गम्भीरता से चर्चा की।

महोदय, उनके द्वारा दिये गये सुझावों में से कुछ पर सरकार गम्भीरता से पहले ही विचार कर रही है। मैं इसके प्रत्येक मुद्दे पर वारी-वारी से बोलूंगा। मैं इस सम्मानित सभा को बताना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करना चाहती है।

जहां हमें इस मामले पर पार्टी से ऊपर रहकर चर्चा कर रहे हैं वहीं इसके सभी पहलुओं पर भी चर्चा होनी चाहिये यदि आप इसके सही कारणों को जानना चाहते है तो कुछ तुलना करना भी आवश्यक है और जब हम ऐसा करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये कि हम किसी राजनीति दल की आलोचना कर रहे है। परन्तु इसके साथ ही मैं आपको और इस सम्मानित सभा को यह बता दू कि इन मामलों के पीछे राजनीतिक दलों की राजनीतिक इच्छा ही रहती है। और जब इसके पीछे राजनीतिक इच्छा हो तो इस दिशा में सब कुछ किया जा सकता है। महोदय प्रो. मधु दंडवते ने बताया है कि पिपरा में लोगों ने उन्हें बताया कि 1952 से उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया है।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने 1952 में वोट डाला था।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : 1957 से उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नही किया। 1957 में और उसके बाद कुछ सामान्तवादी तत्व और कुछ जमींदारों ने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। यह 1962 की बात है। परन्तु 1957 में यह बन गई थी और उन समान्तवादी तत्वों ने, जोकि देश में विशेष रूप से उत्तरी भारत में फैल गए थे, हरिजनों को न केवल उत्तरी भारत में बल्कि अन्य स्थानों पर वोट नहीं डालने दिया। परन्तु उन्होंने जैसा कहा है, वह ठीक है कि उन से ज्यादतियां की गई है। यह स्पष्ट है कि सामाजिक आर्थक तत्वों के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अत्यन्त नाजक स्थिति में हैं। उनमें से कुछ कृषि मजदूर है; अन्य शेयर क्राप्स पर निर्भर है; उनमें से कुछ छोटी-मोटी कृषि करते हैं, मछली पकड़ते है और दूसरे कम आय के कार्य जैसे बुनाई और चमड़े का काम करते है। उनके पास बहुत सम्पति है। लगभग सारे ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण से पता चला है कि देश के बंधुवा मजदूरों में से 66% अनुसूचित जाति के है। यह स्थिति तो अनुसूचित जाति और जनजाति की है। यह सरकार बहुत ही सर्तक है और आरम्भ में ही सरकार ने इस दिशा में कदम उठाना आरम्भ कर दिया है। मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम इसी उद्देश्य से बनाया गया था। जनजाति-उप-योजनाएं अनुसूचित जनजाति के लोगों के सम्पूर्ण विकास के लिये आरम्भ की गई थी। यह योजना तो चल ही रही है, और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये कुछ और योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

महोदय, हमने राज्य सरकारों द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा करनी आरम्भ कर दी है। इस सम्बन्ध में हमारी पहली बैठक गुजरात में हुई थी। हमने गुजरात सरकार द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा की। इस संबंध में कुछ निर्देश दिये जाते हैं। मैं और मेरे साथी उस बैठक में उपस्थित थे। हमने इस सम्बन्ध मे उन्हे कुछ निर्देश दिए थे और हम ऐसी दूसरी बैठक महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं। इस प्रकार हम एक-एक करके इस दिशा में किये गये कार्यो की समीक्षा करेंगे।

माननीय प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण में गहरी रुचि रखती है ताकि इन लोगों के आर्थिक पिछड़ेपन का समाप्त किया जा सके। जब यह घटना हुई तो प्रधानमंत्री ने ही सुझाव

दिया था कि स्वयं गृह मंत्री को वहां जाना चाहिए । गृह मंत्री और मैं पिपरा गए थे । गृह मंत्री ने राज्य के अधिकारियों को कड़े अनुदेश दिए थे कि इस अपराध की जांच की जाए और यथाशीघ्र आरोप पत्र दाखिल किया जाए यह बड़ी रुचिकर बात है कि कार्यकारी आदेशों में यह व्यवस्था होने के बावजूद कि आरोप-पत्र 14 दिनों के अन्दर ही दाखिल किया जाए, लगभग सभी मामलों में ऐसा नहीं किया जाता है । परन्तु इस मामले में आरोप-पत्र 12 दिनों में ही दाखिल कर दिया गया अर्थात् निर्धारित समय से भी पहले ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : बेलछी में भी हुआ था ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं बेलछी पर भी आ रहा हूं ।

(व्यवधान)

महोदय, अपने मित्र श्री रामविलास पासवान और अन्य मित्रों के लाभ हेतु मैं बेलछी के संबंध में एक सूचना देना चाहूंगा । बेलछी घटना 27 मई, 1977 में हुई और आरोप-पत्र 33 दिनों बाद दाखिल किया गया (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिये । आप मेरी अनुमति के बिना नहीं बोल सकते । वह कुछ तथ्य बता रहे हैं । आप उन्हें क्यों नहीं मान रहे हैं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं तो जो तथ्य हैं, वही बता रहा हूं । मैं उनमें हेरा-फेरी नहीं करना चाहता ।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि 33 दिनों के पश्चात् 30 जून, 1977 को बेलछी मामले में आरोप-पत्र दायर किया गया था और 17 दिसम्बर, 1977 को इस मामले को सत्र-न्यायालय को सपुर्द किया गया और 5 फरवरी, 1980 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सुनवाई शुरु हुई । इस मामले के सभी अपराधियों को जमानत पर छोड़ दिया गया है ।

जहां तक पिपरा घटना का संबंध है, हमने बिहार सरकार के साथ चर्चा की है और गृह मंत्री महोदय ने राज्यपाल, सलाहकारों और अधिकारियों को उच्च न्यायालय से सम्पर्क स्थापित करके इस मामले की सुनवाई के लिये एक विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कराने की सलाह दी । इसके अनुसार राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय से निवेदन किया और उच्च न्यायालय दिन प्रतिदिन के आधार पर पिपरा मामले में सुनवाई के लिये सबजज की नियुक्त करने के लिये सहमत हो गया है । राज्य सरकार को आशा है कि दो महीनों के भीतर इस मामले की सुवाई पूरी हो जायेगी ।

अब इन घटनाओं की तुलना कीजिये । बेलची मामले में जहां अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है, वहां पिपरा मामले में उचित समय पर प्रधान मंत्री द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के कारण मामले की सुनवाई दो महीनों के भीतर पूरा हो जाने की आशा है और सभी अपराधियों को दण्ड दिया जायेगा ।

जैसा कि मैंने कहा है कि राजनीतिक दलों की राजनीतिक इच्छा इन मामलों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । मैं सरकार तथा अपने दल की ओर से सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि इह देश के गरीबों, पद-दलितों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रक्षा करने के लिये राजनीतिक इच्छा मौजूद है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप सरकार की ओर से बोल रहे हैं न कि दल की ओर से ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जी हां, अपनी सरकार की ओर से बोल रहा हूं, किन्तु इ ाके पीछे मेरा दल है । मैं उस बात को भी नही भूल सकता ।

प्रो० मधु दण्डवते ने कई सुझाव दिये हैं और मैं उन पर बारी-बारी से बोलूंगा । पहली बात यह है जो उन्होंने कही है कि राष्ट्रीय एकता परिषद् को पुनः गठित किया जाये । यह पहले से ही सरकार के विचाराधीन है और सरकार बहुत थोड़े समय में ही इस बारे में निर्णय कर लेगी ।

जहां तक ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का संबंध है, हमने पहले ही राज्यों को मार्गदर्शन सिद्धान्त जारी कर दिये हैं और जैसाकि मैंने पहले बताया है, पिपरा कांड के लिये एक सब-जज की नियुक्ति की जा चुकी है । अतः, हम उस दशा में अग्रसर हो रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते ने इस संबंध में तीन या चार अन्य सुझाव दिये हैं । मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि मेरा भी वही विचार है और इन सुझावों में से अधिकांश पर पहले ही मंत्री परिषद् द्वारा विचार किया जा चुका है और हम इन सुझावों पर बहुत ही सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं ।

श्रीमान् जी, यह कांड जो हुआ है, बहुत ही दुखद है । सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये सभी प्रकार की सावधानी बरती है तथा ध्यान रखा है कि भविष्य में देश में ऐसी कोई घटना न हो । मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में बहुत ही सतर्क है, विशेषकर कि प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री देश के गरीब लोगों की रक्षा के लिये वचनबद्ध हैं ।

किसी भी तरह इसे किया जायेगा । मैं सभा के समक्ष इस मामले को विचारार्थ लाने के लिये माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं । मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व इस सभा के माननीय सदस्यों को दलगत विचारों से ऊपर-उठकर चर्चा में भाग लेने की प्रार्थना करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : हम सभा की अनुमति से समय को बढ़ा सकते हैं । मेरे विचार में सभा मेरे साथ सहमत है कि हम सभा के समय को 8.15 मध्याह्न पश्चात् तक बढ़ा सकते है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री धर्मबीर सिन्हा (बाढ़) : श्रीमान जी, मैं बहुत ही शर्म की भावना के साथ बोलने के लिये उठा हूं, क्योंकि इस चुनाव के क्षेत्र के प्रतिनिधि के नाते मुझ पर और भारतीय होने के नाते हम सब को जो शर्म हुई है वह बाद में होने वाली किसी घटना, इस सभा में कही जाने वाली किसी बात तथा आगे की जाने वाली किसी कार्यवाही से दूर नहीं की जा सकती । मैं घोर व्यथा तथा पीड़ा की भावना के साथ बोल रहा हूं । मुझे इस लिये दुख तथा व्यथा है कि मैंने राज्य सरकार, राज्य सरकार के उच्चतम अधिकारियों को पर्याप्त और अग्रिम रूप से चेतावनी दे दी थी कि स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं है और कि उस क्षेत्र में तनाव होता जा रहा है और कि कुछ भी घटित हो सकता है । ऐसा क्यों हुआ जबकि पर्याप्त और अग्रिम रूप से सूचना मिल चुकी थी ।

कल ही गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने राज्य सभा में बताया कि केन्द्रीय आसूचना विभाग ने भी राज्य पुलिस को सूचित कर दिया था कि उस क्षेत्र में तनाव होता जा रहा है और कि वहां कुछ घटित हो सकता है । जो उस क्षेत्र की घटनाओं के बारे में जानकारी होने

के कारण मैंने यदि राज्य सरकार को सूचित कर दिया था और यदि केन्द्रीय आसूचना अधिकारियों ने राज्य सरकार को सूचित कर दिया था तो यह पूर्वाग्रह का ऐसा मामला नहीं था कि उग्र हिंसा का रूप धारण कर ले इसकी भी पृष्ठभूमि है। मैं ऐसे मामलों के बारे में दलगत राजनीति में नहीं पड़ना चाहता। मेरे जैसे लोगों के लिये, जो किसी एक सुव्यवस्थित सोसाइटी में विश्वास रखते हैं, इससे बढ़ कर कोई बात अधिक दुखद एवं खराब नहीं हो सकती किन्तु उस क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियां बन रही थी।

कुछ लोगों ने वादविवाद में मेरे नाम का उपयोग किया है। ऐसा सुझाव दिया गया है कि ऐसा हो सकता है कुछ लोग जो मेरे समर्थक थे या जिन्होंने मेरे अभियान का समर्थन किया था वहीं इस दर्दनाक घटना का आयोजन करने वाले थे या इस के पीछे थे। अध्यक्ष महोदय मैं इस बात को आप पर छोड़ता हूं कि आप इस बारे में सभा के एक समिति बनाये। मैं इसका स्वागत करूंगा और मैं यह चाहूंगा कि इस बात की जांच की जाये और यह पता लगाये जाय कि इसके लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। कानूनी कार्यवाही से तथ्यों का पता नहीं लगाया जा सकता, किन्तु सभा की समिति इसका पता लगा सकती है। मैं भी इसका स्वागत करूंगा किन्तु जब मैं यह कहता हूं तो मैं दलगत ढंग में नहीं कहता। इसका निर्णय सभा के नेताओं तथा श्रीमान् जी, आप ने करना है।

जब मैंने यह कहा कि मैंने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी, तो ऐसा करने का एक कारण था। इस घटना से दो मास पूर्व, इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की स्थिति बन चुकी थी। मैं इस मामले में नक्सलवादियों का नाम नहीं लाऊंगा। मैं जानता हूं कि वे अब उस क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे हैं, किन्तु पहले वे वहां कार्यरत थे। यह कोई विकृत ग्रुप का रूप है जिसके नारों को अपराधियों द्वारा अपना लिया गया है। गत 6 या 7 महीनों से पिपरी को दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया हुआ है, वहां वेतन संबंधी विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं है।

दुर्भिक्ष क्षेत्र में श्रमिक विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता। इससे न तो कृषि श्रमिकों को न ही किसानों को कोई लाभ हो सकता है। बिहार का प्रत्येक सदस्य यह जानता है कि वह दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्र है। वहां किसी भी अनाज की उपज नहीं हुई है। अतः जो कुछ वहां गत दो महीनों से हो रहा है वह यह है कि 200 या 300 लोगों की एक टोली गाव गांव घूमती है। किसानों से यह मांग करती है कि विशेष मात्रा में अनाज उन्हे दे दिया जाए, वह हथियारों के लिये नहीं कहती। वे लोग 100 मन अनाज एक गांव से तथा 25 मन अनाज दूसरे गांव से ले लेते है और एक सप्ताह में उन्होंने हजारों लोगों को वास्तविक नोटिस दिया कि वे इस टोली के पास अनाज जमा करायें। ये लोग कौन है। उस का पता राज्य पुलिस तथा केन्द्रीय आसूचना विभाग को होना चाहिये था। मेरा विचार है कि वे इस बात को जानते थे, किन्तु फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मेरे मित्र श्री बूटा सिंह ने ग्राम संघर्ष समिति का उल्लेख किया है। मैं उन्हे बता सकता हूं कि यह पूरी तरह गैर-राजनीतिक संगठन है। इस के साथ संबंधित लोग राजनीतिक दलों में रुचि नहीं रखते है। और इस संगठन की स्थापना को दो मास के भीतर इसके अध्यक्ष एवं सचिव दोनों की हत्या कर दी गयी। उनकी धमकी सामान्य उग्रवादी ढंग से दी गयी थी वे नक्सलवादी नहीं है, वे किसी विकृत राजनीतिक अपराधियों का ग्रुप है। जब मैं यह कहता हूं तो मैं इस मामले की कठोर पृष्ठभूमि के सभी

कठोर तथ्य बताने का कर्त्तव्य निभाता हूं। जो कुछ हो रहा है, उससे मुझे शर्म महसूस होती है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समय भी सब से अच्छी बात यह है कि अपराधी का पता लगाया जाये और उसे ऐसा दण्ड दिया जाये जो दूसरो के लिये उदाहरण बने किन्तु कृपा करके निर्दोषों को न तो सताया जाये और न ही परेशान किया जाये क्योंकि केवल इसी से ही इस क्षेत्र में तनाव समाप्त होगा। इस समय की आवश्यकता यह है कि तनाव को समाप्त किया जाये तथा वहां शांतिपूर्वक परिस्थितियां पैदा की जाये।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं सभी माननीय सदस्यों की व्यथापूर्ण भावनाओं से सहमत हूं। हम सभी इस बात को महसूस करते हैं कि इन में कुछ भावनाओं को व्यक्त करने के लिये हमारे लिये वाद विवाद का किया जाना आवश्यक है। किन्तु इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। जैस ही मैंने पिपरा की दुखद घटना के बारे में सुना, वैसे ही मैंने गृह मंत्री को वहां जाने के लिये कहां और वह वहा कुछ प्रारम्भिक पग उठाने में सफल हुए जिनसे लोगों को फिर से कुछ आश्वासन मिला। वे पग कितने कारगर रहे हैं, उनके बारे में तो बाद में ही बताया जा सकता है। हम यहां जिम्मेदार नागरिक के रूप में हैं जिन्हे अपने देश पर गर्व है। अतः हमारी और भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम समाज को उन खराबियों से उन शर्मनाक खराबियों से शुद्व करें जैसा कि स्वयं माननीय सदस्यों ने कहा है, केवल इन्ही के कारण ही हमें शर्म महसूस करना पड़ता है और इन्ही के कारण ही हमें अपने आत्म सम्मान से वंचित होना पड़ता है।

मैंने राष्ट्रीय एकता परिषद् की पुनः स्थापना करने का निर्णय किया है। यह एक हल नहीं है प्रत्युत यह तो केवल एक हथियार है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने हरिजन तथा आदिवासिसी भाईयों और बहनों को पूर्ण रक्षा के लिये फिर से आश्वासन दे। इसके अतिरिक्त अपराधी को अवश्य ही दण्ड दिया जाना चाहिये।

यह एक नयी समस्या नहीं है। जैसाकि कईयों ने बताया है कि यह हजारों वर्ष पुरानी समस्या है, इन पुरानी खराबियों को एक दम उखाड़ फैकना आसान काम नहीं है। इसके कारण अधिकांशतः आर्थिक है किन्तु, उनके साथ परम्परागत सामाजिक रवैये जुड़े हुये हैं। नागरिकों की सुरक्षा करना सरकार की ज़िम्मेदारी तो है ही, न केवल संसद्-सदस्यों अपितु विचारशील और ज़िम्मेदार भारतीय नागरिकों के रूप में जातिवाद और साम्प्रदायिकता को समाप्त करने की दिशा में कार्य करना हम सबका उत्तरदायित्व है। ये दोनों वाद विप की ही किस्में हैं जो लोगों को अमानवीय कार्यों के लिये प्रेरित करते हैं जिसके फलस्वरूप वे भूल जाते हैं कि वे मनुष्य हैं और कि दूसरे लोग भी उनकी तरह ही मनुष्य हैं और उन्हें भी ज़िन्दा रहने, रोज़ी कमाने, प्यार करने तथा कार्य करने का अधिकार है। यह एक ऐसी बात है जो केवल किसी सरकार अथवा किसी सरकारी कार्यवाही द्वारा ही दूर नहीं की जा सकती। इसे लोगों के आन्दोलन द्वारा ही दूर किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने इसे ऐसा बनाने का प्रयास किया था। अपने स्वतंत्रता संघर्ष में हम केवल राजनीतिक व स्वतंत्रता के लिये नहीं लड़े थे। हमने इस संघर्ष के अंश के रूप में आर्थिक अन्याय के विरुद्ध, सभी भारतीयों के सामाजिक अपमान विशेपकर कि हरिजनों, आदिवासियों तथा बहुत ही कमज़ोर वर्गों के, जिनकी कोई आवाज नहीं थी, जिनका कोई संगठन नहीं था, अपमान के विरुद्ध भी लड़े थे। आज स्थिति बिल्कुल उसी तरह की नही है, इस में पर्याप्त रूप से परिवर्तन हो चुका है, मुख्य रूप से यह परिवर्तन ही है जो कि इस

गड़बड़ का अंश भी है और स्वयं गड़बड़ का कारण भी है। ज्यों ही उन्होंने अपने अधिकारों को जताना शुरू किया, ज्यों ही उन्होंने अपने सिर ऊपर उठाकर खड़ा होना चाहा त्यों ही उनपर अत्याचारों तथा परेशानियों की बौछाड़ पड़ी। हम एक राष्ट्र के रूप में इसे झेल रहे हैं, क्योंकि कुछ विकसित राष्ट्रों का हमारे प्रति यही रवैया है। वे कहते हैं कि ये गरीब लोग कैसे साहस करते हैं, जो डराये धमकाएं जाते थे, जो हमारी बात सुनते थे वे लोग खड़े हो सकते हैं तथा अपने अधिकारों को जता सकते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में निपटना होगा। मैं यह जानती हूं। जब राजनीतिज्ञ बात करते हैं, चाहे कितना ही इससे बचने का प्रयास किया जाये, तो उसमें राजनीति आ ही जाती है। मैं किसी भी व्यक्ति पर दोष नहीं डालना चाहती। अतीत तो अतीत ही है। किन्तु हम अतीत को हटा नहीं सकते, हमें अतीत से अवगत रहना होगा। किन्तु अब हमें यह देखने का प्रयास करना होगा कि किस प्रकार हम मिल बैठकर विचार कर सकते हैं और किस प्रकार हम उचित वातावरण बना सकते हैं। यह एक ऐसी बात नहीं है जिसे हम केवल यहां बैठकर अथवा एकता परिषद् में बैठ कर ही कर सकते हैं। इसे स्थानीय स्तर पर करना होगा। यदि लोगों के किसी ग्रुप को रक्षा करनी हो, तो मूलतः पड़ौसी ही उनकी रक्षा करेंगे। उन क्षेत्रों से तथा प्रत्येक क्षेत्र से संसद संदस्यों के रूप में हमारा यह कार्य होना चाहिये कि कैसे उस वातावरण को पैदा किया जाए जिसमें लोग बर्बरता पूर्ण व्यवहार न करें क्योंकि हमारे सभी निर्वाचन क्षेत्रों में हरिजन हैं और उनमें आदिवासी भी हो सकते हैं चाहें उनकी भावनाओं को कितना ही क्यों न उकसाया जाये, चाहे वह यह भी महसूस करते हो कि इसमें बदले का कारण बनता है एक गलत काम जब होता है, तब तुरन्त पीड़ितों के मन में यह भावना उठती है कि उन्हें इसका बदला अवश्य लेना चाहिये। यदि हम एक ऐसा वातावरण पैदा करें कि यह बात गलत है, कि इस बात को भारतीय समाज में नहीं किया जाता और इसे भारतीय समाज में स्वीकार नहीं किया जायेगा। सुरक्षा के लिये सभी संभव प्रशासनिक एवं अन्य उपाय करने तथा अपराधी को दण्ड देने के अतिरिक्त मेरे विचार में यही एक मात्र समाधान है। इसके लिये कोई अल्पकालीन समाधान नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगी कि मेरे विचार में ऐसी घटनायें फिर नहीं होंगी। ईमानदारी से मैं ऐसा नहीं कह सकती। हम केवल यह बता सकते हैं। कि हम भरसक प्रयास करेंगे कि ऐसी घटनायें न हों और मुझे आशा है कि हमें इस प्रयास में लोगों के सभी वर्गों का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

वर्ष 1980–81 के लिये गेहूं और चने के मूल्य और वसूली नीति के बारे में वक्तव्य

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव): श्रीमन् जी, मैं 1980-81 के रबी के विपणन मौसम के लिये गेहूं और चने के मूल्य और वसूली नीति के बारे में वक्तव्य देना चाहता हूं ... (व्यवधान) ... मैं पहले निर्धारित समय पर इस वक्तव्य को न दे सकने के लिये क्षमा मांगता हूं।

कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन रही हैं और सरकार ने रबी विपणन मौसम 1980–81 के लिए गेहूं और चने की मल्य और वसूली नीति के बारे में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :—

(1) गेहूं का समर्थन मूल्य 117/–रुपये प्रति क्विंटल और चने का 145/–रुपये प्रति क्विंटल होगा ;

(2) केन्द्रीय पूल से गेहूं का निर्गम मूल्य 130/–रुपये प्रति क्विंटल के मौजूदा स्तर पर बना रहेगा ;

(3) देश भर में अनाजों का अबाध संचलन जारी रहेगा ; सारे देश को इस प्रयोजन के लिए एक ही ज़ोन के रूप में समझा जाएगा ; और

(4) क्योंकि वसूली मूल्य समर्थन देने के लिए की जाएगी इसलिए वसूल की जाने वाली मात्रा का कोई औपचारिक लक्ष्य नहीं होगा ।

2. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मूल्य समर्थन देने के लिए इस दिशा में खरीदारी करने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए जाते हैं । तथापि, इस मामले में प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । राज्य सरकारों और सरकारी एजेंसियों की अड़चनों को दूर करने और जिन क्षेत्रों में वसूली की जाती है वहां खरीद केन्द्रों का व्यापक जाल विछाने में उनकी मदद करने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे ।

7.52 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 14 मार्च, 1980/24 फाल्गुन, 1901 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

लु० मि० रो० न० दि०– 11 एल० एस० III एल० एस०–29-5-80–210.